

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

अमेरिका की राजनीतिक पञ्चति और उसकी कार्य विधि

लेखक
डेविड कुशमन ब्रायल

झय भारती
६०, नया कटरा, इलाहाबाद

स शोधिन संस्करण — दिसम्बर १९६० ₹०

*

अनुवादक—रामगोपाल विद्यालकार

*

सम्पादक—विद्या भास्कर

*

मूल्य—तीन रुपये

*

मुद्रक—कृष्ण कुमार जौहरी,
माइस्ट प्रिटिंग बक्स,
जीरो रोड, इलाहाबाद

The United States Political System
And How It Works
By David Cushman Coyle

लोकतन्त्र की क्रियाविधि

“जब मानव जाति लोकतन्त्र को अपनाती है, तब वह राजनीति के माध्यम से व्यवहार करती है। लोकतन्त्रात्मक समाज में शासन के काध्यों और नीतियों के बारे में परस्पर विरोधी मत शान्तिपूर्वक सुलभा लिये जाते हैं। इसके लिए साधारणतया गृह-मुद्द नहीं किये जाते। राजनीति के द्वारा ही लोग अपने निर्णय तथा विधान स्थिर करते हैं और उन्हे लागू करने के लिये सरकारी अधिकारियों का चुनाव करते हैं, जिससे ऐसा परिणाम निवले जो समाज के किसी महत्वपूर्ण अग को बुरा न लगे।”

“अमेरिका की भली या बुरी राजनीति अमेरिकी जनता के मिथित रूप तथा विगत इतिहास को अभिव्यक्त करता है, जिसमें न केवल शासकीय संस्थाओं का वल्कि राजनीतिक जीवन की परम्पराओं का स्पष्ट निर्धारण हुआ है ।”

डेविड कुशमन बचायल

इस पुस्तक में समुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक पद्धति की सर्वीव, सक्रिय व्याख्या की गयी है। इसमें वहां के राजनीतिक संगठनों तथा एजन्सियों के पेचीदे जाल सूझो का परिचय है जो दिन प्रति दिन प्रत्येक राज्य में उस पद्धति को कार्यान्वित करती है। समुक्त राज्य अमेरिका के लोकतन्त्र की गम्भीर क्रियाविधि को समझने की यह बहुभूत्य कुड़ी है। यह पुस्तक उस दर्शन की भी व्याख्या करती है जिससे यह पद्धति सचालित होती है।

विषय-सूची

१. आरम्भ	१
२. राजनीतिक दल	१८
३. राजनीतिक दलों का विवास और उनकी वार्य-प्रणाली	३७
४. शासन	५६
५. कॉमिटेस क्या है ?	७०
६. कॉमिटेस की वार्य-प्रणाली	८१
७. सघीय न्यायालय	८४
८. राज्ये	१०८
९. स्थानीय शासन	१२३
१०. शासन और व्यापार	१३२
११. व्यक्तियों के अधिकार	१४२
१२. शासन का अमेरिकी दर्शन	१५८
१३. परराष्ट्र सम्बन्ध	१७६
१४. राजनीति और लोकतन्त्र	१८३

आरम्भ

जब मानव जाति लोकतन्त्र को अपनाती है तब वह राजनीति के माध्यम से व्यवहार करती है। लोकतन्त्रात्मक समाज में शासन के बायों और नीतियों के बारे में परस्पर विरोधी मत शान्तिपूर्वक सुलभा लिये जाते हैं। इसके लिए साधारणतया गृह-न्युद्ध नहीं किया जाता। राजनीति के द्वारा ही लोग अपने निर्णय तथा विचार खिर करते हैं और उन्हें लागू करने के लिए सरकारी अधिकारियों वा चुनाव करते हैं, जिसमें ऐसा परिणाम निकले जो समाज के विसी भी महत्वपूर्ण छंग को दुरा न लगे।

अमेरिका की भली या दुरी राजनीति अमेरिकी जनता के मिथित ह्य तथा विगत इतिहास को अभिव्यक्त करती है, जिसमें न केवल शासकीय संस्थाओं की बल्कि राजनीतिक जीवन की परम्पराओं वा ह्य-निर्धारण हुआ है। अमेरिकी शासन-प्रणाली कुछ तो अठारहवीं शताब्दी की ब्रिटिश औपनिवेशिक पढ़तियों का परिणाम है और कुछ उस व्यवस्था का, जो अमेरिका के इतिहास में विशिष्ट परिवर्तनियों का समना करने के लिए आविष्कृत वी गयी थी।

आज बेवल आधी के तागभग अमेरिकी निवासियों में इंग्लैण्डवासियों का रुक्क रह गया है। शेष प्रायः सबकी सब जनता या तो युरोपियन भहारीप के निवासियों, या नीयों और या अमेरिकी इण्डियनों की सन्तान है। कुछ लोग पूर्वी देशों से आये हुए भी हैं। जिस राजनीतिक प्रणाली में अमेरिकी लोग अपना शासन चलाते हैं उसकी रचना सहज सूझ-बूझ से अधिक और किसी तर्ब-भूर्ण योजना

द्वारा कम हुई है। इसका प्रवान आधार तो ब्रिटिश रीति रिवाज और परम्पराएं है, परन्तु इसके तिमणि में उन आय लोगों का भाग भी है जो मनुक राज्य अमेरिका में बस गये हैं। यह पुस्तक यह दिखलान के लिए लिखी गयी है कि इस देश में राजनीतिक पार्टीया और राजनीतिक कारखाईया शासन की विविध शाखाओं को विस प्रवार प्रभावित करती है।

सन् १६०७ से सन् १७७६ तक के अपनिवेशिक बाल में, ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेशों में शासन को वे ब्रिटिश पढ़निया जम चुके थे जो कि पीछे चलकर देश की अधिकतर वर्तमान राजनीतिक मस्ताओं वा आधार बनी।

अपनिवेशिक विधान-मण्डल उपनिवेशों के लिए कानून बनाने, स्थानीय शासनों को अनुमति प्रदान करते, वर लगाते, और सार्वजनिक व्यय के लिए घन-राशि का परिमाण निर्धारित करते थे। वे कभी-भी गवर्नरों के कामों पर अपना नियन्त्रण रखने के लिए बोरा-बलवा प्रयोग भी करते थे।

स्थानीय शासनों का सगठन इगलैण्ड के स्थानीय शासनों के नमूने पर विद्या गया था। स्थानीय परिष्यतियों के अनुसार, उपनिवेशों में भी, 'बाउटिंगो' (घोटे डिलो), टाउनशिपो (नगर विस्तारो), जारीरों और वरो (स्वशासित नगरो) की स्थापना भी गयी थी। उनमें से अनेक आज भी बिना किसी बड़े परिवर्तन के दैसे ही विद्यमान हैं। क्रान्ति से पूर्व भी उपनिवेश वासी 'बाउटी-कोटों' (जिला-भदालनो), 'जस्टिस ऑफ़ पीन' या आनरेरी मजिस्ट्रेटो, 'शर्टफो' (कानून का पालन करने वाले अधिकारियो) भीर 'बोरोनरो' (मूल्य के कारणों नी जोच करने वाली अदालतो) ने भली-भांति परिचित थे। प्रत्येक उपनिवेश में अपीलें युनने वे लिए सुन्नीम कोट (सर्वोच्च न्यायालय) और गम्भीर मामलों की सुनवाई वे लिए भव्य वर्ती न्यायालय थे। अन्तिम अपील इगलैण्ड की प्रीबी बौसिन में होती थी।

सभा कर सरने, भरकार में प्रार्थना करने, मुकदमे वी सुनवाई छूटी द्वारा करने, और वर लगाने के अधिकारी विधान-मण्डल में अपना निर्वाचित प्रतिनिधि भेजने सही थंगेजों के परम्परागत अधिकारों को उपनिवेशवासियों ने सहज ही अङ्गीकृत

यर लिया था । वे न सो इगलैण्ड को कोई बर देते थे और न इगलैण्ड उन्हें कोई सीनियर सहायता भेजता था, किर भी अधिकतर श्रौपनिवेशिर काल में, त्रिटिश सरकार उपनिवेशों को बार बार फारसीमियों और बनाडा-बासी के च इण्डियनों के साथ युद्ध में फसा देनी थी । अन्न में जब त्रिटिश पालमेण्ट ने अमेरिकी लागो पर (जिनका त्रिटिश पालमेण्ट में कोई प्रतिनिधि नहीं होता था) कर लगाने का प्रयत्न किया तब उहान उने अपने पैत्रिक अधिकारों का उत्तराधिकार माना ।

कानून के शब्दा द्वारा श्रौपनिवेशिर शासना को जितने अधिकार प्राप्त होने की व्यवस्था की जाती थी, वे बस्तुत उसकी अपेक्षा वही अधिक स्वतन्त्र और अधिकार सम्पन्न थे, क्योंकि दूरिया बहुत बड़ी थी और अतलान्तर समुद्र के पार आने-जाने में समय बहुत लगता था । विरोपत अपने स्थानीय शासनों में और परिवर्म थी और धीरे-धीरे फैलते हुए अपने सीमान्त में, अमेरिकी लोगों को अपने स्वामी त्रिटिश राजा की उपस्थिति के चिह्न दिखलाई नहीं पड़ते थे । अप्रेजो की आधीनता वे एक-सी-सत्तर वर्षों में वे स्वशासन और आत्मनिर्भरता के बड़ी मात्रा में अभ्यस्त हो चुके थे । परन्तु उनके शासन के सर्वोच्च नायक त्रिटिश राजा और त्रिटिश पालमेण्ट ही थे, जिसमें उनका एक भी प्रतिनिधि नहीं जाता था । इसलिए समठित राजनीतिक दला का वैसा विकास पहले नहीं हो पाया जैसा इगलैण्ड के साथ उपनिवेशों का सम्बन्ध विच्छिन्न होने के परचात् हुआ । राजनीतिक विवाद मुख्यतया गवर्नरों और विधान मण्डलों में या स्थानीय पदों के उम्मीदवारों में ही होते थे ।

श्रौपनिवेशिर काल में कान्सीसिया और इण्डियनों के साथ बार-बार जो युद्ध होते थे उनकी व्यवस्था करने के लिए एक श्रौपनिवेशिक साध बना लेने के कई मुझाव बई बार दिये गये । परन्तु इन पर अमल एक बार भी नहीं हुआ । हाँ, इनके बारए अमेरिकी लोग सयुक्त बाररवाई करने के विचार से परिचित अवश्य हो गये । जब सन् १७७० के बाद के वर्षों में इगलैण्ड के साथ भगड़े अधिकारिक तौर हाने लगे तब अमेरिकियों ने सयुक्त रूप से बाररवाई करने पर गम्भीरता से ध्यान दिया । सन् १७७४ में उन्हाने महाद्वीप वी एक काम्पेय बुलायो ।

महाद्वीप की वाप्रेस का कालूनी आधार कुछ नहीं था : यह एक 'ऐर-स्यरवारी' प्रतिवाद सभा मान थी। इसने 'अधिकारी और शिकायतों' की एक 'घोषणा' करके सन् १७७५ में एक और वाप्रेस बुलायी। इस वाप्रेस ने अधिक निश्चित रूप धारण कर लिया, क्याकि मैन्सेच्यूसेट्स में युद्ध छिड़ गया था और दोनों तरफ से गोलिया चलने लगी थी। इसने उन्निवेशों पर शासन बरने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। इसने एक 'राष्ट्रीय नेना संगठित करके उसके सेनापति पद पर जारी वारिशिपटन को नियुक्त कर दिया।

सन् १७७६ में महाद्वीप की द्वितीय वाप्रेस ने "स्वतन्त्रता की घोषणा" स्वीकृत की। "घोषणा" में अब्रेजा के प्रभुवाराणत अधिकारी और स्वतन्त्र मतुज्यों के अनपहरणीय अधिकारों पर बल देवर वहा गया था कि यही नीच है जिस पर अमेरिकी राज्य अपना शासन स्थापित बरने का दावा करते हैं। "स्वतन्त्रता की घोषणा" में कानून का वह बल नहीं है जो 'संविधान' में है। परन्तु जिन नैनिक चिढ़ातों के हारा मयुक्त-राज्य अमरिका के कार्यकर्ताओं को समझा जा सकता है उनका विवरण इस घोषणामन्त्र में होने के बारण इसका प्रभाव बहुत है।

सन् १७७७ में महाद्वीप की वाप्रेस ने संघीय एकता का प्रस्ताव कुछ शिखिल रूप में अपना बर उमेर राज्यों की स्वीकृति के लिए उनके पास भेजा। सन् १७८१ तक सब राज्यों ने उस पर अपनी स्वीकृति की छाप लगा दी और वह सेखन्यत्र "आैट्कल्स आव कानफेडरेशन" अर्थात् संघवद्वानों के अनुच्छेदों के नाम से गणतन्त्र का प्रथम संविधान बन गया।

"आैट्कल्स आव कानफेडरेशन" हारा स्वातित मधीय शासन व्यवहार में आ सबने बी हृष्टि से अनि सखल और अनि निर्वन था, परन्तु उस समय राज्य इसने अधिक गुच्छ मानने के लिए तैयार भी नहीं थे। जो योड़े बहुत अधिकार बेन्द्रीय शासन को सौंपते वे लिए राज्य तैयार थे, वे वाप्रेस को दे दिये गये। वाप्रेस तब एक सीधी-न्यादी समा थी, जिसमें प्रपेक्ष राज्य का एक-एक बोट था। शासन में न न्याय-न्यालिका की शाखा थी और न कार्य-न्यालिका की।

"आैट्कल्स आव कानफेडरेशन" के आपोन होकर देश और राज्य हुतगति थे संकट को भोर को बढ़वाने लगे। "कांप्टिनेष्टल" (महाद्वीप की बागजी मुद्रा)

को इन्होंने स्फीति हुई कि वह प्राय निरर्थक पदार्थ हो गयी । यहाँ तक कि आज तक भी "काप्टनेण्टल के बराबर भी नहो" यह अमेरिकी भाषा का एक मुहावरा बना हुआ है । राज्यों के बोच ब्यासर अति न्यून रह गया । बहुत से अमेरिकी व्यापारी एक ऐसे अधिक बलशाली सधीय शासन की मांग करने लगे, जो कि व्यापार को नियन्त्रित कर सके, कर लगा सके, और आर्थिक व्यवस्था को नष्ट होने से बचा सके । तद् १७८५ और सन् १७८६ में व्यापारियों के दो अन्तर्राजीय सम्मेलन हुए, और उनके कारण सन् १७८७ में 'फिलेडेलिक्या कन्वेन्शन' (फिलेडेलिक्या की परिपद) बुलाया गया, जिसमें संविधान लिखा गया । यही कारण है कि संविधान की रचना "व्यापार के अनुच्छेद" और उससे सम्बद्ध उन अनुच्छेदों के आधार पर हुई जिनमें कि सधीय शासन के विविध आर्थिक अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किये गये हैं ।

इन अनुच्छेदों से उन सोगों का मुख्य उद्देश्य प्रकट हो जाता है जिन्होंने कि 'कन्वेन्शन' बुलाया और उसके विचार में भाग लिया था ।

'फिलेडेलिक्या कन्वेन्शन' के अधिकतर प्रतिनिधि ऐसे वकील, भूमिपति या व्यापारी थे जो काग्रेस में या सरकारी कर्मचारी के रूप में काम कर चुके थे । उनमें मधुरों या छोटे किसानें या सीमान्त की ओर बढ़ने वाले अप्रणीत सोगों के प्रतिनिधि नहीं थे । ये प्रतिनिधि एक ऐसे शासन का गठन करना चाहते थे जो व्यापार में सहायक हो सके और बलवान तथा स्थायी हो । वे यह तो चाहते थे कि शासन 'जनता' के प्रति उत्तरदायी हो, परन्तु उनका इरादा यह नहीं था कि साधारण जनता राष्ट्रपति का या काग्रेस का चुनाव भी करे । उनको बड़े और छोटे राज्यों में ऐसा समझौता भी कराना था जिससे उनकी परस्पर ईर्ष्या और भय का अन्त हो जाय ।

सध का गठन संविधान की एक आवश्यक विशेषता थी, क्योंकि उसके निर्माताओं का उद्देश्य यह था कि एक बलवान केन्द्रीय शासन की स्थापना की जाय और साध-साध वे मव अधिकार राज्यों के ही हाथ में रहने दिये जायें जिन्हे राष्ट्र को हस्तान्तरित कर देना अनिवार्य होपेण आवश्यक नहीं था । इस दुहरे

उद्देश्य की मिट्ठि के साथ ही यह भय भी लग रहा था कि वही संघीय शासन अति प्रबल होकर अन्याचार न करें लगे । कार्य-नालन, न्याय और विधिनिर्माण के अधिकारों को पृथक् रखने के सिद्धान्त वो जड़ ने भी यही भय बाम बर रहा था कि यदि शासन की इन तीनों शाखाओं या इनमें से दो के अधिकार वही एक ही हायों में वेन्डित हो गये तो स्थिति बड़ी भयंकर हो जायगी ।

परन्तु संयुक्त-राज्य-अमेरिका का संविधान सन् १७८९ में अवश्यक बिना निसी विरोध के स्थिर चला था रहा है और इस वातिकता को देख लेने के पश्चात् यह सम्भव नहीं हो सकता कि यह अमेरिकी जनता की आवश्यकता और अहनि के अनुकूल नहीं है । जिन लोगों ने इसकी रचना की थी उनमें अमेरिकी चरित्र को और अन्य देशों और दालों के ऐतिहासिक अनुभवों को समझ सकने की आरचर्यवाक शक्ति थी । उनके परियम का परिणाम, सन् १७८९ की तात्कालिक समस्याओं को मुलभाने की हापि से और उन परिस्थितियों की हापि से जिनको वे पहले से देख नहीं सकते थे किन्तु जिनके अनुसार उन्होंने अपने को दाल लिया था, असाधारण था ।

एक शताब्दी के पश्चात्, प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्वान् जैम्स ब्राइट ने संयुक्त-राज्य के संविधान के विषय में लिखा था—

“इमवा दर्जा अन्य निसी भी लिखित संविधान में ऊँचा है, क्योंकि इसकी योजना ठोस तथा उपर्युक्त है, यह जनता की परिस्थितियों के अनुकूल है, इसकी भाषा सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट है, और इसके सिद्धान्त निरिचित होते हुए भी इसकी तपसील में लचकीलापन है । इसमें इन दोनों गुणों वा मल सूब सन्तुलित हैं ।”*

संविधान द्वारा मंगठित संघीय शासन बहुत कुछ उसी प्रकार बना है या इतिम राज्य या जिस प्रकार वोई बांग्लादेश एवं ब्रिटिश व्यति होता है या जिस प्रकार

* नेम्स ब्राइट लिखित “अमेरिकन काम्नवेट्प” के प्रथम भाग का पृष्ठ २५ (मैट्सिलन कम्पनी, न्यूयार्क द्वारा सन् १८८९ में प्रकाशित) ।

वैद्युतिक मन्त्रिक सोचने वा वृत्तिमय यन्त्र होता है। यह बनाया गया था, जन्मा नहीं था। इसवे अस्ति-प्रजर पर अब चढ़ा हुआ मास जो हे उमे उन लोगों ने प्रदान किया है जिन्हाने इसे क्रियान्वित किया था, अर्थात् राजनीति और व्यवहारनीति वी बलाओं में दुश्ल अमेरिकनों ने।

राज्य स्वयम्भू और स्वयम्भ्रुत्वा थे। उन्होंन स्वतन्त्र अमेरिकी के सर्वप्रभुत्व सम्पत्र सब अधिकारों को अपने प्रदेश में प्रयुक्त बरने वा और उसवे परखात् अपनी स्वयम्भ्रुत्वा का अप्य स्वयं निर्धारित बरने वा अधिकार युद्ध में जीता था। उसकी स्वयम्भ्रुत्वा वा नियन्त्रण केवल राष्ट्रों के कानूनों से हो सकता था।

जब ब्रान्लिनारी युद्ध आरम्भ हुआ तब राज्यों ने अनियमित विधान मण्डल स्वापित कर लिए और सन् १७७६ से सन् १७८० तक के मध्य में उन्होंने अपने संविधान बनावर पूर्णतया नगठित शासनों की सूचित कर डाली। पीछे जाकर जिन सिद्धान्तों के आधार पर सधीय ढाचा बना उनमें से अधिकतर सिद्धान्तों वी परीक्षा पहले एक या अनेक राज्यों में हो चुकी थी। राज्यों वे प्रथम संविधान छोटे थे, परन्तु उन्हे बनाया गया या पूर्ण समझ बर। उदाहरणार्थ, राज्यों में विधि-निर्माण वी, न्याय-प्रालन की और वार्य-प्रालन की शाखाएं पृथक्-पृथक् थीं, "आर्टिफिस आव बानफेडरेशन" द्वारा स्वापित सुधीय-न्यामन में ऐसा नहीं था।

"आर्टिफिस आव बानफेडरेशन" में यह सिद्धान्त स्थिर कर लिया गया था कि प्रथेव राज्य अपने अधिकार से स्वतन्त्र, स्वाधीन और स्वयम्भ्रुत्वा है और संयुक्त राज्य को राज्यों द्वारा दिये गये अथवा "प्रतिनिधि रूपेण" प्राप्त अधिकारों ने अग्रिमिक अन्य कोई अधिकार नहीं है। जब नया संविधान लिखा जाने लगा तब उसकी रचना इसी सिद्धान्त पर वी गयी, अन्तर बेवल इतना रहा कि नया राध "अधिक पूर्ण" था, अर्थात् उसे राज्यों के प्रतिनिधि वे रूप में अधिक अधिकार प्राप्त हो गये थे।

सन् १७८७ में जब प्रतिनिधि किलेंडरिफ्या में एकत्र हुए तब उन्हे केवल "आर्टिफिस आव बानफेडरेशन" में सशोधन प्रस्तुत बरने का अधिकार दिया

गया था । "आट्टेल्स" (अनुच्छेदों) में लिखा था कि सशोधन राज्यों की सर्व-सम्पत्ति में ही स्वीकृत हो सकते हैं । परन्तु जब प्रतिनिधियों ने बायं आरम्भ किया तब उन्होंने देखा कि पूर्णतया नये शासन से कम में काम नहीं चलेगा । उन्होंने तब न बेबल "आट्टेल्स आव कालकेडरेशन" बो, अपितु उस सशोधन सम्बन्धी अनुच्छेद को भी समाप्त कर डालने वा निषेचन कर लिया जिसमें कि मूल संविधान को बदलने की विधि बतलायी गयी थी । उसके स्थान पर उन्होंने नवीन संविधान में उत्ते अपनाये जाने का अनुच्छेद भी लिखा, और प्रथम नीं राज्यों का नया सभ स्थापित करके उनमें उसे स्वीकृत कर सेने के लिए बहा । अन्य राज्य उसमें, जब वे तैयार हो जायं तब, सम्मिलित हो सकते थे ।

"बन्वेशन" का मुख्य काम ऐसे शासन की योजना बनाना था जो प्रतिनिधियों द्वारा सीमि गये उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सके और साथ ही उन आपत्तियों का उत्तर दे सके जो उसके विरुद्ध उठायी जाय । परिचमी पूरोग के देशों का सघ बनाने के घरेमान प्रयत्नों को अमेरिकी लोग ऐतिहासिक-अनुभव-जन्य सहानुभूति की हृष्टि से देखते हैं । वे अपनी बाल्यावस्था में स्कूल में पढ़ चुके हैं कि सयुक्त-राज्य के संस्थानों को लगभग इन्हीं समस्याओं से विस्त्र प्रकार उलझना पड़ा था ।

जब "बन्वेशन" शुरू हुआ तब उसके सामने प्रस्तावों का एक विस्तृत भासंविदा देश दिया गया । वे प्रस्ताव बड़े राज्यों वे स्वार्यों का प्रतिनिधित्व करते थे, और पीछे वे "वर्जीनिया योजना" के नाम से प्रसिद्ध हुए । उनके विराष में छोटे राज्यों ने एक भिन्न योजना तैयार की, वह "भू जर्सी योजना" कहलायी । यह विवाद चलता रहा कि इन दोनों परस्पर-विरोधी योजनाओं में से कौन-सी अपनायी जाय ।

दोनों योजनाओं में कुछ बातें तो समान थी, जैसे कि अधिकारों की पृथक्ता । दोनों में शामन की वर्णनानिका, विधि-निर्माणी और न्याय-नीं शाखाओं को पृथक्-पृथक् रखने की व्यवस्था थी । सबसे अधिक बिन्दु और विवादास्पद समस्या पर थी कि विधान मण्डल का रूप और छोटे तथा बड़े राज्यों के साथ उभया

सम्बन्ध किस प्रकार निर्धारित किया जाय । इन समस्या के कारण “वन्वेन्शन” भग हो जाने का भय होने लगा । यह समस्या हमारे काल में संयुक्त-राष्ट्र-संघ के अनुमतिभूत के सम्बन्ध में फिर खड़ी हो गयी है । भविष्य में भी जहाँ-वही छोटे और बड़े राज्य मिलकर किसी विवादास्पद प्रश्न पर कोई सम्मिलित काररखाई करना चाहेंगे, वहाँ यह समस्या खड़ी होती ही रहेगी ।

“बर्जीनिया योजना” में, उच्च और निम्न दो सदनों वाले ओपनिवेशिक शासन के मुपरिचित नमूने के अनुसार, दो सदनों की कार्यस वा प्रस्ताव किया गया था । एक सदन तो जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता, और दूसरे सदन का चुनाव पहले सदन के सदस्य राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा नामजद उम्मीदवारों में से करते । सबसे अधिक विवाद इस सुभाव पर था कि दोनों सदनों में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी आधादी, उनके द्वारा दिये हुए करों अथवा इन दोनों के विसी मेल के आधार पर हो । इस सुभाव के अनुसार बड़े राज्यों को अपने बड़े होने का पूरा लाभ मिल जाता, जो उन्हें महाद्वीप की कार्यस में नहीं था, क्योंकि उसमें प्रत्येक राज्य का एक-एक ही भत था ।

न्यू जर्सी की योजना में उस समय विद्यमान शासन में बहुत कम परिवर्तन करने की बात वही गयी थी । इस योजना में एक ही सदन की कार्यस का प्रस्ताव था और उसमें प्रत्येक राज्य को एक-एक ही भत का अधिकारी माना गया था, जैसा कि “आर्टिकल्स” में भी था ।

इस समाह तक प्रतिनिधियों में इस कठिन प्रश्न पर विवाद चलता रहा कि छोटे और बड़े राज्यों के एक ही शासन में सम्मिलित होने पर उनमें अधिकारी का उचित बटवारा विस प्रकार हो ? क्योंकि इस प्रश्न का कोई पूर्ण हल नहीं निकल रहा था, इसलिए ऐसा सन्देह होने लगा कि व्यवहार में आने योग्य संयुक्त शासन का सफान भी हो सकता है या नहीं ।

अन्त में वनेशिटकट के विलिङ्गम सेम्युनल जान्स्टन ने एक हल सुझाया, जो कि ‘वनेशिटकट समझौते’ के नाम से विद्यात हुआ । हल यह था कि एक ‘हाउस

आँव रिप्रेजेंटेटिव्ज' अर्थात् 'प्रतिनिधियों की सभा' हा जिसमे राज्यों का प्रति-निधि व अपनी जन-भूम्दा के अनुग्रह से रहे, उन एकत्र करने के सब कियेको वो आरम्भ करने का एकमात्र अधिकार इसी सभा को हो। एक दूसरा ऊपर वा सदून हो। उनमे सब राज्यों का प्रतिनिधित्व एक-सा अर्थात् समान रहे। यह शीजना अपना ली गयी।

यन श्रेष्ठ विल की कानून का हर प्राप्त करने के लिए "हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्ज" और सेनेट, दोनों में स्वीकृत होना पड़ता है, अत व्यवहार में छाटे राज्य जिस विल को अपने लाभ का विरोधी समझे उसे वे सेनेट में उसके विरुद्ध मत देकर रोक सकते हैं। इसी प्रकार बड़े राज्य किसी विल को हाउस में अपनी मन-बहुलता के बल पर रोक सकते हैं। यह पहली इतनी भली-भीति कियान्ति ही रही है कि सन् १७८७ में छाटे और बड़े राज्यों का जो स्वार्थ-संघर्ष आकाश में एक बड़ा बाला बादन सा दिलाई पड़ रहा था, वह कठिनाई का उन्ना बड़ा शारण सिद्ध नहीं हुआ जितना सम्यापक लोग बल्का बसते थे। स्वार्थों के प्रादेशिक संघर्ष का हर अब बहुधा दलीय अथवा उत्तोग, कृषि, या सानो आदि के विभिन्न हिन्दों के प्रतिनिधियों में संघर्ष का हो जाता है।

उशहरणार्थ, आवादों के लिहाज से न्यू मेस्सीहो और ऐरीजोना राज्य बैले-फोर्म्या में बहुत छोटे हैं। इन दोनों का उसके भाय बहुत समय में यह निवाद चल रहा है कि हूवर बाघ बनाकर कौनसैरेहो नदी का जा पानी रोका गया है उसका बटवारा निस प्रकार किया जाय। परन्तु इस प्रश्न का निवादारा करने के लिए छाटे और बड़े राज्य बायेस में अपने क्षेवण्ड के अनुभार विभक्त नहीं हुए।

मरियाद वा विधान यह था कि निम्न सदन के सदस्य जनता द्वारा अर्थात् मनाधिकारी जनता द्वारा चुने जायें। परन्तु यह अधिकार राज्यों के ही हाथ में रह गया कि वे चाहे ता मनाधिकार को कुछ भन्नति के स्वामी और धार्मक यादता से युक्त स्वतन्त्र गारे लागा तक सीमित कर दे।

बुडो विल्सन ने अपनी पुस्तक “हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन पीपल” अधृति ‘अमेरिकी लोगो का इतिहास’ में अदाज लगाया है कि आरम्भ के दिनों में ४० लाख में से केवल १ लाख २० हजार व्यक्तियों को मत देने का अधिकार रहा होगा ।

अठारहवीं शताब्दी में यह पढ़ति भी भयानक जनताओं समझी जानी थी । अगले सौ वर्षों में मत देने का अधिकार अधिकाधिक प्रवार के लोगों को दिया जाता रहा । परिचम की ओर वो सीमान्त वा शीघ्र विस्तार होता गया और ज्यो-ज्यो नये राज्य बनते गये त्यो-त्या सीमान्तवासी लोगों वा प्रभाव देश को समानता की ओर धकेलता गया । सन् १८६० तक प्राय सभी राज्यों ने इक्कीस वर्ष से अपर आयु के सब गारे लोगों को मताधिकार दे दिया था । गृह युद्ध के पश्चात् संविधान में नीप्रो लोगों वो भी मताधिकार देने वा सशोधन कर दिया गया, परन्तु कई दक्षिणी राज्यों ने नीप्रो लोगों के मत देने के मार्ग में बहुत सी बाधाएं सफलता पूर्वक खड़ी कर रखी हैं । सन् १८२० में संविधान में एक और सशोधन करके ज्ञियों को भी मताधिकार दे दिया गया ।

सेनेट (उच्च सभा) वो हाउस (प्रतिनिधि सभा) की अपेक्षा जनता से अधिक दूर रखने का विचार था । इसलिए संविधान में यह विधान रखा गया था कि प्रत्येक राज्य के दो सेनेटर उसके विधान मण्डल द्वारा चुने जायें । इसका फल यह हुआ कि सेनेट साधारणतया हाउस की अपेक्षा अधिक परिवर्तन विरोधी रहने लगी । सेनेट में बहुधा सम्पत्ति व्यक्ति होते थे अथवा ऐसे व्यक्ति होते थे जिन्हें बड़े-बड़े व्यापारियों और महाजनों के साथ घनी सहानुभूति होती थी । परन्तु जनतावं वो अधिकाधिक जन प्रतिनिधित्व बनाने वा दबाव बढ़ाता गया । परिवर्तन विरोधियों के विरोधी राजनीतिक लोगों ने भी इस परिवर्तन को दबावा दिया । फल यह हुआ कि सन् १८१३ में फिर संविधान का सशोधन किया गया और राज्यों की जनता वो अपने सेनेटर सीधे चुन लेने वा अधिकार दे दिया गया ।

सन् १८१३ से सेनटरों की स्थिति, अपने राज्य के शासन का प्रतिनिधित्व करने के लिए वार्षिक गटन में भेजे गये राजदूत या प्रतिनिधि की न रहकर, बहुत कुछ ऐसे कामेस-नादस्य जैसी हो गयी हैं जिसकी पद मर्यादा बढ़ा दी गयी हो ।

हाउल के वर्षों में सेनेट प्राय हाउस की अपेक्षा कम परिवर्तन-विरोधी रिपब्लिक हुई है। बहुत से निरीक्षकों को तो ऐसा लगता है कि हाउस के सदस्य प्रभावशाली शक्तियों के दबाव में आवर जिन अविचार तथा अदूरदृशतापूर्ण विधेयकों या प्रस्तावों के पश्च में यत दे बैठते हैं उहे अस्तीकृत वर देने की आशा हाउस सेनेट से करता है। जब कभी मतदाता अचौर और मिरिपिर हो जाते हैं तब बहुधा सेनट साहम तरके जनता की चिल्लाहट का विरोध करती है और उसे आशा रहनी है कि जनता की भावना बदल जायगी। भेनेटर अधिक स्वतन्त्र वृत्ति से बाह रहते हैं, क्योंकि उनका कार्य-काल छ वर्ष का होता है, जब जि उनकी तुलना में 'स्प्रिंगेजेटिवों' को प्रति दो वर्ष पीछे मतदाताओं का सम्मता करना पड़ जाता है। 'मिलब्यायिता' का लेसा काम में रहने की धून में हाउस बहुधा शासन के व्यया में इन्हीं कटौती वर डालता है कि वे व्यवहार्य स्तर से भी नीचे चले जाते हैं। परन्तु कायेम के सदस्यों को भरेमा रहता है कि शासन चलाने के लिए जितने धन की आवश्यकता होगी उतना सेनेटर किर पास वर देंगे।

सविधान का मूल विधान यह था कि राष्ट्रपति वो एक 'इलेक्ट्रोरल वालिज' अर्थात् प्रत्येक राज्य के विशिष्ट व्यक्तियों से मिलकर सघटित निर्वाचिक-मण्डल द्वारा चुना जाय—'इलेक्ट्रोरल वालिज' का चुनाव प्रत्येक राज्य जिम प्रकार चाहे उस प्रकार वर ले, चाहे विधान-मण्डल द्वारा, चाहे जनता द्वारा और चाहे गवर्नर द्वारा। ऐसा कोई इरादा नहीं था कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता वरे। निर्वाचिकों वा चुनाव भी, जब तक राज्य ही विसा निएंय न करे, जनता द्वारा वरखाने का इरादा नहीं था।

परन्तु इम मामले में सोशलन्वीष भावना की तीव्रता ने चुनाव सविधान का अर्थ ही बदल डाला। कोई सशोधन तक स्वीकृत करने की परवाह नहीं की। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी निर्वाचिक चुनने के लिए अपने उम्मीदवार स्वीकृत करती है, और वे निर्वाचिक राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों को मत देने के निए प्रतिनावद हैं। निर्वाचिकों को मत देने की स्वतन्त्रता नहीं होती वे भी बहुधा निर्वाचिक बन जाने का अभिमान बरते लगते हैं।

सन् १६४८ में आशंका हो गयी थी कि दक्षिणी राज्यों के बुद्ध निर्वाचिक डिमोक्रेट उम्मीदवार बनकर भी, राष्ट्रपति पद वे डिमोक्रेट उम्मीदवार द्रुमन् के विरुद्ध भत देकर, इस परम्परागत पद्धति को बिगड़ा न दे। द्रुमन् तो चुने गये, परन्तु सार्वजनिक झनवस्था और जनता की इच्छा की सम्भावित विफलता वे भयों की ओर सोगों का ध्यान आहृष्ट हो गया।

“एलेक्टोरल वालिज” ध्यवा निर्वाचिक-मण्डल थी एक और विशेषता, जिसका सविधान में विधान नहीं है, यह प्रथा है कि प्रत्येक राज्य में सब निर्वाचिक उसी पार्टी के चुने दिये जाते हैं जो राज्य के चुनावों में जीतती है। पराजित पार्टी में से एक भी निर्वाचिक नहीं लिया जाता, भले ही उसे जनता ने ४६ प्रतिशत भत यों न दिये हों। इसका दरिखाम यह होता है कि निर्वाचिकों का भत जनता के भत से बहुत ही भिन्न घन जाता है। शायद विजेता वे पश्च में जनता वा भत ५५ प्रतिशत ही हो, परन्तु निर्वाचिकों वा भत उसे ८० या ६० प्रतिशत तक मिल जाता है। यह परिणाम ऊपर से देखने में ‘सर्वसम्मत’ दिखाई देता है और राष्ट्रपति की शपाज़ वा बल इससे बहुत बढ़ जाता है, विशेषत अन्तर्राष्ट्रीय गामलों में।

परन्तु इसमें इस बात की भी सम्भावना है कि कोई उम्मीदवार बुद्ध राज्यों में बेद्वित बहुमत वे थोटो थो प्राप्त कर ले, जब दूसरा उम्मीदवार एलेक्टोरल वलिजों से प्राप्त नाम भाग्य के बहुमत में बल पर राष्ट्रपति वा चुनाव जीत ले। उदाहरणार्थ सन् १८८८ में जनता वा बहुमत थोवर क्लीवलैण्ड के पश्च में था, परन्तु राष्ट्रपति चुने गये थे थेन्जामिन हैरिसन। यह सम्भावना इस पद्धति थी एक विशेष बुराई भानी जाती है, परन्तु इससे “एक दलीय” राज्यों वा तुलनात्मक महत्व अवश्य समाप्त हो जाता है। प्रश्न किया जा सकता है कि जो राज्य द्विदलीय राजनीतिक सघर्य में विशेष उत्साह नहीं दिखाता उसे भी राष्ट्रपति के चुनाव में उतना ही भाग मिलना चाहिए जितना कि स्वस्थ-द्विदलीय पद्धति पर बलने वा अभिमान एवं बाले राज्य वो।

अमेरिकी लोकमत विसी ऐसी तर्बंसम्मत विधि वो अपनाने वा पठापाती प्रतीत होता है जिससे जनता का बहुमत क्षियान्वित होने वा निश्चय हो जाय,

परन्तु जिसमें यह भय न हो कि बोर्ड निवाचिक जब आहे तब असल संविधानिक अधिकार का दावा पेश करके असली इच्छानुसार भत देन लगे । परन्तु जबतक जनता की इच्छा विफत होन का काई बड़ा प्रदर्शन नहीं हो जाता तबतक संविधान म इस प्रदार का सठोथन वरण के प्रति जनता की उदासीन वृत्ति शायद चलती हा रहेगी ।

शासन की इसी भी शाखा का उच्छ खल न होन देने के लिए संविधान मे 'सावधानतामूर्वक "नियन्ता और सनुलना की पद्धति" वा समावेश किया गया है ।

उदाहरणार्थ, बायेस द्वारा स्वीकृत किमी विल को राष्ट्रपति अपने 'बीटा' या नियेधायिकार के द्वारा अस्वीकृत कर सकता है । तब वह विधेयक पुन बायेस के सामन जाता है और वह तबतक कानून का रूप धारण नहीं कर सकता जब तक दोनों सदन उमे दो-निहाई के बहुमत से पुन आप न कर दे ।

बायेस भी राष्ट्रपति के बई बामो का—प्रधान मंत्रिपति के रूप मे उनके संविधानिक अधिकार के प्रतीक तक का—धन के व्यष्टि की अनुमति देन से इनकार करके 'बीटो' या नियेप कर सकती है ।

राष्ट्रपति द्वारा की गयी इसी संधि को सेनेट 'बीटो' अर्थात् नियेधायिकार द्वारा निपिद्ध कर सकती है । शासन के भव महत्वपूर्ण विधिवारियो और संघ के सब न्यायाधीशों को नियुक्त तो राष्ट्रपति करता है, परन्तु उन नियुक्तियों के सेनेट द्वारा सम्मुच्छ होन भी शर्त पर ।

संविधान मे यह विधान नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अर्थात् सर्वोच्च न्यायालय बायेस द्वारा स्वीकृत बान्धना को असंविधानिक बतलाकर निपिद्ध ठहरा सके । परन्तु घटनाग्रा की परम्परा ने न्यायालय को यह अधिकार अपने हाथ मे लेन दिया है ।

राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के सदस्य और नायंपारिका तथा न्यायपालिका शाखाओं ने अन्य महावूर्ण अधिकारी, 'इम्प्रीचमण्ट' अर्थात् अभियोगारोपण द्वारा अपन पदों से पृथक् किये जा सकते हैं । 'इम्प्रीचमण्ट' की बाररखाई मे इन्तिगासा

हाउस दावर करता है और न्यायालय का कार्य सेनेट करती है। राष्ट्रपति जॉन्सन सेनेट में केवल एक मत के कारण 'इमीचमेण्ट' से बच गये थे। सेनेट ने अबतक बैठक चार मामलों में 'इमीचमेण्ट' के पश्च में मत दिया है और वे चारों मामले सधीय न्यायालय वे न्यायाधीशों के थे।

नियन्त्रणों और सन्तुलनों का सिद्धान्त, शासन की तीनों शाखाओं के अधिकारों वी पृथक्ता वे सिद्धान्त को काट देता है। परन्तु ये दोनों मिलकर व्यावहारिक समझौते का ऐसा मार्ग निकाल देते हैं जो अमेरिकी दुद्धि को सूब पसान्द आ जाता है। विधि-निर्माण, वार्य-पालन और न्याय-पालन के अधिकारों को एवं दूसरे से सर्वथा पृथक् कर देना असम्भव है। परन्तु साथ ही यह देखना भी आवश्यक है कि उनमें से कोई से दो किसी भावी तानाशाह या गुप्त पुलिस-राज्य के हाथ में न जाने पावे। इन शाखाओं की आंशिक पृथक्ता और नियन्त्रणों और सन्तुलनों की योजना, देश को उस आपत्ति से बचाने के लिए को गयी थी जिसे भाज हम 'एकवर्गाधिकारवाद' के नाम से पुकारते हैं, और अब वह उसमें सफल भी हुई है।

जिन लोगों ने संविधान की थी उन्होंने सधीय शासन के अत्याचार-पूर्ण कार्यों से नागरिकों की रक्षा करने के लिए किसी आम 'विल ऑव राइट्स' अथवा अधिकार-मूल्यों का विधान नहीं किया था। निश्चय ही उसमें जहाँ तहाँ ऐसे वास्तवा थे जो उन कुछेक अन्यायों को रोकते थे जो भूत-काल में लोगों को श्रिटिश राजा और पार्लमेण्ट के हाथों सहने पड़े थे। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में शासन को 'विल ऑव अटेंडर' स्वोकृत करने पर निपेद लगा दिया है, अर्थात् उसे नागरिक अधिकारों के अपहरण वा ऐसा कोई विधेयक बनाने से बंजित बर दिया गया था जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या उसके परिवार वो बदला लेने की भावना से दण्ड देने के लिए चुना जा सके। 'एक्स-प्रोस्ट फैस्टा' कानून अर्थात् ऐसे कानून बनाने वा भी निपेद कर दिया गया था जिनका प्रभाव कानून बनने से पूर्व के कार्यों पर पड़ता हो, जिसमें जो कार्य विये जाने के समय अपराध नहीं था। वह पीछे उस कानून द्वारा अपराध न ठहराया जा सके।

“हृदियस वारंग” (बन्दी प्रयत्नोकरण) का अर्थात् बन्दी बनावे हुए व्यक्ति को न्यासालय में उमस्तित बरखाने का अविकार मुरक्कित रखा गया था, जिसमें पुनिय रिसा भी व्यक्ति को भनमाने दण ने बन्दी न बना सके, जैसा राम आदि बहून म एकत्रितारे दशों में हाना देख चुके हैं। दृष्टाय अनुच्छेद में भपोष अवराम के मुकुदमा को मुनब्राई जूता ढारा हाना आवश्यक ठहराया गया है। आजकल कम्युनिस्ट लाग ‘राजद्राह’ के अवराम पर बिना को भी निष्पालित अथवा ‘दर्जित’ कर राजनालिक शुद्धि को प्रक्रिया करते हैं उपरे बरते के लिए उन दिन राजा लाग इम (राजद्राह के अभियाग) का बहून दुर्घट्याग सिया बरते हैं। उम दुर्घट्याग का साध्यालया पूर्वक रोक दिया गया था।

परन्तु जब मविवान स्वीकृति के लिए राज्या के पास भेजा गया तब विराजिया ने इसकी आलाचना यह कहकर पी कि इसमें कोई पूरा ‘प्रिय धौत राजद्रूप’ अर्थात् अविकार-मूचा सम्भवित नहीं है। कुछ राज्या ने अपनी स्वाकृति इच्छा शर्ते पर दा कि नवीं कान्द्रेम पहना जाए यह करे कि सविवान में इस प्रकार को मूचा जाड़ने के लिए सहायता का काम हाथ में ले।

सविवान में प्रथम दम सहायत उगमें अविकारा की मूची जाड़ने के हाथ में लिये हा गये हैं। विलार वाँ कई बातों में यह मयुन राष्ट्र सध को समा ढारा असनामा गयी “मानव अविकारा की धापणा” से मिल है। अद्यारहाँ राजान्दि में तिम प्रकार के अन्याय अद्येता ने असना सरकारा में सह में या जिसरा उनके पुरुषा ने दर्जेवालन तथा बदुनामूर्ण मध्यम के बाइ प्रान बर दिया था, उमों की शृङ्खला पर अभरितना वा उनके मविवान ढारा अविकार प्राप्त हुए थे। परन्तु हमार समय म हिटलर और कम्युनिस्ट ने अब अन्याय का आविकार बर निया या प्राचान तथा अम्भ बाज के अन्याय का पुनरजावित बर दिया है। मिदाल अउ भी बहा है।

मविवान वो नुस्ख विदेशाई यही था। इन्हें एक ऐसा मज़बूत दृक्षा तैयार बर दिया है जिसकर स्वयम्भनु जनता जा भी कुछ बनाना चाहू, अफलिती जनता का शरनादिह रक्तियां वही बना सकती हैं। कुछ विशेषज्ञाई तो, जैस

कि कान्फ्रेस का निवाचन और उसके अधिकार, आज तक बिना किसी मौलिक परिवर्तन के दैसे ही चले आ रहे हैं। अन्यों का, जैसे निवाचक मण्डल के और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों का, रूपान्तर हो गया है। परन्तु संविधान प्रारम्भ में जो काम करने के लिए बनाया गया था—अर्थात् अमेरिकी जनता की स्वयंप्रभुता की रक्षा करते हुए उसकी आधीनता में एक ऐसा दृढ़ शासन स्थापित करने के लिए जो कि अमेरिकी जनता के नाम पर एक राष्ट्र की भाँति कार्य कर सके—उसे वह निरन्तर करता चला जा रहा है।

अध्याय २

राजनीतिक दल

अमेरिकी जनना समष्टि से दो पार्टीयों की पद्धति प्रभाव बरती है। गल दो सी बांगों में जब कभी उसने देखा कि हमारे यहाँ बैठने एक पार्टी रह गयी है कभी उसने उसे दो छोड़ों में विभक्त कर दिया या कोई तरीं पार्टी छोड़ी कर दी और जब उसने देखा कि पार्टिया तीन हो गयी हैं तब उसने उनमें से एक का निर्वाचन में अन्त कर दिया।

ओपनिवेशिक बाल में हिंग और टोरी, दो अत्यन्त विभिन्न राजनीतिक प्रवृत्तियों के प्रनिनिधि थे—इन्हीं विभिन्न प्रवृत्तियों के कि उनमें विरोध के बारण मन् १७७५ में युद्ध दिल गया था। इस समय दानों पार्टिया प्राप्त एवं दूसरों से मिलती जुलती है, यहाँ तक कि कभी-कभी उनकी चर्चा होने पर “जैसे नामनाथ बिमे सामनाथ” वह दिया जाता है। प्रति दो बर्ष पीढ़े वे परस्पर सहमति से एक ऐसी लड़ाई लड़ती हैं कि उनमें दोनों पक्ष इनने सुरक्षित रहते हैं कि पराजित पक्ष की भी भारी धनि नहीं होती।

अमेरिकी पार्टिया की विशेषताएँ, देरा के इनिहाम और परिस्थितियों का परिणाम हैं। वे राजनीतिक नेताओं की किमी योजना का फल नहीं है। बास्तव में, अमेरिकी संविधान की एक विचित्र विशेषता यह है कि उसमें पार्टियों का चिक्क तब नहीं किया गया।

आनंद से पहते पार्टिया आधुनिक स्वर्ग में सगढ़ित नहीं थीं। परन्तु जो लोग शामारणतया क्रिटिक राजा और उसके द्वायानिक गवर्नरों के पक्ष में रहते थे वे टाँचे

वहलाने थे और दूसरे, जिनका मुकाबला अमेरिकी विधान मण्डलों और स्वशासन के सिद्धान्तों के पक्ष में होता था वे प्राय हिंग कहलाते थे। टोरियों और हिंगों के पारस्परिक सघर्ष का अन्त युद्ध के द्वारा हुआ था। हिंग अथवा 'देशभक्त' ने बल युद्ध में जोत गये थे, बल्कि उन्होंने विरोधी पक्ष को सर्वथा समाप्त भी कर दिया था। टोरी देश से निकाल दिये गये और वे भाग कर वैनेडा अथवा बहामाज चले गये थे।

यद्यपि आज भी समुक्त राज्य अमेरिका में परिवर्तन विरोधियों को कभी-कभी 'टोरी' कह दिया जाता है, परन्तु क्रान्ति के पश्चात् इस देश में इंग्लैण्ड के राजा को पुन ग्रतिप्ति करने का प्रयत्न करनेवाली कोई पार्टी नहीं रही।

इसलिए अन्य सब क्रान्तिकारी देशों की भाँति, समुक्त राज्य अमेरिका की राजनीति का आरम्भ भी एकदलीय राजनीतिक प्रणाली से हुआ था। जार्ज वाशिंगटन और अनेक क्रान्तिकारी नेता चाहते थे कि वह बैमा ही रहे। वाशिंगटन ने अपने 'विदाई भाषण' में जनता को, पार्टियों के, "विशेषतः उन्हें प्रादेशिक भेदों के आधार पर स्वास्ति करने के" विरुद्ध सचेत किया था। उसने "साधारणतया पार्टी की भावना के हानिकारक परिणामों के विरुद्ध भी.....अति गम्भीर" चेनावनी दी थी। उससे "कभी-कभी दंगा और विद्रोह तक भड़क उठते हैं।"

वाशिंगटन को हिंगों और टोरियों के युद्ध की याद थी। उसने उस परिस्थिति की कल्पना कर ली थी जो देश के विविध भागों में पार्टियों के संगठित हो जाने पर उत्पन्न होती और जिसमें वे प्रतिफूंदी शासन स्थापित कर सकते हैं। यद्यपि सन् १८६१ में सचमुच ऐसा हुआ भी।

जेम्स मेडिसन ने "फेडरलिस्ट पेपर्स" में संविधान को स्वीकृति देने की चकालत दरते हुए नवीन संघीय शासन का एक लाभ यह भी बतलाया था कि उसकी रचना "पार्टी-वाजी का झगड़ा प्रिटाने और उसे नियन्त्रित करने के लिए ही की गयी है।

उदाहरणार्थ, राष्ट्रपति के चुनाव में निवाचिस-मण्डल वी कल्पना विरोध रूप से पार्टी-वाजी की राजनीति से बचने के लिए की गयी थी। बहुत से

नस्यापक राष्ट्रपति को एक प्रकार वा निर्वाचित राजा मानते थे, जो आज के फान्स के राष्ट्रपति या इंगलैंड के राजा की भाँति सब पार्टियों से पृथक् रहता है। नविधान की प्रथम रचना में यह निर्देश था कि प्रत्येक राज्य के निर्वाचित एक न्याय पर एकत्र होंगे और प्रत्येक निर्वाचित, अपनी प्रथम और द्वितीय पसन्द प्रकट निये विना, दो व्यक्तियों को भन देगा । इन प्रकार जिस व्यक्ति को सबसे अधिक मत मिलगे वह राष्ट्रपति हो जायगा और उसके बाद बाला उपराष्ट्रपति । आशा थी कि इन पद्धति में इस बात की गारण्टी रहेगी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकेंगे जो प्रमुख लोगों की हृषि में नम्बर एक और नम्बर दो होंगे ।

सन् १९८७ में भी नविधान लिखा जा चुकने पर लोगों में इस प्रश्न पर मतभेद था तिं उसे स्वीकृति दिया जाय था नहीं, यद्यपि तबतक वे निश्चित राजनीतिक पार्टियों में समर्थन नहीं हुए थे । भोजे तौर पर व्यापारी, महाजन और परिवर्तन-विरोधी भूमिपत्रितों संघिधान के पक्षपाती थे । उनका नेता ऐलेंजेंडर हैमिल्टन था । अमिक तथा किसान, विरेपत स्थानीय राजनीतिक नेता, राज्यीय तथा न्यानीय स्वशासन का अधिकार द्वित जाने के भय से, उनका विरोध कर रहे थे । संघिधान दृढ़ घोड़े बहुमत से स्वीकृत हो सका था, वह भी केवल इस कारण कि मताधिकार जनता के अनि न्यून प्रतिशत को, मुख्यतया जमीन-जायदाद के मालिकों को, प्राप्त था ।

परन्तु परस्पर एक दूसरे का विरोध करने वाली पार्टियों वा संगठन प्राय वार्षिकान के द्वितीय कांग्रेस वा समाजित तक नहीं हुआ । इसके दो कारण थे । पहला वार्षिकान की लोकप्रियता और दूसरा व्यापार तथा समृद्धि पर संघिधान का अनुकूल प्रभाव । उक्त बाल के पश्चात, सोग इस प्रश्न पर परस्पर विरोधी राजनीतिक संगठनों में विभक्त होने लगे कि नया राष्ट्रपति कौन हो । एक पक्ष तो व्यापार, दूसरी और नगरों के मध्य-वर्ग के प्रतिनिधियों, 'फेडरेनिस्टो' (अर्थात् नघ-पश्चात्यानियो) वा था, जिसका सर्वाधिक प्रभाव उत्तर-नूबी राज्या में था, और दूसरा पक्ष "रिपब्लिकनो" वा था, जिनका नेता टामस जेकर्सन था । वे मुख्यतया

प्रामीण जनता के—वर्जनिया के भद्रजनों से लेकर टेनसो के अग्रगामियों तक वे—प्रतिनिधि थे। नगरों के थर्मिक भी उन्हीं के साथ थे।

जब वाशिंगटन ने यह विभाजन होता देखा तब वह बहुत दुखी हुआ। परन्तु उसकी पुकार बेकार रही, क्योंकि स्वतन्त्र लोग आपसी भगड़ों को सुलभाने का मार्ग स्वयं हा तलाश किया करते हैं।

इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका वा एक दलीय इतिहासिक शासन शीघ्र ही बंट कर द्विदलीय पद्धति में परिणत हो गया।

सन् १७६६ में जोत 'फेडरलिस्ट' की हुई और उहोने जान ऐडम्स को चाप्ट-पति चुना। सन् १८०० तक दोनों पार्टिया अच्छी तरह पृथक् हो चुकी थी और तब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के लिए दोनों ने अपने-अपने उम्मीदवार पृथक्-पृथक् खड़े किए थे। इस बार जोत रिपब्लिकनों की हुई और उनके सभी निर्वाचिकों ने अपना भत टामस जेफर्सन और आरौनदर्क के पक्ष में दिया। परन्तु चूंकि तब निर्वाचिक अपने दो मतों में से कौन प्रथम और कौन द्वितीय यह प्रकट नहीं कर सकते थे, इसलिए दोनों विजेताओं को बराबर मत प्राप्त हो गये। संविधान के नियमानुसार इन दोनों में से एक का चुनाव 'हाउस' ने किया और उसने जेफर्सन को राष्ट्रपति चुना। परन्तु जैक्सन की जोत 'हाउस' में पैंतीसवीं बार जाकर भत लेने पर हुई, जिसमें यह प्रकट हो गया कि हारती हुई पार्टी भी 'हाउस' में मतों का जोड़-तोड़ करके जोतती हुई पार्टी भी इच्छा को मुगमता से विपल बर सकती है।

इस उरहासास्पद परिणाम के कारण ही संविधान में बारहवा संशोधन किया गया, जिसके अनुसार अब निर्वाचिक, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को अपना मत पृथक्-पृथक् देते हैं और जोते हुए उम्मीदवारों में फैसला काग्रेस को नहीं करना पड़ता। परन्तु इस संशोधन से निर्वाचिक-मण्डल बनाने वा मूल प्रयोजन नष्ट हो गया। इसके द्वारा यह तथ्य मान निया गया है कि पार्टियों विद्यमान हैं और निर्वाचिक निरी रवर की मुहरें हैं जो कि पार्टियों द्वारा पहले से निरिचित उम्मीदवारों का ही मत देने के लिये बाधित हैं।

यहाँ यह सुमझ देना दिक्षित होगा जि जैसमंत्र की पार्टी जो आज की इमारेटिक पार्टी की पूर्ववर्ती मानी जाती है, आरम्भ में रिपब्लिकन पार्टी क्यों कहनार्थी थी ।

सन् १८०० में जैसमंत्रनियन्त्रों ने अपने आपको "रिपब्लिकन" के बन इस कारण वहाँ या वे राजाओं ने विरागों थे । वे कौंच झान्ति के भी पश्चात्री थे । उसे वे अमेरिकी झान्ति का अच्छा प्रभुरूप मानते थे । उन्हें विपरीत, 'फेडरलिस्ट' कूंगोन के बो का पासी दिये जाने से और उनकी हृष्याओं से कुछ हो उठे थे । फार्म वे राजा ने भी उनकी खासी बहानुमूलि थी । उन्हाँने जैसमंत्रनियन्त्रों पर 'हेमोइट' अर्थात् कौंच झान्ति का ग्रेमी हने का आड़ेग दिया । उस समय 'हेमोइटी' शब्द का अर्थ या 'भीड़ का घर' और उसका प्रयोग उसी प्रकार दिया जाता था विस प्रकार हम "रिपब्लिकन" शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है 'चरम परिवर्तन तत्व का पक्षमान' । पोटे, नेशनलियन के देहान्त के पश्चात्, इस शब्द की तीव्र मात्रा बहुत बुद्ध नष्ट हो गयी । परन्तु जब जैसमंत्र राष्ट्रपति था तब वह अपने यात्रों टमों प्रकार 'हिमोइट' नहीं कहना या विस प्रकार आज के युग में कैंट्रिन हब्बेन्ट 'रिपिकर' कहना तो पसन्द न करता ।

'फेडरलिस्टों' ने जो कैटरन अर्थात् संघीय शासन स्थापित दिया था उसकी भावनाका के कारण ही वे रीत नष्ट हो गए । एक बार भैंध की स्थापना हो जाने पर, देश का विनाश अति धीमे होने लगा । लोग अगानेवियन पर्वतमाराओं में हृष्णर और हृष्णों और देवियों घाटियों में उमड़ पड़ने लगे, और परिचमी देश के मरुदाताओं को मंदिरा उत्तर-पूर्वी नगरों से बही अविक्ष हो गयी ।

सन् १८०१ में राष्ट्रपति का पद प्रह्ल बर्ले वे पश्चात् जैसमंत्र ने भी अमेरिका के विनाश की शहर का ही वरने में योग दिया । उसने बलशानी संघीय शासन के विरुद्ध अपनी पहनी आत्मियों को भूता दिया और लाहू करके मिमिनिशी नदी की चमूर्ची परिवर्तनों घाटी लूदूरशाना बो लर्हाद ढाला ।

'फेडरलिस्ट' मृत्युमात्रा करने लायक नहीं रहे । उनकी पार्टी मृत्युमात्र हो गयी और सन् १८२० में वे अपना उभ्मीदवार तक लड़ा नहीं कर सके । देश एक बार

पुन एकदलीय बन गया। इस समय को 'सद्भावना' का युग कहा जाता है, क्योंकि कुछ वर्ष तक विरोधी पार्टी रही ही नहीं थी। परन्तु धोरें-धोरे रिपब्लिकन नेताओं में ही मतभेद उत्पन्न होने लगे और शोप्र हा द्विदलीय सिद्धान्त पुन लौट आया। रिपब्लिकन दो गुटों में बंट गये। एक गुट का नेता जौन किंगनी ऐडम्स था। वह 'नेशनल रिपब्लिकन' कहलाता था और अधिक पुराने विचारों का पक्षराती था। ऐडम्स सन् १८२४ में राष्ट्रपति चुना गया। परन्तु सन् १८२६ में दूसरा गुट, जो कि अपने आपको 'डिमोक्रेटिक-रिपब्लिकन' कहता था, जीत गया और उसका प्रतिनिधि ऐण्ड्रह जेक्सन राष्ट्रपति हो गया।

सन् १८३२ में नेशनल रिपब्लिकनों के उत्तराधिकारी हिंग बहने लगे। इन हिंगों का अठारहवीं शताब्दी के क्रान्तिकारी हिंगों या 'वेश भक्तो' या हंगैनैण्ड के हिंगों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था। ये परिवर्तन-विरोधी थे और किसी ऐसे नाम की तलाश में थे जिसके सहारे मत बढ़ावे जा सकें। इस काल में 'फेडरलिस्ट-नेशनल रिपब्लिकन हिंग' पार्टी पीछे रह गयी, क्योंकि सीमान्त के राज्यों की सख्त बढ़ती चली गयी और वे अपना मत जैक्सन-च्याप राजनीति के पक्ष में देते थे परन्तु हिंग दो सैनिक नेता चुनने में सफल हो गये, सन् १८४० में विलियम-हेनरी हैरिसन को और सन् १८४४ में जैक्सन टेलर को।

सन् १८५० के पश्चात् दासता का प्रश्न अति तीव्र हो गया। हिंगों और डिमोक्रेट रिपब्लिकनों, जो अब डिमोक्रेट कहलाने लगे थे, दोनों की पार्टीयों में दासता के प्रश्न पर आनंदिक मतभेद हो गया। उत्तरों और दक्षिणी डिमोक्रेटों में भी परस्पर विरोध हो गया। हिंग पार्टी विखर गयी और दासता के विरोध के आधार पर एक नयी पार्टी बनी, जिसने अपना नाम 'रिपब्लिकन पार्टी' रखा। उसने अपना उम्मीदवार अब्राहम लिंकन को बनाया। सन् १८६० में वह राष्ट्रपति चुना गया।

वार्षिगटन की चेतावनी के अनुसार सन् १८६० को दोनों पार्टिया "प्रदेशिक भेदों के आधार पर समझिन थे" और भावना में इनना वहीं जा रही थी कि

उनका मनभेद भड़कीला सिद्ध हो गया । उच्च तटन्कर के पश्चात्ती उत्तर-भूर्बा व्यवसायिश और निम्न तटबार के समर्थक दक्षिणी द्वापास उपादकों में, दामता के भावना पूर्ण प्रति के अतिरिक्त, पुराना विरोध भी बहुत समय से चला आ रहा था । इन दोनों दिवोंपो ने राष्ट्र को भी इही भौगोलिक प्रदेशों में बाठ दिया । इस कारण विरोधी पक्ष, गृह-युद्ध के लिए आना-आपना पृथक् संगठन करने लगे, और लिङ्ग के निर्वाचित होते ही गृह-युद्ध खिड गया ।

गृह-युद्ध के पश्चात् अमेरिकी लोग उस प्रकार फिर वभी विभक्त नहीं हुए । उनके प्रादेशिक विवाद इन्हें तो नहीं हुए कि वे अन्य विवाद उनकी तुलना में गौण हो जाय, जिनके कारण जनता भिन्न प्रकार विभक्त होती है—जैसे कि अमिको के बाहून, राष्ट्रीय व्यष्टि, टैक्स, सामाजिक सुरक्षा, अथवा ट्रस्टों के विरोध आदि के विवाद । सारांश यह है कि अमीरों और गवर्नरों, लगानिकामियों और किसानों के विवाद, उत्तर और दक्षिण अथवा उत्तर-भूर्बाँ और पश्चिम के विवादों वो अपेक्षा अधिक प्रबल रहते आये हैं । इन विवादों के कारण गृह-युद्ध की पृष्ठभूमि नहीं बनने पायी ।

संयुक्त राज्य अमेरिका क्रान्तियों से भी सुरक्षित रहा है । सन् १७७५ के पश्चात् अन्तर्रिक्क क्रान्ति के लिए वसी पृष्ठभूमि नहीं बनी जैसी कि इस में कैरेन्सी का भावी क्रान्ति अथवा जर्मनी और इटली में हिटलर और मुसोलीनी वाली क्रान्तियों के लिए बन गयी थी । संयुक्त राज्य अमेरिका में भीड़ ने कभी जो दौरे किये भी वे देश की विशालता के कारण और देश के बड़े भाग में न फैलने के कारण स्वयं ठण्डे पढ़ गये । शामत को उलट देने वाले विषे घमियान के कभी वार्षिकान पर हो जाने की कलना तक करना बड़िन है जैसा कि मुसोलीनी ने रोम पर किया था और जिसमें इटली का शासन उलट गया था ।

इन भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से यह भली प्रकार प्रबट हो जाता है कि आज वो रिपब्लिकन और डिमोक्रेटिक पार्टिया विस प्रकार बनी । लगभग सौ वर्ष तक द्विनोय पद्धति के अनेक रूपों द्वारा परीक्षा करने के पश्चात् अमेरिकी जनता पार्टियों

के ऐसे मेल पर पहुँच गयी है जिसमें अनेक उलझनों से भरे राजनीतिक भगड़े तो चलते रहते हैं, परन्तु गृहभूद्ध तथा विद्रोह छिड़ जाने का भय नहीं रहता ।

संयुक्त राज्य अमेरिका में जो द्विदलीय पद्धति शाजकल प्रचलित है उसका निर्माण विसी योजनाकी अपेक्षा स्वतं प्रेरणा से अधिक हुआ है। इसके द्वारा बहुमत का ऐसा रासान संगठित हो जाता है जिस पर नियन्त्रण एक विजेता पार्टी का रहता है। अधिकतर समय, राष्ट्रपति, सेनेट और 'हाउस ऑफ रिप्रेजेनेटिव' (प्रतिनिधियों की सभा), तीनों पर एक ही पार्टी का नियन्त्रण रहता है। साथ ही, अल्पमत पार्टी इतनी बुरी तरह कभी पराजित नहीं होती कि वह आशा का सर्वथा परित्याग कर दें।

यह पद्धति, एक ओर तो युरोप में प्रचलित बहुदलीय शासनों से और दूसरी ओर डिटेन की द्विदलीय पद्धति से, सर्वथा भिन्न है। अमेरिकी पद्धति का अपना ही विशिष्ट युक्ति क्रम है, जो किसी युरोपियन की समझ में तो आता ही नहीं, अप्रेज की समझ में भी बहुत नहीं आता ।

युरोपियन लोकतन्त्र के विसी भी नमूने में अनेक पार्टियां होती हैं और उनमें से प्रत्येक के कुछ स्पष्ट निश्चित सिद्धान्त रहते हैं। एक पार्टी क्रिश्चियन-सोशलिस्ट और दूसरी वैयोलिक बन्जर्पेटिव हो सकती है। इतिहास की विचित्र गति के कारण हो सकता है कि जो पार्टी अपने को रेडिकल-सोशलिस्ट कहती हो वह, सम्भव है कि, मध्य वर्ग के व्यापारियों की प्रतिनिधि हो। और, कम्युनिस्ट तो वहाँ रासा रहते ही हैं। उनका अनुशासन सर्वोत्तम है और, वे उसी का साथ देने को तैयार हो जाते हैं जो उनके बहकावे में आकर उनकी स्वार्थ-सिद्धि का भाधन बनने की हामी भर ले ।

बहुदलीय पद्धति की अवधार पर की गयी है कि प्रत्येक पार्टी को किसी सिद्धान्त का समर्थक होना चाहिए, जिससे कि जो भी कोई उस सिद्धान्त के पक्षपाती हो वे उस पार्टी में सम्मिलित हो जायें और आगे बढ़ने में उसकी सहायता करें। आधुनिक जीवन अनेक उलझनों से भरा हुआ है, और राजनीतिक, आधिक

तथा सामाजिक सिद्धान्त भी बहुत से हैं, इसलिए पार्टियों की अनेक शाखा-प्रशाखाओं हो सकती हैं और होती भी हैं।

परन्तु संसदीय पद्धति के जनतन्त्रीय शासन को प्रश्नों समझ में बहुमत का समर्थन प्राप्त करना पड़ता है। जब कभी प्रधान मन्त्री और उसके मन्त्रिमण्डल द्वारा प्रस्तुत कोई महत्वपूर्ण चिन्ह स्वीकृत नहीं हो पाता तभी शासन का पन्न हो जाता है। तब या तो प्रधान मन्त्री और उसके मन्त्रिमण्डल को पदत्याग कर देना पड़ता है और या, यदि उसके शिक्षान में वैमो व्यवस्था हो तो, वे संसद को भग बरके नया निर्वाचन करवा सकते हैं।

इसलिए युरोप के लोकतन्त्रीय देशों में शासन का संगठन करने के लिए कई पार्टियों का परस्पर मेल करना पड़ता है, जिसमें कि उनका बहुमत हो जाय। इनमें से प्रथमेक पार्टी अपना 'दूध शुद्ध' होने का दावा करती है, परन्तु यदि वह संसदीय जनतन्त्र की समाप्ति करके तानाशाही की स्थापना न कर दे तो वह अपनी अपने 'शुद्ध दूध' के भरोसे देश का शासन नहीं कर सकती। लोकतन्त्रीय शासन में भाग लेने के लिए उसे अपने 'शुद्ध दूध' को आन्य दो या तीन पार्टियों के मिलावटी माल से पतला करना पड़ता है। इस कारण परम्परा ही यह पड़ गयी है कि अनेक संयुक्त मन्त्रिमण्डल बनते और विगड़ते हैं और कोई भी टिक्कर उप्रति के मार्ग पर स्थिर प्रगति नहीं कर पाता।

अमेरिकियों की हाईट में इस पद्धति में अधिक निःसाह करनेवाली बात यह है कि जहाँ अनेक पार्टिया होती हैं वहाँ कभी-कभी नरम या "मध्य-मर्गी" पार्टियों का ही एक मात्र मोर्चा ऐसा रह जाता है जो देश को स्वतन्त्र रख सकता है।

साधारणतया स्थिति वा वर्णन यह कहकर दिया जाता है कि दक्षिण पश्च में तो फ्रान्सिस्ट होते हैं, जो स्वतन्त्र शासन को उन्नते और विसी नपे गुलोनीनी या हिंटतर को घटा करने का यत्न करते रहते हैं, और वामपक्ष में वन्दूनिस्ट होते हैं जो सत्ता हृषिमाने या यत्न करते रहते हैं, जैसा उन्हाने जैकोस्लोवेकिया में दिया

था । इस स्थिति से स्पष्ट है कि लोकतन्त्र पश्चाती पार्टियों की स्थिति मध्य में हानी है । उनमें से कुछ वा भुग्गाव दक्षिण की ओर वो अविक्ष होता है और कुछ वा वाम की ओर वो ।

अनेक पार्टियों की पद्धति वा वर्णन करने का यह तरीका दोषपूर्ण है क्योंकि इसमें इस बात का लक्षण है कि दो एक तन्त्रजाती पार्टियों स्वतन्त्रताप्रिय पार्टियों को एक दूसरे से विलग और दूर करने की प्रवृत्ति दिखतावै । उदाहरणार्थ, फासिस्ट या नव नाज़ी, कुछ ईमानदार परिवर्तन-विरोधियों को यह वहकर अनन्ती आर घमोट मरते हैं कि मभी दक्षिण-पश्चीय हृदय में इन्हों विचारों के हैं । इसके अन्तर्गत, अमावधान 'निवरलो' (उदार विचारवालों) वा कम्यूनिस्ट प्राय यह नारा लगाकर वहरा लेने हैं कि मभी 'वाम-नक्षिया' का एक मंत्रुम्भ मोर्चा होता चाहिए । ये जोड़-तोड़ यदि सफल हो जाएं तो राजनीतिक जीवन सर्वेषा विरोधी दो पक्षों में बंट जाता है, और मतदाताओं वा फासिस्ट या कम्यूनिस्ट एकवर्गाधिकार बादों में से एक का चुनाव बरना पड़ जाता है । आत्मधान भी दो विभिन्नों में से एक को अपना लेने के अतिरिक्त अन्य बोई भाग बचा नहीं है, इस अप्रभ में फंसने से बचे रहने का उत्तम उपाय यह है कि ऐसी आलंकारिक भाषा वा प्रयोग न किया जाय जिसके कारण स्वतन्त्र संमार खाई और खहै के मध्य में फंसा हुआ प्रतीत होने लगे ।

राजनीतिक प्रवृत्तियों की इस स्थिति को चिह्नित करने का अच्छा उपाय एक ऐसी सौधी रेखा खीच देना नहीं है जिस के बिरों पर बीठ कर फासिस्ट और कम्यूनिस्ट, मध्य में बीठों हुई लोकतन्त्रीय शक्तियों पर आक्रमण कर रहे हों । बातचीर स्थिति इस लम्बे पतले त्रिकोण के समान है जिसके शीर्ष पर तो लोकतन्त्रीय संम्बाएं और पार्टियाँ हों, और शेष दोनों कोणों पर प्रतिलिप्तीयों एकवर्गाधिकार पश्चाती शक्तिया जमी हुई हों । फासिस्ट अर्थात् चरम-प्रतिक्रियावादी और कम्यूनिस्ट अर्थात् चरम-परिवर्तन पश्चाती, दोनों, एक-वर्गाधिकारवादी पुनिमन्नारज न्यायित करने का यन्त्र बरते रहते हैं । वे लडते भी हैं तो बदमाशों के ऊन दो गिरोहों की तरह जिन में झगड़ा इस बान पर होता

है कि लूट पर अधिकार किसका रहे। वे बहुधा मिल भी जाते हैं, जैसे कि सन् १९३६ में हिटलर और स्लालिन मिल गये थे। जिस संसद में फासिस्ट और कम्यूनिस्ट पार्टियों की सदस्य-भूखा इतनी अधिक होती है कि वे भव्य का कारण बन सकें, वहाँ वे पार्टिया शासन को नष्ट करदेने की आशा में प्रायः मिलकर मत देती हुई दिखाई पड़ती हैं।

लोकतन्त्र दिरोधी पार्टियों के सदस्यों की जहाँ भी लूट का अधिक अन्दर अवसर दिखाई पहता है वे अपनी पार्टी छोड़कर भट यही चले जाते हैं। उदाहरणार्थ, पूर्वी जर्मनी की कम्यूनिस्ट सरकार को बहुत से भूतपूर्व नाजियों का भी सासा उपयोग दिखाई देता है, विरोध सेना में।

अमेरिकियों को अनेक पार्टियों की पढ़ति में शब्दों भयानक निवालता यह दीखती है कि प्रत्येक नये निर्वाचन में देश की स्वतन्त्रता एकमात्र इस बात पर निर्भर करने लगती है कि जीत लोकतन्त्रीय 'मध्यम' पार्टियों की हो। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक नया चुनाव स्वतन्त्रता और आपत्ति के मध्य में एक सम्पुण्ड हो जाता है। इसमें एकमात्र विवर्त्य जलते तेज की बढ़ाई में से कूद कर आग में गिरने का रह जाता है। द्वितीय शिव-युद्ध के पश्चात् युरोप के कई देश इसी स्थिति में पड़े हुए हैं। लोगों को अपने यहाँ का शासन पसन्द हो या न हो, उनके लिए बढ़ाई में पड़े रहन के सिदाय और कोई खारा है भी नहीं। यदि वे इससे बाहर निकलेंगे तो एकवर्गाधिकार की उस आग में गिर जायेंगे जिसमें पूर्वों युरोप के लोग भुन रहे हैं।

अमेरिकी पढ़ति यद्यपि अद्भुत है तथाहि इसमें इतना गुण घटकर है कि यह जनता को स्वतन्त्र शासन के विवरों में से चुनाव का अवसर प्रदान करती है। लोगों को यह सोचने का अवसर मिलता है कि समृद्धि को त्यार रखने, या राष्ट्र की रक्षा-व्यवस्था करने, या अपव्यय और भ्रष्टाचार से बचाव चलने के लिए, दोनों में से कोन सो पार्टी अच्छी रहेयी। चुनाव की गरमी के धज्जों के अनिरिक्त, सोशल को निशास रहता है कि जिस पार्टी का हम विरोध कर रहे हैं यदि वही

जीत गयी तो वह भी कम से कम अमेरिका-प्रेमी और लोकतन्त्र-भक्षणी तो रहेगो ही । बड़ी पार्टियों में ऐसी आत्मवाती एकभी नहीं जो यदि जनता की असावधानता से कभी पदारूढ़ पार्टी को पद-चुनून करने में सफल हो जाय तो देश को सोवियट रूस के संपुर्दं करने की सोचने लगे ।

परन्तु इस स्वतन्त्र चुनाव का मूल्य यह है कि दोनों पार्टियों को संयुक्त राज्य अमेरिका का उचित प्रकार शासन करने के लिए आवश्यक नेताओं, अनुयायियों और सिद्धान्तों से सम्बन्ध होना चाहिए । विजेता पार्टी को न्यून या अधिक इमानदारी से, उन सब मुख्यापित सिद्धान्तों में विश्वास रखनेवाला होना चाहिए जिसका जनता अपने शासक से पालन करवाना चाहती है ।

एक बार यह मान लेने पर कि अमेरिकी द्विदलीय पद्धति में दोनों पार्टियों के लिए प्रायः उन सब सिद्धान्तों और कार्यक्रमों को अननाना आवश्यक है जिनकी मतदाताओं का कोई बड़ा भाग मांग करे, “जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ” की वहाँवत का प्रयोग अर्थपूर्ण और आवश्यक लगने लगता है । प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले ही मतदाताओं को यह दिखाने का प्रयत्न करती है कि उसके शासन का रूप क्या होगा । इसलिए उसे उनकी अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूरी सूची भी तैयार करनी पड़ती है । इस कारण इसमें आश्चर्य की बात कुछ नहीं कि अमेरिकी मतदाताओं को प्रायः ऐसा लगता है कि रिपब्लिकन और डिमोक्रेटिक कार्यक्रम एक से हैं और अन्तर केवल उनके उम्मीदवारों में है । पार्टी का संगठन चुनाव जीतने और शासन पर नियन्त्रण प्राप्त करने के लिए है, एक आदर्श के स्थान पर दूसरे की स्थापना करने के लिए नहीं ।

परन्तु यह सर्वथा सत्य नहीं है कि पार्टियों के उम्मीदवार ही पृथक् होते हैं, उनके सिद्धान्त और कार्यक्रम प्रायः एक से होते हैं । नागनाथ सर्वथा वही नहीं होता जो कि सापनाथ ।

किमी अमेरिकी के लिए विसी विदेशी को यह समझाना कठिन है कि रिपब्लिकनों और डिमोक्रेटों में अन्तर क्या है । अंग्रेज द्विदलीय पद्धति का अभ्यासी

है परन्तु उक्त अन्तर वह भी सुगमता से नहीं समझ पाता । आन्दोलन के भाषणों के अनिरिक्त भी दोनों पार्टियों के परिचयात् विरोधियों, उदार-विचारवालों, दिनहें “जगती ग्रीष्म के दबे” कहा जाता है उनमें, और दोनों दो प्रादेशिक स्पीकर्स में कुछ अन्तर है हो । अल्पमत पार्टी प्रायः पदावृत्त पार्टी की अपेक्षा बजट को अधिक बढ़ावना में घटाना चाहती और राज्या के अधिकारों का अधिक पक्ष लेती है । अनेक स्थानीय अयवा प्रादेशिक स्वार्थ से भी एक पार्टी दूसरी की अपेक्षा अधिक प्रभावित होती है ।

‘फेडरलिस्टो’ और जेफर्सनियनों में पुराने अन्तर के बदले प भी अभी शेष हैं । कुछ रिपब्लिकन ध्यावमायिक स्वार्थों का और कुछ डिमोक्रेट अधिकारों का अधिक ध्यान रखते हैं, परन्तु दोनों पार्टियों में बहुत से अन्वाद भी हैं । अवहार में संघारणना देखा जाता है कि देशिक या आन्तरिक भासलों के महुंवपूर्ण विनो पर वाप्रेस के बहुमत और अल्पमत, दोनों दलों में अपलरिक्स भवभेद हो जाता है, परन्तु सदा एक ही प्रकार नहीं ।

दोनों पार्टियों के जो मनदाता, उम्मीदवार वा विचार निये विजा, सदा रिपब्लिकन या डिमोक्रेट पक्ष में ही मत देने हैं उनका निर्वाचित अफड़ल में निश्चित बहुमत नहीं है । अमरिकी लोग द्विलोप पद्धति का जा रह समझते हैं उसकी यह भी एक विदेषना है । यदि एक ही पार्टी को जीत निश्चित हा जानी तो मनदाताओं पर एक ही दबोच पद्धति लट जाती । तब एक पार्टी को दो भागों में विभक्त होना पड़ता, जैसा कि डिमोक्रेटिक-रिपब्लिकनों ने सन् १८२४ में किया था । जब द्विलोप पद्धति ठोक प्रकार काम कर रही होती है तब चुनाव का नियंत्रण वे मध्यवर्ती निर्वाचिक करते हैं जो स्वतन्त्र कहलाते हैं । वे दोनों पार्टियों के बचनों को तोत कर अरना मत देने का निश्चय करते हैं । प्रतेक चुनाव में ये स्वतन्त्र मनदाता डिमोक्रेट और रिपब्लिकन में अन्तर के विसी प्रचलित विचार को ठीक मात कर लताने हैं । उनकी उस समय जैसा भी लगता है उसके अनुमार ये रिपब्लिकनों दो डिमोक्रेटों दो अपेक्षा, अयवा उसमें उन्टा डिमोक्रेटों दो रिपब्लिकनों दो अपेक्षा, अधिक परिवर्तनविदों मात लेने हैं । इसके अनिरिक्त समृद्धि, या

भ्रष्टाचार या शान्ति सम्बन्धी विचारों का भी इन पर प्रभाव पड़ता है। परन्तु सदसे अधिक ये यह देखते हैं कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन व्यक्ति है।

कुछ राज्यों का 'ठोस' डिमोक्रेटिक और कुछ का 'ठोस' रिपब्लिकन होना संयुक्त राज्य अमेरिका में साधारणतया लोकतन्त्रीय पद्धति का दोष माना जाता है। संघीय निर्वाचन में इन राज्यों के सामने कोई विवल्य नहीं रहता, स्थानीय रूप से प्रबल पार्टी के प्रारम्भिक निर्वाचिनों में ये प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों में से एक का चुनाव भले ही कर दें। परन्तु राष्ट्रीय निर्वाचिनों में इन एकदलीय राज्यों की प्रबलता नहीं होती, इसलिए राष्ट्र में लोकतन्त्र मुरक्खित रहता है। भाग्यवश संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी ऐसे 'ठोस' धार्मिक या जातीय समाज का प्रभाव नहीं है जो कि उम्मीदवारों या समस्याओं का विचार किये बिना अपने मत सामूहिक रूप से दे। अमेरिकनों वी हृष्टि में लोकतन्त्र वा आधार ही यह है कि मतदाता निर्वाचिनों का निर्णय उम्मीदवारों और नीतियों का स्वतन्त्र चुनाव कर के वरें।

ट्रिटेन की द्विदलीय पद्धति कुछ भिन्न प्रकार की है। ट्रिटिश लोगों का विश्वास है कि 'लेबर' और 'कन्ज़वेटिव' पार्टियों अपनी नीतियों और सिद्धान्तों के कारण, डिमोक्रेटों और रिपब्लिकनों की अपेक्षा, एक दूसरे से अधिक भिन्न हैं। यदि ऐसा हो तो इसे कुछ स्पष्ट कर देना आवश्यक है।

शायद इसका उत्तम स्पष्टीकरण यह है कि किसी भी अच्छी द्विदलीय पद्धति में मतदाताओं को, बिना किसी गृह-गुद के, दोनों में से एक पार्टी को चुनने की स्वतन्त्रता तो होती ही है, वे नीतियों और मार्गों का चुनाव भी यथा-सम्भव अधिक विविध प्रकारों में से करना चाहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय प्रगति को मुख्य दिशा के विषय में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। बड़ी पार्टियों में से कोई भी तानाशाही या अर्थव्यवस्था के चिनाश, या अन्य किसी आपत्ति के मार्ग को अपनाना नहीं चाहती। परन्तु यह एक चौड़ी सड़क है, जिसमें दोटी बड़ी गलियां तो हैं ही। अभी-अभी घूमकर द्वोटे रास्ते से निकल जाने का अवसर भी है। पार्टियों के रूप में वास्तविक अन्तर निर्वाचन में जनता के चुनाव का विषय बन जाता है।

विरोधी पार्टी निर्णेतृत्व प्रश्नों का निश्चय मनदाताओं की ऐसी आलोचनाओं और अमन्त्रोंपों को देखकर करती है जिनके सहारे उपे आशा हो कि वह उन्हें पदारुद्ध पार्टी का विरोधी बना सकेगी। परन्तु दोनों पार्टियाँ ऐसे प्रश्नों से बचकर जलती हैं जिनके बारण बहुसंख्यक मनदाताओं के विद्क जाने की सम्भावना हो। व्यवहार बुशल राजनीतिवो द्वारा निर्णेतृत्व प्रश्नों के निश्चय वर पर यह होता है कि पार्टियों में मतभेद तो यथेष्ट रहता है, परन्तु उन पर “संविधान की उलट देने” का आझेप नहीं आन पाता।

अमेरिकी पार्टियाँ यदि फ्रिटिश पार्टियों से अधिक भिन्न हैं तो इसका कारण यह है कि फ्रिटिश राजनीतिक नता, जनता को इस प्रवार डराये बिना कि वे चुनाव हार जाय, चुनाव जीन जाने की दशा में अधिक बड़े परिवर्तन करने की प्रतिक्रिया कर सकते हैं। फ्रिटिश जनता अमेरिकनों की अपेक्षा कम उत्सुकित होती है, कम से कम तब से जब कि प्रथम विश्व युद्ध से कुछ पहले उत्तरी अमेरिकानें भैंड में विद्रोह हो जाने का भय हो गया था। फ्रिटिश लोग एक भी गोनी छोड़े बिना चर्चिल से बूद्धर ऐटली पर जा सकते और किर वामिस चर्चिल पर आ सकते हैं। अमेरिकी लोग शायद समाजवादियों की जीत का सामना इतनो शान्ति से न कर सकते, परन्तु भी गृह-युद्ध के बिना ही हूबर से हजारेल्ट पर ट्रुमन से आईजनहावर पर छानाग लगा सकते हैं। व्यावहारिक द्विलोक पद्धति में दोनों पार्टियों में इन्तर का यह यथाम्भव दोष अन्दाज़ा है।

टिमोडेटिक और रिपब्लिकन पार्टियों में अनेक बेमुरे सब हैं परन्तु विभिन्न अनुयातों में दोनों पार्टियों को सदा अपने जाने का भय रहता है। परन्तु नेताओं की अगले चुनाव जीने की इच्छा पार्टी को एकत्र बनाये रखने की शक्ति का बाप करती है। कभी-कभी कोई विद्रोही न तो पार्टी से पृथक् होकर एक तौसीरी लेड पार्टी बना लेता है, क्योंकि वह समझता है कि पार्टी अब यन्त परिवर्तन-विरोधी हो गयी है। यियोडोर हजारेल्ट ने सन् १९१२ में इसी प्रकार रिपब्लिकन में पृथक् होकर “प्रोग्रेसिव” अथवा ‘बुल-मूज’ पार्टी बना ली थी। राबंट ता शोनैट (बैटे ने) सन्

१९२८ में एक प्रोग्रेसिव की हैसियत से ही आन्दोलन किया था। वह भी रिपब्लिकन पार्टी से ही पूछकर पृथक् हुआ था। सन् १९४८ में दो पार्टियाँ डिमोक्रेटिक पार्टी से पूछकर बनी थीं। डिमोक्रेटिक पार्टी की आलोचना वालेस के अनुयायी 'प्रोग्रेसिव' उने अति अवरिवर्तन-वादी बतलाकर, और 'डिसीकैट' उने अवयन्त चरम-परिवर्तन-पक्षपानी (रेडिकल) बतलाकर बरते थे। इन दोनों फूटवा पार्टियों में से कोई भी पुरानी पार्टी को नष्ट बरके उभारा स्थान नहीं से सकी। परन्तु सन् १९१२ में 'बुल-मूजरो' के फट जाने के कारण रिपब्लिकन हार गये थे और उड़रो बिलसन खुनाव जीत गया था।

अन्य पार्टियों की आधार-भूत तिर्यकता यह है कि वे भगडे का अतरम्भ सदा इसी सैद्धान्तिक वारण से करते हैं और उनकी ओर अकृष्ट केवल वे मतदाता होते हैं जो उस सिद्धान्त के भक्त होते हैं। इन फटी हुई सत्पत्र पार्टियों के अनेक अनुयायी स्पष्ट भाषा में नागनाथ और सापनाथ को समाप्त बरके पार्टियों का पुरानांठन मिदान्तों के आधार पर बरते का प्रतिशादन करते हैं।

वे सब परिवर्तन-विरोधियों को—इतिहास-नित्यियों में पागलपन की सोमा पर पहुंच हुए फासिस्टों तक को—एक 'कन्जर्वेटिव' (परिवर्तक विरोधी) पार्टी में, और सब उदार विचार यात्री को,—जो कम्युनिस्टों का और वामपन्थियों में पागलों तक का स्वागत बर सकें—एक "प्रोग्रेसिव" अर्थात् प्रगतिशाली पार्टी में एकत्र देखना चाहते हैं। उनका विचार है कि मतदाताओं को सच्चे निवाचिन का अवसर तभी मिल सकेगा।

परन्तु भेड़ों और बवरियों की छाई के इस सुझाव का फल दोनों के एक दूसरे से बिल्कुल दूर भाग खड़े होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा, और वह आमपात्र बर लेने का मूर्यतापूर्ण मार्ग है। कोई भी जीवित रहने योग्य जनतन्त्रियी न इसी प्रकार ऐसी विसी दरीय पद्धति की खोज बर ही लेता है जिससे लोगों को अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा बरने का अवसर मिल जाय, वह इतनी ही अद्युत् यथो न हो। अमेरिकी रिपब्लिकनों और डिमोक्रेटों की पद्धति, अनेक परस्पर विरोधी स्वायों को, एक दूसरे पे नाश का प्रयत्न किए बिना, एकत्र रहने के लिए

सहमत कर लेना है। यह कुटियो थोर तवं-विरद्ध समझौतो से परिपूर्ण है, परन्तु अब तक यह विनाश से बचनी चली आयी है।

सतुर्क राज्य अमेरिका में दा मुख्य पाटिया के सचालक अनुभवी राजनीतिज्ञों में से अग्रिमतर इस विचार से सहमत नहीं हैं कि परम्पर विरोधी पाटियो का संगठन तक के आधार पर विया जाय। यदि कुछ असलुष मनदाता, पूटबर कोई तृनीय पार्टी बड़ी कर लें तो वे अपना द्वार जनके निए बन्द नहीं कर देने। वे समझौते का मार्ग परान्द बरते हैं, जिससे तृनीय पार्टी के वितने भी मनदाता आ सर्वेष्टने वापिस आ जाय। वे तृनीय पार्टी के केवल जन नेताओं के निए दरबाजा बन्द बरते हैं जिन्हें वे भगड़ादू समझते हैं और जिनमे भय होता है कि वे आय मनदाताओं को भी बहश ले जायें। तिमिन विरोधी ताता को एक बन करने की यह प्रवृत्ति ही दिवानीय पद्धति का मुख्य बल है।

मुख्य संगठनों को चुनोना देने का यज्ञ करनेवाली इन तृनीय पाटियों के अतिरिक्त, अनेक गोण पाटियों भी अनिश्चित सदस्या में होती हैं। इनमें से कुछ अपने प्रदेश में प्रभावशाली होती हैं। उदाहरणार्थ, इस शताब्दी के आरम्भिक वर्षों में फार्मर-लेवर (विसान-मजदूर) और प्राप्रेमिक (प्रगतिशाली) पाटियों मध्य-परिचय में राज्य विधान मण्डलों के चुनाव जीत गयी थी।

अन्य गैण पाटियो का क्षेत्र तो राष्ट्र-व्यापी होता है, परन्तु उन्हें कुछ नाम ये अधिक मत कभी नहीं मिलते। उनके सदस्यों को राज्यों तक के चुनाव जीतने की आशा नहीं हाती—यद्यपि मिलवौकी और द्रिजरोट नगरों पर सोशलिस्टों का नियन्त्रण बहुत समय तक रह चुका है। योटी पाटियों को आशा रहती है कि यदि हमारा नाम निर्वाचन में सामने आ गया और हमने अपने उसाही अनुयायियों को, थोड़ी संख्या में भी क्यों न हो, नगरिन वर निया तो हम वटी पाटियों को अपने संघठन मनों का लालच देकर भगवा बार्यंकम अपनाने के निए प्रेरित बर सकें। छायी पाटियो से एक लाभ यह हाना है कि उनके महारे छोटे संगठन भी अपने ऐसे विचारों का विज्ञान कर सकते हैं जो अभी अपनावे जाने योग्य नहीं हुए। परन्तु उन्हें नेताओं को शासन में सम्मिलित करने का बचन कोई नहीं देना। उदाहरणार्थ,

बीमबी शताब्दी के आरम्भ में जो समाजवादी विचार प्रस्तु ऐसे गये थे उनमें से अधिकतर आज विभिन्न नामों से, डिमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के अन्दोन्नामों का अंग बन चुके हैं। एक बार मद्य-निषेध के पक्षपातियों ने अपने विचार को सविधान के एक संशोधन के रूप में स्वीकृत करवा लिया था। कम्यूनिस्ट पार्टी बहुत कम मत प्राप्त कर पाती है, परन्तु यह अपने मत किसी प्रतिक्रिया-वादी उम्मीदवार को देकर या किसी उदार उम्मीदवार का अनचाहा समर्थन करके, निवाचिन वो शायद कुछ न कुछ प्रभावित कर लेती है।

अन्त में उन छोटी-खोटी टुकड़ियों की चर्चा कर देना भी आवश्यक है जो कि चुनाव में चुस्ती से भाग लेती और उस पर कुछ प्रभाव ढाल सेती है, क्योंकि उसके पिना संयुक्त राज्य अमेरिका की दलगत राजनीतिक पद्धति का विवरण पूरा नहीं होगा। इन टुकड़ियों का नाम निवाचिन में सामने नहीं आता। ये अपने उम्मीदवार को अप्रत्यक्ष रूप से खड़ा करती हैं, अर्थात् उने किसी बड़ी पार्टी से नामजद करवा देती हैं।

उदाहरणार्थे, अमेरिका में 'लेवर' या अमिक पार्टी नहीं है। इसका कारण यह है कि बहुत समय हुआ जब 'अमेरिकन फेडरेशन ऑफ़ लेवर' अर्थात् अमेरिकी 'अमिक-संघ' ने निरचय कर दिया था कि अमिकों के मत भी दोनों बड़ी पार्टियां आपस में बाट सकेंगी। अमिक नेता उन्हीं उम्मीदवारों का समर्थन करने लगते हैं जिन्हे वे अपना मित्र समझते हैं। किसी स्थान पर वे किसी रिपब्लिकन वा समर्थन करते हैं तो किसी अन्य स्थान पर किसी डिमोक्रेट का। उनका विचार है कि अमिक मतों को एक असफल पार्टी के रूप में अलग बाध कर ढाल देने की ओळा जीतती हुई पार्टी को प्रभावित करके अधिक लाभ उठाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वह भी स्पष्ट नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई पृथक् "अमिक मनदाता" है। अमेरिकी अमिक अपना मत अपनी यूनियन के नेताओं की सलाह से नहीं देते। इससे प्रकट होता है कि जिसे "बर्म-चेतना" वहा जाता है वह अमेरिका में उतनी प्रबल नहीं है जितनी युरोप के बर्झ देशों में।

राजनीति में भाग लेने वाले संगठन और भी हैं। ये प्रायः व्यवसाय के आधार पर संगठित हैं। उनके नाम हैं—“युनाइटेड स्टेट्स चेम्बर ऑफ़ कामर्स एं नेशनल

असोमिएशन आँव मेन्यूफेवरसं” अर्थात् अमेरिका के व्यापारियों की सभा तथा निर्माताओं का राष्ट्रीय सघ, “द फार्म बूरो फेडरेशन” या किसान-सम्बन्ध संघ, “द ब्रेन्च” (ग्रामीण जमीदारों की पचायन), और “द फार्मस् युनियन और एसिलजर” (कृषि की उत्तरी चाहतेवाली किसान-सभा), “द लोग आँव विमेन बोर्ड ऐण्ड जनरल फेडरेशन आँव विमेन्स इन्ड्यन” (छोटे मानदानाओं की लोग तथा छोटे कलबों का संघ), “अमेरिकन लोजन ऐण्ड बेटरल्स आँव फार्मिं वार्सं” (अमेरिकी केना और विदेशी मुद्दों से निवृत्त संनिधि), और “द हॉटसं आँव द अमेरिकन रेवोल्यूशन” (अमेरिकी ज्ञानि की पुत्रिया)।

कर लगाने के प्रयोजन से बानून इन सगठनों को दो भागों में बाट देता है। एक तो वे जो अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए बानून-निर्माताओं पर प्रभाव डालते वा यन करते हैं और दूसरे वे जो देश के लाभ के लिए सार्वजनिक समस्याओं वा अध्ययन करते हैं। जिस शाय पर सधीय आवश्यकता है उसमें से राजनीतिक पार्टियों अथवा कानून-निर्माताओं को प्रभावित करने के लिए बनाये गये सगठन को दिया हुआ चन्दा घटाया नहीं जाता।

इस प्रवार प्रमुख राजनीतिक पार्टियों को अनेक प्रवार के प्रभावों और दबावों के उलझे हुए जाल में बाम बरना पड़ता है। वे न केवल प्रत्येक मतदाता की सम्भावित आवश्यकताएं समझ कर उसे सन्तुष्ट रखने वा यन करती हैं, उह उन ‘दुष्ट स्वार्थों’ की पूर्ति भी करनी पड़ती है जो कि ‘धुम्रपाल भरे बमरे’ में बैठे व्यक्तियों की अदृश्य नवेल खोचते रहते हैं। दोनों पार्टियां नाना प्रकार की ऐंगों छोटी पार्टियों और निजों संगठनों से घिरी रहती हैं जो कि न जाने हिस-क्रिस स्वार्थ की गिर्दि करना चाहते हैं और जिन में से प्रत्येक यह दावा बरता है कि उसके पाम हजारों मर्त वंथे-बंधाये तेयार हैं और जो बोर्ड खरा बचन देया वे उम्मी भैंट कर दिये जायें। पार्टियों के नेताओं वा काम न केवल यह देखना है कि हिस-क्रिस को मिलाकर क्या बचन देना ठीक होगा, अपितु अन्त में क्या काम करना ठीक रहेगा, जिससे मतदान में उनकी ही पार्टी जीते।

अध्याय ३

राजनीतिक दलों का विकास और उनकी कार्य प्रणाली

अमेरिकी राष्ट्रपति के निवाचिन में जब राजनीतिक दलों ने पहले पहल भाग निया तब उनसे सगठन राष्ट्रव्यापी नहीं थे। तब जो राष्ट्रीय नेता राष्ट्रपति बनना चाहते थे उनकी परस्पर प्रतिस्थर्थी और राष्ट्रीय नीतियों के विषय में सोगो के मतभेदों के अतिरिक्त, संगठित पार्टियों जैसी कोई वस्तु नहीं थी। कॉमेस ही परस्पर विरोधी भागों में विभक्त हो जाती थी और प्रत्येक भाग अपना कॉक्स (सम्मेलन) करके अपना उम्मीदवार चुन लेता था। परन्तु शोप्र ही इन 'कॉक्सों' की लोक-प्रियता नष्ट हो गयी। पार्टियों के जो नेता वाप्रेस में नहीं थे वे भी चाहते थे कि चुनाव और नामजदगी में हमारी बात रखती जाय। वे एक ओर तो मतदाताओं को नाराज करना और खोना नहीं चाहते थे और दूसरी ओर उम्मीदवारों की नामजदगी अपने हाथों में रखना चाहते थे। उन्होंने अपनी इस इच्छानुरूपि के लिए जो प्रयत्न रिये उनसे ही पार्टियों पा विवास हो गया।

सन् १९२४ में डिमोक्रेटिक 'कॉक्स' ने ऐड्हैंड जैक्सन को नामजद नहीं किया। इससे मतदाताओं वो निराशा हुई। चार वर्ष पश्चात् यह भूल सुधार दी गयी, जैससन चुन लिया गया, परन्तु नामजदगी की 'कॉक्स' पद्धति वी लोकप्रियता समाप्त हो गई। तब विरोधी पार्टिया 'वन्वेन्शनो' अर्थात् इसी प्रयोजन से बुलाये

ये विंप सभा-भवेतना में एकत्र होने लगी। स्थानीय 'कन्वेन्शन' में प्रतिनिधिया का चुनाव राज्य 'कन्वेन्शन' के लिए, और राज्य 'कन्वेन्शन' में राष्ट्रीय 'कन्वेन्शन' के लिए होता था। ये 'कन्वेन्शन' कमश्य स्थानीय, गण्यीय और राष्ट्रीय पदों के उम्मीदवार का चुनाव भी करते थे। यह पहली एवं प्रचार म लोकनिवासक भी क्याकि इसमें पार्टी के कांगड़नी-भद्रम्पो का विविध स्तरों पर एकत्र होने और मन देने का अवधार मिल जाता था। दूसरी ओर जा सागरण मनदाना पार्टी के कांगड़नी-खद्रम्प नहीं होते थे उन्हें निर्वाचन-दिवस के अनिरित कमी कुछ बहने-मुनने का अवधार नहीं मिलता था। इनके विरुद्ध भी शिक्षण हुई और कानूनार में इसका परिणाम बहुत में राज्या में 'प्राइमरी' अथवा प्रायमिक चुनाव की पहली आगामी जाने के दृष्टि में प्रस्तु हुआ।

अब प्राया सब राज्यों में निर्वाचन-वर्षों के बमन में या ग्रीष्म के आरम्भ में 'प्रायमिक चुनाव' होते हैं, और उनमें पाटिया स्थानीय और गण्यीय पदों और बांधें सभी सदस्याना के उम्मीदवार चुनती हैं। कुछ राज्यों में राष्ट्रीय 'कन्वेन्शन' के प्रतिनिधि भी प्रायमिक चुनाव में चुने जाते हैं। वे 'कन्वेन्शन' में कम से कम शुक्र के कुछ मनदाना में राष्ट्रपति के लिये विरेप उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए वक्तव्य-वर्ष द्वारा सकते हैं। यह भी समझदृष्टि है कि 'प्रायमिक' के मृत्यु-पत्र में एवं स्थान गोमा रक्खा जाय जहाँ मनदाना राष्ट्रपति पद के लिए अपनी पसंद प्रकट कर सके।

परन्तु 'प्रायमिक' चुनावों की पहली अमो इनमी विकसित नहीं हुई कि रिपब्लिकन या डिमोक्रेटिक कन्वेन्शन के एकत्र होने में पहले ही राष्ट्रपति पद के लिए उम पार्टी के उम्मीदवार का निरचय हो जाय। जो उम्मीदवार प्रायमिक चुनाव पर भाग लेते हैं वे पहलान् 'कन्वेन्शन' में नामजदारी प्राप्त नहीं कर सकते वे स्वभावित चाहते हैं कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार चुनने के लिए राज्यों के प्रायमिक चुनाव में लोकों की संख्या और अविकार वड जाय। इनके विपरीत, जिन प्रतेक राज्य-प्रतिनिधि को 'कन्वेन्शन' चराने का अध्याय पद छुड़ा है, वे चाहते हैं कि नियन्त्रण हमार ही हाथ में रहे।

जबतक राष्ट्रपति पद के लिए पार्टी का उम्मीदवार नामजद फरने का वास्तविक अधिकार राष्ट्रीय 'वन्देन्शन' में हाथ में बना रहेगा तभी तर जनता यी इच्छा उसमें एक राजनीतिक उत्तरव वे हृष्ण से ही रहेगी ।

जिन लोगों ने 'वन्देन्शन' की अव्यवस्थित भीड़ और हल्ले-गुल्ले को देखा है वे प्राय आश्चर्य करते हैं कि अमेरिका सरीखा महान् सोवतन्त्रीय राष्ट्र अपने राष्ट्रपति को ऐसे गडबड, भीड़ और हल्ले-गुल्ले में चुना जाना सहन भी बैरों वर लेता है । परन्तु ऐसा भ्रम उहै क्यारे के हृष्ण यो ही वास्तविक यस्तु समझ लेने के बारण होता है । 'वन्देन्शन' में प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनने के लिए एक त्रै नहीं होते । वे वहां पार्टी के अन्य साथी सदस्यों से परिचय करने और जनता का उत्ताह बढ़ाने के लिए एक त्रै होते हैं । परन्तु अनुभवी राजनीतिक नेता इस हृष्ण की ओट में ऐसे उम्मीदवार की सौज पर अपना ध्यान और शक्ति बेन्द्रित रखते रहते हैं जो पार्टी को समर्थन रख सके और स्वतन्त्र मतदाताओं को आरपित कर सके । नेता लोग प्रतिनिधियों की इच्छा भी भी उपेक्षा नहीं करते । वे छोटी-छोटी बैठकों में उनमें घातनीत बरके उनकी इच्छा जानते रहते हैं । ये सभाएं टेलिवीजन के पद्धे पर नहीं दिखाई जाती ।

इसी समय प्रतिनिधियों का उत्ताह बैठ-यात्रों, फौजों पकायदों और अन्य प्रदर्शनों के द्वारा बढ़ाया जाता है । और इसी की स्नानाधिक गरमी तो वहां होती ही है । जब उम्मीदवार अन्तिम हृष्ण में चुना जा चुकता है तब 'युद्ध का नाम' अपनी चोटी पर पहुँच जाता है, और वह तबतक चलता ही रहता है जबतक यह पराजित पकायाले भी जोशखरोश और हल्ले-गुल्ले में हारकर खुशियों और खेलों में शामिल नहीं हो जाते ।

जो लोग इस हानूँ और उच्छ्वल घूँद को नैनियोजन के पद्धे पर देखते हैं उनमें से बहुतों को यह हरकत असम्भवापूर्ण लगती है । नि सम्बेद यह बैरी ही है भी । परन्तु मानव जाति के विकास में युद्ध के नाथों का इतिहास बहुत पुराना और रास्तनामा वा इतिहास है । सारे सासार में असम्भव जातिया एवीलों को इकट्ठा करने

ओर मुम्ल लोगा को उठाने तथा तड़ाई में लगाने के लिए अन्त प्रेरणा से मुद्द के नाचा का प्रयोग करती रही हैं। जिन अनुभवी राजनीतिज्ञों ने राष्ट्रीय 'कन्वेन्शन' की नीति डाली थी उनकी सूझ-कूफ की उपेक्षा शायद लाग्तरखाही से नहीं को जा सकती।

परन्तु टेलिवीजन के प्रयोग के कारण कन्वेन्शन के बहुत से वासी का स्फुरण ही बदल जायगा। इसमें प्रतिनिधियों के दोन्हों मण्डल भेजने की प्रथा में भी अविवाक हो जायगा। इनमें से प्रथेव मण्डल आवे मतों का अधिकारी होता है। इस प्रथा के कारण मनदान असाधारण मन्द गति से हो पाना है, और शायद उन राजनीतिक नेताओं की हृषिक में लाभदायक भी रहता है जो कि समय टालना चाह रह होते हैं। इसमें उन प्रतिनिधियों के आम विज्ञान की मूल भी मिट जानी है जो कि भूत १९५२ में ऐसे ध्युम्य प्रतिनिधि नेता के क्षयनानुसार, 'टेलिवीजन के भूत' होते हैं। परन्तु इससे टेलिवीजन के दर्शक डब जाने हैं और विसी को उचा देना निर्णय ही राजनीतिक चनूरता नहीं है। जब प्रतिनिधियों को यह पता लग जायगा कि टेलिवीजन का चिप्र दूर-दूर तब दिव्यलाई पहता है और बहुत से बहरे नागरिक होठों को देखकर ही बात को समझ जाने हैं तब शायद कन्वेन्शन भी उनका व्यवहार भी मुवर जायगा।

परन्तु राष्ट्रीय कन्वेन्शन करने की प्रणाली में चाहे जो परिवर्तन हो जाय, यह सन्दिग्ध ही है कि पाठ्यों के नेता राष्ट्रपति वौ नामजदगी का नाट्र उन लोगों के हाथ से निकल जाने देने के लिए कभी तैयार हा जायेंगे जो अब कन्वेन्शन में उठे खेगते हैं।

कन्वेन्शन में पहली अगला 'प्लेटफर्म' या 'नुताक-ओपरेटर' भी तैयार करती है। कन्वेन्शन के आरम्भिक दिनों में एक प्रमावनमिति अनी बैठकें करती हैं। वह अधिकारी, व्यापारियों, लियों के कलदा, नीत्र लोगों, रिमाना, मुद्द निवृत्त मनिका और शन्य उन सब लागा वी बात मुनरी है जो उसे यह विश्वाम दिला सकें कि उनानोंशाले चुनाव-मंधर्य में बहुत से भरकाता हमार कहने पर चलेंगे।

यदि समिति यह समझे कि प्रार्थी को 'प्लेटफार्म' में एक तख्ता या पैराग्राफ दे देने से पर्याप्त मत मिल सकेंगे तो वह बैसा कर देती है, परन्तु शर्त यह रहती है कि उससे "पार्टी के सिद्धान्तों का उल्लंघन न हो" । इसका अर्थ यह है कि जिस रिसी बात से पार्टी के अनुयायी बिगड़ जायें और चुनाव के दिन बहुत से मतदाताओं के घर बैठ रहने का भय हो जाय वह पार्टी के सिद्धान्तों का उल्लंघन करते वाली है ।

उदाहरणार्थ, सन् १९४८ के डिमोक्रेटिक कन्वेन्शन में 'मानवता के अधिकारों' अथवा अल्पसंख्यकों के साथ भी समानता का बरताव करने का बाबून बनाने के 'तख्तों' का प्रबल विरोध किया गया था । एक और तो वे लोग थे जिनका तर्क यह कि मानवता के अधिकारों का तख्ता मजबूत करके अल्पसंख्यक लोगों के लाखों मतों को खोचा जा सकेगा, और दूसरी ओर वे थे जो पार्टी के 'नियमित' लाखों सदस्यों के रुठ जाने का 'भय' प्रकट कर रहे थे । इसी प्रकार की युक्तिया मजदूरों और किसानों से सम्बद्ध नीतियों के विषय में दी जा सकती हैं, विरोपत तथा, जब कि इम 'तख्तों' में सचि रखनेवाले, एक पक्ष को दूसरे से लड़ा सकें और इस प्रकार नेताओं को तुरन्त सीधा उत्तर देने के लिए विवश कर सकें ।

नि सन्देह, "प्लेटफार्म कमेटी" अपनी बात यथासम्भव ऐसे शब्दों में प्रकट करती है जो खुश तो सबको और नाराज़ किसी बो भी न बरने वाले हों । वह गृह-नीति, सनुलित बजट, हनके टैक्सो, और अमेरिकी जीवन-पद्धति पर विशेष बल देती है ।

बस्तुत पार्टी "रिकार्ड पर चलती है, जिसका अर्थ व्याख्याताओं की भाषा में यह दावा होता है कि हमारी हो पार्टी अच्छी, खरी, मशबून और भरोसे के लायक है । वे अपनी पार्टी की प्रशासा करके, विरोधी पार्टी के ऐसे कामों का विशद वर्णन करते हैं जिनके कारण वह मतदाताओं में लोकप्रिय न रही हो । प्रत्येक पार्टी अपना परम्परागत व्यक्तिव सुरक्षित रखने का और उसके मुकाबले में विरोधी पार्टी की दुर्दशा चिह्नित करने का यन करती है । उदाहरणार्थ, रिपब्लिकन

अर्सी पार्टी की तो कुशलता और ईमानदारी का चिन सोचते हैं और अग्रे मुकाबने में डिमोक्रेटों को अद्वाश और अर्ध-वर्षभूलिस्ट बनाते हैं। डिमोक्रेट मतदानाओं में बहते हैं कि हम जनता के मिन और उन्नति के पक्षराती हैं, और हमारे मुकाबने में रिपब्लिकन उन अपीरो के मिन हैं जिन्हे 'बोम्बी शनावी में लातें भाड़ते और चिल्लाते चौकते हुए भी घसीटना पड़ रहा है।' दोनों पार्टीयों में आनंद ऐसे प्रमुख सदस्य होते हैं कि दिनबे व्यवहार में इन दावों का स्वाप्न हो जाता है, किर भी मनदाता यही समझते हैं कि पार्टी की परमरागत विरोपनाओं में कुछ संयता है।

बहुत कम मतदाना 'प्लेटफार्म' पढ़ने का कष्ट बरते हैं। राजनीतिक व्याख्याना अवश्य उसके उद्धरण देते रहते हैं। यदि उसमें कोई बात ऐसी हो जिसमें बहुत से मतदानाओं के शप्रसन्न हो जाने की सम्भावना हो तो विरोधी पार्टी उसका उद्धरण देती है। परन्तु व्यवहार में 'प्लेटफार्म' की रक्ता उम्मीदवार के आन्दोलन भाषणों से ही होती है। वह अग्रनी पार्टी के 'प्लेटफार्म' का प्रयत्न विरोध तो कभी नहीं करता, परन्तु उसकी व्याख्या करते हुए वह उन भागों को छोड़ देता है जिन पर वह जोर देना नहीं चाहता, और जिन्हे वह महत्वपूर्ण समझता है उनके विषय में वह अपने स्वतन्त्र वकनव्य दे द्वालता है। निर्वाचन हो चुकने पर जोग राष्ट्रपति के भाषणों को पार्टी की प्रतिज्ञाएँ मान बर चलते हैं और उससे आशा करते हैं कि वह फ्रिंस बो मानबर या दबावर उसपे प्रतिज्ञाएँ पूरी करवा लेगा।

इसलिए पार्टी का 'प्लेटफार्म' तीवार बरते में पार्टी के कन्वेन्शन की विधि-निपणि शक्ति वा दर्जा दूसरा होता है, प्रथम स्थान राष्ट्रपति के ही वार्यज्ञन ना होता है। कन्वेन्शन के वास्त्रिक बाप बेवल दो हैं—उम्मीदवार वा चुनाव और दलीय बायंक्रम के प्रदर्शनात्मक उत्तरों के द्वारा पार्टी बो एक कर देना।

उत्तराष्ट्रपति वा चुनाव साधारणतया राष्ट्रपति पद के लिए नामजद व्यक्ति करता है और यकेन्यसपे प्रतिनिधि बिना प्रियोप विवाद के उसे स्वीकार कर नेतृ

हैं। उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार प्राय कन्वेन्शन में पराजित पक्ष को सनुष्ट करने की हृष्टि से चुना जाता है। ऐसा इमलिए किया जाता है कि पार्टी के जोते हुए पक्ष को यह भय रहे कि राष्ट्रपति का देहान्त हो जाने पर शासन की सत्ता हाथ से चली जायगी। इस प्रथा के आलोचक बराबर यह माग बरते रहते हैं कि नामजदगी का छग ऐसा होना चाहिए कि वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए नामजद किया जाय जो कि यदि राष्ट्रपति पद के लिए बड़ा किया जाता तो अपने बल से चुनाव जीत सकता।

प्रत्येक पार्टी की एक राष्ट्रीय समिति होती है, जो कन्वेन्शनों के मध्यवर्ती बाल में उनका काम करती रहती है, क्योंकि वे तो प्रति चार वर्ष पश्चात् ही होते हैं। परन्तु समिति अपना अधिकतर कार्य राष्ट्रपति के चुनाव के वर्ष में ही करती है। राष्ट्रीय कन्वेन्शन के स्थान और समय का निरचय भी यही समिति करती है, इसके ही कर्मचारी आन्दोलन-साहित्य तैयार करते और स्थान-स्थान पर बकाओं का भेजते हैं। राष्ट्रपति और कांग्रेस के चुनाव आन्दोलन के लिए बन-संग्रह भी यही समिति करती है।

समिति का गठन, प्रत्येक राज्य प्रदेश और अमेरिका के आधीन द्वीपों से एक पुरुष और एक स्त्री सदस्य लेकर किया जाता है। उनका चुनाव या तो राज्य के प्रतिनिधि करते हैं या राज्य के प्राथमिक मण्डल करते हैं। समिति के सदस्यों को अधिकतर कार्य अपने अपने गृह राज्य में ही करना पड़ता है। वहाँ वे सब काम राज्य-समितियों के सहयोग से करते हैं। राष्ट्रीय समिति के प्रधान को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनता है, क्योंकि समिति को उसका ही आन्दोलन करना होता है।

प्रधान के अतिरिक्त, समिति के अन्ति महत्वपूर्ण पदाधिकारी सचिव और कोपाध्यक्ष हैं। समिति का प्रधान राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के माय मिलन्न आन्दोलन का कार्यक्रम तैयार करता, सचिव पत्र-व्यवहार आदि दफ्तरी काम सम्भालता, और कोपाध्यक्ष कोप का संग्रह करता है।

उम्मीदवारी और अन्य वक्ताओं के लिए आवश्यक सूचनाएँ और जानकारी सप्रहृत बरने के लिए समिति कुछ अनुसन्धान-कर्मचारी भी रखती है। ये सूचनाएँ ऐसों होती हैं जैसे कि प्रत्येक जिले की आधिक, जातीय, धार्मिक और राजनीतिक विशेषताएँ, विभिन्न के उम्मीदवारों के निवासित में मतदान का पुराना लेखा, और अन्य जानकारियाँ जिनको सहायता में बना मतदाताओं को आवष्ट हो कर सकें, परन्तु उन्हें दिजारें नहीं। समिति कुछ कुशल लेखक भी रखती है, जो कि अन्दोनों के मध्य में विभिन्न के विवादों में पार्टी का पक्ष पूष्ट करने के लिए, अंतिव्यन्त कौप्रेस सदस्यों और सेनेटरों को भाषण तैयार करके देते रहते हैं।

विभिन्न में प्रत्येक पार्टी की एक विशेष समिति चुनाव में कागज-सदस्यों की, और एक दूसरी समिति सेनेटरों की सहायता करने के लिए होती है। इन समितियों के पास अनन्त वोप भी होता है, और जिन स्थानों पर चुनाव की सफलता में सहायता होता है वहाँ ये धन और वक्ता मेजने का प्रबन्ध बरतती हैं।

प्रत्येक राज्य में प्रत्येक पार्टी की एक राज्य-समिति होती है, ये समितियाँ स्वभावत उन राज्यों में अधिक चुन्न होती हैं जिनमें चुनाव बहुत अधिक संघर्षमय होता है। इस प्रवार यह सगठन बढ़ता हुआ जिलों, नगरों, बस्तों और अन्त में उन मुद्दों तक पूर्व जाता है जिनमें चुनाव के बेन्द्र बनाए जाते हैं, और उन सर्वी पृथक् समितियाँ होती हैं।

मुहूर्तों के बाम को “दरखाजे की पट्टी बाजाना” बहते हैं। पार्टियों के कार्यकर्ता, लोगों को व्यक्तिश समझने रहते हैं जि मनाधिकारी बनने के लिए अपना नाम समय रखते रजिस्टर बरखा लो। जब उम्मीदवार उनके नाम भें आता है तब वे लोगों को उम्मी भाभाओं में जाने और अन्न के चुनाव के दिन भन देने के लिए भी प्रेरित करते रहते हैं। मुहूर्त से ऊपर के सगठनों का वरम मुद्देनाया मुहूर्त-कार्यालयों के प्रयत्न का सहारा लगाने का होता है। वे बत्तमा, पुस्तक, पृष्ठिकायों, साहित्य, रेडियो और टेलिवीजन आदि के लिए धन सप्रहृती बरतते हैं जिसमें मनदाताओं को प्रमाणित किया जा सके।

देश के विस्तार का और जितने मनदानामा तक पहुँचना पड़ता है उनकी विशाल सख्त्या वा विचार करत हुए, राष्ट्रीय चुनाव लड़ने का व्यय बहुत भारी नहीं होता। समस्त व्यय के अधिकतर अनुमाना के अनुसार प्रति मतदाता पीछे व्यय लगभग २५ सेण्ट का अर्यात् १८-१९ आने का होता है और सारा व्यय २ से ३ करोड़ डालर तक बैठता है। उदाहरणार्थ, सन् १९४४ में डिमोक्रेटों ने अपना व्यय अधिकृत रूप से ७५ लाख डालर और रिपब्लिकनों ने १ करोड़ ३० लाख डालर बतलाया था। राष्ट्रीय समितियों में से प्रथेक को एक आन्दोलन में ३० लाख डालर से अधिक व्यय करन भी अनुमति नहीं होता, परन्तु राज्यीय और स्थानीय समितियाँ अपना कोश स्वयं एकत्र करती हैं। इसके अनिरुद्ध, अपने अपन प्रिय उम्मीदवार को सफल बनाने के लिए सब प्रकार के लोग और मगाठन धन तो अपनी गाठ से व्यय करते हैं, अपना समय भी मुफ्त देते हैं। हेच ऐक्ट के अनुमार फेडरल-सिविल-सर्विस के सदस्यों के लिए राजनीतिक आन्दोलन में भाग लेना निपिछ है, परन्तु अभी तक ऐमा कोई उपाय नहीं निकला जिसके द्वारा चुनाव आन्दोलन में भाग लेने वाले प्रथेक नागरिकों को यह हिसाब देने के लिए विवश किया जा सके कि उसने अपना जितना समय और धन इस बायर्न में व्यय किया।

यह शिकायत सदा ही होती रहती है कि दूसरी पार्टी ने बहुत धन व्यय किया। ऐमा कानून बनाने की माग भी बार-बार की जाती है कि जिसमें आन्दोलन व्यय इतना सामिन कर दिया जाय कि कम सम्पन्न पार्टी भी उने मुगमता से उठा सके। परन्तु धन देकर मत खरीदने की प्रथा अब पहले जितनी आम नहीं रही, और यह विश्वास भी अनेक चुनाव-परिणामों से भ्रान्त किछ हो चुका है कि अधिक सम्पन्न पार्टी अवश्य जीतती है।

सरकार द्वारा पार्टीयों को आर्थिक सहायता दी जाने का प्रस्ताव भी कुछ लोग करते हैं परन्तु उसके स्वीकृत होने में वडी वापा यह है कि लोग यह मानने में सकोच करते हैं कि राजनीति भी शासन का एक अवश्यक और विशेष अग है। कभीत यदि प्रत्येक प्रमुख पार्टी को डेढ़ या दो करोड़ डालर देना चाहे, जैसा कि बार-बार मुझाया भी जाता है, तो उसे पहले स्वर्य जॉर्ज वार्शिग्न के समय से चला आया

यह विश्वास छोड़ना पड़ेगा कि पार्टियों में सिरी प्रसार का अनीचित्र अवश्य है। कांग्रेस अपनी समितिया का शगठन और उनके सचालन पदाधिकारियों का चुनाव तो पार्टी के आधार पर करती है, परन्तु विधि-निर्माण के समय पार्टियों का जिक्र तभी करने में उसे घबराहट हाती है। पार्टियों को राजनीतिक पर्दाना का आवश्यक ग्रंथ मानते हैं एक और बाबा यह है कि बहुत-पे बड़े-बड़े चश्मा देने वाले उसी ढंग को पसन्द करते हैं जो अब प्रचलित है। वे पार्टियों को अपनी सदायना के बिना खतरनाक चलता देखने वी अपेक्षा, उनके काम के निए पर एकत्र करता अधिक पसन्द करते हैं।

एक सुभाव यह है कि जो तीन-एक करोड़ उसाही समर्थक ग्रामों नवम्बर में पार्टी के उम्मीदवार को मन देने वाले हों उनमें एक टेलर रोड से एक-एक दालर एकत्र कर लिया जाय। परन्तु अनुभव बतानाना है कि उचित माना में घन व्यय करके इस मुकाबल पर अमल नहीं लिया जा सकता।

टेलिबीजन के बिकाल के कारण राष्ट्रीय आन्दोलन के व्यय का प्रश्न और भी विचार हो गया है। लोग न बेबल क्वेन्शना को टेलिबीजन में देखना चाहते हैं, वे आन्दोलन के समय प्रमुख उम्मीदवारों के दर्शन भी पढ़े पर परना चाहते हैं।

ज्यो-ज्यो पढ़े पर उम्मीदवारों के दर्शन करते की इच्छा बहुती जापगी ज्यो-ज्यो आन्दोलन का व्यय भी बढ़ता जायगा और यदि उम्का हिसाब ईमानदारी से रखा गया तो यह असम्भव नहीं कि वह प्रति व्यक्ति चार्नीस या पकास सेष्ट तक पहुंच जाय।

यदि भगठन सुव्यवस्थित हो और ग्रामों निर्वाचन तक मनी प्रसार तथा निर्वाचन चलता रहे तो उसे आमतौर पर “मशीन” कहा जाना है।

संकुप राज्य अमेरिका में राजनीतिक “मशीनों” के विकास के निए पर्याप्तिया अनुकूल हैं, जोकि प्रति दो वर्ष पीछे तो बाह्रिस के चुनाव आ जाते हैं, और राज्यों के तथा प्रार्थियिक मण्डलों वे चुनाव बीच में भी होते रहते हैं। बेबल बड़े राष्ट्रीय क्वेन्शन चार वर्ष परवात होते हैं। बीच में उनसी हलचल समाप्त-सी हो जानी

है। पांडियों की राष्ट्रीय सर्वितिका राष्ट्रपति वे चुनावों के मध्य में अपना बाम चुपचार करती रहती है, और राजधोप तथा स्थानीय 'मशीनें' तो मद्द ही काम में लगी रहती है।

'मशीन' वा निर्माण ऐसे बहुत-से परेवर राजनीतिक कार्यकर्ताओं से मिलवार होता है जिनकी आजीविभा ही राजनीति से चलती है। उनकी तुलना में, जो सुधारव उसे बेवल फुरसत के समय राजनीतिक आन्दोलन बरबे नष्ट कर देना चाहते हैं वे निरे शौकिया राजनीतिज्ञ होते हैं, और उनके 'मशीन' से पराजित हो जाने की ही सम्भावना अधिक रहती है। 'मशीन' के राजनीतिज्ञ ऐसे-ऐसे न ठिन बाम प्राय प्रतिदिन बरते रहते हैं जैसे वि समाज से समर्क रखना, अपने शत्रुओं की गति-विधि बापता लगाते रहना, जिन लोगों के बानून-रामनया कानून-विरुद्ध स्वार्थों पर बानून का प्रभाव पड़ता हो उनसे मेल रखना, और विधि-निर्माताओं तथा शासकों को शह बतलाते रहना कि कौन-कौन क्या-स्या है, इत्यादि। 'मशीन' के कार्यकर्ता पुरलूट भी नाना प्रकार से होते रहते हैं। कुछ के नातेशारे को सरकारी नौराहिया मिल जाती हैं, और कुछ स्वयं ही सरकार के राजनीतिक चक्र में नावे के स्थानों पर तैयात हो जाते हैं। सम्भव है वि उन्हें उन व्यापारिक फर्मों से भी कुछ मिलता हो जो बोई लाइसेंस या सरकारी छेका सेना चाहती है या बेवल इतना चाहती है कि पुलिस उनकी ओर से भाँस मोचे रहे।

सर्वाधिक-मुरोंचालित मशीनों का सचालन एक 'मालिक' बरता है। वह प्राय-बोई पद स्वीकार नहीं करता। जिन डोरियों से पदाधिकारियों को बाबू में रखा जाता है वह उन्होंने इतना उलझा रहता है वि रोजाना के दफतरी बाम के लिए वह समय नहीं नियाल सकता। वह अपने गिरोह को कठोर अनुशासन में रखता है और बदले में उम्का ऐसा भार्ग-प्रदर्शन बरता। और ऐसा मेल मिलाता है कि उसे अपनी राफलता का निश्चय हो जाता है।

जब किसी को बोई राजनीतिक काम नियालना हो तब "मालिक" से "मिलना चाहिए"। वह सब का मित्र होता है, विरोपन गरीबों का, विदेशों से भाये हुए वासा धेया का, और द्वोट-मोटे अपराधियों का। 'मालिक' स्वर्ग भी प्राय किसी

विदेश से आने हुए पिना का ही पुत्र होना, और गरीबों की इसी बल्ली में से उठवर अपनी संगठन-कुशलता और गरोदाव के विषय में अपनी जानकारी के बल पर राजनीतिक 'मशीन' में कार तक पहुँचा हुआ होता है।

प्रभिद्व राजनीति-विदेश जॉर्ज-प्युटिट को बहुवा यह कहते उद्दृष्टि। किया जाना है "यदि मेरे जिसे मेरे कोई परिवार जन्मतमन्द हो तो मुझे उससा पना धर्मार्थ संस्थाओं से भी पहले चल जाना है, और मैं और मेरे श्रद्धिमा सबके पहने उनके पास पहुँच जाने हैं। मेरे पास ऐसे मामलों की देख-भाल करने के लिए एक विदेश सेना है। इसका फल यह है कि गणेश लोग जॉर्ज डब्ल्यू० प्युटिट को अपना पिना ममले और कोई भी कठिनाई होने पर उसके पास चरे आते हैं और चुनाव के दिन उसे भूलते नहीं।"

राजनीतिक "मालिक" का काम हीं दुक्षियों को सहारा देना है, वे चाहे गरीब हो चाहे अमीर। एक हाथ से तो वह इसी विदेश से आयी हुई ऐसी परेशान माता को सहायता देना है जिसका पुत्र व्यष्टि में हो, अथवा उस बृद्ध दम्पति को इत्यन या भोजन भेजता है जिसे सम्मानित धर्मार्थ संस्थाओं ने 'अपान' ठहरा दिया हो, अथवा पार्टी के इसी वार्यवर्ती के पुत्र की नीड़ ये पुलीस में सगवा देना है। इन कामों को उदारतामूर्ख करते हुए वह सदाचार या धर्म के बारोक विचारों में नहीं पड़ता। उसकी इन सेवाओं के कारण उसके ग्राहक हृदय से उसके प्रशंसक बन जाते हैं और उनके सब लातेदार भ्रम्मे मन उनी उम्मीदवार को देते हैं जिसे वह अपना वृषा-माजन बतनाता है।

दूसरे हाथ से वह अमीरों और उनके मिरों वी कठिनतया हूल बनता है—ठेंडारों की, भाल ढोने वालों कम्पनियों की, भूमिार्थियों की, शराद के व्यापारियों की, या शायद उन व्यापक व्यापक नागरिकों की जिनका काम चल सकता है वहाँ कि कानून महनी से लागू न किया जाए। वह टाउन हॉल या राज्य के बड़े दस्तर में उन लोगों से "कह" देता है जो "मालिक" के मित्रों या अनुयायियों के मारों के बल पर चुने गये हुए हैं। वह अपने धनों ग्राहकों से उनका बृत्तनान्तुर्ग दान लेकर उने अपने वार्यवर्तीयों और गरीबों में बाट देता है।

दुस्ताहनो डानुआ के ८८ वी पुरानो राजनीतिक 'मशीन' अब परिव्यविधि से बदल जाने के बारा लोकली पड़ गयी हैं। अब सामाजिक सुखां बढ़ गई, विदेशो से आने वाले वासांश्या के लिये नवे कानून बन गये और नोकरियों में योग्यता का भाइर अधिक होने लगा है। बड़े नगरों में अब ऐसे गरीब और परेशान विदेशी वासांशी पहले से कम रह गये हैं जिनकी सेवा राजनीतिक पार्टीयों के कार्यकर्ता, अनार्थित देश में एकमात्र दक्षानु मित्र के रूप में बदल सक। अब 'मेहरबानी' की ऐसी नीतियां भी पहले से कम रह गयी हैं जिनका उपयोग पार्टी के कार्यकर्ताओं को इनाम देने के लिए किया जा सके। बहुतने शहरों की पुलिस अब भी अप्पाचारी है, और उससे 'मशीन' को सहारा मिलता है। परन्तु सारे देश को मिलाकर देखने पर सन् १९५२ के चुनावों में प्रकट हो गया था कि जिन बड़े नगरों में मन्दी के समय डिमोक्रेटिक 'मशीन' वा बोलबाला था उनमें उसका बल प्राय समाप्त हो चुना था।

दोनों बड़ी पार्टीयों ने राजनीति में भाग लेने के 'शौकीन' लोगों की 'मशीन' संगठित करने के प्रयत्न भी किये हैं। पार्टीया अपने ऐसे उसाही समर्थकों का स्वागत करती हैं जो वेवल शौक के लिए, या सभा और कन्वेन्शन में जाने का या कभी नामनाटगी मिल जाने का अवसर पाने के लिए, काम करें। सन् १९५२ में आइजनहोवर और स्ट्रीवन्सन, दोनों के व्यक्तित्व से बहुतसे उन्साही कार्यकर्ता आरूपित हो गये थे। उनमें बहुतेरे युवक भी थे। समझत है इन 'शौकीन' लोगों के समर्थन, भविष्य में मन प्राप्त करने के लिए जनता तक पहुँचने में और भी अधिक उपयोगी सिद्ध हो। यदि ऐसा हुआ तो राजनीतिक शक्ति के सोना में यह एक नया परिवर्तन होगा। भूतकाल में शक्ति का स्रोत वे असहाय निवेदन थे जिन्हें दवा के मूल्य से खरोदाजा सकता था, और अप्पाचारी 'मशीन' के व्यवहार कुशल कार्यकर्ता चुनावनेत्रों में उनकी भीड़ लगा दिया करने थे। शक्ति का यह पुराना स्रोत अब सुखना जा रहा है, क्योंकि अपहारण निवेदन को मंडपा घट्ट थी है। सन् १९५२ में शक्ति के स्रोत राष्ट्रगति पद के उम्मीदवार व्यक्तियों में केन्द्रित हो गये प्रमाणहोते थे। दोनों व्यक्तियों, को उम्मीदवार, 'मशीनों' को प्रसन्न करने के लिए नहीं, अन्तिम स्वनन्द मनदाताओं और मध्यवित्त वर्ग के 'शौकीन' कार्यकर्ताओं को आकृष्ट करने के लिए बनाया गया।

था । ये कार्यवर्ती छुतशता या इनाम पाने की माशा से इतना प्रेरित नहीं थे, जितना कि ये अपने प्रिय उम्मीदवारों के प्रति हार्दिक प्रशंसा के भावों से प्रभावित थे । यदि यह परिवर्तन स्थायी हो गया तो सम्भव है कि इसका प्रभाव उन बहुत-से व्यावहारिक नियमों पर भी हो जाय जो कि राजनीति के क्षेत्र में परम्परा से चले आ रहे हैं ।

चुनाव के दिन मतदान करवाने में राजनीतिक पार्टिया महत्वपूर्ण भाग लेती हैं । सदृश राज्य अमेरिका में बोई १ लाख ३० हजार क्षेत्र अर्थात् चुनाव-नेट्वर्क हैं । इनमें से प्रत्येक में ३०० से १००० तक मतदाता अपना मतपत्र डालते हैं । चुनाव का स्थान प्राय विसी स्कूल या साली पाठाम, या आग बुझाने के इंजन-पर, या पुलीस घाने में होता है । जब से छियों को मताविकार मिला है तब से चुनाव के स्थान, सन् १९२० से पहले की अपेक्षा अधिकाधिक स्वच्छ रहने लगे हैं ।

चुनाव-अधिकारियों का चुनाव तो दोनों मुख्य पार्टिया द्वारा है, परन्तु उनको पारिशमिक राज्यों के कानूनों के अनुसार सरकारी बोप से दिया जाता है । वे मतदाताओं के नामों को जानते हैं, यह देखते हैं कि प्रत्येक मतदाता को एक ही मतपत्र मिले, मतपत्र-नेटी या मत देने के यन्त्र पर हृष्ट रहते हैं कि विसी प्रकार का घोखा न होने पाये, और अन्त में शाम को देर तक बैठ कर मता बोगिनते और परिणाम की सूचना देते हैं । दोनों पार्टिया चुनाव के प्राय प्रत्येक स्थान पर अपने निरीक्षक नियुक्त कर देती हैं कि के विसी भी प्रकार की अनियमितता को तुरत बतला दें । इन निरीक्षकों द्वारा पार्टी ही देनी है ।

सयुक्त राज्य अमेरिका में मदरर की गोपनीयता का सिद्धान्त भली-भली स्थिर हो चुका है । हो सकता है कि कही-नहीं राजनीतिक 'मशीन' यह जाचने का प्रबन्ध कर दे कि मतदाता मत विस प्रकार डाल द्दे हैं, परन्तु इस प्रबन्ध पर विरोधी पार्टी के निरीक्षकों द्वारा प्राय आपत्ति की जाती है ।

मतदान वी अमेरिकी पद्धति की एक भारी बुटि "लम्बा मतपत्र" है । मतपत्र पर राज्य, जिसे और नगर के पचास से सी तक पदों का अवित्त होना, बोई असाधारण बात नहीं है । और हैरान मतदाता से उस पर ही निशान बनाने की आशा

रक्खी जाती है। एक बार एक मतपत्र वारह फुट लम्बा या और उस पर लगभग पाच सौ नाम थे। मतदाताओं को राज्य के गवर्नर के अतिरिक्त, कोई आधा दर्जन अन्य अधिकारियों, काउण्टी कमिशनरों, जजों, कोषाध्यक्ष, जिला अटर्नी और अन्य कई पदाधिकारियों वे लिए मत देने को वहा जाता है। नगरों में उन्हें भेयर, ऐल्डरमैनों, स्कूल बोर्ड के सदस्यों, नगर की कचहरी के जजों, असेसरों, टैक्स वलेक्टरों और अन्य दर्जनों पदों का चुनाव करना पड़ता है।

वेवल किसी पेरेवर राजनीतिज्ञ के लिए यह सम्भव हो सकता है कि वह इनने पदों में कुछ्देर से अधिक के नाम जानता हो, और उसके भी उन्हें जानने का कारण यह है कि उन्हें नामजद बरते में उसका हथ छोड़ देता है। मतदाता वेवल राष्ट्रपति, गवर्नर (राज्यपाल), भेयर (नगर प्रमुख) और कुछ्देर अन्य पदों के लिए मत देते हैं, और शेष को वे या तो छोड़ देते हैं या आंख मीच बर मत दे देते हैं।

पुराने ढंग के राजनीतिज्ञ लम्बा मतपत्र इसनिए पसन्द करते हैं कि इससे उन्हें जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व से बचे रहने का अवसर मिल जाता है। जिन व्यक्तियों को वे किसी कारण पुरस्कृत बरना चाहते हैं उन्हें वे ऐसे गोण पदों के लिए नामजद बर देते हैं जिन्हें जनता याद नहीं रख सकती या जिनकी उपयोगिता वह समझ नहीं सकती। पर मह होता है कि इन पदों का चुनाव जनता आंख मीच बर देती है। जनता द्वारा निर्वाचित हो जाने के परचार, राजनीतिक नेताओं के ये मिश उक्त गवर्नर या भेयर तक से स्वतन्त्र हो जाते हैं जो जनता द्वारा आंख खोलकर छुने होते हैं।

इस पद्धति के कारण राज्यीय या स्थानीय निर्वाचन, सघीय की अपेक्षा कम सूक्तनीय होते हैं। राष्ट्र की हाईट से देखा जाय तो जनता वेवल इन पदों के लिए मत देनी है—राष्ट्रपति, कांग्रेस सदस्य, और सेनेटर। ये सब व्यक्ति इनने महत्वपूर्ण हैं कि ये जनता की आंखों के सामने रहते हैं और वह उनके बामों वे लिए उत्तरदायी ठहर सकती हैं।

यहे मतपत्र की शुटिया दूर बरने के लिए मतपत्र को छोटा बरने का आन्दोलन बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में आरम्भ हुआ था। “शाट-वैलट आर्गेनेशन” अर्थात्

लघु मतात्मन सगठन का प्रथम अध्यक्ष उडरो विलमन था। उसका अभिप्राय अधिकार निर्वाचित पदा को नियुक्त पदा में बदल देने का था, जिसमें कि राज्य में भी निम्न कर्मचारियों की नियुक्ति, सतुक राज्य अमरोका के राष्ट्रपति के समान गवर्नर या मेयर वर दे और स्वयं प्रशासन का उत्तरदायी प्रमुख बना रहे। परन्तु राजनीतिज्ञों को यब भी लम्बा मतापन हो अच्छा लगता है। राज्यों के शासन में जनना को रचना एवं अधिकारिक नियुक्तिया पर मेयर का नियन्त्रण रहने लगा है। और वह नगरों में स्थानीय शासन का स्वयं अधीक्षण का या सिटी-मैनेजर का (अच्याप्त ६ देखिये) हो जाने के कारण मतदाताओं को छोटे मतापन का लाभ मिलने लगा है।

सम्भव है कि लम्बे मतात्मन के कारण मतदाताओं को विनेपत् स्वतन्त्र मतदाताओं द्वी सख्त घटाने में कुछ सहायता मिली हो। जो मतदाता देख भाल कर चुनाव करना चाहता है वह मतात्मन पर दर्जनों अज्ञान नाम देख कर दीझ जाता है। परन्तु जिस मनदाता की पार्टी निश्चिन्त हो उमे लम्बा मतापन अविक स्वाम्राविक रहता है।

समन्त मतदाताओं में से कोई तीन चौथाई के विषय में खाल है कि वे देश परम्परा से विसी एक ही पार्टी के सदम्य चले आ रहे हैं और वे विरोधी पार्टी के विसी आदमी को मत देवर अपने हाथ मतिन करने के विचार मात्र तक से धृणा करते हैं। इसलिए चुनावों का ऐसला, हिंदूलीय राज्या में तो रैप २५ प्रतिशत मनदाताओं द्वारा होता है और एकदलीय राज्यों में उन छोटे-छोटे दलों द्वारा, जो कि पार्टी की सम्मानिन परिपति के भीतर रहकर भी नामजदगियों पर भगड़ा करते रहते हैं। स्वतन्त्र मतदाताओं के इस भाग का महत्व सर्वाधिक है। इनकी सख्त बढ़ रही दोताती है, और इनके कारण ही राष्ट्रीय चुनावों को वह अनिश्चितता प्राप्त होती है जो कि सोकतनीय पद्धति का आधार समझी जाती है।

राष्ट्रीय सघट के समय राजनीतिक पार्टिया आनो निर्वाचित शक्ति को अपने नेता अर्थात् राष्ट्रपति में या उन पद के उम्मीदवार में केन्द्रित कर देती है। जो

ही दृश्य परम्परागत मतदाताओं को चुनाव के दिन उनकी आराम कुरसियों पर से उठपर मत देने के लिए बाहर लाना होता है। उमे ही, अपने प्रनिष्ठयों अर्थात् विरोधी पार्टी के उम्मीदवार के मुकाबले में स्वतन्त्र मतदाताओं के मत जीतने पड़ते हैं।

निर्वाचन और पदभूषण के पश्चात् विजयी राष्ट्रपति से आशा की जाती है कि वह कांग्रेस में अपनी पार्टी का नेतृत्व करेगा, जिसने यि वह जो यानून बनवाना चाहे सो बनवा सके। सरट के समय राष्ट्रपति चाहता है कि वह इतिहास में अपना नाम कर जाय। आदोन की भोर में वी हुई अद्वृद्धशता पूर्ण प्रतिज्ञाओं और इनिहास के निर्माताओं वे उक्त वार्य से तुलना का प्रसंग आन पर वह स्वभावत भूत वी अरेना भविष्य पर हाइट रखकर चलना पसंद करता है। इस प्रयत्न में उमे कांग्रेस के नेताओं, अपन से बहुधा ईर्ष्या बरले वाले अपना पार्टी के नेताओं और उन विरोधी नेताओं से भी भुगतना पड़ता है जो यि अब शायद गत चुनाव में पराजित, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अपने नेता के प्रभाव और नेतृत्व में रहना या न रहना चाहते हों।

सरट के समय सब पाटियों का नेता बन जाने का अवमर यही होता है, और युवक अमेरिकनों को जीवन में एकमात्र समय यही दीयता है। यूद्धे अमेरिकनों का एक भिन्न प्रसार के समय की, सन् १९२० सरोकर की, याद है, जब कि प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् लोग थे हुए ये और निसी के चनाये वही भी जाना नहीं चाहते थे।

प्राय देखा गया है कि जब अमेरिकी जनता का आपत्ति से साम्ना नहीं होता तब पार्टियाँ उम्मीदवारों के रूप में मतदाताओं के सामन ऐसे पुतले खड़े कर देती हैं जिन में नेतृत्व का गुण प्राय एक भी नहीं होता। परन्तु जब आंधी का मोसम आता है तब व त जाने विस रहस्यमय विधि से लियन और विलसन सरीखे पुरुष खाज निकालती हैं।

कुछ विद्यार्थियों का विचार है कि इस विधि में ऊपर-ऊपर से जो रहस्यमयता दीख पड़ती है, वह वास्तविक नहीं है। 'हाइट हाउस' (राष्ट्रपति का कार्यालय

और निवास भवन) सूचनाओं के संसार व्यापी जाल का केन्द्र है। वह राष्ट्रपति को, देशी और विदेशी, गुप्त और प्रकट, सब जानकारिया, वह सक्रिया विस्तृत दिस्त्री भी हर मे चरहे, मिल सकती हैं। अतेक राष्ट्रपति ऐसे ही चुके हैं जो वे पहले साधारण मनुष्य जान पड़ते थे, परन्तु जब उन पर ससार की जानकारियों की तीव्र धारा छोड़ी गयी तब वे रातो-रात कुशल राजनीतिज्ञ बन गये। एक बहुता यह भी है कि जब कोई गम्भीर संकट सम्मने नहीं होता तब राष्ट्रपति आलसी हो जाता है और उनमे महता वे कोई चिह्न दिखलाई नहीं पड़ते। परन्तु आनंदों के समय वहा मनुष्य जाग कर मपने मात्रापास उपतन्त्र साधनी से ऐसे बड़े-बड़े काम कर गुजरता है जिन की उम्मेद मिली तक ने कभी कल्पना भी नहीं की होती।

सम्भव है कि आज की उत्तेजक घटनाओं के प्रभाव से मुख्य पाठ्यों का समान और काम-काज के छग, परिवर्तन की प्रक्रिया में से गुजर रहे हो। सन् १९३० से तिएतर सकट की जो स्थिति चल रही है और जिसके अभी वई वर्ष तक चलते रहने की सम्भावना है उसके कारण 'हाइट हाउस' और कॉम्प्रेस, दोनों में लोकप्रिय नेतृत्व और राजनीतिज्ञान के अमाधारण गुणों की भरोसा होने लगे हैं। रैडियो और टेलिवीजन के कारण भड़े ऐसे अवसर बहुत कम रह गए हैं कि 'अन्धकारमय' कमरों में गुप्त सूप से किये हुए रहन्यमय कामों से भी किसी को यस को प्राप्त हो जाय। रहन-सहन का दर्जा ऊचा हो जाने के कारण अब वह 'भोड़' घट गयो है जो कभी स्थानीय राजनीतिक "मालिकों" की छतज रहा करती थी, और जो पीछे से राष्ट्रपति रूजबल्ट को अनुगमो बन गयी थी, क्योंकि वह आधिकारिकता के समय उसका मित्र सिद्ध हुआ था। आज शायद वही लोग भव्य सुन्दर मकानों मे रहते हैं और घरना यह देने की मात्र को जाने पर सर्वेषा भिन्न प्रकार वा पूर्ण नाहरे हैं। चुनावों में घन शक्ति अब भी बहुत है और दोना पाठ्यों पर धंडा देने वालों का प्रभाव अत्यन्त है। परन्तु भवदाता भवान्नाचार को कुरा मानने लगे अतीत होते हैं, शायद भून-काल को अपेक्षा कही अधिक।

अब पाठ्यों मपने अनुपार्यियों को निम्नतम स्तरों पर संगठित करने के तिए नरे से नहे उपाय सोचने लगे हैं। राजनीति-विज्ञान वेत्ता पाठ्यों के नेताओं को

अधिक अच्छे उपायों से पार्टीयाँ संगठित करने के लिए प्रेरित करने से हैं, जिससे वे उनके “प्लेटफार्म” की तेपारी बाद-विवाद आदि की लोकतन्त्रीय विधियों से कर सकें। वे कहते हैं कि ‘कन्वेन्शनों’ को लोकतन्त्रीय पद्धति से करने पर पार्टी के सदस्य उनमें एकत्र होने लगेंगे और कांग्रेस में तथा राज्यीय विधान मण्डलों में भी उनके प्रतिनिधि अपना मत अविकाधिक पार्टी के ही पक्ष में देने लगेंगे। लक्षणों से प्रतीत होता है कि पार्टीयों के फुट्वे नेता नरे उपायों पर विचार करने लगे हैं और सम्भव है कि कई हाइट्सों से पुरानी परम्परागत विधियों में परिवर्तन हो जाय।

शासन

संविधान में लिखा है कि “एकोमुद्गिव (कार्यगतिका) के अधिकार राष्ट्रपति में निहित होगे।” ये ‘वार्यपालिका के अधिकार’ क्या है, इस प्रश्न पर बौद्धेम और राष्ट्रपति में सदा किसी भ्रातार का समर्थन चलना रहता है। राष्ट्रपति के अधिकारा भी अनिश्चितता तथा उनके एक ही व्यक्ति के हाथ में रहने के बारें, यह सम्भालना रहती है कि वही उसे निकाएँ अमानारण परिस्थिति में अपना धर्म आर अधिकार अर्हण त करना पड़े निसके निए कोई नियम निर्वाचित नहीं निये गये।

निश्चय ही, मंदिरानन राष्ट्रपति को निश्चित कुछ अधिकार दिये हैं। वह सिरी विल के विस्तृ अपने ‘बीटे’ अर्थात् निषेधाधिकार का प्रश्नोग कर दे तो वह बौद्धेम के ममम मन-बल ने पष्टाश वे समान हो जाता है, क्योंकि यदि राष्ट्रपति ‘हाँ’ कह दे तब तो विल कागिम के बहुमत मात्र से पास हो जाता है, और यदि वह ‘ना’ कर दे तो बौद्धेम के दो तिर्हाई मतों की अवश्यकता पड़ती है।

बैदेशिक मामला में पहला राष्ट्रपति ही भरता है। राष्ट्रपति ने जो सन्धि की ही उमे भेनेत्र कार्याधिकार होने से अवद्ध तो भर सकती है, परन्तु वह स्वयं न तो बौद्ध सधि घर सकती है और न राष्ट्रपति को जिसी से कोई सधि बरतने के लिए विषय भर सकती है।

इसी प्रभार, शासन की ‘एकोमुद्गिव’ (कार्यगतिका) शास्त्र और मैनिर विभागों के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति वरना राष्ट्रपति का काम समग्र जाता

है। परन्तु उन नियुक्तियों की पुष्टि मेनेटर करते हैं। बहुधा ऐसा होता है कि कोई सेनेटर नोकरों के लिसी उम्मीदवार की ओर राष्ट्रपति का ध्यान आकृष्ट करता है, और राष्ट्रपति बिना इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार किए उसे इनकार नहीं कर सकता कि 'हाइट हार्टस' (अर्थात् राष्ट्रपति की सरकार) को उम सेनेटर के समर्थन की आवश्यकता वहाँ तक पड़ेगी। "सेनेटर का शिष्टाचार" नाम का एक रिकाज भी है। इसके अनुसार बहुमत दल का कोई मेनेटर अपने राज्य में लिसी सधीय पद पर दिसी व्यक्ति भी नियुक्ति को यह बहुवर रोक सकता है कि यह आदमी मुझे "व्यतिश नापसन्द" है। तर उसके साथी मेनेटर भी उस नियुक्ति को पुष्ट करने से इनकार बरबे "शिष्टाचार" का पालन करते हैं। परन्तु इस रिवाज के कारण, जब रिपब्लिकन पार्टी के लोग पदावृद्ध हो तब व दक्षिणी राज्यों में सधीय पदों पर अपनी नियुक्तिया करने में, और जब डिमाक्रेटों की धारी आती है तब वे उत्तर के रिपब्लिकन राज्यों में देसा बरने में मंदोन नहीं बरने।

अंग्रेज विचारक जान लॉक के विचारों ने सयुन्न राज्य अमेरिका के संस्थापकों की बहुत प्रभावित निया था। उसने अपनी पुस्तक "ट्रिटिजेज आँव गवर्नमेण्ट" (शासन के नियन्त्रण) में इंग्लैण्ड के कानूनी "विरेपाधिकारों" अर्थात् राजा द्वारा अपने अधिकारों के विशिष्ट तथा तर्क-विरुद्ध प्रयोग के व्यक्ति का घण्टन किया है। लॉक ने कहा है—

"विरेपाधिकार हमारे चतुरतम और उत्कृष्टतम राजाओं के हाश में सदा सबसे अधिक रहता था, क्योंकि प्रदक्ष वही उनके व्यवहार का लक्ष्य प्रधानतया जनता के हित के अतिरिक्त और कुछ होता था। इसलिए जब ये राजा कानून की लीक से हड़ बर अयवा उसके विनाशक भी कोई कार्रवाई कर देते थे तब जनता उनमे संतुष्ट होने वे बारण, वह जो कुछ भी करते थे उसमे अपनी सहमति प्रकट कर देती थी... उसका यह निर्णय ठीक ही होता था कि राजा अपने बानूनों के विरुद्ध कुछ नहीं करते, क्योंकि वे मव बानूनों के आधार और लक्ष्य—जनहित—के अनुकूल ही कार्य करते थे।"

जोक वा कथन मह भी था कि विधि-निर्माण का अधिकार सर्वोपरि है और “जनता ने एकबार उमे बिन हायो में सौप दिया वे पवित्र और भगवितंतीय” है। संयुक्त राज्य अमेरिका का बहुत सा राजनीतिक इतिहास, इंगलैण्ड के समान, इन परस्पर-विरोधी सम्बन्धों में व्यावहारिक भगति लगाने का ही इतिहास है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में ‘एकजैव्यूट्रिव’ अदान्ति कार्यपालक शासकों के अधिकारों की सीमाओं का निष्परिण, अधिकाधिक मात्रा में, राष्ट्रपति के सम्बन्ध में जनता का जो मत होता है उसके अनुसार ही होता आया है, विशेषत तब से जब से कि रेडियो और टेलिविजन ने राष्ट्रपति को जनता के अधिक निकट सम्पर्कों में ला दिया है। परन्तु हमारे आरम्भिक इतिहास में भी, राष्ट्रपति कभी-कभी “कानून की लीक से हटकर अथवा उसके विपरीत” कार्रवाई कर लेते थे।

उदाहरणार्थ, सन् १७६३ में जब फ्रास ने इंग्लैण्ड से गुद्द की घोषणा वर दी तब राष्ट्रपति वारिंगटन ने संयुक्त राज्य अमेरिका की तरस्यता घोषित कर दी थी। उसने अपना मत यह बना लिया था कि फ्रान्स के साथ अमेरिका की मित्रता की सन्धि वहा लागू नहीं होती जहा फ्रान्स आज्ञान्ता हो। ऐडीसन ने तब वारिंगटन पर सर्वेवानिक अधिकार के बिना आवरण करने का और इंग्लैण्ड के राजा के विशेषाधिकार का अनुकरण करने का आश्रोप किया था।

पुन सन् १८०३ में, राष्ट्रपति जेफर्सन को अकस्मात ही नेपोलियन से लूहजियना का प्रदेश खरीद लेने वा अवसर मिल गया। यदि इस अवसर वा लाभ तुरन्त ही न उठा लिया जाता तो नेपोलियन वा मन बदल जाने की पूरी सम्भावना थी। जेफर्सन ने उने खरीद लिया। उसने निजी बातचीत में माना भी था कि यह “काम सविवान की सीमा से बाहर का” था, परन्तु उमे आशा थी कि कांग्रेस उमे खरीदने के लिए धन दक्कर उमरी सहायता करेगी। कांग्रेस ने उमका साथ दिया, और यही कारण है कि आज भी विसिसिमी घाटी के परिचमी घाँडे पर संयुक्त राज्य अमेरिका वा ही अधिकार है।

अबाहम लिवन ने सम्भवत सलियान की उपेक्षा, अन्य किसी राष्ट्रपति की अपना अधिक भिन्न प्रकार की थी, और अमेरिकी जनता उसके इस कार्यका स्मरण

करके उसकी निन्दा नहीं करती। उदाहरणार्थ, लिंगन ने सविधान के बाबजूद, "हिवियस-बॉर्ड्स" के (पर्यात् किसी बन्दी को अदालत में पेश करने की प्रार्थना करने के) अधिकार का प्रयोग स्थगित कर दिया था, और कारण यह बतलाया था कि सारे सविधान वो नाश से बचाने के लिए बैसा करना आवश्यक था। उसने प्रश्न किया था, "क्या एक के अतिरिक्त शेष सब कानून अन्यालित ही रहेंगे, और क्या उम एक कानून का उल्लंघन न होने देने के लिए शासन को छिप-भिप हो जाने दिया जायगा? और ऐसा करने के पश्चात् भी यदि शासन उलट गया तो क्या वह शासकों की प्रतिज्ञा का भग नहीं होगा, जबकि हमारा विश्वास है कि एक कानून की उपेक्षा कर देने से शासन की रक्षा हो सकती है?"

सन् १९१७ में, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम विश्व-युद्ध में सम्मिलित होने से लूँवं, उडरो विलसन ने कांग्रेस से अमेरिकी व्यापारिक जहाजों को शास्त्रसंग्रह करने का अधिकार प्राप्त करने का यत्न किया था। जब कांग्रेस नहीं मानी तब उसने अपने सेनापतित्व के अधिकार का प्रयोग किया और अपनी कुछ सेना को व्यापारिक जहाजों पर तैनात कर दिया।

सविधान के अनुसार, युद्ध की 'घोषणा' करने का अधिकार कांग्रेस का है, और सम्भवत् इस विधान का अभिभाव यह था कि युद्ध छेड़ने न छेड़ने का निर्णय कांग्रेस किया करे। परन्तु व्यवहार में देश का कोई भी शक्तिशाली अंग ऐसी स्थिति में आ सकता है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका को युद्ध में फँसा दे। यहा तक कि सन् १९०३ में सैन फ्रान्सिस्को के शिक्षण-बोर्ड तक ने, केलिफोर्निया में प्रचलित जन-भावना का लिहाज करके, यह आज्ञा दे दी थी कि स्कूलों में जापानी बालकों को गोरे बालकों से पृथक् रखा जाय। इस आज्ञा के कारण जापान में साधारण जनता की भावनाएं भयंकर रूप में भढ़क उठी। तब राष्ट्रपति थिओडोर रूज़वेल्ट ने अपने मन्त्रिमण्डल वा एक सदस्य जापानियों को यह विश्वास दिलाने के लिए सैन फ्रान्सिस्को भेजा कि मैंने तुम्हारे भपमान का प्रतिकार करने का यत्न कर देखा है, यद्यपि मुझे उक्त आज्ञा बापस लेने के लिए शिक्षण-बोर्ड को विवश करने का कोई अधिकार नहीं है।

अब अधिकार के अन्तर्गत कोई भी कार्रवाई करने और मुद्दे की परिवर्ति जान रखें, राष्ट्रपति भी मुद्दे का देख के ढार पर लातर खड़ा चर नहीं है। दरहायाएं, उड़रो वित्तन ने सन् १९१३ में शिल्पों और जमेंतो द्वारा शर्मस्ति की तट्ट्यता के अधिकारों के उत्तरवाद का प्रतिशाद ऐसे शब्दों में किया था कि उनमें प्रत्यक्ष हानि या कि अमर्त्यों जननन घोर-भीरे तट्ट्यता से हटकर जर्नी पिरोदी हानि या रहा है। जब उनमें बांधिसे में मुद्दे की धारा बर्ने हैं तिए वहाँ तब उनके लिए जल्दी बर्ने का अवश्यर ही नहीं रहा था। इसी किसीत, सन् १९१२ में कोर्टेज का दृग्मत्र इंग्लैण्ड से मुद्दे करने का प्रतर पश्चात्तो था। मुद्दे एकाधिकारियों का मत है कि राष्ट्रपति नैतिकता को सन् १९१२ के मुद्दे पर भी इच्छा के विरुद्ध प्रतीक्षित किया गया था।

कुनै, राष्ट्रपति को मुद्दे अथवा इत्तिहास के प्रस्तोता का नियंत्र, बहुधा, कांग्रेस या अमरितों जनता हाया उन दर विचार की प्रवीद्या तिए जिनका बरता पड़ जाता है। राष्ट्रपति फैक्टिव स्पेशल ने पर्न-हावर पर जास्तान के आवकास में पट्टे कर्द बार हिटार के विरुद्ध शीघ्र-शुष्क ऐसी कामरवाही की थी जो विरुद्ध बरने में शामल न थी या नहीं। ग्रीनफील्ड के तट पर एक जर्नन चौकी पर अधिकार बरे लेने और आस्ट्रेन्ड की रक्षा के लिए हेताएं भेज देने की वाररवाई भी उन्होंने में से एक थी। बर्नन पर इतिहास की घेतनन्दों और इतिहासिराओं का प्रतर वाटनन्द आइमा के समय राष्ट्रपति दृग्मत्र को भी ऐसी ही आवक्षिक आमनियों का नामना बरता पड़ा था। ये दलों प्राक्तमा भी उभी प्रकार स्वतन्त्र मंत्रालय का टोकालें दिए गए थे, जैसे कि जास्तानियों, जर्नना और इतिहासों ने तिए ये और गिरा परिताम इतिहास विश्व-मुद्दे हुआ था। मदि बर्नन घोर कंगिया में शमियों का तुरल ही जबाब न दिया जाता तो संभवर दृग्मत्र विश्व-मुद्दे ने मार्ग पर जा पड़ा। मंत्रुद्ध राज्य अन्तरिका का राष्ट्रपति ही अब अधिकार का प्रयत्न बर्दें इन आवक्षिक संघटों का मामला कर सकता था, अन्य कोई नहीं।

राष्ट्रपति को जब बोर्ड वर्तमान बरने का संदेशनिक अधिकार ही तब भी विराजों अंदें उपर भर्ती नीति कामनिक बरने हैं जिस धन देने से जनकार बरके

उसका मार्ग अवहुद्द वर सबती है। राष्ट्रपति द्रुमन ने जब "नाटो" (नार्थ-ऐटलाइटिक-ट्रॉटी-न्यूरोपनाइजेशन) की आरम्भिक रक्षानेता को सहारा लगाने के लिए अमेरिकी मेनाएं युरोप भेजी थीं तब उन्होंने देसा मेनापति की हँसियत से दिया था। भूत-वाल में अन्य भी वही राष्ट्रपति ऐमा पर चुके थे। जब उन्हे विदेशों में देना भेजना उचित जान पड़ा तब उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग वरके देसा कर दिया। राष्ट्रपति द्रुमन के देसा बरने पर कांग्रेस में वहा विवाद हुआ था कि राष्ट्रपति को मेनाएं युरोप भेजने का अधिकार है या नहीं, और उनके वही विरोधियों ने तो व्यय में कटौती का प्रस्ताव वरके उनके हाथ वाप देने का भी यत्न किया था परन्तु यह संघर्ष संविधानिक बम और राजनीतिक अधिक था।

कांग्रेस के साथ राष्ट्रपति के सम्बन्धों का रूप, 'एकजेव्यूटिव' (कार्डपालको) और विधि-निर्मातियों में अधिकार-प्राप्ति तथा राजनीतिक लाभ-प्राप्ति के उलझन-भरे संघर्षों का मिला-जुला रूप है। संसदीय पढ़ति में प्रधान मन्त्री के दल के प्रायः सभी सदस्य उसका समर्थन ही बरते हैं, क्योंकि यदि वह किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर पराजित हो जाय तो वह और उसका दल दोनों, पद-जुल हो जाते हैं। परन्तु कांग्रेस में 'हाइट हाउस' के किसी भी प्रस्ताव पर दोनों दल माध्यारणतया बट जाते हैं। युद्ध सदस्य तो राष्ट्रपति से सहमत या असहमत होते हैं, और अन्य, उसकी नीतियों के पक्ष या विपक्ष में मत केवल दलीय कारणों से देते हैं। वास्तव में जिन शक्तियों वा प्रभाव पड़ रहा होता है उनका परिचय संविधान को पढ़ने से नहीं मिल सकता। यदि राष्ट्रपति कांग्रेस में, और विरोधी दल में भी मिन बनाने की बला में कुशल हो तो वह बहुतेरे मत बेवल मिश्रता के द्वारा प्राप्त कर सकता है। यदि राष्ट्रपति को केन्द्रीय सरकार में नियुक्तियाँ करनी हो और उसने नियुक्त व्यक्तियों के नामों को घोषणा अभी न की हो तो वह, अपने शनुओं को भी अपने समर्थक पोषकों को नोकरी दिलवाने वी सुविधा देवर उनके मत सरोद सकता है। प्रायः देखा जाता है कि जिस कांग्रेस सदस्य को अपने सिद्धातों के कारण राष्ट्रपति का पक्ष लेना पड़ता है उसे अपने समर्थकों को नोकरियों पर लगवाने का उतना अवसर नहीं मिलता जितना कि राष्ट्रपति वे विरोधी दल के किरी-विसी सदस्य को मिल जाता है। तेल उसी धुरो में डाला जाता है जो आवाज करती है।

इसीनिए कहते हैं कि प्रत्येक राष्ट्रपति जब पहले पहल 'हाइट हाउस' में पहुँचता है तब वह "हनीमून" (मुहूर्मा यात्रा) करता है। उस समय उसके हाथ में बहुतेरी नौकरियां होती हैं जिनसे वह अपने शनुओं को शान्त कर सकता है। ज्योही उसकी नौकरियों का सजाना घडता है ताही कृप्रिया और 'हाइट हाउस' में परम्परागत सधर्यं पिर दिड़ जाता है, और तभी से राष्ट्रपति वो अपनी आवर्यण-शक्ति और जनता के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ता है।

राष्ट्रपति फ्रेंकलिन रूजवेल्ट ने अपनी "अगोठी के पास बैठकर बातचीत करते" का सिनेमिता शुरू करके रेडियो का प्रयोग ग्रामावशासी हंग से बरते की परम्परा ढाली थी। वई बार कुछ और गुराती हुई कृप्रिया के साथ कठिन सधर्यों में रूजवेल्ट अपनी बात स्वीकृत करता लेने में सफल हुए थे, क्योंकि कृप्रिया में उसके शनुओं को अपने राज्य की जनता का भय लगा रहता था।

इसके विपरीत, ददि राष्ट्रपति अपने दल के विसी कृप्रिया-सदस्य या सेनेटर वो छाटने का या न करे, तो उनका समर्थन बरते रहे लिए जनता खड़ी हो जाती है। सन् १९३८ में रूजवेल्ट ने कुछ ऐसे डिमोक्रेटों को मतदाताओं से हरकाने का प्रयत्न किया था जो उसकी नीति का विरोध बरते थे, परन्तु वे सभी ग्रबल बहुमत से पुनर्निर्वाचित हो गये थे। जब राष्ट्रपति की पार्टी मतदाताओं के पास जाव तब उमे पार्टी का समठिन भोज्वा तोड़ने का प्रयत्न नहीं करता चाहिए। ही, वह कभी-कभी, विरोध गुप्त रूप से, दल के विसी भीतरी शनु के विरुद्ध अपने प्रभाव का उपयोग कर सकता है।

राष्ट्रपति की दलगत छानियों का सबंध विरोध होने का बारण प्रत्यक्ष वही तर्क है जिसमे अमेरिकी द्विलीय पदनि का नमर्थन किया जाता है और जिसके प्रति जनता की गहरी और इवाभाविक आदर दुष्टि है।

अमेरिका वा मन्त्रिमण्डल द्वासा नहीं है जैसा कि ग्रेट ब्रिटेन के संसदीय लोकतन्त्र वा मन्त्रिमण्डल होता है। अमेरिका में प्रशासनीय विभाग के अध्यक्ष वृक्षियत वे उदस्य नहीं होते हैं और वे 'हाउस' के सदन में प्रसन्नों का उत्तर देने के लिए नहीं जाते। राष्ट्रपति अपने मन्त्रिमण्डल का छुनाव करते हुए वई प्रकार वी उलमग्नो और

आवश्यकताओं पर विचार करता है। कायदेशकता तो उनमें से केवल एक होती है। मन्त्रिमण्डल के पश्च उन राज्यों अथवा प्रदेशों में देख-भालकर वितरित किये जाते हैं जहाँ मतदाताओं के मत प्राप्त करना आरयक होता है। महत्वपूर्ण धार्मिक और आर्थिक समूहों का भी इस विवरण में ध्यान रखना जाता है। मन्त्रियों को ठोस डिमोक्रेटिक दृष्टिगती राज्यों अथवा मैन और वार्मेण्ट जैसे ठोस रिपब्लिकन राज्यों में शायद ही कभी लिया जाता है, क्योंकि जिन राज्यों की जनता सदा एक ही पक्ष में मत देनी है उनकी स्थानीय देशभक्ति का लिहाज करना राजनीतिक साथियों का अवश्य मान सिद्ध होता है।

नियमित विभागों के अध्यक्ष मन्त्रिमण्डल के सदस्य होते हैं और वे प्राय पूर्णतया राष्ट्रपति के नियन्त्रण में बगम बरते हैं। राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल के विभीं सदस्य को कोई ऐसा वर्तन्य पालन करने से इनकार करने पर इनके भी कर सकता है जो संवेदानिक अधिकारों पर आधारित ही। प्रारम्भ में केवल 'स्लेट' (वैदेशिक) और युद्ध विभाग स्पष्ट हैं से राष्ट्रपति के अधीन रखे गये थे। ये दोनों विभाग राष्ट्रपति द्वारा संवेदानिक अधिकारों 'की ही शाखा समझे जाते थे। कोश-विभाग का मचिव अपने कार्यों का विवरण काग्रेस के सामने प्रस्तुत करता था, क्योंकि उसके वर्तन्य काग्रेस के अधिकारों पर आधारित थे। परन्तु राष्ट्रपति वार्षिकटन ने धीरे-धीरे मन्त्रिमण्डल द्वारा राष्ट्रपति के नियन्त्रण में लाना आरम्भ किया, और अब तो साधारणतया सभी विभागों पर राष्ट्रपति के अधिकार का कोई विरोध नहीं करता। इसके विपरीत, काग्रेस अपने अधिकारों के आधार पर नये-नये कर्तव्यों की सूचि करके उन्हें सीधा ही मन्त्रिमण्डल के किसी सदस्य को या विसी ब्युरो के प्रमुख को सौंप सकती है। इस प्रवार के कर्तव्य पालन करने वाले अधिकारी पर राष्ट्रपति का अनुशासन अथवा नियन्त्रण वहीं तक चल सकता है यह भी पूर्णतया निश्चित नहीं हुआ है।

बग्रेस ने बहुत-सी आपल्कालिक और स्वतन्त्र एजन्सियों की भी स्थापना की है, जैसे कि उसने सन् १९३५ में वैदेशिकारों को रोजगार दिताने के लिए 'बकर्स प्रोग्रेस-एडमिनिस्ट्रेशन' (निर्माण-उन्नति-शासन) की और निजी उद्योगों की कुछ अधिकारों का नियन्त्रण करने के लिए "फेडरल-ट्रेड-कमिशन" (संघीय-व्यवसाय

बासेंग) की थी। राष्ट्रतिंति के नाय इन एजन्मिंसों के मुम्बन्दा के निम्न में प्रत्येक प्रयत्ने ठड़ है, परन्तु जल्दी कई स्वास्थ स्वास्थारप नहीं दें सकते।

“क्रांतिकारी इन्डियन एजन्मिंसों द्वारा उनके लिये नामांकन निम्न में अन्तर्भुक्त करें, राष्ट्रति शक्ति के प्रत्युत्र के स्वास्थ ग्राहक हीं जल्दी निम्नका वर सकते हैं। अन्य कुदेश लक्ष्य स्वास्थ्या ने राष्ट्रतिंति के निम्नका में कहीं रखती जा सकती।” “मिनिस्टरीविश्वास वाई” (मंत्रीरक्ष विभाग वाई) और “क्रांति कम्युनिकेशन्स कमीशन” (मंत्रीन्यवाचक विभाग) का अध्यक्ष वासुकातो और नेत्रियों संघना के नंबरालन के निम्न दबावों का विविहार दिया गया है और उन्हीं द्वारा कहने की हैं कि इन एजन्मिंसों का वर्णन्य है जिसे लोगों के विचारों का फल लगता, वन्नुचिति का जाने और अपने नियंत्रण को देख द्वारा निर्माणित व्यापक भिजान्दा के अनुपार बर्ते। नामांकनका इन एजन्मिंसों को जाने अनुशृणुत बनावा निम्नका में अन्वेषा का राष्ट्रतिंति को लेना आवश्यक नहीं है विज्ञा कि क्षम्य के सरकार कर्तव्याधिकों को।

“क्रांति ट्रेड वर्मेशन” (मंत्रीन्यवाचक विभाग) भरोसी कुछ एजन्मिंसों की व्यापक हैं जो इन्हें है। यह वर्मेशन विविहार पर्यों की बताते सुनकर यह नियंत्रण करना है जिसका व्यावहारिक दृष्टिकोण अनुसूत विवेयों अन्वरह वर जा है और उने याता याता बदलता पड़ेगा। युरोप कंटेंट (मर्कोन्ड न्यामारप) ने नियंत्रण दिया है कि “क्रांति ट्रेड वर्मेशन” के लिये विभार को राष्ट्रतिंति केरल इमारात मुद्रा देही वर सक्ता है जिसका बोई बाम देने नामन्द है।

नियंत्रण वार्षिक योग्य न्याम ने अन्वेषा विविहार नंबरालों के विभिन्न निकाला दा यह भिजान्त न्यामारों की सुनन्द में सो नहीं जाता परन्तु इनके व्यावहारिक पर्यों को सुनन्दा लेना बिल्ल नहीं। अस्सीरिया का जुनाव राष्ट्रतिंति ही करता है, वे जाहू उनके निम्नका में रहे या नहीं, और उन्हीं पुर्णिंदे रहते करते हैं। यह व्यवस्था वो राजनीतिक वार्षिकीया “क्रांति ट्रेड वर्मेशन” (मंत्रीन्यवाचक विभाग) के द्वाहरा में स्वास्थ हो जाती है। यह वर्मेशन अन्य वन्नुओं के अन्तरिक्ष क्रांतिक

गैस के अन्तर राज्यों वितरण का भी नियन्त्रण करता है। गैस कम्पनियाँ गैस का जो मूल्य बनूत करना चाहती थी उसे इस कमीशन ने स्वीकृत नहीं किया था। इस पर कम्पनिया ने कॉर्प्रेस में अग्रील वी और वहाँ एक विल पास करवा लिया, जिसके अनुमार इस प्रत्यक्ष का निर्णय कमीशन के हाथ में नहीं रहा। राष्ट्रपति ने इस विल के विरुद्ध अपने निपेक्षाधिकार का प्रयोग कर दिया, और कॉर्प्रेस उसके निपेक्षाधिकार का प्रभाव अपने दो निर्णीत बहुमत से समाप्त करने में सफल नहीं हो सकी। इसके परचात् एक ऐसे कमिशनर का कार्यकाल समाप्त हो गया जिसने कम्पनियों से विरुद्ध भत दिया था, परन्तु वह पुन नियुक्त कर दिया गया। कम्पनियों ने सेनेट को मना लिया कि वह उस कमिशनर की पुनर्नियुक्ति की पुष्टि नहीं करेगी। अन्त की कम्पनिया का पक्ष गती एक व्यक्ति कमिशनर नियुक्त किया गया और उसकी पुष्टि सेनेट ने भी बर दी। इसमें कमीशन का बहुमत बदल गया और उसने कम्पनियों की इच्छा भी अपना लिया और यह सधर्य समाप्त हो गया। इस बहानी का निचोड़ यह है कि कोई भी कमोशन या न्यायालय अत्यतोगच्छा निर्वाचन के परिणाम का ही अनुसरण करता है, यदि तुरन्त नहीं तो अन्त में अपने सदस्यों में परिवर्तन के परचात्। जिन अमैनिक कमंचारियों की नीति निर्धारण के अथवा राजनीतिक अधिकारियों के काम नहीं करते पढ़ते उनकी नियुक्ति राजनीतिक विचार से नहीं की जाती। इनमें चाराचियों और डारपालों से लेकर अनुसन्धान विशेषज्ञों और नियोजनों तक रोजमर्द का काम करने वाले कमंचारी सम्मिलित होते हैं। यदि इनकी कोई राजनीतिक पसन्दनाप्रसन्द हो तो उसकी पूर्ति के लिए कानून इनको अपने निवास के राज्य में मतदान की अनुमति प्रदान करता है। परन्तु ये राजनीति में सक्षिय मार नहीं से सकते।

परन्तु राजनीति कभी-नभी अमैनिक कमंचारियों की कायंकुशलता में भी हस्तक्षेप कर देती है।

कॉर्प्रेस व्यान न भी दे तो भी बड़ी शक्तियाँ ऐसी हैं जो नागरिक अथवा असैनिक कमंचारियों की कुशलता पर अनुहूल और प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। अनुकूल प्रभाव उन बहुमत्यक विशेषज्ञ नियोजकों का और ऊपर के अधिकारियों का पड़ता है जो

जानते हैं कि सरकारी वर्मचारियों द्वारा व्यवस्था में किस प्रकार नुशना चाहिए। उन्ने अफसर भी यह जानते होने हैं और वे विशेषज्ञ व्यवस्थापको वा समर्थन करते रहते हैं। सन् १९४७ में राष्ट्रपति ने एक शासनीय आज्ञा दी थी कि व्यवस्था में उनमत्ता को बढ़ानेके लिए कुशलता को उत्तर दरते वी देवनिमत्त विधियोंका आदान-प्रदान किया जाय। पीछे यह पढ़ति और भी तीव्रता से अमल में लाई गयी। इस आज्ञा में वहा गया था कि शासनाधिकार एजन्सियों को दे दिया जाय, प्रबन्ध का ऐसा दर्जा कायम किया जाय कि कार्य अधिक अच्छा होने लगे, और जिस प्रकार बन्धत आधुनिक वीमा कम्पनियों और वैंको में विशेषज्ञोंद्वारा नियोजित किया जाता है उसी प्रकार सरकारी विभागों में भी किया जाय। सघीय शासन में कई स्तरों पर उच्च कुशलता हृषिगोचर होती है, और उसकी विधियों का अनुकरण बहुत से नियोगी व्यापारिक भगठन भी करते हैं।

शासन की कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव ढालने वाली आन्तरिक शक्ति का काम वे अधिकारी करते हैं जो कि अपने अपीनम्य वर्मचारियों के साथ व्यवहार करने की आधुनिक विधियों को नहीं जानते। नियोगी व्यापारिक सम्पादकों में भी यही बात देखी जाती है। बुद्ध अधिकारी राजनीतिक कारणों से, या मैनिक योजनाएं बनाने या वैदेशिक मामलों में उच्च योग्यता के कारण नियुक्ति किये जाते हैं। सम्भव है कि उनको प्रबन्ध की बला वा ज्ञान तनिव भी न होता ही। राष्ट्रपति अपने मन्त्रियों का चुनाव देवल इस आधार पर नहीं कर सकता कि उन्हें विसो खड़े शुभठन को अलव्यय में संचालित करने का शक्ति है या नहीं।

शासन-संचालन के व्यय में किसेस द्वारा रचि लेने का परिणाम प्राय नागरिक कर्मचारियों की कुशलता धट जाने के फैप में प्रमाण होता है। प्रबन्ध की आधुनिक विधियों का आधार; जैसा कि अपना संस्करण नियोगी व्यापारी संगठनों से प्रमाणित होता है, कर्मचारियों में साध्य शिष्ट व्यवहार करने की नीति है। इस शिष्टता का एक नमूना पूर्वाह में जलपान के लिए 'छुट्टी' दे देना है। शिष्टतापूर्ण प्रबन्ध का फल, अत्य व्यय में अधिक उत्पादन होता है। परन्तु ये विधियाँ सुगमता से राजनीतिक आक्षणों का समय बन जाती हैं।

कोई भी राजनीतिज्ञ, सरकारी कर्मचारियों पर प्रभाव और देशमानों के बठोर वास्तव बरके, मत तो प्राप्त कर सकता है परन्तु लेखा ठीक-ठीक रखने पर पता चला है कि कांग्रेस में किसी एजन्सी के विवद के बल एक आपेक्षणीय भाषा के कारण एक लाच डानर तक की हानि हो सकती है।

इसके विपरीत, जिन एजन्सियों का प्रमुख अधिकारी अच्छा व्यवस्थापक नहीं होता उनकी जाव यदि कांग्रेस न्याय और ईमानदारी से करताये तो अन्यथा के प्रकट हो जाने के कारण धन की बचत हो जाती है।

अनैनिक कर्मचारियों सम्बन्धी नीतियों में मुश्वारी आशा, ऐसे प्रमुख व्यवसायियों को सहायता देने से भली प्रकार पूरी हो सकती है जो कुशलता के आधुनिक सिद्धान्तों को समझ चुके हैं। जब इस प्रकार के व्यक्ति पर्याप्त सख्ती में इन समस्या पर इस प्रकार ध्यान देने लगें कि कांग्रेस पर भी उनका प्रबल प्रभाव पड़े तब वे राजनीतिक आप्ने-प्राप्ने-प्राप्ने-प्राप्ने को निहत्ताहिन कर सकेंगे। उनसे यह आशा भी की जा सकती है कि वे शासन के अच्छे व्यवस्थापकों के साथ अपनी टेक्निकल जानकारी का बड़े पैमाने पर आदान-प्रदान करें और उनको आवश्यक सहायता दें।

संघोंय (किन्द्रीय) शासन की विशालता सदा चिन्ता का विषय बनी रही है, अनन्त भारी व्यय के कारण हो नहीं, अनन्त “नोकरराहीं” के कारण, उससे भी अविक। नौकरराहीं शब्द का प्रयोग अमेरिकी भाषा में यह प्रकट करने के लिए किया जाता है कि सहन्तो व्यक्तियों को नोकरी पर लगाने वालों शासन को विशाल एजन्सिया गडबड में वही अद्वितीय न हो जाय, और कांग्रेस का अपवा राष्ट्रभरि तक का उन पर ध्यान भी न जाय। यह सन्देह भी है, और वह निकारा नहीं है, जि इनमें से वई एजन्सिया बहुत समय पूर्व किसी विशिष्ट संकट का सामना करने के लिए आरम्भ की गयी थी और वे अब तक स्वतन्त्र रूप में चली आ रही हैं, क्योंकि किसी को उनका पता नहीं लगा और इसोनिए उन्हें अपना बार-बार समेट लेने के लिए नहीं वहा गया।

एक और विवास यह है, और वह अस्ताहृत अविक सामार है, कि विविध समयों पर स्पाइरिट की हुई विविध एजन्सियों ने अपना काम इनमा फैला लिया है।

कि एक ही वाम को बईन्हर्ड एजन्सियों बरने तगो हैं। कभी-कभी कोर्ट्सोह एजन्सी प्रपने चर्तमान स्वत में गलन विभाग का कार्य कर रही प्रतीत होती है, और उस काम का सम्बन्ध उसी प्रवार के अय कार्य के सम्बन्ध ठोक प्रवार नहीं जोड़ा जाता।

हज से सब राष्ट्रगतियों ने शासन-विभाग का पुनर्गठन करने का प्रयत्न किया है, जिसमे वह अधिक बुशर और तक-संगत बन जाय। राष्ट्रगति हूबर ने युद्ध-निवृत्त सेनिकों की बिलरी हुई एजन्सिया दो एकत्र करके “बटरेन्स ऐडमिनिस्ट्रेशन” (युद्ध-निवृत्त विभाग) का संगठन कर दिया था। उहाँन सन् १९३२ मे “रिआर्मेनिजेशन ऐक्ट” (पुनर्गठन कानून) बनवाया था, जिससे उनको, कांग्रेस की देश-नरेज में, विविव विभागों को परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त ही गया था। परन्तु इस प्रवार की सब नवी योजनाएँ कांग्रेस के सामने उपस्थित की जाती थीं और यदि कांग्रेस उन्हे साठ दिन के भीतर अस्वीकृत नहीं कर देती थी तो उन पर कानूनी द्वाप लग जाती थी।

सन् १९३२ मे हाउस प्रतिनिधि सभा पर डिमोक्रेट पार्टी का अधिकार हो गया, और उसने श्री हूबर की योजनाओं को स्वीकार न करके, पुनर्गठन का काम डिमोक्रेटिक दल के नये राष्ट्रगति के लिए छोड़ देना पसन्द किया।

राष्ट्रगति स्कैवेल्ट ने सन् १९३६ मे एक समिति पुनर्गठन का अध्ययन करते के लिए नियुक्त की। उहाँने सन् १९३७ में जांच परिवर्तनपारी सिफारियें दी, और उनका राष्ट्रगति के विरोधियों ने प्रबल विरोधी किया। सन् १९३९ में एक बहुत नरम विल पास हुआ, और उसके अनुसार राष्ट्रगति कुछ परिवर्तन कर सके। उदाहरणार्थ, उहाँने बजट को राष्ट्रगति के शासन-कार्यालय के जायीन कर दिया। युद्ध-बाल में उन्हाँन मवानी और जहाजा की एजन्सियों को “नैशनल हॉउसिंग-एजन्सी” (राष्ट्रीय-भवन-एजन्सी) और “वार्ट-रिंग-ऐडमिनिस्ट्रेशन” (युद्ध-नोत-शासन) वे रूप में हट कर दिया, और युद्ध-बाल वे विशेषविवारों के अनुसार भी अन्य अनेक सुपार विए।

राष्ट्रगति ड्रमन ने सन् १९४७ मे एक “रिआर्मेनिजेशन ऐक्ट” (पुनर्गठन कानून) बनवाकर, उसके अनुसार भूतपूर्व राष्ट्रगति हूबर की अध्यक्षता में एक द्विलोक

कमोशन नियुक्त किया । हूवर-न्मीशन ने पूर्ण अध्ययन के पश्चात् कुछ मुझाव दिये, जिसे, हूवर के अनुमान के अनुसार, सरकार को ३ अरब डालर प्रतिवर्ष भी बचत हो सकती थी । 'हूवर' विवरण का जनना ने अच्छा स्वागत किया । राष्ट्रपति द्वारा मन ने कोई बीस योजनाएं कांग्रेस के सामने उपस्थित की, और कांग्रेस ने उनमें से तीन चौथाई को रखने भी दिया । सन् १९५३ में कांग्रेस ने "रिआर्गेनिजेशन एक्ट" अर्थात् पुनर्गठन कानून की अवधि राष्ट्रपति आइनहॉवर के लिए भी बढ़ा दी ।

बूरो और एजन्सियो को पुनर्गठित करने के लाभ इनने प्रभावशाली कभी नहीं हुए कि जनता उनका उत्साह-नूर्बंक समर्थन करती, परन्तु उनसे शासन के अनेक प्रमुख दोष अवश्य दूर हो गए । परन्तु "कोर ऑव इंजिनीयर्स" (इंजिनीयरों की टुकड़ी) सरीखी कुछ एजन्सियो को कांग्रेस में इनना प्रबल राजनीतिक समर्थन प्राप्त है कि कोई भी राष्ट्रपति उनके विरोध की परवाह न करके उनमें परिवर्तन करने में अब तक यफल नहीं हो सका ।

मितव्ययिता, अर्थात् जिस वस्तु की जनता को आवश्यकता नहीं उसे न स्तरीदाना, कांग्रेस का काम है; परन्तु व्यय घटाने का यश प्राप्त करने की कांग्रेस की इच्छा को कोई भी राष्ट्रपति ऐसा 'चुस्त' बजट तैयार करके विफल कर सकता है जिसमें कि ऐसी कोई वात हो ही नहीं जिसकी जनता को आवश्यकता नहीं है । दूसरी ओर नुशलता अर्थात् न्यूनतम व्यय में अधिकतम सिद्धि कर लेना, राष्ट्रपति का काम है । इसमें कांग्रेस पार्ई-न्याई की कटौती करके और विन्ही विशिष्ट स्वार्थों द्वे प्रसन्न रखने के लिए अपव्यय-नूर्ज व्यवस्थाएं करके, विसी हृद तक राष्ट्रपति को असफल कर सकती है । परन्तु राष्ट्रपति हूवर और उनके उत्तराधिकारियों के विषय में यह कहा जा सकता है कि औसतन उन सब ने अच्छे संगठन और आधुनिक प्रबन्ध की दशा में कुछ प्रगति भी है ।

अध्याय ५

कॉमेस क्या है ?

संयुक्त राज्य अमेरिका की कप्रिया और पालमेण्ट या सत्रद में बड़ा अन्तर मह है कि कप्रिया में शासन को 'एकजेक्यूटिव' (कार्यनालिका) शास्त्रा के प्रतिनिधि शामिल नहीं होते। इग्नैण्ड में जिस प्रकार प्रधानमन्त्री और उसका मन्त्रिमण्डल सदन के सदस्य होते हैं उस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रपति और उसका मन्त्रिमण्डल कप्रिया के नहीं होते। कप्रिया राष्ट्रपति को 'इस्टीचमेण्ट' की कारखाई के अतिरिक्त अन्य किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए विवरण नहीं कर सकती, और न यदि वह किसी सरकारी विल को पास भरने से इनकार कर दे तो कोई सर्वेगानिक संकट खड़ा होता है। उसके कारण राष्ट्रपति न तो स्थाग पत्र देता है और न वह कप्रिया को वरखात्त भरके जनता को नरे निर्वाचन के लिए विवरण कर सकता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के शासन में जनता का प्रतिनिधित्व एक ओर तो कप्रिया करती है और दूसरी ओर राष्ट्रपति। प्र प्रेक्ष को एक दूसरे के विरुद्ध जनता का समर्थन पाने के लिए उसमें अपील करते का अधिकार तो होता ही है, साथन भी होते हैं, और वे उनका उत्तरोग भी करते हैं। परिणाम यह होता है कि 'एकजेक्यूटिव' अर्थात् शासन भी कार्यपालिका शास्त्रा और कप्रिया अर्थात् शासन की विधि-निमंत्री शास्त्रा में समर्पण का रूप प्रत्यक्ष युद्ध और विरामसंघर्ष में बदलना रहता है। जब कप्रिया पर राष्ट्रपति के दल का निष्पत्रण होता है सब भी यहाँ कम चलता है। एक और परिणाम, जो हि संसदीय पद्धति में उत्पन्न नहीं हो सकती, तब शासने आती है।

जब कि जनता राष्ट्रपति तो एक पार्टी का चुन देनी है और कॉमिशन दूसरी की । तब शासन की कार्यगालिका और विधि-निर्मात्री शाखाएँ आप से आप एक दूसरे की विरोधी हो जाती हैं ।

इस प्रकार सत्रुत राज्य अमेरिका की कॉमिशन, पार्लियमेण्ट या संसद की अपेक्षा ज्यादा गैर जिम्मेवार रहती है, क्योंकि राष्ट्रपति के दल के ही सदस्य, राष्ट्रपति के पदत्याग पत्र देने का समर्थन न करते हुए भी, शासन के किसी प्रस्ताव के विरुद्ध मत दे सकते हैं । उत्तरदायित्व के इस अभाव के कारण कॉमिशन के आन्दोलनकारी नेताओं को सत्ती नामवरी क्षमाने का प्रोत्साहन होता रहता है, पदारूढ़ दल यह अनुभव नहीं करता कि उसका जीवन या मृत्यु कठोर अनुशासन पर निर्भर करता है ।

उडरो विलसन जब कालेज में प्रोफेसर थे तब उन्होंने संविधान में ऐसा परिवर्तन कर देने का विचार प्रलृत किया था, जिससे कॉमिशन को भी संसद के अधिकार और उत्तराधित्व प्राप्त हो जाये । उनका तर्क यह था कि यदि कॉमिशन के सामने राष्ट्रपति का दिल स्वीकृत करने अथवा सकट खड़ा करने का विकला रहेगा तो वह अपना काम अधिक गम्भीरता से करेगी और जनना भी उमके काम को अधिक समझने का यज्ञ करेगी । जब विलसन राष्ट्रपति हो गए तब उन्होंने कॉमिशन के द्वारा बर्डगा लगाया जाने पर सकट खड़ा कर देने का विचार किया था । वह उपराष्ट्रपति और अपने मन्त्रियों सहित पद त्याग कर सकते थे, और तब उम समग्र के कानून के अनुसार राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी कोई भी न रहता और कॉमिशन का नयी कार्यगालिका का चुनाव करना पड़ता । परन्तु उन्हें युद्ध का मामना करना पड़ गया और वह शासन की निर्वाचित प्रणाली के विरुद्ध नहीं जा सके । सत्रुत राज्य अमेरिका में कॉमिशन को संसद में परिवर्तित कर देने की कोई प्रत्यक्ष सार्वजनिक मांग नहीं है ।

शासन की शाखाओं में अधिकारों के इस विभाजन का एक परिणाम यह है कि सेनेट भी उनना महबूर्ण संस्था बन गया है जिनना कॉमिशन । अन्य देशों में शासन की कार्यगालिका शाखा का नियन्त्रण द्वितीय सदन करता है इसलिए उसको प्रवृत्ति सब अधिकार अपने हाथ में लेने की ओर उच्च सदन को बूढ़े राजनीतिज्ञों की विवाद-

समा के रूप में छोड़ देने की रुहाँ है। उदाहरणार्थ, इंग्लैण्ड में "हाउस-ऑफ-लाइंस" ये 'बोन' का अर्थात् विसंग विल को निपट कर देने वा जधिवार छोन लिया गया है। वह जिमो विल के विरुद्ध मत प्रकृत बरवे उने विनाशित बर सदना है, परन्तु अनियुक्त निर्णय "हाउस ऑफ बायसेस" का ही रहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सेनेट भी उनी ही शानिशाली है जिनना वि हाउस, और कुछ मामलों में तो हाउस से भी अधिक।

अमेरिका के राजनीतिक जीवन में दो सदनों के विवाद मण्डल की परम्परा दो जड़े बहुत गहरे हैं। ओपनिविश्विक शानना के समय भी दो ही सदन थे और अब भी, नेपाला को छोड़कर, सब राज्यों में दो ही दो सदन हैं। परन्तु अब भी कोई एक सदन की विशेष बनाने के पक्ष में आन्दोलन करने की वहना नहीं करता। इसका प्रधान कारण यह है वि संयुक्त राज्य अमेरिका आज भी बड़े और छोटे राज्यों वा एक भूमि है। बड़े और छोटे राज्यों को इस प्रकार भिन्नाने की भभस्या का अभी तक ऐसा कोई हल नहीं मुझस्या गया जिससे वि अमेरिका के सेनेट सन्तुष्ट हो जाय।

सब विलों को दो विभिन्न सदनों में से गुजरना पड़ता है। इसके बारण आपकाल में विलम्ब महों होता, क्योंकि तब सब सोग राष्ट्रपति के नेतृत्व में चलने के पक्षपानी बन जाने हैं। परन्तु साधारण काल में साधारण कानून मन्द गति में बनते हैं। एक ही प्रकार के विचारों को बार-बार दुर्दाया जाता है, इसमें विरोनिया को प्रस्तावों वी तुलना करने की अवक्ष मुविद्याएँ मिल जाती हैं। अमेरिका को जनना को भावना शास्त्र भाज के विरुद्ध अविश्वास चाही है। ऐसा "होते हुए भी विवादास्पद कानून सुगमता पास नहीं होते। इस बान पर कोई आश्चर्य नहीं जिया जाना। बहावत भी है 'एक से दो मूड भने'।

यत्रपि संविवान में मुद्दार करके यह नियम कर दिया गया है वि सेनेटरों का निर्वाचन राज्य-विवान मण्डलों के स्थान पर साधारण मतदाता ही करेंगे, तो भी सेनेट और 'हाउस-ऑफ-रिप्रेजेण्टेटिव्ज' के बानावरण में अन्तर रहता है। सेनेटर औसत विशेष-चदस्यों की अपेक्षा कुछ बर्द्ध बर्द्ध तूटे होते हैं। विशेष सदस्य बहुत बहुत सेनेट में पहुच जाते हैं। परन्तु ऐसे व्यक्ति बहुत बहुत बर मिलेंगे जिन्होंने सेनेट का सदस्य

रह चुवने के पश्चात् कांग्रेस का छुनाव लड़ा हो। सेनेट वा पद अधिक प्रतिष्ठित समझा जाता है उनकी सख्त्या बैचल ६६ है। और कांग्रेस-सदस्यों की ४३५। सेनेट के सदस्यों वो अपनी बात प्रकाशित बरने के अनक अवसर मिलते हैं और उनका उपयोग भलाई या बुराई के लिए विया जा सकता है।

सेनेट वो विदेशों के साथ की हुई सधियों और राष्ट्रपति द्वारा की हुई नियुक्तियों को पुष्ट बरने वा अधिकार है। इस बारण बहुत-न्यौ सेनेटर वैदेशिक सम्बंधों और शासन के संगठन पर विशेष ध्यान देते हैं। उनमें से वई एक विषयों के प्रतिष्ठित और प्रमाणिक जाता बन गये हैं।

सेनेट और हाउस के आधे से अधिक सदस्य बकील हैं। कोई बकील कांग्रेस के एक कार्य काल तक उसका सदस्य रहने के बाद यदि पुनर्निर्वाचन में हार जाय तो वह अपना कानूनी पेशा फिर अपना सकता है और साधारणतया उसकी बकालत पहले से अच्छी चलने की सम्भावना रहती है। इसके अतिरिक्त, कांग्रेस के सदस्यों के लिए कानून दपतरों में सामीदार बने रहना खिलाफ-कानून भी है, और जिन सोगों वा नए कानूनों में बुद्ध स्वार्थ होता है वे ऐसे बकीलों को अपना बकील बनाये रखने के लिए फीस देते रहते हैं। सरकारी कर्मचारी या बायंपालिका शास्त्र के अधिकारी यदि इस प्रबार का सम्बन्ध बनाये रखें, तो बुरा माना जाता है।

एक स्कूल के एक विद्यार्थी ने एक बार कहा था कि "हमारा शासन बकीलों का है, मनुष्यों का नहीं।" यह अल्युक्ति है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि अर्थ-नीति और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे बड़े-बड़े प्रश्नों में भी कांग्रेस वे मत पर, इजिनियर, व्यापारी या पत्रबार की विचारशैली की अपेक्षा प्राय बकील के चिन्तन वी छाप अधिक रहती है।

कांग्रेस और राष्ट्रपति दो बड़े साधन हैं जिनके द्वारा राष्ट्र के राजनीतिक दल देश पर शासन बरते और सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं। राष्ट्रपति एक व्यक्ति होता है, इसलिए दल में उसकी स्थिति अधिक निश्चित होती है, और वह उसके पुनर्निर्वाचन में अथवा इटिहास में जो स्थान प्राप्त करना चाहता हो उसकी

प्राणि ने सहमत हो गया है। दूनये बार कौरेन में प्रस्तुति के ही दर में यश कुछ व्यक्ति ऐसे जो गृहने हैं जो जिसी प्रधार प्रस्तुति की नीतियों का विरोध करते गृहने हैं। उनमें कुछ व्यक्ति ऐसे जो हैं जो कह सकते हैं कि हमारे दृष्टिक्षेत्र न्यायालय स्वतों पर निर्भर करता है, और वे स्वार्थ दर की समाज सेवा के विरोध हो सकते हैं। इन्हिए वकाल दर करिम के प्राप्त यसी भवि-विनायकों के बंदा रहते हैं, और कहीं हमन वियुक्त दर का रहता है।

कौरेन का उत्तराधिकार के दर प्रति को दर्शात् दरवा जाता है, और उत्तर नों समाजवाद कुछ कर्तव्यिक न्य में। दहुर में कौरेन यसीकों के दर का आणानी कुदात दर प्राप्त प्रत्यक्ष दर में कोई सम्भव प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु जिसी कौरेन-सुदूर का ग्रन्ति दिने में निर्भावक प्रभाव हो सकता है। यहीं आएगा है कि दोनों अनुदानों का अनावर रहता है। दहुर में करिम-सुदूर के 'नुगरिन' जिसी के हैं जो वारदार चहों को कुनकर नेत्र देते हैं, दहुरें कि के जले दिने के लिये को आदाव म बढ़ते; और उनके द्वारा करते को सम्भावना करिताहै में ही ही सहज है। वे अन्ते गुदूर दर से प्राप्त सुझेव हैं तो ही, करि-मनका दर कुदात हार जान दो कौरेन की जिसी नीतियों का कमज़ करने का अनुभव नो उनके हाथ में लिया जाता है। इन्हिए जो गुदूर और हिन्दे न्यायालय करिम-तियों ने दर्शायें त वे हैं के बारम चहों प्रतिक्रियों को वारदार कुनकर नेत्र देते रहते हैं उनमें स्वरूप उनका कौरेन के विषय में वारदा नहु प्रकृत करने के लिए चेतन उनके रिकार्ड रहते हैं उत्तर सुनारे नहीं है, और उनमें उत्तर जिसे उन्मादकार का सम्बन्ध उन प्रस्तुतों के साथ दृष्टा हो रिहैं कि उनका महाकृपा सम्बन्ध है।

जो गुदूर जिसी एक पात्री का प्रभाव न हैं के बारम करिम याने जाते हैं और जिनके कुदात का दिने सुनन अन्ते जान की जिसी पात्री में बंदा रहता जो उनमें, उनके वारदार-कुदात का विरोध चहों के स्वरूप यतों में हैता है।

और यदि राष्ट्र में विसी एक दल का प्रभाव अधिक हो तो स्वतन्त्र मतदाता उसके साथ मिलकर उसके प्रारम्भिक निवाचिना में अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं।

परन्तु जैसा कि लावेल मेलेट ने अपनी पुस्तिका "हेण्ड्रुक आब पालिटिक्स" (राजनीति का गुट्टका) में बतलाया है, स्वतन्त्र निवाचिक बहुधा अपने मतों को बाट कर अपनी शक्ति को व्यर्थ सो देते हैं। स्वतन्त्र मतदाता प्राय उदार होते हैं। वे सुगमता से यह विश्वास कर सेते हैं कि उनका कर्तव्य प्रारम्भिक निवाचिना में सर्वोत्तम उम्मीदवार को ही मत देने का है। विसी बात पर अपना 'प्रतिवाद' प्रकट करने के लिए वे अपने बहुत से मत किसी छोटे उप-दल को दे बैठते हैं। यदि यही समत वे बड़े दल में से किसी के उम्मीदवार को द भी चुनाव पर उनका निर्णयाक प्रभाव पड़ सकता है।

जो राजनीतिज्ञ नियमित रूप से पार्टीयों का काम करते हैं वे स्वतन्त्र मतदाताओं के इस स्वभाव का लाभ कभी-कभी बड़ी चतुराई से उठा लेते हैं। जब उन्हे स्वतन्त्र मतदाताओं का ढर होता है तब वे चुप-चाप विसी ऐसे अतिरिक्त उम्मीदवार का समर्थन करके उनके मतों को व्यर्थ कर देते हैं जो जीत लो नहीं सकता 'परन्तु सर्वोत्तम व्यक्ति' को भत देना चाहने वालों के मत अवश्य खोच लेता है।

यदि शक्ति का पासग स्वतन्त्र मतदाताओं के हाथ मे हो तो उम्मका सफलता-पूर्वक उपयोग करने का उपाय यह है, जैसा कि मेलेट ने भी बतलाया है, कि वे परस्पर मिलकर निर्णय कर लें कि जो व्यक्ति इस समय पदारूढ़ है वह यदि पुनर्निवाचिन ने निए खड़ा होगा तो वह उन्हे पसन्द होगा या नहीं। यदि वे उसे पसन्द करे तो मिलकर उसे सफल बना सकते हैं, और तब इसके पुरानेपन और प्रभाव, दोनों में बृद्धि हो जायगी। यदि वे उसे पसन्द न करें तो उन्हे मिलकर उम्मके ऐसे प्रतिसार्थी को भत देना चाहिए जिसके 'सर्वोत्तम' उम्मीदवार न होने पर भी जीतने की सम्भावना सब से अधिक हो। कोई उम्मीदवार कितना ही नापसन्द क्यों न हो वह जब पदारूढ़ व्यक्ति को हराकर कांग्रेस मे जायगा तब उसे 'नया' माना जायगा उम्मे साथ पुरानेपन का प्रभाव नहीं होगा।

स्वयंप्रभु जनता के साथ उसके विधि निर्माता प्रणिनीतिया के द्वे सम्बन्ध चिनते ही भयकर व्य से शियित क्या न प्रोत्त हा, "स्वतन्त्रता की घोषणा" में जनतन्त्र का जो यह मोनिक मिहन घोषित किया गया है कि शासकों को सब व्यायामगत अधिकार शामिना से ही प्राप्त होते हैं, उसके साथ इनकी संगत अवश्य देख जानी है। जिन राज्यों और कांग्रेस के जिला में सदा एवं ही दल की जीत होती है, उनमें शासित जनता को व्यापक सहमति विना अधिक विवाद के उसी दल के पक्ष में दी हुई रहती है। वह जब चाहे तब इन कोरे चेक को वापिस भी ले सकती है। इसके अनिवार्य लोकतन्त्रीय शासन की एक बड़ी किटेपटा यह है कि न केवल उन्हें जो अपना मन नहीं देते अपितु उन्हे भी जो कि मन देते हैं परन्तु हार जाते हैं, जीतने वालों द्वारा शामिन होने के लिए चुनचाप सहमत हो जाना चाहिए। कांग्रेस की निर्वाचिन प्रणाली में अन्य निर्वाचिनाएं चाहे जो हा, उनसे यह परिणाम तो निकल ही आता है।

यदि जनता राष्ट्रपति के काम का सेवा देखकर उसे प्रमाण बरेओं और 'हाइट हाउम' पर दोबारा उसके दल का अधिकार हो जाय तो इससे उसके दल के कांग्रेस-न्यायस्थों को लाभ होता है। कांग्रेस-न्यायाल के कड़े मुकाबले में भी उसी पक्ष का पल्ला भारी रहनकी सम्भावना होती है जो राष्ट्रपति के चुनाव में जीता हो। इसे राष्ट्रपति के "कोट वी पूछ पर सवार होना" कहते हैं। 'कोट वी पूछ' के सिद्धान्त का उपयोग नि मन्देह कांग्रेस-न्यायस्थों द्वारा मेनेटरों की निष्ठा अपने दल के नेता के प्रति हृद करने में तो होता ही है। यदि वे उसकी अधिक हाति करें तो उनसे उनकी अपनी भी हानि होगी। यह एक स्मारण रखने योग्य तथ्य है कि 'हाइट' हाउम पर जिस पार्टी का अधिकार होना है वह उन मध्य-वर्ती चुनावों में जिनमें कि राष्ट्रपति नहीं चुना जाता, सदा कुछ स्थान लो देती है।

कांग्रेस में दल का नेता प्राप्त उन सदस्यों में से चुना जाता है जो राष्ट्रपति का समर्थन करते हैं, परन्तु कुछ समितियों के प्रधान हाइट हाउस के पूर्ण चिरोपो भी ही सकते हैं। यद्यपि उन्हे अपने दोनों में बहुत अधिकार होते हैं। उदाहरणार्थ, सन् १९५३ में राष्ट्रपति आइनगहोवर का शामन आरम्भ होने के समय, हाउस की "विज

एण्ड-मोन्ट-नमिनी (उगाय-यथा-रापन नमिनि) के चेयरमैन ने टैम्पा घटाने से पहले बजट को सन्तुलित धरने की राष्ट्रपति वी नौनि का तीव्र विरोध किया था ।

इस प्रकार की अनुशासनहीनताओं के बारण आगामी चुनाव में दल में फूट पड़ जाने का भय रहता है, और इस बारण दल के सगठन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक सुझाव पेश किये गये हैं । कई बार दोनों मदनों के दलीय 'कौक्सो' अथात् नौनि-निर्धारक सम्मेलनों ने यत्न किया है ति उनके सदस्य दल के निर्णय पर ही चलें । परन्तु जो पहले बोई प्रतिज्ञा किये हुए होते हैं अथवा जिन्हे उस निर्णय के अनुमार मत देने में अन्य बोई आपत्ति होती है, उनके लिए बचाव का बोई मार्ग निकल ही आता है । अनुशासन का पालन कराने के प्रयत्नों की शफलता में बाधा यह है कि जो उसका भग करते हैं उनके लिए दण्ड की व्यवस्था कुछ नहीं है । सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि राष्ट्रीय दल के नेता किसी भी व्यक्ति को उसके राज्य में उसके दल से निषाल नहीं सकते । यदि वह अपने आप को डिमोक्रेट कहता है परन्तु भव रिपब्लिकनों के साथ देता है तो उसे वैसा करने से तबतक बोई नहीं रोक सकता जबतक कि उसके राज्य की जनता उसे निर्वाचित करती रहे । दल अधिक से अधिक इतना कर सकता है कि उसे समितियों में से निकाल दे, जैसा कि रिपब्लिकनों ने सन् १९५३ में सेनेटर भौसं को किया था ।

सब मिलाकर अनुशासन-हीनता उस द्विदलीय पद्धति का तर्कसंगत परिश्रम है जो कि अमेरिका की व्याप्रिता में प्रचलित है । उसमें रांसदीय अधिकारों और उत्तर-दायित्वा के लिए कोई स्थान नहीं है ।

राष्ट्रपति के विरोधी दल का प्राप्य व्याप्रित के दोनों सदनों में अल्पमत रहता है, परन्तु सदा नहीं । अल्पमत का कर्तव्य निरा विरोध करना है, यह विचार केवल धरत, सत्य है । नि सन्देह विरोधी दल का कर्तव्य है कि वह संदिग्ध प्रश्नों पर पूर्ण विवाद करे और शासन के संदिग्ध वार्षी की पूरी-पूरी जाच करवाये । परन्तु अल्पमत दल के आन्तरिक मतभेदों और राष्ट्रपति तथा बहुमत दल के पारस्परिक विरोधों के बारण विरोधी दल उल्लंघन में फग जाता है । प्रत्येक दल के कुछ सदस्य

अधिकतर प्रस्तो पर अपने ही दल के विहृद मन देने को तैयार रहते हैं। अल्पमत दल के अनिनिटावाल सदस्य भी बहुधा यह सोचते लगते हैं कि हमें राष्ट्रपति का या उसके दल का विरोध करना चाहिए था नहीं।

सन् १९३३ से सन् १९५२ तक रिपब्लिकनों की नीति साधारणतया राष्ट्रपति का विरोध करने को थी। जब राष्ट्रपति को कांग्रेस भे दियी बठिनाई का सामना करना पड़ना था तब रिपब्लिकन मतनिभाजन में दक्षिण के डिमोक्रेटों का साप दिया करते थे, जो राष्ट्रपति के अपने ही दल में उसके विरोधी थे। बहुत समय तक इस नीति का चुनावी को हर जीत पर बोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जनना कांग्रेस के डिमोक्रेटिक दल की अपेक्षा राष्ट्रपति की प्रशंसाती अधिक थी। अन्त में चाहर यह नीति सफल तभी हुई जब मतदाना शासन की छान्नोचना से प्रभावित होने लगे।

जब राष्ट्रपति को ऐसी कांग्रेस का सामना करना पड़ता है जो कि विरोधी दल के नियन्त्रण में हो तब कांग्रेस और ह्वाइट हाउस का साधारण विरोध तीव्र इष्ट धारण कर लेता है। परन्तु इसको भी सीमा है। कुछों "पागल" सदस्यों द्वारा यह बर बोई भी राजनीतित राष्ट्रपति के विरोध में युद्ध की इन्द्रा लम्बा नहीं थीं चलता कि उनसे राष्ट्र की मुरक्का हो जोखिम में पढ़ जाय। कानून राष्ट्रपति का विरोध करनेवाली कांग्रेस की अधिकार होता है कि वह शासन का व्यय अस्वीकृत कर दे, और विरोधी सेनेट चाहे तो राष्ट्रपति के मन्त्रिमण्डल की नियुक्ति अस्वीकृत कर सकती है, परन्तु अन्तिम परिणाम भी हृष्ट से कांग्रेस के समझदार सदस्य चरम सीमा तक जाना चाह्दी राजनीति नहीं समझते। फलत युद्ध संबंधी सीमा नहीं होने पाता।

उद्घारणार्थ, थीटू मन को असोदी विहित से भार्टल योजना स्वीकृत करने में सफला मिल गयी थी, क्योंकि रिपब्लिकनों के नेता सेनेटर वैननबर्ग ने अपनी पार्टी का भाग-प्रदर्शन बुद्धिमता से निया था। उसने अपने दल को समझाया कि ऐसे भागने पर लडाई ठानना उचित नहीं जिससे उसे लाभ बम और हानि अधिक हो सकती है। यदि यह योजना अस्वीकृत हो जाती और इटली में सन् १९४६ में चुनावों में वस्तुनिष्ठ पार्टी जीत जानी तो समुक्त राज्य अमेरिका में इसी के संकट में लिए

उत्तरदायी उन लोगों को टहराया जाता जिन्होंने मार्शल योजना को स्वीकृत नहीं होने दिया था।

परंतु आन्तरिक मामलों में अस्सीधी कांग्रेस के नियन्त्रण-वर्त्ता रिपब्लिकनों और डिमोक्रेट राष्ट्रपति में जो आतंक-नुद्ध छिड़ा रहता था वह कोई छोटाभ्योटा नहीं था। राष्ट्रपति चाहता था कि जो प्रस्ताव कुछ भी लोक-प्रिय हो उन्हे कांग्रेस पास कर दे। इनमें कुछ प्रस्ताव ऐसे भी थे जिन्हे शायद डिमोक्रेटिक कांग्रेस भी पास न करती। तब रिपब्लिकन कांग्रेस बहुत से डिमोक्रेटों की सहायता से श्री द्रुमन के प्रत्येक प्रस्ताव को अस्वीकृत करने लगी तब उनको आन्दोलन करने के लिए एक नया आधार मिल गया। फल यह हुआ कि यद्यपि रिपब्लिकन श्री द्रुमन की अधिकतर नीनियों को रोकने में सफल हो गए परन्तु उनका दोष द्रुमन पर नहीं ढाल सके, और वह चुनाव जीत गए।

इसके विपरीत, जब सन् १९३२ में राष्ट्रपति हूवर को विरोधी कांग्रेस का सामना करना पड़ा तब डिमोक्रेटों ने मन्दी दूर करने के उसके अन्तिम प्रयत्नों को भी सफल नहीं होने दिया और उस असफलता का दोष भी उसके ही सिर पड़ा। ऐसी स्थिति इननी अधिक बार हो चुकी है कि यह साधारण विश्वास सा बन गया है कि जिस राष्ट्रपति का दल मध्यवर्ती निर्वाचन में कांग्रेस पर से अपना नियन्त्रण खो देगा, वह दो बर्ष पश्चात् के चुनाव में भी अवश्य हार जायगा।

यह कुछ विचित्र बात लगती है कि कांग्रेस और राष्ट्रपति के संघर्ष की, दोनों पार्टियों के बीच के निरन्तर सघर्ष टक्कर होती रहने पर भी, शासन अपने सभी कार्य करवा लेता है। कारण यह है कि यहाँ सघर्ष के जिन रूपों का बर्णन किया गया है वह राजनीतिक पक्ष का महाव प्रकट करने के लिए ही किया गया है, परन्तु बहुत से प्रभाव ऐसे होते हैं जिनका फल अन्त में परस्पर सम्मति और व्यावहारिक कार्यवाही के रूप में प्रकट होता है। ऐसा एक प्रभाव यह तथ्य है कि दोनों ही दलों में उदार और अनुदार विचारों के लोग होते हैं। राष्ट्रपति को सदा विरोधी दल से भी कुछ न कुछ सहायता मिल जाती है। यह चाहे तकनी-विस्तृ प्रनीत होता हो, परन्तु इसके

कारण विरोधी दला मे सर्वंगासो युद्ध नहीं होने पाता । सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग वर्ष्येस म नेना के पर तक पहुँचते हैं उनमें वहुसटा ऐसे व्यवहार-नियुक्त राजनीतिज्ञों को हाती हैं जो समझते की बला मे कुशलता के बारम ही शक्ति प्राप्त विषे होते हैं ।

अध्याय ६

कॉम्प्रेस की कार्य-प्रणाली

ग्रनि दो पर्यं परचात् नयी कमिशा चुनी जाती है। उदाहरणार्थ, खारोपों कॉम्प्रेस सन् १९५० में और सिरासीधी भूम् १९५२ में चुनी गई थी। प्रत्येक जगे निर्वाचन में 'हाउस' वे राब और 'सेनेट' वे एवं लिहार्ड सदस्य चुने जाते हैं।

कॉम्प्रेस वा अधिबेशन घर्म में पर्म से पर्म एवं बार अवश्य होना चाहिए। इसकी ऐठा ३ जनवरी को नियमन्मूल्यक होती है। नयी कमिशा अपने प्रथम अधिबेशन में अपना 'संगठन' परती, अर्थात् बहुमत दल में से अपने पदाधिकारी चुनती और समितियों के अध्यक्ष चापा गदस्य नियुक्त परती है।

सेनेट वा अध्यक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका वा उपराष्ट्रपति होता है और मत-सम्भागन के समय पश्च-विषय में समान मत आने पर निणायिक मत देता है। उसके अन्य वर्तमय अनिश्चित हैं। 'हाइट-हाउस' जाहे सो उपराष्ट्रपति से सेनेट वे साथ समझके रखने वा बाम से समझता है अभ्या उसे मन्त्रिमण्डल वी ऐठा में समिसित रखकर उसे राष्ट्रपति के वर्तमयो वा निर्वाहि परने वा अभ्यास भी बरका रखता है। जो उपराष्ट्रपति पहने सेनेटर रह चुका हो यह कभी-नभी अपने शूक्रपूर्व साधियो वो प्रभावित भी अच्छी तरह बर सकता है।

सेनेट एवं स्थानापन अध्यक्ष भी चुन सेती है, जो उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य चरता है। सेनेट वे अन्य निर्वाचित पदाधिकारी 'सिफ्टर्स' और 'सारजेंट-एड-आम्स' होते हैं, जो उसका रोजाना वा बाम चलाते हैं। उनके

अनिरिक्त पादरी, और बहुमत उपा अन्यत्र दर्शकों के नेटवर्क भी होते हैं। यदि निवाचिन में राजनातिक कामा पतड़ है तो हो जाए तो समितियों के प्रबल बाहि, सेनेट के अधिकार प्रदानिताहे, पुरानो विधिन के हो चर्चे खेले हैं।

प्रदानिताहे, समितियों के अध्यातो, और बहुमत-दर की समिति के सदस्यों को बहुमत-दर का 'क.क्य' नामदात बताता है। सामारात्मा, उन सबको पूर्ण सेनेट प्रयम बार के निवाचिन में हो जुन लेंगे हैं। अलभात-दर अपने दिन सदस्यों को समितियों में रखवाना चाहता है उनका इनाम वह स्वर्ण करता है। जुनाव के समय सदस्यों के पुरानेत्तर का चिह्न बहुमत अधिक दिला जाता है। किसी समिति का अन्यज्ञ प्राप्त समय तत्त्व काम कर चुका होता है। जो उस समिति में सबसे अधिक समय तत्त्व काम कर चुका होता है। पुरानेत्तर के काम ही किसी भी सेनेटर का अपनी समिति के पदों पर नियुक्तियों का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है।

'हाडन' का अन्यत्र स्पोकर बहुताता है। उनका निवाचिन सदस्य बताते हैं और वह सदा 'हाउस' के बहुमत-दर का कोई व्यक्ति होता है। यदि राष्ट्राधिकारी और उत्तराधिकारी का देखन हो जाए तो राष्ट्राधिकारी का प्रयम दत्तराधिकारी 'सीसर' हो होता है। कामेय में सबसे अधिक शक्तियाँ एवं उनका ही है।

मन्त्रि इस पद का नाम 'गैरेंट' भी परम्परा में रिया भजा है, परन्तु सीकर के काम वही नहीं है जो इन्होंने में। इन्होंने का 'हाडन अौ चालन्य' करने 'सीसर' का जुनाव, अन्यत्र आप्य कार्य में दमकी नियमज्ञा और सांगत्या के काम करता है। परन्तु मंत्रुक्त यन्त्र अंकिता की विधिन में स्त्रीवर दर्ताव निन्दा का एक सुरक्षा घटनाकूँ भागन होता है। उद्हृताधिकारी, विधिन के दोनों सदस्यों में विवार निनिकर के लिए हाउस की समितियों के सदस्य कहीं नियुक्त बताता है। इन सदस्यों का काम यह होता है कि सेनेट के अपने सदानन्द प्रणिनिधियों के माय नियुक्त कर हाउस और सेनेट के एक ही विषय के विरों में अन्तर को दूर बर दें। इनकी

संयुक्त रखना को साधारणतया दोनो सदन स्थीकार वर लेते हैं, और इस कारण बहुत से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कइयों का निर्णय इस बात पर निर्भर रहता है कि संयुक्त विचार विनियम के लिए स्पीकर किसे चुनता है।

स्पीकर अपनी इच्छानुसार निर्णय वर सवता है कि सदन में विसे भाषण करने दिया जाय और किसे नहीं। यदि यह सन्देह हो कि विसी बिल पर विचार करने के लिए किन्हीं दो समितियों में से कोन सी उपयुक्त है तो स्पीकर निर्णय दे सवता है कि बिल विसके समुदं किया जाय, और इस प्रकार वह बिल उसकी समर्थक या विरोधी समिति के हाथ में पहुँच सकता है। स्पीकर चाहे तो अपने स्थान पर किसी को नियुक्त करके स्वयं सभा में सम्मिलित होकर विवाद में भाग ले सकता है।

सन् १९१० से पूर्व तक, मेन राज्य के टॉमस बी. रोड और इलिनॉय राज्य के 'अकल जो' वैनन के हाथों में पड़कर स्पीकर का कार्य कठोर लौह शासन में परिणाम हो गया था। स्थायी समितियों के सब सदस्यों की नियुक्ति स्पीकर वैनन स्वयं करता था। नियम-समिति का अध्यक्ष भी वह स्वयं ही रहता था। इस समिति को अधिकार था कि वह चाहती तो विसी बिल पर कारबाई को रोक सकती थी। सन् १९१० में डिमोक्रेट और परिचम के 'विदोही' रिपब्लिकन मिलनर, स्पीकर को नियम-समिति से पृथक् रखने में सफल हो गये, और बाद वो उन्होंने उससे स्थायी-समितिया नियुक्त करने का अधिकार भी छीन लिया।

सेनेट के समान, हाउस में भी प्राय मूल्य पदों पर, विशेषत समितियों के अध्यक्षों और अधिकारी समितियों के सदस्यों को नियुक्तिया करते हुए पुरानेपन वा अत्यधिक विचार दिया जाता है। इसका फल यह होता है कि कांग्रेस में प्राय अति महत्वपूर्ण पदों पर ऐसे बूढ़े व्यक्ति नियुक्त हो जाते हैं जो अपने 'सुरक्षित' राज्यों से अपने जीवन-भर बार-बार निर्वाचित होकर आते रहते हैं।

पदाधिकारियों और समितियों के अनिरिक्त, सेनेट और हाउस दोनों में दलों के अन्तर्ज-अपने संगठन होते हैं, और उनका कानून बनाने पर प्रभावशाली नियन्त्रण रहता है।

प्रपेक्ष सदन में प्रत्येक दल का संगठन होता है। डिमार्केट उसे 'कॉर्सिन' बहुत है और टिप्पणीकन "कॉनफरेन्स"। दल अपने सदस्यों को न बेबल अविहृत पढ़ो के लिए नामजद बरते हैं, वे सदन के लिए अपना नेता और सहाय्य नेता अर्थात् सचेतक भी चुनते हैं। सदन का नेता सदन में अपने दल की कार्यशैली का नियंत्रक होता है। वही नियंत्रण करता है कि कौन सदस्य बब्ब क्या कोलेगा, और आम को शोध निवाराया जाय या लम्बा खींचा जाय। सचेतक शब्द सदस्यों का अपना हृष्टि में रखता है और जब 'बाइ' के लिए उनकी आवश्यकता होती है तब उन्हें से आता है।

बहुमत-दल की 'हाइस' में एक मार्ग-नियंत्रण समिति भी होती है। सदन का नेता ही उसका भी नेता होता है। वह नियम-समिति के नियंत्रण सम्पर्क में रहती है, और दल की 'कॉनफरेन्स' का 'क कम्य' जिस बिल का समर्थन करने का नियंत्रण बरतती है उसे आगे बढ़ाने का यन्त्र बरतती है। सेनेट में दोनों दलों की मार्ग-नियंत्रण समितियाँ होती हैं, परन्तु उनका दल घोड़ा होता है, क्योंकि सेनेटर मुण्डभत्ता से बहु में नहीं आते।

दलों के संग्रह का विधि-नियमित पर प्रबल प्रभाव होता है, यद्यपि वे सदा ही उसका नियन्त्रण नहीं बर पाते। जब कोई बात 'दल' की बात बन जाती है तब यह प्रभाव विशेष रूप से प्रबल होता है क्योंकि प्रपेक्ष दल दूसरे दल के विरोध में अपना मार्ग नियंत्रण कर लेता है। ऐसे मामलों में दल के संगठन विचार के संचालन तथा सदस्यों को एकत्र बरतने के द्वारा सहायता करते हैं। परन्तु बहुधा विचारावान प्रस्तुति के कारण दोनों दलों में आन्तरिक मनमेद लड़े हो जाते हैं, और तब दोनों य संगठन अधिक पुराने और प्रभावशाली सदस्यों की इच्छा पूरी बरते का यन्त्र बरतते हैं। यदि कोई अमानाश्रण बात नहीं कि दोनों दलों का नियन्त्रण बरते बातें, दोनों दलों के पुराने मुद्रनीयों के विरुद्ध अनियमित रूप से मिल कर एक हो जाय। उद्दहरणार्थ, यो ट्रूमैन के समय दोनों दलों के पुराने लोगों में राष्ट्रपति के विद्वद् परम्पर सहयोग के लिए बहुधा दृष्टिशोधर हुआ बरते थे।

जो यात्री वार्षिकठन जाते और सेनेट या हाउस की कार्रवाई दर्शकों को गैलरी में बैठकर देखते हैं वे सदन का दृश्य देख कर बहुधा स्तब्ध रह जाते हैं। साधारणतया जब किसी सदस्य का भाषण हो रहा होता है तब अधिकतर आसन खाली पड़े रहते हैं। जो सदस्य उपस्थित होते हैं वे भी कुछ पढ़ते रहते या धूम फिरकर एक दूसरे के साथ बात-चोत करते रहते हैं। कुछेक का ध्यान स्पीकर पर लगा रहता है और वे बार-बार उसे टोकते रहते हैं, कभी-कभी उसका पश्च लेने के लिए, परन्तु अधिकतर उसकी युक्तियों को काटने के लिए। फिर मन विभाजन या 'कोरम' के लिए सब सदस्यों को नाम लेकर पुकारा जाता है। तब सारा भवन और कार्यालयों को इमारतें घटियों से गूँज जाती है और सदस्य अपने नाम की पुकार का उत्तर देने के लिए आकर तुरन्त एकत्र होने लगते हैं। शोप्र ही वे पुनः विसर जाते हैं, और फिर उदासीनता का साधारण बातावरण छा जाता है।

प्रायः सभी सेनेटरों और कांग्रेस-सदस्यों को बहुत समय तक काम करना पड़ता है। उनके उल्लुक निर्वाचिक उन्हे इनना परेशान किये रहते हैं कि किसी शान्त व्यक्ति का तो धौरज ही चूँज जाय। सदन के दृश्य से कांग्रेस कार्य-शणाली का ठोक-ठोक चित्र प्रकट नहीं होता। वहा का अधिकतर समय किसी ऐसे बड़े विवाद में व्यतीत नहीं होता जिसका राष्ट्र के सब लोगों पर अथवा कांग्रेस के कुछ ही सदस्यों पर प्रभाव पड़े। अधिकतर समय सदन ऐसा स्थान बना रहता है जहाँ कि सदस्य अपने नाम की पुकार का जवाब देने, लेखे पर आने के लिए एकाध भाषण कर देने या किसी दूसरे सदस्य के भाषण में टोका-टाको करने, या कभी-कभी ऐसे सदस्यों से दो बातें करने के लिए जाता है जिनकी सहायता की उसे किसी बागामी कानून के मन्त्रन्य में अपेक्षा हो। सदन एक बाजार है परन्तु जो माल वह विक्री है वह कहीं और ही तैयार होता है, मुख्यतया समितियों और गोष्ठो-बंडों में।

सेनेट और हाउस, दोनों में विधि-निर्माण के मुख्य-मुख्य विषयों को स्थायी समितिया होतो हैं। यन् १९४६ में कांग्रेस का पुनर्गठन हुआ या और तब सेनेट की स्थायी समितियाँ घटाकर उससे १५ और हाउस की ४८ से १६ कर दो गई थीं।

द्वे यह था कि एक ही काम कर्त्तव्य मिलियों में दैशा न रहे और प्रभेत्
मुदम्य कम मिलियों से मुमद्दू रहकर अनना ध्यान बरने काम पर विभिन्न केन्द्रित
कर सके। यह दृष्टिकोण उत्तरांशकारी नहीं निकाश कितना कि यह दृष्टि सगता
था, क्योंकि मिलियों नुस्खा हा नपोनयों उत्तरांशियों निरुच बरने लगी।

अनेक मिलियों भी होती हैं, जो दोनों मुदना के मुदम्यों से मिलार
बनती हैं। ये द्वारा और आधिक विवरण आदि कर्त्ताहृत ऐसे शुल्क विषय पर
विचार करती हैं जिनमें कि महावाकाशी राजनीतियों को गजनीतिक दोष में अगे
बढ़ने की हास्ति में उत्तरा आकर्षण नहीं लगता दितना कि टैक्स लगाने वशवा
मुख्य नेताओं आदि के कामों में। मिलियों किंविति की पुनर्गत्वृति में बनती
है, परन्तु जा विषय राजनीतिक विचार में उत्तरे हूए होते हैं उन पर उन्होंने तरों से
दो बार दृष्टि विचार का समर्थन किया जाता है जो कि विभिन्न में दो मुदन रखने
के समर्थन में प्रमुख विषय जाते हैं।

मन् ११४६ में पुनर्गत्य के समय, काशिन ने यह निरचय किया था कि यह
विटेप मिलियों की निरुत्तियों में अन्यथा नहीं बरेगा। पिछले दोनों में उनकी
निरुत्तियों बहुत हुई थीं, विटेप जाते हैं इए। उनका एक लाभ यह था कि जो
मुदम्य करिये दो किसी प्रश्न की जांच के लिए सहृदय कर लेता था, सावारणः
वही मिलिय था अप्यक्ष बना दिया जाता था और उस पर काम बरने का नहेता
किया जा सकता था।

ददाहराराय, मेनेप्पर ट्रूफन डिटेप विष्वनुद वे मचानन को जात्र करने के
लिए निरुक्त एक मिलिय के कम्भज से और उन्हें बयोग्यना वशवा पञ्च पात्र के
अनेक मामणों को सराजा पूर्वक रोक दिया जायदा नहीं होते दिया था। इसी काम
के कारण उन्हें दग्धाद्वयति वा पद लिंगित किया और 'द्वादश हान्त' में
पूर्व पात्र।

व्यापि मन् ११४६ के परनाम् विटेप मिलिय कम निरुक्त की गई है, तथाति
विटेप वशवा म्यायो उत्तरांशियों द्वारा प्रकार के काम के लिए कम्भोजों निरुक्त
होती रही है।

कानून बनाने की साधारण विधि में समितियों को बहुत समय तक भारी अध्ययन करना पड़ता है। बहुत से मह यथौर्ण विल राष्ट्रपति द्वारा सुभाष्ये जाते हैं, और जिस विभाग का उनसे सर्वाधिक सम्बन्ध होता है वह प्राय प्रत्यापित विधेयक का मसविदा भेज देता है। परन्तु यह मसविदा प्रारम्भिक मात्र होता है। जिस समिति के सुपुर्द वोई विधेयक रिया जाता है वह उसे विधेय के सामने भेजने से पहले अपना सन्तोष भसी प्रवार कर लेती है जिसे वह अपने अंतिम मसविदे में एक-एक शब्द की जिम्मेवारी ले सकती है या नहीं।

समितियों बहुधा अन्य सोगों के भी विचार मुनाफ़ी हैं। यह गुनवार्ड विषय के अनुसार उभी गुप्त होती है, कभी सुनो। इन गुनवार्डों में शासन विभागों के अध्यक्षों और उनके विशेषज्ञों से भी पूछताछ की जाती है, परन्तु इससे रादा सब बातें जानने में राफलता। प्राप्त नहीं होती, क्योंकि साधारणतया विधेय के सदस्य विशेषज्ञों की अपेक्षा उस विषय से कम परिचित होते हैं। यही बात 'लाबिल्स्टो' अर्थात् निरी विल में एच रखनेवाले व्यक्तियों द्वारा रिए हुए विवेलों से पूछताछ के विषय में वही जा सकती है। 'लाबिल्स्टो' का मुख्य काम समितियों के सामने विवाद करने वाले होता है, परन्तु 'लाबिल्स्ट' भेलवोत बढ़ाने में भी निपुण होते हैं और वे बहुधा विधेय के सदस्यों के साथ बातचीत परने के अवसर निकाल लेते हैं। सख्तारी सर्वचारियों और 'लाबिल्स्टो', दोनों वो, मुख्य रान्देह की हड्डि से देखा जाना है। परन्तु उनसी गवाहियों में बहुत-नी उपयोगी और सब्जी सूचनाएं भी रहती हैं, नि रान्देह उनका तथ्य उस पक्ष को लाभ पहुँचाना हो रहता है जिसका ये समर्थन पर रहे होते हैं। समितिया जो सामनों समझ बरती है उसमें से बहुत-नी का महत्व राजनीति होता है जिसके बारे में वह अपेक्षा है। अधिकतर समितियों के पास अपने ही सर्वचारी होते हैं जिनमें एक या अनेक विशेषज्ञ भी सम्मिलित रहते हैं।

परिषेक के बहुत कम सदस्यों को राजनीतिक विषयों के अंतरिक्ष अन्य विस्तों का विशेषज्ञ बनने का समय मिलता है, और न कि अब शासन के काम अधिकारियों परीक्षा होते जाते हैं, इसांगे विधेय भी यह अनुभव बरने रागे हैं जिसे अपने मात्र विद्यार्थी लिए उसे भी विशेषज्ञ की अपेक्षा है। अधिकतर समितियों के पास अपने ही सर्वचारी होते हैं जिनमें एक या अनेक विशेषज्ञ भी सम्मिलित रहते हैं।

प्रत्येक सदन का एक विचित्र-विठेपत्र कार्यालय होता है। वह समिनियों और सदस्यों के लिए विनेयकों के मनविद बना देता है और यह ध्यान रखता है कि नये कानून की प्रत्येक बात पहले से विद्यमान कानूनों के साथ संगत हो।

हाल वे वर्षों में बांग्रेस ने अपने पुस्तकालय में कानूनों का हवाला अथवा प्रतीक बतलानेवाली विठेगज्ज्ञों की सेवाएं बहुत बढ़ा ली हैं। इनमें अनेक विषयों के विठेपत्र भी सम्मिलित हैं। उनमें आशा की जाती है कि वे सब सम्बद्ध तथ्यों की सूचना जिन विसी राजनीतिक पश्चात के देते रहेंगे। बांग्रेस के कुछ सदस्य इस मुविधा का उपयोग अपने भाषणों अथवा समिति के बाम के लिए तथ्यों की सूचना लेते रहने में करते हैं।

बांग्रेस अपना बाम इस प्रकार करती है, इस विषय के जिसी भी विवरण को फढ़ था मुनक्कर यही प्रतीत होगा कि वह जिसी भी भाष्मले में ठीक परिणाम पर नहीं पहुँच सकती, परन्तु वह बहुधा यही बाम करती है जिसकी उम समय आवश्यकता होती है और जिसे लोग चाहते हैं। सन् १९३३ के पश्चात् बांग्रेस को संसार में हृलचल मचा देने वाले जो निर्णय करने पड़े उनकी संख्या उसके प्रत्येक अधिकारण में निरन्तर बढ़ने लगती गई। परन्तु यह अमानवी ही लगता है कि बांग्रेस के बुद्धिमान् और देरा भनन् सदस्य इन सब महत्वपूर्ण समस्याओं के पूर्ण ज्ञाता बन गये होंगे, क्योंकि उनपर कार्य का अधाधिक भार रहता है। पिछे भी 'न्यू टोल' (राष्ट्रपति इंजेल्ट की आर्यव नीति का नाम) के प्रश्नमित्र वर्षों से नेश्वर 'मार्टिल योजना' और इस के नवीन कार्यक्रम तक जिनमें भी नये कानून बने उनका बहुत बड़ा अनुपान सफार रहा और उने दीना दिनों ने स्वीकार कर लिया। वही न कहीं से बांग्रेस बा मार्ग-प्रदर्शन होना ही रहता है। ऐसा बहुत तो शायद ठीक ही होगा कि युग्म भाग-प्रदर्शन की शक्ति राजनीति की बहु पद्धति है जिसके द्वारा अमेरिकी जनता अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं और निर्णयों को प्रकट करती है। बांग्रेस की कार्य प्रणाली में उपर-उपर में जो अनवर्ष्या दिग्गजार्द पड़ती है उस के बावजूद वह जनता की इच्छा को शामन के कार्यों का इष्ट देने का एक नाकूल यन्त्र है।

परन्तु कांग्रेस की आयोग्यता की आलोचना निर्खाल होती रहती है और कुछ अधिक समय बीत जाने पर कांग्रेस को भी अपना मुधार आप करने की धून सवार होती रहती है। इस प्रकार की सबसे अन्तिम धून उसे सन् १९४६ में सवार हुई थी। यह सेनेटर लाफोलेट और कांग्रेस-सदस्य मोनरोनी की अध्यक्षता में नियुक्त एक विशेष संयुक्त समिति द्वारा अमेरिकी-राजनीति विज्ञान-संघ की एक टिपोर्ट के अध्ययन के पश्चात हुई थी। सन् १९४६ में पुनर्गठन में समितियों की संख्या तो कम कर दी गई थी, परन्तु 'टेक्निकल' कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गई, सदस्यों के बेतन ऊचे बर दिये गए, और सरकार के विरुद्ध छोटे-छोटे दावों तक का भुगतान करने के लिए प्रत्येक के सम्बन्ध में एक पृथक् विल (विधेयक) पास करने के लिये जनक काम से कांग्रेस को मुक्त कर दिया गया था। परन्तु इस पुनर्गठन को भी यह वहकर आलोचना की गई थी कि इससे सब आवश्यक सुधार तो हुए नहीं, और एक ऐसे अवसर को हाथ से निकल जाने दिया गया जो शायद पुनः शीघ्र नहीं आयेगा।

पुराने सदस्यों का लिहाज करने की प्रथा हृदय से नापसन्द की जाती है, विशेषतः उदार विचार के लोगों द्वारा, क्योंकि दोनों ही दलों में बृद्धतम व्यक्तियों को प्रदृष्टि आरिवर्तन वाली होती है। वे बूढ़े व्यक्ति अधिकार के पदों पर बैठ लो जाते हैं, परन्तु कभी-कभी किसी महत्वपूर्ण समिति के अध्यक्ष के निर्वाल और असमर्थ होने का भयंकर उदाहरण भी सामने आ जाता है।

पुराने सदस्यों का लिहाज करने की प्रथा के पश्च में प्रधान तक यह दिया जाता है कि कांग्रेस का संगठन करते समय चुनाव की अधिकतर समस्याएँ इससे स्वयमेव मुलझ जाती हैं। संगठन के समय बहुमत दल में मनैक्य रहना आवश्यक है, क्योंकि सम्भव है कि उसका बहुमत अत्यल्प हो। यदि दल में, साधन-क्षय-कोश-समिति सरीखी किसी महत्वपूर्ण समिति का अध्यक्ष चुनने के समय भत भेद हो जाय तो अवहारत, अत्यमत दल को ही उम्मीदवारों में से किसी एक को चुन लेने का अवसर मिल जायगा। इस बात की सम्भावना बहुत कम प्रतीत होती है कि सेनेट और हाउस के नियमों वा नियन्त्रण जिन व्यवहार-कुशल राजनीतिज्ञों के हाथ में

है वे मुराने मदम्या का लिहाज बरने वी प्रथा में मुधार बरना कभी परम्परा करेगे ।

एक और प्रथा जो कि बहुत समय से आलाचना का चिपम बनी हुई है वह 'सेनेट' में 'फिलिबस्टर' की अर्थात् अनन्त काल तक बेन्चराम बोलने चले जाने की है, जब दुष्क्रिय हठ निश्चयी सेनेटर मिलार निमी विल को पास न होने देने की ठान लेते हैं । तब वे वारीचारों अनिश्चित काल तक भाषण करके उस विल की हथा कर देते हैं । उन्हें विल पर विवाद तक नहीं बरना पड़ता, क्योंकि शेक्सपीयर की अथवा पात्रशास्त्र की विमी सर्वदा अद्वामगित पुस्तक को उच्च स्वर में बाचते चले जाना भी सेनेट के नियम से मंगत है ।

सेनेट में 'कलाचर' का भी एक नियम है, जिसके अनुसार दो-तिहाई के बहुमत से विवाद को बन्द करने का निर्णय दिया जा सकता है, परन्तु इस नियम को दाना दलों ने चतुरतापूर्वक अव्यवहार्य बना दिया है; क्योंकि वस्तुतः वोई भी दत 'फिलिबस्टर' का अधिकार छोड़ना नहीं चाहता ।

'फिलिबस्टर' की आलाचना में कहा जाना है कि उसमें बहुमत के शामन के मिद्दान का धान हाता है । नि मन्देह वोई भी व्यक्ति जो विल के दिलदृ 'फिलिबस्टर' का प्रयाग नहीं करेगा जिसके पश्च में बहुमत स्वर्य ही मत देने के लिए तैयार न हो । इसके विरोध, सेनेट का धिश्वाम है कि मंधीय मिद्दान के अनुसार जन भागिनी में निरे बहुमत द्वारा शामन का होना उचित नहीं है जो कि बहुमतस्वयं राज्यों को मत्त न हों । अमेरिकी जनता का सदा से यह विश्वाम रहा है कि बहुमत के शामन की सीमाएँ होनी हैं, बहुमत को शामन करने का अधिकार विरेषनाया उमी स्थान पर होना चाहिए जहाँ उम्मा बहुमत हो । दक्षिणी वे रोलीना काने न्यूयार्क वाला के बहुमत में शामिन होना स्वभावत परम्परा नहीं कर सकते । यह भी स्मरणीय है कि सेनेट का सगड़न ही इमलिए निया गया था कि जनमस्त्या के अधार पर निर्वाचित 'हूट्ड' के बहुमत का विदेश में मन्तुलत हो जाय । जिसो राज्य में भवदाता जिनने हैं, इन बात का विचार किए जिना सेनेट में प्रदेव राज्य के दो मन होने हैं । मह व्यवस्था एवमात्र इस प्रभावज्ञ में की गई थी फि द्योदे राज्यों की बड़े राज्यों के बहुमत में रखा हो सके । इमलिए मह आरचर्य की बात

नहीं कि सेनेट वी परम्परा में ऐसे अल्पमत का उसके निरे संख्या-बल की अपेक्षा अधिक आदर दिया जाय जो जिस प्रस्तावित नियन्त्रण को अचाचारपूर्ण समझता हो। उसका विरोध बरने के लिए विसी भी हृद तब जाने को तैयार हो। इसलिए विवाद वो सीमित करने का कोई सीधा और सरल नियम 'हाउस' के समान सेनेट द्वारा भी अपना लिए जाने की सम्भावना बहुत कम है।

प्रबन्ध के विसी साधारण मान से देखने पर भी सेनेट और हाउस को बायं-बुशलता का स्तर निम्न है। उसे ऊंचा उठाने के लिए अनेक सुभाव दिये जा सकते हैं। एक सुभाव यह है कि दोनों सदनों में विजली के मत-विभाजन पट्ट लगा दिए जायें, जैसे वह राज्यों के विधानमण्डलों में लगे भी हुए हैं। प्रत्येक सदस्य का नाम पुकार बर लाने में समय का भारी नाश होता है, विशेषतः 'हाउस' में। इस पढ़ति के पश्च में कभी-कभी यह बहा जाता है कि उस समय का उपयोग सदस्य परस्पर विचार-विनियम के लिए कर सेते हैं परन्तु इस उपयोग का मूल्य प्रायः कुछ नहीं है। विजली का मत-विभाजन-पट्ट लग जाने पर सदस्य एक साथ मन दे सकेंगे, और पट्ट से भी वैवल उसका परिणाम तुरन्त प्रकट हो जायगा, उभका सेवा भी आप से आप सुरक्षित रहेगा।

एक और गुम्भाव यह है कि फोलम्बिया जिले को स्वरासन का अधिकार दे दिया जाय। इस समय इस जिले के प्रतिनिधियों का बोई, जिले वी सखार, राज्य-विधान सभा, और संघीय विधान-मण्डल, सब कुछ कांग्रेस ही बनी हुई है। वारिंगटन के निवासियों का नाम यदि जिले से बाहर वही लेयबद्द न हो और वे वहां मन न देते हो तो वे भत दे ही नहीं सकते।

वारिंगटन के लिए सेनेट और हाउस दोनों की, जिला समितिया होती हैं। स्थानीय करो वे नियम भी कांग्रेस बनाती और यह निर्णय भी वही करती है कि बीसवीं सड़क चौड़ी की जाय या नहीं और नाइयो की दुनानों का निरीक्षण किया जाय तो किस प्रवार। ये थोटे-थोटे काम उस विधान मण्डल के योग्य नहीं जान पड़ते जिसे समुक्त राष्ट्र मंथ के साथ अमेरिका के सहयोग अथवा उत्तरी-अतलान्टिक-संघ-संगठन में गम्भीर प्रसन्नों का निर्णय करना हो।

सन् १८८७ में जब इम जिले में किसी स्थानीय स्वशासन की ममार्जन की गई थी तब उसका उद्देश्य मुख्यार करना था । उन दिनों संतुत राज्य अमेरिका में नगरों के शासन में भ्रष्टाचार इनका अधिक फैल चुका था कि आव उसका उदाहरण निमी भी नगर में नहीं मिल सकता । जो लोग कॉप्रिस को जिले के होटेल्सोटे कामों के बोझ से मुक्त करने का सुझाव देने हैं वे यहते हैं कि आधुनिक उपायों द्वारा किसी भी नगर का बाजार उभका अवना हो शासन-संगठन ईमानदारी और तुशब्दना से चला सकता है ।

कॉप्रेस का कार्य निरन्तर न खत सबने और घास बढ़ते रहने वा सब से बड़ा कारण यात्रियों का सम्बो तोता है जो कि राज्यों से वाशिंगटन जाते रहते हैं । अमेरिकनों को अपने राष्ट्र की राजधानी देखने का शौक है । वे चाहते हैं कि उनके राज्य के कॉप्रेस-न्यूइस्ट्री उनको 'हाइट्स' के भोजनालय में भोजन करावें, उनको नाटक का टिकट खरीद दें, और उनके लिए होटल में निवास का स्पान खोज दें । हार्ड स्कूल की बाल्केट्स्नॉलटीम चाहती है कि हमारे राज्य वा सेनेटर ऐसी व्यवस्था कर दे कि राष्ट्रपति 'हाइट्स-हाइट्स' की सीडियो पर टीम के साथ खड़ा होकर फोटो लिचवा से । एक बार एक सेनेटर ने कुछ हड होकर विग्राधियों को समझाया कि राष्ट्रपति आजकल युद्ध संचालन के कार्य में अव्यन्त व्यस्त हैं, और तुम्हारे साथ फोटो लिचवाने की पुरासन नहीं है । तुरत ही एक अन्य सेनेटर अपने साथी से बाजी मार के जाने के लिए तैयार हो गया । उसने कहा कि 'हाइट्स-हाइट्स' में इस बात की व्यवस्था में बड़े गा ।

कोई भी मतदाताओं को किसी प्रकार यह समझाने का साहस नहीं करता कि अपने प्रतिनिधियों को परेशान मत करो । सब दरते हैं कि आगामी खुनाव में वही मतदाता उनकी उपेक्षा न कर दें । बहुत कॉप्रेस के सदस्य अपने राज्य के लोगों के साथ सम्पर्क बो इतना मूल्यवान मानते हैं कि जब कॉप्रेस वा अधिवेशन नहीं हो रहा होता तब वे स्वयं अपने राज्य में जाकर अधिक लोगों से मिलना पसन्द करते हैं । मिलने वालों के बढ़ते हुए प्रवाह वो मम्मालने वा उत्तम उपाय यह प्रतीत होता है कि निष्पिन काम की देखभाल करने के लिए अधिक कर्मचारी रख लिये जायें, जिससे कॉप्रेस न्यूइस्ट्री को मिलने-जुनने वा समर मिल सके । जो सदस्य

अपने दफ्तर से हाउस को जाते हुए गली में अपने दोनों कानों में दो मनदाताओं के रुकाजों के शूंजता रहने पर भी 'मैं अपना मत किधर दूँगा' यह निषय करने का व्यानन्द नहीं ले सकता । वह शायद या तो मर जायगा और या अपने पद का त्याग कर अपना स्थान किसी अधिक सहिष्णु तथा धैर्यशाली व्यक्ति के लिए रिक्त कर देगा ।

कौश्रेस में भारी हल्ला-गुल्ला मचा रहता है, और फिर भी वह उतना काम भुगता लेती है जितना कि जनता उससे कराना चाहती है, इसका कारण शायद यह है कि सहज राजनीतिज्ञों का काम करने का दग ही यह है । राजनीतिज्ञ वैसी ही जनता का प्रतिनिधित्व करता है जैसी उसके निर्वाचित क्षेत्र में बसती है । तिसपर उसके बारें उसकी शक्ति बढ़ जाती है । वह जो हल्ला-गुल्ला करता है वह अमेरिकी हल्ला-गुल्ला होता है । विदेशी लोग उसे देख कर आश्चर्य करते हैं, यद्यपि उनके देशों में भी अन्य प्रकार का हल्ला-गुल्ला होता ही होगा । परन्तु हम जैसे भी बुद्ध हैं, अमेरिकी लोग उन आपत्तियों और समस्याओं का सामना सफलतापूर्वक बिना किसी दुष्परिणाम के कर रहे हैं जिनकी उनके विधान-निर्माताओं ने बत्तना भी नहीं की होगी । आशा है कि संपुक्त राज्य अमेरिका जो सफलता प्राप्त करेगा उससे न केवल अमेरिकियों को सतोष होगा, वह अन्य स्वतन्त्र लोगों के लिए सहायक होगी । अमेरिकी कौश्रेस जिस जनता की प्रतिनिधि है, उसके युग और दोष भी उसमें पूर्ण मात्रा में विद्यमान हैं, और अन्ततोगत्वा वह सफलता भी उतनी ही मात्रा में प्राप्त कर सकती है ।

अध्याय ७

संघीय न्यायालय

संघीय न्यायालयों और दुष्क न्यायानयों के समान काम करने वालों "रिपब्लिकेशन एजन्सियों" का काम बानून के अनुमार बेवन मुकदमा का निर्णय कर देना नहीं, उससे भी कुछ अधिक है। लिखित बानून के शब्द ही बानून का सर्वस्व नहीं हो सकते; नभेन्टे प्रश्न खड़े होते रहते हैं और बानून को उनमें भी मुलमला पड़ता है। कभी-कभी कैरिस नभे प्रश्नों का हल बरने के लिए नभे बानून बना देते हैं। परन्तु कभी-कभी न्यायालयों को पुराने कानूनों में नया अर्थ दिखाई पड़ जाता है और न्यायालय उसे पुराने बानून की वास्तविक भावना से सगत घोषित कर देते हैं।

विम व्यवस्था को भाना जाय और विस्तो नहीं, यह निर्णय होता तो है राजनोतिक, परन्तु यह निर्भर चरता है मुख्यतया न्यायाधीशों की वैयक्तिक मनोवृत्ति पर, विशेषतः "मुश्रीम कोर्ट" अर्थात् सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की मनोवृत्ति पर। ये सज्जन राजनोनि से सर्वथा सम्पर्क रहते होते हैं, क्याकि इनको नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो अपने पद तक चुनाव जीत कर पहुंचा होता है, और सर्वोच्च न्यायालय के एकान में बैठने पर भी इन पर अपने देशवासियों के नैनिक आदर्शों और राजनातिक निर्णयों का प्रभाव पड़ता हो रहता है।

गणतन्त्र के आर्थिक दिना में इस समस्या का सोधा भासना नहीं चरना पहता था इसके शासन संविधान का उल्लंघन करे तो क्या करना चाहिए।

संविधान को "देश के उच्चतम कानून" के रूप में अपनाया गया था और कांग्रेस का या राष्ट्रपति का कोई भी काम जो उसके विरुद्ध हो, सिद्धान्तत कानून नहीं हो सकता था। सन् १८६६ में जेम्स ब्राइस ने कहा था—“जो काम वे अपने अधिकार से बाहर करते हैं वे अवैध हैं और उन्हे निम्नतम नागरिक भी अवैध मान सकता है, नहीं, उसे बेसा मानना चाहिए।” ब्राइस का विचार था कि किसी कानून को संविधान विरुद्ध ठहरा देने का सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार तर्क सगत और अनाक्रमणीय है। परन्तु डनिहास में उस अधिकार पर विरोपणों ने, एफ्यूपी जैससन और अन्नाहम लिंकन न भी, आक्रमण किया है। सन् १९३७ में “न्यायालयों को भर डालने के विवाद” के समय इस अधिकार पर सन्देह प्रकट करने वालों ने बहुत ही गरमी दिखलायी थी।

औपनिवेशिक शासन में ब्रिटिश राजा के आज्ञा पत्र को आधार भूत कानून माना जाता था। उस समय भी न्यायालय कभी-बभी विसी कानून को आज्ञापत्र का उल्लंघनकारी होने के कारण अवैध ठहरा देते थे। राज्यों में वही परम्परा चलती रही। सन् १७८६ में रोड आइलैण्ड के उच्चतम न्यायालय ने राज्य के विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत एक कानून को इस आधार पर अवैध ठहरा दिया था कि वह राज्य के संविधान का उल्लंघन करता था।

सन् १८०३ में जब मुख्य न्यायाधीश जान भाईंसल ने सुश्रीम कोटि अर्थात् सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम निर्णय लिखकर कांग्रेस के एक काम को अवैध ठहराया तब वह परम्परागत तर्क के अनुसार एक अधिकार का प्रयोग कर रहे थे और वह उन्हें अपने कार्य का हठ आधार मानते थे। उन्होंने कहा था कि “यह सिद्धान्त कि संविधान का विरोधी कोई भी कार्य अवैध है, सब लिखित संविधानों के साथ तात्त्विक रूप से संलग्न होता है और इसलिए यह न्यायालय इसे अपने समाज का अन्यतम आधार भूत सिद्धान्त मानता है।”

अगले पचास वर्षों में संविधान के उल्लंघन का सामना करने के लिए एक और सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया। वह सिद्धान्त यह था कि विसी भी राज्य को अधिकार है कि वह जिस सधीय कानून को असंवेदनिक अथवा अस्वीकरणीय समझे उसे निपिद्ध घोषित कर दे। सन् १८२८ में जान सी० कौल्हन ने साउथ

करोलीना राज्य के विधान मण्डल के लिए एक निवन्ध तैयार किया जो पीढ़ी "साउथ करोलीना एस्टेट्सेक्शन" अर्थात् 'साउथ करोलीना' का विचार' वहनाया। उसमें उन्होंने प्रतिपादित किया था कि संविधानिक हृष्टि से संघीय शामन राज्यों का एजण्ट या कारिन्दा मान है। उन्होंने इटापूर्वक कहा कि जो भी कोई राज्य अप्रिस के कार्यों से अप्रमाण हो वह किसी संघीय कानून को निपिद्ध ठहराकर उसका अमल अपने यहाँ रोक सकता है। तब वह कानून 'असंवैधानिक' हो जाता है, और उस राज्य को उसे मानने के लिए वाधित तभी किया जा सकता है जब राज्यों के रीत चौथाई घटमत से संविधान में संशोधन कर दिया जाय।

ब्ल्यून के तर्क से उच्चाहित होकर साउथ करोलीना राज्य के निरफिरे सोगो ने एक संघीय तटकर कानून को निपिद्ध ठहराने का इरादा किया। राष्ट्रपति ऐसन ने जवाद दिया कि सब की रक्षा वी ही जायगी, और यदि आवश्यकता हुई तो मैं कानून को सेना की सहायता से लागू करूँगा। उस प्रश्न पर समझौता हो गया और काप्रिस ने कानून को नरम कर दिया।

बीस वर्ष परचान् विलोन्सन के विधानमण्डल ने उस संघीय कानून को मानने से इनकार कर दिया जिसके अनुसार किसी भी उत्तरी राज्य को उसकी सीमा में कोई भगाहुआ दास पाया जाने पर उसे वापस भेजने के लिए वाधित किया जा सकता था। जो संघीय कानून इसी राज्य को बत्याचारपूर्ण प्रतीत हो उसे अदैव ठहराने की यह अपील ही गृहन्युद का कारण बन गई और सन् १८६१-६५ के गृह-न्युद से यह निपेंड्राधिकार सदा के लिए समाप्त हो गया। परन्तु गुप्तीमन्डोट उसके परचान् भी कानूनों पर विचार चुपचाप इसी बाधार पर करता रहा कि वे संविधान से मंगत हैं या नहीं, यद्यपि उसने सन् १८०३ से १८५७ तक निसी संघीय कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं किया। विसी गृहन्युद के परचान् आज्ञान्यरक कानूनों की मात्रा बड़ गयी और न्यायालय अपने अधिकार का प्रयोग बार-बार करने लगे।

जनना ने क्रमशः इस तर्फ जो मान लिया और इसके सामने सिर मुत्ता दिया है कि जब न्यायालय किसी लोक प्रिय कानून पर प्रहार 'करता है तब

उसका अर्थ इन्हां ही बनाना होता है कि जनना ने आनंद मार्ग का अवलम्बन किया है। व्यवहार में न्यायालय के कथन का अभिप्राय यह होता है—“तुमने सन् १७८७ में कांग्रेस को आयन्कर लगाने का अधिकार नहीं दिया था। यदि तुम अब (सन् १८८५ में) आयन्कर लगाना चाहते हो तो तुम वसा कांग्रेस से कहकर नहीं कर सकते। उसके स्थान पर, संविधान में सशोधन के द्वारा, अपने आपमें कहो।” इस प्रकार सोग फिर पीछे लौटे और उन्होंने आरम्भ से चलना शुरू किया। उन्होंने आग चिन्नन किया कि क्या आयन्करों की इन्हीं आवश्यकता है कि यदि संविधान को सशोधित करना पड़े तो वह भी कर लिया जाय। सन् १८८३ में जाकर उन्होंने निर्णय किया और संविधान में सोलहव सशोधन द्वारा प्रत्यक्ष आयन्कर लगाने की अनुमति दे दी गई। यह सत्य मुद्दित है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को संविधान में सशोधन करने की लम्बी ओर धैर्य पूर्ण विधि से ही बदला जा सकता है परन्तु जब लोग अधीर होते हैं तब वे इस सत्य के ज्ञान-मात्र से बन्दूष नहीं हो जाते।

सुप्रीम कोर्ट का संगठन ऐसे विधि-विशेषज्ञों से मिलकर होता है जो न्यायाधीश बनने से पहले दीर्घ-काल तक जीवन में सफल रह कर अनुभवी बन चुके होते हैं। उनमें सभी निजी जीवन में न्यायाधीश या वकील नहीं होते। सुप्रोम कोर्ट का कोई न्यायाधीश अपने पूर्व जीवन में सेनेटर, अटर्नीजनरल, कानून के स्कूल का अध्यापक अथवा न्यायालय के समान काम करने वाली किसी एजन्सी का प्रशासक आदि कुछ भी रह चुका होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई न्यायाधीश पचास वर्ष की आयु में नियुक्त किया गया। उसके दोस से चालीस वर्ष तक जीवित रहकर न्यायाधीश बने रहने की सम्भावना रहती है। उसके कुछ बृद्ध होने की सम्भावना तो ही ही। इसलिए वह जब से पहली पीढ़ी के राजनीतिक समार के साथ निकट समर्पक में भी अवश्य रहा होगा। न्यायालय अपने मनो में प्राप्त परिवर्तन-विरोधी होते हैं और इसी कारण उन उदार विचार के लोगों को क्षुब्ध कर देन वाले होते हैं जो कि द्रुत गति से प्रगति करना चाहते हैं। सन् १८८७ में खर्बोच्च न्यायालय के न्यायाधीश असाधारण बृद्ध थे और पदावृद्ध पार्टी अनि तीव्र

गति से आवृद्ध रही थी। परिणाम दहू हुआ जिसका नाम "न्यायालय की भरपाई की एक घटना" बनायी।

लन् १६३५ से सन् १६३७ तक "नू टील" (स्वर्गीय हज़ेरेल की नयी आर्थिक नीति) को वार्षिकीन वरमें व लिए बनाये गये कई काशून मध्यौच्च न्यायालय के सामने गए और अमदवानिक धापित कर दिये गये। राष्ट्रपति हज़ेरेल में वहाँ ही न्यायाधीश अपन्त बुद्ध हा गये हैं और कांग्रेस में प्रस्ताव किया गया कि बुद्ध नये न्यायाधीश नियुक्त करके न्यायाधीशों को सख्ता नी से बढ़ाव कर पद्धति कर दी जाय। "न्यायालय का भर दृष्टव" की यह घोषणा इतने अधिक लागे और बुरे लगी कि कांग्रेस ने इस अस्वीकृत कर दिया। परन्तु न्यायालय न अपना मार्ग बदल लिया और राष्ट्रपति हारा आक्रमण का कोई अन्य उपाय किये जाने से पहले ही वह उसके मार्ग में से हट गया। सन् १६३७ के पश्चात् पुराने न्यायाधीशों के पद-लक्षण और मृत्यु के बारा भी हज़ेरेल का आठ नये न्यायाधीश नियुक्त करने का अवसर मिल गया। न्यायालय ने भी डिमार्जेटिक पार्टी के बीस-बीपीय शासन के शेष भाग में शासन के कार्यक्रम के विषद्ध प्राप्त कोई वार्षित नहीं उड़ायी।

संग्रीय पढ़नि में नोचे के व्यापारियों का राजनीतिक महबूब कम है। उनका प्रयान काम ऐसे नियन्त्रित के भगवां को मुलभाना है जिनमें कोई सर्वजनिक प्रसन्नता नहीं उलझा रहता। सबसे नोचे जिला अदालतें हाती हैं। संगभग दो सौ जिला जज संयुक्त राज्य अमेरिका भर में पैने हुए हैं। इन अदालतों में वे सभी दीक्षानी और पौजदारी मुकदम जाते हैं जो संघीय बाधाओं के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं। संविधान के नियमानुवार २० डाक्टर से कम मूल्य के दोषानों मामलों को छाप्पर देख सब मुकदमा की सुनवाई चल दूरी की महायता से बरनी पड़ती है।

जिन दोवाली मुद्रदमो की मुतदाई शिला-अदानों में हाती है उनमें वे मुद्रदमे
मी शामिन हैं जिनमें वाई नागरिक “एम्प्रायर्स लाइब्रियरी एक्ट” अर्थात् मानिकी
की दनदारी के कानून सरीने संघोत्य कानूनों के अनुमार अपने अनिकारों का दावा
करता है : “एम्प्रायर्स लाइब्रियरी एक्ट” के अनुमार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वरत
दाने विसी मानिक का बोई कर्मचारी यदि अपने काम के समय आहून हो जाय तो

वह मालिक से क्षतिन्पूर्ति की माग कर सकता है। जिला अदालतें समुद्र में घन्ति हुए मामलों के मुकदमे भी सुनती हैं, क्योंकि संविधान ने जल सेना के कानूनों को भी सधीय शासन के नियन्त्रण में रखता है। एक तीसरे प्रकार के मुकदमे वे हैं जो विभिन्न राज्यों के नागरिकों में चलते हैं। इनमें कोई भी व्यापारिक मुकदमा शामिल हो सकता है क्योंकि कार्पोरेशनों (व्यापारी संघटनों) को भी उन राज्यों का नागरिक समझा जाता है जिनसे उन्हें, 'चार्टर' अर्थात् अनुमति पत्र मिला हो, वे व्यापार भले हो अन्य राज्यों में भी क्यों न करते हों, उन अन्य राज्यों में उन्हें बाहर का समझा जायगा।

जिला अदालतों के फौजदारी मुकदमों में अधिकतर अभियोग सधीय कानूनों का उल्लंघन करने के होते हैं। इन कानूनों के उदाहरण हैं, ट्रस्ट (न्यास) विरोधी कानून, या युद्ध-काल में मूल्यों के नियन्त्रण का कानून, या चोरी से माल देश में लाने या अपहरण-विरोधी कानून इत्यादि। करों के मुकदमों में सरकार किसी नागरिक पर टैक्स की अदायगी में धोखेबाजी करने का दावा कर सकती है या इसके विपरीत कोई नागरिक सरकार पर अपने अधिकार से बाहर जाकर टैक्स मांगने का दावा कर सकता है।

जिला अदालतों को प्राय सभी मामलों में मुकदमा आरम्भ से सुनाँ का अधिकार होता है। अर्थात् ये अदालतें जूरी की सहायता से मुकदमे के तथ्यों का संग्रह भी करती हैं। मुकदमे के दोनों पक्ष उसके निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं,—इस आधार पर भी कि अदालत ने मुकदमे की सुनवाई में भूल की और इस आधार पर भी कि जो कानून लागू किया गया वह असर्वेधानिक था। ये अपीलें सधीय न्यायालयों के माध्यमिक स्तर के अर्थात् 'सर्किट कोर्टें' (दौरा अदालतों) में मुनी जाती हैं।

अपीलों का न्यायालय मातहत अदालत द्वारा संग्रहीत तथ्यों को ठीक मानकर चलना है, और इसलिए वहा जूरी की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसका काम वेवल 'विवादास्पद कानूनी प्रश्ना पर निर्णय देने का है। साधारणतया अपील का अदालत

में एक बैठक पर तीन जज एक साथ बैठकर सुनवाई करते हैं। इस अदालत का एक प्रधान काम सर्वोच्च न्यायालय को नियन्त्रिति के राजनीतिक-महबूहोंने मुकदमे सुनने की परेशानी से बचाना भी है। जब अपील में किसी बानून के अमैदानिक होने का दावा किया जाता है तब भी अपील का न्यायालय दोनों पक्षों की मुक्तिया मुनक्कर विवादास्पद प्रश्नों को स्पष्ट बर सवता और प्रबल युतियों पर आधारित हो कि सर्वोच्च न्यायालय उस सम्बन्ध में व्याधिक सुनवाई बरने से इनकार कर दे। उस अवस्था में समझा जाता है कि अपील के न्यायालय ने ही देश के सर्वोच्च बानून का स्थानकरण कर दिया है—वह से बग उस मुकदमे की परिस्थितियों के लिए।

परन्तु यदि समझा एक से दीखने वाने दो मुकदमों का फैसला अपीलों की अदालतें एक दूसरों से उलटा बर दें, या सर्वोच्च न्यायालय अपील की अदालत के फैसले को उलटना चाहे या उसको व्याख्या व्याधिक विस्तार से करना चाहे, तो सर्वोच्च न्यायालय अपील मुनाना स्पोकार बर लेता है। इसके अतिरिक्त, कुछ व्यापारिक बानूनों का—विरोपत् द्रस्ट-विरोधी मामलों और व्यापार-नियन्त्रण-सम्बन्धों बानूनों का—राजनीतिक महबूह इतना अधिक और विस्तार इतना उल्लभ भरा है कि कोर्पेस ने संघीय न्यायालयों में उनकी विलम्बित प्रगति की ओर बर देने का निर्णय कर दिया है। इस प्रकार के मुकदमे तीन जिसा जजों की मात्राहृत अदालत में आरम्भ होते हैं और तीनों जज दब्यों वो एकत्र बरके अपना निर्णय सुना देते हैं। उनके निर्णय के विरुद्ध अपील, मध्यवर्ती अपील अदालतों में गये बिना, सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है।

इस विनाशकीय संघीय न्यायालय पद्धति के अतिरिक्त भी कुछ विरोप न्यायालय हैं। जैसे कि क्लेमा या दावा का न्यायालय, टैक्सा अर्थात् बरो का न्यायालय, और कम्प्रेमा या तङ्करो और पट्टणों की अपीलों का न्यायालय। ये विरोप न्यायालय ऐसे विषयों पर विचार करने के लिए बनाये गये हैं जिन्हें विसी साधारण जज के लिए तबतक समझना बहिन है जबतक कि वह एक ही समन्वय का अध्ययन करने के लिए अपना सारा समय न लगा दे। इन विरोप अदालतों की स्थिति

विशुद्ध 'न्यायिक' न्यायालयों और प्रशासनिक एजन्सियों की सीमा-नेखा पर होती है। इन्हे न्याय के अधिकार भी होते हैं और इनके द्वारा सरकार कुछ विशिष्ट व्यापार व्यवसायों का नियन्त्रण भी करती है।

यद्यपि संविधान के व्यापार-सम्बन्धी अनुच्छेद ने कांग्रेस को "विदेशी के साथ, राज्यों के मध्य में और इण्डियन कबीलों के साथ व्यापार का नियन्त्रण करने" का अधिकार दिया है, परन्तु आज व्यापार को जो स्वत्त्व प्राप्त हो चुका है उसे सरकार के नियन्त्रण में देना मूल संविधान के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था। पहले नियन्त्रण का मुख्य रूप तट-नदी और प्रतिबन्ध का, विशेषतः राज्यों के मध्य में तट-नदी और प्रतिबन्धों के नियेष का था। परन्तु ज्यो-ज्यो व्यापार अधिकारिक उल्लंभता गया त्यो-ज्यो कांग्रेस को रेसो के भाडे, यात्रा की सुरक्षा, साचां और श्रीपथियों में मिलावट, और रेडियो के भीटर सरोखो बन्दुओं का नियन्त्रण भी करना यड गया। इन पिछ्ने नियन्त्रणों की एक विशेषता यह है कि कांग्रेस न तो प्रत्येक मामले के तथ्य ही जान सकती और न उनके लिए श्रलग-अलग कानून ही बना सकती है। पलोरिडा राज्य के सिल्वर-एंप्रेंस से न्यूयार्क के राज्य के सापराकूज तक टोकरो में भरे हुए संतरों का रेल-भाडा कांग्रेस के एक मृद्घक कानून का विषय नहीं बन सकता। किंतु भी कांग्रेस चाहती है कि बैंचिल्य के मुख्य नियंत्रण रिफ्लान्टो और विविध भाडा-दरों में उचित सम्बन्धों का व्यान रखें जाय। कांग्रेस एक कानून बना कर उसमें भोटे रूप से इन सिद्धान्तों का उल्लेख कर सकती है। उससे आगे तथ्यों का अध्ययन करके कानून में उल्लिखित सिद्धान्तों के अनुसार निर्णय करने के लिए किसी की नियुक्ति करनी पड़ेगी। यही 'ऐयुलेटिंग' अर्थात् नियन्त्रण कर्ता एजन्सियाँ हैं।

मुख्य नियन्त्रण-कर्ता एजन्सियों में उल्लेख योग्य में हैं—'इष्टर-रेट-कामर्स-कमीशन' राज्यों के मध्य में यातायात के दरों का नियंत्रण करता है, 'फेडरल-ट्रैड-कमीशन' या संघीय व्यापार आयोग ट्रस्ट-विरोधी बानूनों के उल्लंघनों और भूले विजापनों जैसी कुछ छलगुण कारंवाइयों पर दृष्टि रखता है; 'फेडरल कम्युनिकेशन्स एमीशन' अर्थात् संघीय संचार आयोग, और 'फेडरल पावर कमीशन' अर्थात् संघीय

शक्ति आयोग, जोर 'मिश्रूरिटेज एण्ड एक्सेन्ज कमोशन' व्यार्टिं सरकारी कागजों
तथा अन्य दरों का नियन्त्रण करनेवाला शास्त्रीयोग ।

साधारणतया ये कमोशन तथा की जाँच के पश्चात् सम्बद्ध व्यापारिक मंस्याओं
को बतलाने हैं जिन्हें उन्होंने काम का मूल्य कम्ह बरता चाहिए अथवा उसी कानून
वा पालन बरने के लिए अपनी अब तक की प्रयत्नी में क्षमा पर्खित बर लेना
चाहिए । इन नियन्त्रण-कर्ता एजन्सिया को किसी में जुर्माना बमूल बरने या किसी
को जेल में रखने का अधिकार नहीं है । परन्तु अपनी बाज़ा का पालन करवाने के
लिए उन्हें किसी भी व्यापारी को अदालत में ले जाकर उस पर कानून भेंग बरते
का अधियोग संगति का अधिकार है । सर्वोच्च न्यायालय के अनिरित, अन्य हिमों
भी सधीय न्यायालय की बोका में एजन्सियाँ कानून का नियमित अधिकार बरतती हैं ।

न्यायालय यह मानना नहीं चाहते कि कानून का नियमित किसी ऐसी प्रशासनिक
एजेंसी द्वारा किया जा सकता है जो कि राजन के विश्वास द्वावे में ठोक-ठीक
नहीं बैठती । प्रशासनिक एजन्सियाँ राजनगालिक और न्यायपालिका दोनों के
बीच की बस्तु हैं और उनका अधिक मुख्य विधि-नियमित की ओर को है । यह
राजनीति से भी प्रभावित होती है, क्योंकि कमोशनों की नियुक्ति राष्ट्रीयत बरता
है और उनकी पूर्ण परीक्षा सेनेट बरतती है । जिन व्यापारिक मंस्याओं पर नियन्त्रण
होने की सम्भावना होती है उनके द्वारा पार्टी के बोका में हाथ खोताकर चढ़ा दिया
जाना कोई असाधारण बात नहीं है और सेनेट भी एकाधिक विभिन्नरों की नियुक्ति
बेदब इस कारण अस्वीकृत बर चुकी है कि उन्होंने जनहित का पक्ष लेकर किसी
प्रभावशाली उप्रोग का विरोध बरने का साहम किया था । "पहरेदार पर पहरा
कौन देगा" इम पुरानी प्रस्तात्मक कटाक्षण का उत्तर न्यायालय की हृषि में उचित
से अधिक राजनीतिक है ।

' परन्तु नियन्त्रण कर्ता एजन्सियों पर पहरा देने के सम्बन्ध में न्यायालय सर्वथा
अधिकार शून्य भी नहीं हैं । वे एजन्सियों द्वारा एकत्र जिये हुए तथ्यों पर उन्होंना
संन्देश नहीं बरते जिनका कि उनकी तथ्य एकत्र बरने को और परिणाम निशालने
की प्राप्ती को मूल्यमता से जाचिते हैं । किसी हृद तक वे इन एजन्सियों को पुलोत्त

की अपेक्षा अधिक अधिक उपायों का अवलम्बन करने देते हैं। मन् १९५० में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि 'फेडरल-ट्रैड-अमोशन' ने अर्थात् ट्रस्ट विरोधी वानून के उल्लंघन पर दृष्टि रखने वाले आयोग ने, यह देखने के लिए कि वानून वा ठीक पालन हो रहा है या नहीं, मार्टन साल्ट कम्पनी के स्थान पर जाकर और उसकी बहिर्यां आदि देखकर अनुचित कार्य कुछ नहीं किया। उस प्रकार तलाशी लेने की कार्रवाई यदि पुनिम या कोई अदालत करती तो उसे उचित न माना जाना। "उचित वानूनी कार्रवाई" शब्दों की परिभाषा, शासन के नियन्त्रण की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार, घोरे-घीरे परिवर्तित होती जा रही है।

संघीय न्यायालयों के मुकदमों में प्रायः एक पक्ष सरकार का होता है। प्रथम एटर्नीजनरल की नियुक्ति सन् १७८६ में सर्वोच्च न्यायालय में सरकारी मुकदमों की पैरवी करने के लिए की गयी थी। आज के 'डिपार्टमेण्ट ऑफ् जस्टिस' अर्थात् न्याय विभाग में यह नाम सालिसिटर-जनरल के समुदाय है। यह डिपार्टमेण्ट या विभाग सरकार के बड़ील का नाम करता है। यदि 'इफ्टनल-रेवेन्यु-ब्यूरो' अर्थात् आन्तरिक आय विभाग को निश्चय हो जाय कि अमुक व्यक्ति आय कर देने से बचता है तो वह उसका मामला मुकदमा दायर करने के लिए 'डिपार्टमेण्ट ऑफ् जस्टिस' को साँप देता है। यदि सेनेट की किसी कमिटी के बुलाने पर कोई गवाह प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नहीं आता, या कमिटी को विश्वास हो जाय कि वह मूठ बोल रहा है, तो इस 'डिपार्टमेण्ट' से कहा जाता है कि वह उसका मामला "ग्रैण्ड जूरी" (जो व्यक्ति यह जाच करते हैं कि किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं) के समुदाय कर दे और देखे कि उसे अदालत की मानहानि देने या भूठी गवाही देने के अपराध में दण्डित करवाया जा सकता है या नहीं।

"डिपार्टमेण्ट ऑफ् जस्टिस" अर्थात् न्याय-विभाग में "फेडरल ब्यूरो-आर्क-इन्विटिगेशन" या संघ का तफलीश करनेवाला भाग भी सम्मिलित है। यह संघीय गुप्तचर सेवा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। 'एफ० बी० आई०' अर्थात् संघ का तफलीश करनेवाला विभाग अपहरणकर्ताओं, वैकों के लुट्रे, और संघीय वानून के अन्य उल्लंघनकर्ताओं से निपटता है। यह अन्य गुप्तचरों के विरुद्ध

गुप्तचये का काम भी चुन्ना से बरता है। यह सरकारी कर्मचारियों की निष्ठा वीं भी जीव करता है। शासन विभाग की अन्य गुण सेवाएं जानी निकटे चलनेवालों, जोरे से माल लानेवाला, माइक्रो इन्डस्ट्री का व्यापार करनेवालों, आदि कर देने से बचनेवाला, और राष्ट्रपति के प्राणों की धान में रहनेवाला की धान में रहता है। इन सब लोगों पर, पहले जाने पर, 'डिपार्टमेंट ऑफ् जन्मिंग' हाय या उसके नियोजन में सयुक्त राज्य अमरिता के स्थानीय अटलिया द्वारा सधीय न्यायालयों में मुकदम चलाये जाते हैं।

'डिपार्टमेंट ऑफ् जन्मिंग' के ध्यान में कानून के उल्लंघन के त्रितीय मामले आते हैं उन सब को दण्डित करनाने की आशा वह नहा कर सकता, विहेयत उन क्षेत्रिक मामलों में जिनमें जि देर तक मुकदमा चलने के पश्चात् ही मातृत्व होता है जि कानून का उल्लंघन हुआ या या नहा। उदाहरणार्थ, न्याय (ट्राई) विरोधी नाति का पालन करते हुए अर्नो-जनरल को यह भी देखना पड़ता है जि वह कानून का विकास जिस दिया में करना चाहता है उसमें सहायता देनेवाले प्रश्न निर्णय के लिए उठाने की सम्भावना जिन मुकदमा में अधिक है। कानून का असन्निकार्य उल्लंघन होन के मामले तो अस्ताहत कम हा होते हैं। उनके गम्भीर में साधारणतया कानून-विहेयश्च में भी मतभेद रहता है।

इन कारणों से अर्नो-जनरल को यह निश्चय करने की माफी स्वनिवारा रहती है जि वह जिन कानूनों को लागू करे और जिन कामों को कानून का उल्लंघन माने ग्रीष्म जिनको नहा। वह अस्ति निश्चय राष्ट्रपति की नीति का दृष्टि में रखते दिना भी नहा करता, और स्वभावन उन पर राजनीति का भी प्रवान प्रभाव पड़ता है।

उदाहरणार्थ, जब ट्रूमन-शासन के पश्चात् 'डिपार्टमेंट ऑफ् जन्मिंग' राष्ट्रपति आद्यनहेवर के हाथ में आया तब कई बड़े-बड़े ट्रूमन-विरोधी मुकदमे न्यायालयों में जातेजाने थे। एक मुकदमा "द्रूताइन्ड स्टेट्स हील" नामक पर्स के विरुद्ध भी था। उसमें यह मह वर्षों प्रश्न सदा हाना या जि बच्चा मातृ इन्यत करने वाली काई बड़ा कमनों भरनी विस्ती प्रवार की सहायत अस्तियो का नियन्ता

वानून वा उल्लंघन किये बिना वर सदती है। राष्ट्रपति आइगनहोवर इस निर्णय से यह नहीं सतते थे कि उनका अटर्नी-जनरल इस प्रश्न को न्यायालयों वे सामने उपस्थित करें या नहीं।

साविधान की ओर वानूनों की व्याख्या भनें राजनीतिक शक्तियों से भी प्रभावित होती रहती है। अटर्नी-जनरल से लेपर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों ने नियुक्ति तक उनमें सम्मिलित है। इस वारण अब वानून का प्रत्यक्ष रूप पत्थर वे ऐसे मजबूत चबूतरे का सा नहीं रहा है कि वोई भी सरल या अनजान मनुष्य उस पर खड़ा होकर निश्चिन्त हो जाय। प्रायुत सत्य यह है कि सन् १७८७ में साविधान की रचना बरते हुए वानून यो जितना निश्चित समझा गया था भाज वह उससे वही कम निश्चित रह गया है। उन दिनों प्रचलित विश्वास यह था कि मनुष्य बृत वानूनों के मूल में एक "प्राहृतिक वानून" विद्यमान रहता है जो ईरवर द्वारा भाजप्त है और जिसका आविष्कार परके विद्वान् न्यायाधीश उसकी घोषणा वर सतते हैं। बैवस्टोन की प्रसिद्ध पुस्तक "व्हेप्टरोज" अर्थात् 'वानून की व्याख्या' इसी सिद्धान्त पर भावारित थो, और गणतन्त्र के प्रारम्भिक दिनों में अमेरिकों वोलों और न्यायाधीशों पर उसका बहुत प्रभाव पड़ा था।

परन्तु इस सिद्धान्त के विरुद्ध विद्रोह जेरेमी बेन्यम ने सन् १७७६ में ही आरम्भ पर दिया था; और वह आक्सफोर्ड में बैवस्टोन का विद्यार्थी रह चुका था। लन्दन थो गन्दो बत्तियों की ओर सवेत, परके बेन्यम ने वहा था कि मुझे ईरवर का वानून इंग्लैण्ड के वानून थो चलाता दिखाई नहीं देता। उनका व्यन था थो गन्दो बत्तियों की सफाई जैसा उपयोगी काम करने के लिए, चाहे तो मनुष्य भी वानून बना सवने हैं। इसका नाम "युक्तिलिट्रिमनिज्म" अथवा 'उपयोगितावाद, वा सिद्धान्त रक्षा गया था। वाद थो अमेरिकी विचार धारा में "प्रैमेटिज्म" वा सिद्धान्त इसी से निरला। "प्रैमेटिज्म" पा अभिप्राप्य यह है कि यदि विसों वस्तु रो वोई पाम निवल रहा है तो वह अपरप्य ठीक होगी। इस परिवर्तन के वारण वानून के प्रति अमेरिकों जनता वी राजनीतिक हाटि में स्थानिस्ती हो

गयो, और समय बीतने के साथ-साथ वानूनी विशेषज्ञों और न्यायाधीशों का इस भी बदल गया।

जबतक बल्पना यह थी कि बग्डून पहले से ईश्वर के मत में प्रतिष्ठित है और वह चार्दिल के तथा विद्वान् वानून-विदेषज्ञों के विज्ञान के अतिरिक्त अन्यत्र कही नहीं मिल सकता, तबतक लागों का विश्वास था कि वह ऐसा हड्ड पर्वत है कि उसी पर घने कुहार में जाकर भी हमरत मूसा छठोर शिक्षा-पाणी की पांस के। परन्तु अब, जब वानून को मनुष्य के हाथों में व्यवस्था, न्याय और समृद्धि लाने वा एक साधन समझा जाने लगा है, तब परिष्कृति सर्वेषां भिन्न हो गयी है। अब हमारी हट्टि एक सरल मेथाच्छादित पर्वत के स्थान पर ऐसे विन्दूत भू-स्खण्ड पर शिरों रहती है जहाँ कि वाल्प-जालित शक्ति शाली कुदाल निरन्तर काम कर रहे हैं और यदि सबको नहीं तो कुछ पर्वतों को उल्लंगलट रहे हैं। हमें समझना है कि कौन से पर्वत उन्टे जाने हैं और कौन से नहीं। आज देहसौ वर्ष पूर्व के वानूनी पाण्डितों को मरल, किन्तु बहुधा क़ुरू, निश्चिन पारणाओं का स्थान कही अधिक व्याकहारिक, परन्तु उल्लंगन भरे, वे प्रथल क्षेत्रे जा रहे हैं जो कि सगार को हम जैवा चाहेगे जैवा बना देंगे। और इव्येप्रभु जनना की आवश्यकता वे अनुमार ससार का निर्माण करना अधिकतर राजनीति का क्रिय है।

सन् १९३७ में डिमोक्रेटों ने जी नया सर्वोच्च न्यायालय समिति किया था अह आधुनिक “मानवन्ति-पत्र” राज्य की समन्याधीनों में अपना पाव भर्नी तक उतनी हड्डता से नहीं जमा सका है जितनी हड्डता से पहले वे न्यायालयों वा विश्वास था कि उन्होंने वानून के पुराने मिदानी में जमा लिया था। क्याकि यदि वानून का ही हून निश्चित नहीं तो निर्णय का ऐसे रहगा?

परन्तु पद्धति अब हमारा विश्वास यह नहीं रहा कि भज और प्रांचिष, और न्याय और सद्भावना के सिद्धान्ता का ज्ञान, विद्वान् न्यायाधीश त्रिसी विशिष्ट प्रेरणा से प्राप्त कर सकते हैं, तथापि इन मिदानों ने अपना वार्ष बरना बद्द

नहीं किया है। लोगों ने अब भी निर्णय करने के लिए कुछ सिद्धान्त निर्धारित किये हुए हैं और व्यायाधीशों से भी, मनुष्य होने के कारण, उन्होंने सिद्धान्तों को व्याख्या करने के लिए कहा जाता है। इसी कारण मर्वोन्व व्यायालय के प्रत्येक निर्णय के साथ कई पृथक् सम्मतियाँ प्रकट की हुई रहती हैं कि किन कारणों से कोई व्यायाधीश अपने किसी साथी व्यायाधीश से सहमत या असहमत रहा। परन्तु उस सभ्य को खोजते रहने के प्रयत्नों का अन्त भी नहीं हुआ है जिसे हम अपनी स्थिति का दृढ़ आधार बना सके।

अध्याय ८

राज्य

राज्यों को स्वतन्त्र राष्ट्रों के सभी अधिकार और शक्तिया प्राप्त हैं। अपवाद में है—

(१) वे अधिकार जो संघीय संविधान ने राज्यों के लिए नियिद्ध बर दिये हैं,

(२) वे अधिकार जो प्राप्त तो राज्यीय और संघीय दोनों शासनों को हैं, परन्तु जब राज्यों द्वारा उनका प्रयोग उनके संघीय प्रयोग के साथ टकराता हो, और

(३) सध से दृष्टक हो जाने अपवा त्याग-पत्र दे देने का अधिकार।

उदाहरणार्थ, मंविधान ने राज्यों का विस्तो विदेशी शासन के साथ सन्धि की वार्ता करना नियिद्ध कर दिया है। कोई राज्य विसी दूसरे राज्य से सन्धि-वार्ता कर सकता है, परन्तु राज्यों के मध्य की सन्धि जो कि “अन्तर्राज्यीय कम्पैक्ट” बहलाती है—वानून-साम्भत तभी होती है जब उस पर कांग्रेस की स्वीकृति को द्वाप लग जाय।

राज्यीय और संघीय, दोनों शासन अन्तर्राज्यीय व्यापार से सम्बद्ध व्यापारिक और श्रमिक प्रथाओं को नियन्त्रित बर सकते हैं। परन्तु इन दोनों के अधिकार-क्षेत्रों की सीमा-रेखा का निर्णय करने के लिए निरन्तर मुद्रमेवाजी चलती रहती है।

अपने आन्तरिक मामलों में राज्य स्वतन्त्र हैं, महों तक कि राज्य के आप-कर और तलाक कानून सरीखे ऐसे मामलों में भी जिनका प्रभाव प्रतिस्पर्धा के बारण अन्य राज्यों पर पड़ सकता है। कोई राज्य अपनों वाररवाइयों से अन्य राज्यों के

लिए परेशानी का वारण भी बन सकता है, और उसे संघीय संविधान में संशोधन करके या उसकी नयी व्याख्या करके ही रोका जा सकता है।

कोई नया राज्य संघ में समिलित तभी हो सकता है जब कॉमिटेस उसके प्रस्तावित संविधान को देखकर वह मान ले कि उससे "उसे गणतन्त्री पद्धति वा शासन प्राप्त ही जायगा।" परन्तु एक बार संघ में समिलित हीं जाने पर उसे भी स्वयंप्रभुता के वही सब अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो प्रारम्भिक तेहर राज्यों को प्राप्त थे। इसके पश्चात् कॉमिटेस उस राज्य के संविधान वो केवल संघीय संविधान में संशोधन की परोक्ष विधि द्वारा परिवर्तित कर सकती है।

उदाहरणार्थे, मताधिकार विस्को दिया जाय और जिसको नहीं, मह निर्णय करने का अधिकार मूल संविधान में राज्यों को सौंप दिया गया था। संविधान ने स्वीकार किया था कि प्रत्येक राज्य अपने निम्न सदन के सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए जिनकी मताधिकार दे देगा, उस राज्य में बॉरिस सदस्यों के निर्वाचन में भी भत बहो दे सकेंगे। संघीय कॉमिटेस वो, राज्यों के संविधानों या कानूनों के अनुसार बनाये गये नियमों में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था। परन्तु वह संघीय संविधान में ऐसा संशोधन प्रस्तुत कर सकती थी जिसके अनुसार सीन-चौथाई राज्य मित्रकर अन्य राज्यों को विषय बार सकें।

स्थियों की मताधिकार देने और संयुक्त राज्य अमेरिका के सेनेटरों का निर्वाचन साधारण जनता के मतों द्वारा करने के लिए राज्यों को विषय इसी प्रकार के संशोधनों द्वारा विद्या गया था।

संग १८६८ में उत्तरी राज्यों ने चौदहवें संशोधन द्वारा दक्षिणी राज्यों वो नीद्रो लोगों को मताधिकार देने के लिए विकास बरने का प्रयत्न दिया था। परन्तु इस संशोधन को बठोरता से लाघु अब तक नहीं किया जा सका, क्योंकि कॉमिटेस राजनीतिक दबाव के कारण इन राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या संशोधन के अनुसार घटा नहीं सकी। परन्तु सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति के तथा सुप्रीम बोर्ड (सर्वोच्च न्यायालय) के ऐसे निर्णयों के कारण जिनका विरोध नहीं हुआ अथवा जिनका पालन टाला नहीं गया, धीरे-धीरे अधिकतर दक्षिणी राज्यों में भी

नोग्रा लोग 'डिमोक्रेटिक प्राइमरीज' के निर्वाचिन में मत देने लगे हैं। बास्तव में प्रश्न का कठिन अरा यही है। कौई वह सकता है कि संविधान में डिमोक्रेटिक पार्टी का जिक्र नहीं है और इसलिए वह प्राइवेट संस्था मान है, जिसे अपने सुदृश्य स्वयं बनाने का अभिकार है। किर भी जिन्हे कानून द्वारा नियमित निर्वाचिन में चुनाव जाना होता है, उनका बास्तविक चुनाव इन्हों 'डिमोक्रेटिक प्राइमरीज' में निया जाता है। इन समस्या का इमिर्फ हरी कानूनी दृष्टियों के व्यावहारिक क्षेत्र से बाहर की बात थी। इसलिए इसे लोकमत के इतने विकास की प्रतीक्षा करनी पड़ी कि दिशणवालों को भी यह हल राजनीतिक हृष्टि से स्वीकरणीय हो जाय।

स्थानीय शासनों को अनुमतिभव देने का एक मात्र अधिकार राज्यों को है, ठीक उमो प्रबार जिस प्रबार निश्च पालमेन्ट को अभिकार है ति वह चाहे तो लन्दन के स्थानीय शासनों का अनुमति दे दे, निलाकर एक कर दे या समाप्त कर दे। राज्यों और न्यूयार्क या शिकागो सरीले उन घड़े नगरों में प्रायः स्थानीय चलता रहता है जिनका बजट राज्य के बजट से भी बड़ा होता है। नगर अपनी शासन अणालो में परिवर्तन का या भूमि के नोचे स्थानीय यातायात की अपनी व्यवस्था करने का निर्णय अदेला स्वयं नहीं कर सकता। इस प्रबार के निर्णय वह विधान भण्डल की अनुमति से हो कर सकता है।

राज्यों के विधान मण्डलों की प्रवृत्ति निर्वाचिन-क्षेत्रों का विभाजन इस प्रबार कर देते की रहतो है कि विधान मण्डल में ग्राम-निकामियों के प्रतिनिधि नगर-निकामियों वी अरक्षा अधिक पढ़ूच जायें। इसके अतिरिक्त यह सम्भावना भी रहती है कि जो राज्य राजनीतिक हृष्टि से 'सन्दिग्ध' माने जाते हैं उनके नगर-शासन डिमोक्रेटिक और राज्य विधान मण्डल रिपब्लिक हो जाय।

राज्य वी पुलिस और 'मिलिशिया' (अनियमित सेना) राज्य के गवर्नर के नियन्त्रण में रहती है। इन्हे किसी अन्य राज्य के विश्वद्व प्रयुक्त महा दिया जा सकता परन्तु आन्तरिक व्यवस्था वी रक्षा के काम में जाया जा सकता है। 'मिलिशिया' का सब को सेवा के लिए भी बुलाया जा सकता है, और इसके विपरीत यदि गवर्नर अपने बस से आन्तरिक उपद्रव का दमन न कर सके तो वह उसके लिए सप

वी सेना वो भा बुला सकता हे । गवर्नर वा काम कुछ कानूनों का पालन करवाने का भी है, परन्तु सब वो नहीं । सधीय शासन के साथ व्यवहार वहों बरता है । गवर्नरों वे सम्मेलनों मे भी वहों सम्मिलित होता है और वहा अपनी समान स्थिति के अन्य लागों के साथ समस्याओं पर और राजनीति पर विचार करता है । उपराधियों वो क्षमा बरने का अधिकार भी गवर्नर वा ही है । परन्तु कभी-कभी यह अग्रिकार “पेरोल या पार्डन बोर्ड” (कैदियों को शर्त पर छोड़ने या क्षमा बरने वाले बोर्ड) द्वारा नियन्त्रित हो जाता हे ।

समुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से राज्यों के गवर्नरों वी एक भिन्नता यह है कि वे बहुधा ऐसे निम्न शासनाधिकारियों से घिरे रहते हैं जो कि जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं और पदारूढ़ रहने के लिए गवर्नर पर निर्भर नहा बरते परन्तु हो सकता है कि गवर्नर का लेफ्टनेण्ट गवर्नर (उपराज्यपाल) के साथ जो उसका (गवर्नर का) उत्तराधिकारी होता है, भगड़ा रहता हो । इस प्रकार वे बारजो से राज्यों के शासन मे गतिरोध का हो जाना अनहोनी बात नहीं है ।

कुछ राज्यों में शासन-प्रणाली को एक विशेषता “रिकाल” अर्थात् निर्वाचित पदाधिकारी का वापिस बुला लेने की है । जनता आर्थनापत्र देवर, गवर्नर या अन्य पदाधिकारियों को हाटने का भत प्रकट बरने के लिए, विशेष निवाचिन वी माग कर सकती है । इस उपाय के द्वारा, कम से कम बहने को, मतदाताओं को ऐसा अवसर मिल सकता है कि वे अपने निर्वाचित पदाधिकारियों के गतिरोधकारी भगड़े का फिसला कर दे ; परन्तु व्यवहार मे शायद इसका उपयोग राज्य-भवन मे लडाई हो जाने पर उसे शान्त बरने के लिए चेतावनी देने से अधिक नहो हो सका ।

राष्ट्रपति और राज्यपाल मे एक और अन्तर यह है कि राज्यपाल चाहे तो अधिक ऊचे पद पर जाने वी इच्छा कर सकते हैं, और वे बहुधा वैसा करते भी हैं । यदि समुक्त राज्य अमेरिका के किसी सेनेटर का देहान्त हो जाय तो उसके राज्य का गवर्नर (राज्यपाल) आर्थनापत्र देवर लेफ्टनेण्ट-गवर्नर (उपराज्यपाल) द्वारा अपने आपसे सेनेट मे नियुक्त बरवा सकता है । परन्तु माधारणतया गवर्नर लोग उस स्थान पर अपने विसी मित्र या शप्तु को नियुक्त बर देने हैं, और ये नियुक्तिया-

सदा ही द्यल-रहित नहीं होती । बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि अगले चुनाव में सेनेट के लिए कौन खड़ा होगा, अर्थात् उस समय गवर्नर सेनेट में जाना चाहेगा या पुन गवर्नर निर्वाचित होना चाहेगा । न्यू यार्क और ओहीयो स्ट्रीट्स अनि महत्वपूर्ण परन्तु 'सन्दिग्ध' राज्यों के गवर्नरों वी प्रवृत्ति 'ह्वाइ' हाउम पर इष्ट गढ़ाये रखने वी रहती है । वे राज्य-भवन और संयुक्त राज्य भी सेनेट के बीच में ऐसे जोड़न्तोड करते रहते हैं कि वे समय पर अपनी पार्टी के भावी "वन्वेशन" में स्वय उम्मीदवार चुन लिये जायें ।

राज्यों के विधान मण्डल अमेरिकी राजनीति के अनाश हैं । न तो उनमें इतनी चमक-दमक है कि संयुक्त-राज्य काग्रेस वी भाँति वे जनता का ध्यान आड़प्ट वर खें और न वे जनता के इतने निकट हैं कि स्थानीय सुधारों के आन्दोलनों वी जन्म दे सकें, जैसा कि नगरों के शासन प्राप्त करते हैं ।

राज्यों के लोग अपने राज्यों के विधान मण्डलों वी परम्परा से आधे समय वी सभा समझते भाये हैं । उनके सदस्य प्राप्त, प्रभावशाली नागरिक होते हैं, जो प्रति वर्ष या प्रति दूसरे वर्ष राज्य की समस्याएं हल करने के निमित्त कुछ समाह के लिए एकत्र हो जाते हैं, इस कारण उनका पारिश्रमिक भी पूरे समय के बेतन के स्थान पर नहीं हुए समय की शतिर्भूत मात्र समझा जाता है । इसमें इसमें शारन्य की बात कुछ नहीं कि बहुत से विधान मण्डल-सदस्य अपने नगर में निजी रोजगार या कामना भी साथ-साथ करते रहते हैं । कभी-कभी वे जिन सावंजनिक प्रश्नों पर विचार करते हैं उनके निर्णय पर उनके निजी काम का भी प्रभाव पड़ जाता है ।

उदाहरणार्थ, द्वितीय विवर-युद्ध से पहले एक राज्य में उसकी सेनेट के सदस्यों वा बेतन ७०० डालर वार्षिक से भी कम था । उद्य यन्य में उससे बाहर के एक कार्पोरेशन वी बहुत सी खालें थी । बतलाते हैं कि उसका प्रतिनिधि अभिमान पूर्वक बहा करता था कि मेरी कम्पनी पर कोई भारी वर नहीं लग सकता, क्योंकि राज्य वी सेनेट के अधिकतर सदस्य अपने-अपने शहर में मेरी कम्पनी के बहील हैं और हम उन्हे प्रतिवर्ष ५००० डालर पोस का देते हैं ।

कई राज्यों में राज्य के एक या अधिक "बास" अर्थात् जनता और अधिकारियों के बीच दलाल होते हैं, जो अति प्रभावशाली व्यापारी लोगों के प्रतिनिधि होते हैं। कई रोजगारों के लिए राज्यों के कानूनों का बड़ा मूल्य होता है। उदाहरणार्थ, जो ठेकेदार जो सार्वजनिक नियमण का कार्य करते हैं उनके लिए और जो जुआरी अपने अड्डों पर कानून का नियन्त्रण नहीं होने देना या उन्हे बन्द नहीं होने देना चाहते उनके लिए "बास" ऐसे मामलों को, विधान मण्डलों को कावृ में रखने के अपने ही ढग से, अपने ग्राहकों के लिए सन्तोषजनक रूप में सुलझा देता है। उसको शक्ति का आधार यह विश्वास होता है कि विधान मण्डल का यो सदस्य मेरी बात सुनने से इनकार बरेगा उसे मैं चुनाव में हरवा दूंगा। और यह दम्भ निराधार नहीं है।

इसके अतिरिक्त, कुछ विधि निर्माता अपना खंच "शेक-डाउन" अर्थात् हलचल मचा देने वाले बिल पेश करके छलाते हैं। उदाहरणार्थ, कोई सदस्य नारक घरों के लिए आग से बचने को बहुत ही खर्चीली व्यवस्था रखने के कानून का प्रस्ताव या क्रूर मूदखोरों पर नियन्त्रण रखन का बिल प्रस्तुत कर सकता है। शायद यह बिल सचमुच लाभदायक भी हो यदि उस सदस्य का इरादा वस्तुत इसे पास करवाने का हो। परन्तु घबराये हुए नारक-भालिकों या सूदखोरों को सलाह पहुँचा दी जाती है कि तुम अमुक बकील को कर लो जिससे वह जाकर विधि निर्माता से बहस करके उसे समझा दे, और विधि-निर्माता को फीस के रूप में 'धूस' मिल जाने पर बिल को 'मर' जाने दिया जाता है अर्थात् उसे आगे बढ़ा कर स्वीकृत कराने की सब कार्रवाई की उपेक्षा कर दी जाती है।

राज्यों के शासन का नैतिक स्तर अपेक्षाकृत निम्न होने का कारण राजनीति में मतदाताओं की रुचि का अभाव प्रतीत होता है। सोगों को प्राय पता नहीं होता, और वे जानने की परवाह भी नहीं करते कि राज्य के कानून की पेचोदमिया क्या है और उनका व्यापार-व्यवसाय से क्या सम्बन्ध है। वे ईमानदार व्यक्तियों को इतना पर्याप्त पारिथमिक देना नहीं चाहते कि वे कोई निजी रोजगार किये बिना राज्य की सेवा करते रह सक। वे राज्य की राजनीति पर इतना ध्यान नहीं देते कि ईमानदार व्यक्तियों को उनके मत "तेल से खूब चिकनी की हुई पार्नी-मरीन"

के मुकाबले भी एवं वरने का अवसर मिल जाय। परन्तु बीच-बीच में कोई प्रवाद खड़ा होकर लोगों को मुद्दार भी मांग वरने की लिए जाग्रत् बर देना है।

राज्यों के विधान मण्डलों में जनता के अविश्वास के कारण सन् १९०० के बासपाम, कोई बीस राज्यों ने अपने संविधान वे अंग के इष्ट में एक मुद्दार बोधाना चिया था। वह या "इनिशिएटिव" अर्थात् जनता द्वारा किसी वानून का प्रस्ताव किया जाना और "रेफरेण्डम" अर्थात् जनता द्वारा वानून का निषेद्। संगभग दस प्रनिशत् मनदाताओं के हस्ताक्षरों से युक्त प्रार्थनापत्र देकर जनता "इनिशिएटिव" की अर्थात् किसी वानून का प्रस्ताव बरने वी, अबवा "रेफरेण्डम" की अर्थात् विधान मण्डल के सामने उपस्थिति इसी बिल पर विचार रोक देने को, बारबाई कर सकती है। ऐसा प्रार्थनापत्र आने पर विरोध निवाचन बराना पड़ता है और उसमें मतदाता विधान मण्डल वी इच्छा के विरुद्ध भी किसी बिल को स्वीकृत या अस्वीकृत बर सकते हैं। परन्तु जनतन्त्र का यह प्रन्यक्ष इनना भैंसट-भरा है कि इमरा उक्ता उपयोग नहीं हो सका जितना यि सन् १९०० में इसके आविष्टताओं ने समझा था कि होगा। तथापि यदि विधान मण्डल कोई प्रवाद खड़ा बर दे और जनता जाग्रत् हो जाय तो यह विवाड के पीछे रक्खी हुई लाठी बा बाम अवश्य दे देना है।

विधान मण्डलों पर अविश्वास का एक और परिणाम राज्यों की यह प्रवृत्ति है कि वे वानून को अपने संविधान का अंग बना देने का प्रयत्न बरने हैं। इमका पत्त पहुँचा है कि कई राज्यों के संविधान इनने भारो-भरम हो गये हैं कि उनकी शोभा राज्य के सर्वोच्च वानून मरीखी नहीं रही।

जनरावि और प्रतिष्ठा के अभाव वी बातजूद, अमेरिकी जनता ने राज्यों के अविकारों के प्रयोग के द्वारा जो सक्रिय राजनीतिक प्रगति बर ली है वह ध्यान देने योग्य है। जब जनता किसी विषय की आर विरोधपत्र में ध्यान देनी है तब वह अपनी बात मनवा लेनी है या जब कभी बाई योग्य गवर्नर जनता वी मांगो वी और ध्यान धारूप्त बरता है, तब भी बाम दन जाना है।

राज्यों ने प्रगति की नई दिशाओं में मार्ग-दर्शक का बाम चिया है, जिसे कि

रेलवे-न्यायों, सार्वजनिक उपयोग के कार्यों और शराब के व्यवसाय को नियन्त्रित करने में। इतिहासी और वालकों की रक्षा के लिए अमेरिका में श्रम-कानून पहले-महल उन्होंने ही बनाये थे। उन्होंने बड़े नगरों को नागर-शासन की नई प्रणालियों का परीक्षण कर देखने का अधिकार दिया है। हाल के वर्षों में राज्य विधान मण्डलों वा व्यान आरम्भ-भूमार की ओर गया है। उन्होंने विधि-निर्माण अनुसन्धान बार्या, बिलनेखक कार्यालय और विधि-सम्बन्धी समस्याओं वा अध्ययन करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संघों का संगठन किया है।

वास्तव में संघीय शासन के भी साधारण जनहित के बहुत से कानून राज्यों के कानूनों के आधार पर ही बनाये गये हैं, ठीक वें ही जैसे संविधान के व्यापार-सम्बन्धी अनुच्छेद वा जन्म राज्यों के व्यापार को नियन्त्रित करने के नियमों की गढ़वड में से हुआ था। उदाहरणार्थ, संघीय सामाजिक सुरक्षा कानून राज्यों के कानूनों वा ही फल है। संघीय कानूनों वा एक बड़ा प्रयोजन अमेरिकी व्यक्ति को कुछ ऐसे अधिकार देना था जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर भी सुरक्षित रहें, क्योंकि लालो अमेरिकी लोग ऐसा करते ही रहते हैं। राज्य अब भी नयेनदे कानूनों के परीक्षा-नगृह बने हुए हैं। यदि ये परीक्षण सफल हो जाते हैं तो इनसे प्राप्त अनुभव के आधार पर लोग निश्चय करते हैं कि किसी कानून को जारी रखा जाय या नहीं और किसी कानून वा सम्बन्ध किसी राज्य से है या संघ से।

राज्यों के न्यायालय भी ऐसी पद्धति पर स्थापित किये गये हैं जो संघीय न्यायालयों की पद्धति जैसी प्रतीत होती है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय होता है, जिसे राज्य के विसी कानून को संविधान विरोधी ठहरा देने का भी अधिकार होता है। परन्तु राज्यों के न्यायालय जनता के अधिक समीप रहते हैं और उनका वास्ता एक भिन्न प्रकार के कानून में पड़ता है। संघीय न्यायालयों वा सम्बन्ध मुख्यतया मंघीय संविधान से पड़ता है; और राज्यों के न्यायालय, संघीय शासन के सपुर्द्ध किये गये कानूनों को छोड़कर शेष जितने भी कानून हैं उन सब पर आमारित होते हैं। राज्यों के कुछ कानून तो राज्यों के संविधानों में और विधान मण्डलों द्वारा स्वीकृत कानूनों में लिखे रहते हैं। परन्तु

उनका बहुत बड़ा भाग इंग्लैण्ड का "कॉमिन लॉ" अर्थात् वहाँ की परम्पराओं पर आधारित अधिकार कानून है, उचे हो जपना दिया गया और न्यायालयों के नियंत्रणी द्वारा अनेकों सामग्री की जज्ञात्रा तक नियंत्रित कियारों के अनुदूत बना दिया गया है। त्वरितियाना राज्य में प्रचलित अधिकार कानून में है, वह कानून से आया हूआ और "कोट नेवेनियन" से लिया हूआ है।

"कॉमिन लॉ" पढ़ने के नियंत्रणी से निवार बना है, उनमें विद्युत न्यायालयों के नियंत्रण भी सम्मिलित हैं। वह सभी सामग्रए अपराधों और नागरिकों के आपसी झगड़ों पर लागू होता है। अन्वाइ वहाँ होता है जहाँ विद्युत मण्डन ने उसके स्थान पर अन्य कोई कानून बना दिया है। जिस "छू प्रान्ति" अर्थात् "दचित् कानूनों वारखाई" की सवित्रण में सब अनेकों नागरिकों को गारण्टी दी गयी है, वह प्रायः वहाँ है जिसे इंग्लैण्ड में "कॉमिन लॉ" का दचित् रैति से पात्रन" कहते हैं।

उदाहरणार्थे, सन् १८५६ में इंग्लैण्ड राज्य के न्यायालयों ने गोदामों पर लागू होने वाले इनियांव के एक कानून को दचित् बढ़ाया था। उसके विनाश मंत्रक राज्य अनेकों के सर्वोच्च न्यायालय में इस आधार पर अधीन की गयी वि उके अनुग्राह विद्वाँ भी सम्मान पर "छू प्रान्ति" या 'कानून की दचित् वारखाई' के दिला ही अधिकार दिया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने नियंत्रण दिया कि गोदामों का नियन्त्रण जिया जा सकता है क्योंकि उनका सम्बन्ध नार्वनिय लानहनि से है। न्यायालय ने 'कानूनों वारखाई' को परिमाणा इनिया "कॉमिन लॉ" के आधार पर ही की थी, क्योंकि 'वहाँ से वे अधिकार आये जिनको सवित्रण रखा जरुरी है।' ददरि सर्वोच्च शासन का आधार उसका अन्ता सवित्रण है, परन्तु वह भी उन सब मामलों में "कॉमिन लॉ" अर्थात् परम्परालत अधिकार कानून से ही नियन्त्रित होता है जिसमें उन विद्युत मण्डन के कानून द्वारा या सवित्रण में संशोधन द्वारा परिवर्तित नहा जर दिया गया।

राज्यों के न्यायालय संघों न्यायालयों की अपनी "शक्तियों" या "दचित् अधिकार" के सुविद्या को सुनवाई अधिक बरतते हैं। "शक्तियों" या "दचित् अधिकार"

उन कुछेक सिद्धान्तों का एक पृथक् समुदाय है, जो बेवल ऐसे दोवाली क्षणों पर लागू होते हैं जैसे इसी जायदाद का उत्तराधिकारियों में दबावारा इस प्रकार किया जाय। “इन्हिनी” या ‘उचित व्यवहार’ के आधार पर हा, जज इसी व्यक्ति को काई काम करने से रोकने के लिए ‘इजवशन’ या हुम्म इमतनाई जारी करने या न करने का निर्णय बरता है। वह काम कानून-सम्मत होना भी सम्भव है, परन्तु यदि उससे किसी अव व्यक्ति को मिना उचित कारण के हानि पहुचती हो तो ‘इजवशन’ जारी किया जा सकता है।

“इन्हिनी” या ‘उचित व्यवहार’ का विवास इग्लैण्ड में हुआ था, क्योंकि लोग “कॉमन लॉ” से सन्तुष्ट नहीं थे। वह इतना अधिक कठोर था कि उससे व्याधारण परिस्थितियों में न्याय नहीं हो सकता था। “इन्हिनी” या ‘उचित व्यवहार’ वो ‘राजा के विवेद’ का प्रतिनिधि समझा जाता था, क्योंकि राजा अपने विरोपाधिकार में गहराई तक पहुचवार कानून के शागठन में प्रत्यक्ष अन्याय का निवारण बर सकता था। राजा के विवेद या रक्षक ‘चान्सलर’ या मुख्य न्यायाधीश था, और ‘चान्सरी बोट’ ने कुछ मिद्दान्तों के पृथक् समुदाय का विकास किया था जिनमें कुछ नियम चर्चे के बानून और रोमन बानून भी लिये गये थे।

चालंस डिक्सन के पाठ्यों को स्मरण होगा कि इग्लैण्ड में ‘कोट्ट ऑव चान्सरी’ जननी ही विधियों में इतना उल्लंघन गया था कि बड़ी-बड़ी जायदादों के उत्तराधिकारियों के भगवानों का फैलाला शीघ्र नहीं हो पाता था। समुस्त राज्य अमेरिका में “इन्हिनी” या ‘उचित व्यवहार’ के परम्परागत कानूनों को विधान द्वारा सीमित और नियमित कर दिया गया है। कुछ राज्यों में ‘उचित व्यवहार’ के मुख्दमों वो मुनवाई करने के लिए ‘चान्सरो कोट्ट’ पृथक् हैं परन्तु अधिकतर राज्यों के न्यायालय और सब के सभी न्यायालय बानून और उचित व्यवहार, दोनों के मुख्दमों वो मुनवाई करते हैं।

अधिकतर राज्यों में निम्ननम न्यायालय भैजिस्ट्रेट की अदालत या पुलिस अदालत है। उसका जज या भैजिस्ट्रेट, जूरी की सहायता के बिना ही शराब पी कर पागल हो जाने के अपगाधी को तीस दिन की जेल का या अत्यधिक तीव्र गति

से मोटर चलाने के अपराधी को जुरमाने का दण्ड दे सकता है। उसको यह अधिकार भी है कि सून करने के अभियुक्त का मुकदमा सुनवार निर्णय करे कि उसे ऊंची अदालत द्वारा सुनवाई के लिए रोका जाय या नहीं।

मैजिस्ट्रेट से ऊपर नियमित सुनवाई की अदालतें होती हैं जो ऐसे अधिक महत्वपूर्ण मुकदमों की सुनवाई करती हैं जिनमें जूरी की सहायता की आवश्यकता होती है।

अदालतों की गन्दी राजनीति प्राय मैजिस्ट्रेट या पुलीस कोटों में ही दिखताई पड़ती है, क्योंकि इन अदालतों के अधिकारियों वो प्रायः बानून का प्रशिक्षण नहा मिला होता है और उनकी नियुक्ति सन्दिग्ध राजनीतिक प्रभावों से हूई होती है। कपर की अदालतों में भ्रष्टाचार कम होता है।

अधिकतर राज्यों में ऊपर की अदालतों के जजों का चुनाव एक नियत समय के लिए जनता द्वारा होता है। वसील सोग जजों का निर्वाचित विया जाना पवन्द नहीं बरते, क्योंकि निर्वाचित जज बहुधा राजनीतिक हवा के दृष्टि को देखकर चलते हैं। 'बार ऐसोसिएशन' (वकीलों के सघ) चुनाव से पूर्व उम्मीदवारों के नामावन वो प्रभावित दरने का यत्न करते हैं, जिसमें जज बहुत व्यक्ति चुने जाय जो उनको हृष्टि में बच्चे हो। मजदूरों और जिसानों के संगठन निर्वाचित द्वारा जजों की नियुक्ति समर्थन दरते हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि यदि जजों पी नियुक्ति गवंवर पा विधान भष्टल पर छोड़ दी जायगी तो वे बड़े-बड़े व्यापारियों के घटाघातियों वो जज बना देंगे। इस प्रकार राज्यों की ऊपरी अदालतें राज्य में काम करती हूई राजनीतिक शक्तियों का लिहाज बरने के लिए विवरा रहती हैं, और अमेरिकी जनता के अधिकतर मुकदमे इन्हीं अदालतों में होते हैं। और इनीलिए वे न्याय और ईमानदारी के उस दर्जे की प्रतिनिधि होती हैं जिसे मतदाता लोग चाहने हों या समर्थन करने के लिए उपयार हों।

राज्यों के शासन में कर्मचारियों की नियुक्तिया साधारणतया राजनीतिक पक्षपात से अधिक और योग्यता के आधार पर कम होती है। संघ के शासन में

राजनीतिक पश्चात् इतना अधिक नहीं होता । राज्यों के विधान मण्डलों में समान, यहा सिद्धि सवित्रे भी जनता की उपेक्षा का शिवार बनी रहती है । परन्तु अब अनेक शक्तिया सुधार की दिशा में बढ़ रही हैं ।

ऐसी एक शक्ति 'टेक्नोवन' सेवाओं का बड़ा जाना है । उदाहरणार्थ, स्वास्थ्य-रक्षा और इजिनीयरिंग यीं सेवाओं में साधारण राजनीतिक दावोंच लगाने वाला अस्ति यदि भुग्म भी जायगा तो शोष्ण ही वह पदारूढ़ पार्टी की सावजनिक आनोन्नना या शिवार बन जायगा । इन सेवाओं में नियुक्तिया योग्यता के आधार पर करनी पड़ती है और यह प्रथा अब केवली जा रही है ।

एवं अन्य शक्ति सधीय सहायता की है । इस धन का स्थानीय उपयोग बरते का भार राज्य के अधिकारियों पर रहता है और इनलिए इसके कारण पहले पहल तो रिस्प्लाईरी और अव्यवस्था खूब होती है, परन्तु युद्ध समय पश्चात् इस व्यवहार के कारण जनता जाग्रत हो जाती है । वाशिंगटन में भी पदारूढ़ पार्टी अनुभव बरते लगती है नि उत्तर राज्य की सहायता बरते समय यह शर्त साध लग जाती है कि सधीय बोय से मिलो हुई धन-राशि का व्यय करते समय राज्य नियुक्तिया योग्यता के आधार पर बर्ते ।

इन शक्तियों में द्वारा राज्यों के शासन में योग्य और ईमानदार व्यक्तियों भी नियुक्ति में सहायता मिलने के कारण, राज्यों को राजधानिया में नागरिकों के उन रागठनों पा भी बन बढ़ जाता है जो शागन सुधार का आदोलन बरते हैं ।

अधिकतर राज्यों के शासनों को अपना व्यय अपनी आप के भीतर रखने में बिठाई होती है । इसका कारण यह नहीं कि उनके बजट अन्य अमेरिकी संगठनों गे बड़े होते हैं, अपितु यह है कि वे भी घमूनी में उनको वित्ति नियंत्रित है । विसो युपि प्रधान राज्य का बजट दरा से बीस करोड़ डालर तक का और न्यू यार्क शहरीसे विसी राज्य का सी करोड़ डालर तक का ही रखता है । ये बजट अमेरिका के मध्यम और बड़े व्यापारिक कार्पोरेशनों से मिलते-जुलते हैं । न्यू यार्क राज्य का बजट न्यू यार्क नगर के बजट से छोटा होता है ।

राज्य-सरकार के बर लगान वी मद जमीन जायदाद, चन समतिया, रोजगार चतान वे लाइसेन्स, क्रय विक्रय, व्यापारिक या निजी आय, और पेटोल तथा सिगरेट पर उत्पादन-कर इत्यादि हैं। समतिया पर कर सीमित ही रखना पड़ता है, वरोंकि वह स्थानीय स्वशासन-भूस्थानी वी आय का एक बड़ा साधन है। इसके अतिरिक्त समति पर समस्त कर इतना ऊँचा नहीं होना चाहिए कि उसका स्वामी उमे छोड़ने के लिए तैयार हो जाय। आय-नर इस कारण सीमित हो जाता है जि सधीय शासन उमे भारी मात्रा में दमूल बर लेता है, विरेषत ऊँची आय बाला से। जो समान व्यक्ति अपनी आय का ६० या ७५ प्रतिशत सधीय शाखन को दे देता है, वह अपनी रेष का उतना ही प्रतिशत राज्य-सरकार को नहीं दे सकता।

इसलिए राज्य-सरकार आय-नर लगाते हुए ऊँची और नीची आयो म उतना अग्रिम अन्तर नहीं बर सकतो कितना सधीय शासन बर देता है। समति-कर, विक्री-कर और पेट्रोल तथा तम्बाकू पर उत्पादन-कर का प्रभाव ऊँची ऊँची आय बाला वी अपेक्षा नीची आय बाला पर अधिक पड़ता है इसलिए राज्य के बरो की साक्षात्कारण प्रतिक्रिया व्यापार म सुन्ती द्या जान वी होती है। यदि कोई राज्य बरो की दर ऊँचे उठाने का अधिक यत्न बरे तो उसका फल यह होता है कि व्यापार का प्रवाह तुरन्त हो पड़ोन के उस राज्य की ओर को मुड़ जाता है जिसम बस्तुएं सम्मो मिल सकती हैं।

आय वी न्यूनता के कारण राज्य-सरकार जिम्मेदारिया भी न्यून उठाती हैं और उनकी प्रवृत्ति अपना कुछ बास संघर्ष शासन पर डाल देन की हो जाती है। राज्य सधीय कोष से कई प्रकार वी महत्वपूर्ण सहायता पाने की आशा बरते हैं। सड़कों और स्कूलों की सहायता तो अमेरिकी परम्परा में पुरानी चली आती है। सन् १९३३ से, वेरोजगारी तथा अब अन्त फ्रेकार वी कठाइया म राज्यो को सहायता देन का उत्तरदायित्व संघ वे सामाजिक-नुस्खा विभाग पर जा पड़ा। अठिन समयो पर सार्वजनिक निर्माण कार्यो के लिए संघ वी ओर से अभिकापिक सहायता देन का सिद्धान्त अब प्राय सर्वत्र मान लिया गया है।

राज्यों की संघीय सहायता देने का सिद्धान्त दो आर्थिक सत्यों पर आधारित है। प्रथम यह कि मंध वीं वर वसूल वर सकने की शक्ति राज्यों से अधिक है, वर्षोंके उसके बर से कोई व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर जाकर ही वच सकता है और द्वितीय यह कि आर्थिक समानता समस्त देश के लिए ही सामदायक है। कुछ राज्य अन्यों की अपेक्षा अधिक समत हैं। साधारणतया, समग्र राज्यों के लिए समर्थ लोग पूँजी लगाकर निर्धन राज्यों में व्यापार करके वहाँ कि आय अपनी ओर लीब सकते हैं। यदि संघीय शासन समग्र राज्यों वे लोगों पर वर लगाकर उसकी वसूली से प्राप्त हुए धन का कुछ भाग निर्धन राज्यों को दे दें तो धन के आदान-प्रदान का प्रवाह रुकने नहीं पाता और समृद्धि का चक्र चलता रहता है। इस प्रकार समानता या तरफ़ राज्यों की स्वावलम्बिता के सरल तरफ़ पर विजयी ही जाता है।

इसी प्रकार राज्य-संरक्षण का एक बड़ा उत्तरदायित्व यह है कि वे राज्य के धनी और निर्धन भागों में असमानता के कुछ अंश को समान कर दें। साधारणतया, शाम भागों के साथ व्यापार करते हुए शाम का बड़ा भाग नगरों में पहुँच जाता है। यदि उसमें हस्तक्षेप न किया जाय तो देहांतों की जामदादें धीरे-धीरे नगरों के बैंकों, बोमा कम्पनियों, और अन्य पूँजी लगाने वालों के स्वामित्व में बाती जाती हैं, जैसा सन् १८३३ से पहले हुआ था। इसका परिणाम साधारण समृद्धि की दृष्टि से नहीं होता। निजी व्यापार के अमनुनित परिणामों को ठीक करने के लिए आवश्यक होता है कि राज्य निर्धन प्रदेशों की सहायता करें। उस सहायता का रूप माध्यारणतया राज्य के व्यय पर सड़कों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण, और स्कूलों, पुस्तकालयों तथा अन्य स्थानीय कल्याण-कोषों को प्रत्यक्ष धन का बान होता है।

असमानता को मिटाने की आवश्यकता और वर लगाने में संघ की ऊंची शक्ति के पारण राज्यों वीं आवें वार्षिक वीं और अधिकारिक उठने लगी हैं। उनकी सहायता वहीं से प्राप्त होती है। परन्तु इस प्रवृत्ति से अमेरिकी जनता चिन्तित होती जा रही है। इस चिन्ता का दूसरा पहलू यह है कि संघीय शासन की बेन्द्रीय नीतियाँ ही और उसके प्रदेशिक तथा स्थानीय दप्तर तो बढ़ते चले जा रहे हैं और

राज्या का प्रभाव क्या उत्तरदायिक घटते जा रहे हैं। दोनों राजनीतिक पार्टियों के बीच चाहते हैं कि सधीय सहायता में वृद्धि को समिल बरने का कोई उपाय निकाला जाय। गवर्नर स्ट्रीबस्टन ने जो मन् १९५२ में राष्ट्रपति पद के तुनार में खड़े हुए थे, इस बात पर विशेष बल दिया था कि उत्तरदायित्व वासिंगटन (वर्षान्त) वेन्ड्रेय या सधीय सरकार की ओर से राज्यों की ओर को और राज्यों की ओर से स्थानीय शासनों की ओर को यथाशक्ति अधिकारिक विवेन्द्रित कर दिया जाय। सन् १९५३ के आरम्भ में राष्ट्रपति बाइजनशावर ने बाज़ा दी थी सधीय और राज्यीय आमदनियों और क्रिमेंशारियों के पारम्परिक सम्बन्धों का व्यापक अध्ययन किया जाय, जिसमें राज्या से राजनीतिक जीवन को अधिक स्वस्थ बनाया जा सके।

राज्या के सम्मान और उत्तरदायिक को उंचा ढाने के लिए बनेव धार बनेव उपाय मुझमें गये हैं। एक उपाय यह है कि सधीय शासन कुछ करों को न लगाते, जैसे पेट्रोल का टैक्स, क्याकि राज्य अपनी सुड़कों का व्यव चलाने के लिए इसी पर निर्भर करते हैं। एक मुझमें यह है कि जो राज्य कुछ विशिष्ट करों को लगाते हैं उनका वर्ते उनके नागरिकों में उन करों को सधीय शासन व्यूह वर्ते जाए; जो नागरिक अपने राज्य को बढ़ाव दे रहे हों उनमें वह व्यूह व्यूह न दिये जायें। उदाहरणार्थ, इस प्रकार का दबाव राज्यों को मध भी सामाजिक-सुरक्षा व्यवस्था के साथ सहयोग करने के लिए दिवस बरने को दाला गया था। बाय-नर के सम्बन्ध में भी इस उपाय के अवयव्यन का मुझमें दिया गया है। यदि कोई भी राज्य प्रतिव्युष्ठि के लिए व्यापारियों या अपने दहा आने वाले सम्पत्ति लोगों के सामने आयान रहें पेटा न करे तो राज्यों की आय बहुतेरी बढ़ सकती है।

बेन्द्रेवरण की स्वामानिक और प्रबन्ध प्रवृत्ति को रोकने का प्रयत्न राजनीति-उपायों से यथाशक्ति किया जायगा और शायद इसके लिए कृतिम साधन भी बाम में लाये जायें, क्याकि बामें राज्यों के शासन की बहुधा उंपेक्षा करते रहने पर भी अमेरिकी जनता का स्वभाव दही है कि जब उम्में राज्य पर संकट आता रिक्साई-देता है तब वह उसकी सहायता करने में पीछे नहीं रहती।

अध्याय ६

स्थानीय शासन

संयुक्त राज्य अमेरिका में आधे से अधिक लाग नगरों में रहते हैं, और इनमें से लगभग एक ग्री नगरों की आवादी एक लाख से अधिक है। शेष अमेरिकी लोगों के लिए स्थानीय शासन का वाम मुख्यतया बाउण्टीया (जिले) करती है। इनके अतिरिक्त सूनो, स्वास्थ्य की सेवाओं, और अन्य अनेक श्रयोजनों के लिए हजारों विरेय जिले भी हैं। इन जिलों की तीमार्ए और बाउण्टीयों, नगरों तथा अन्य जिलों की तीमार्ए एक दूसरे के ऊपर भी द्या जाती हैं। इस कारण ही सबता है कि विसी नागरिक को शासन की संघ, राज्य, नगर, बाउण्टी और जिला आदि आधा दर्जे इकाइयों के दैवत देने पड़ते हों।

टॉपस ज़ेफरसन नगरों से छूटा करते थे और उन्हें भ्रष्टाचार का नाबदान वहा परते थे। वस्तुतः उन्नीसवीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरों का राजनीतिक जीवन भ्रष्टाचार के लिए घदनाम था। इसका एक बड़ा कारण यह था कि पुरोग से और अमेरिकी देहाती से नये लोगों दे जो भूट के भूंड नगरों में आते थे वे मुश्मता से वहाँ की राजनीतिक 'पशीना' का शिकार बन जाते थे। सन् १६०० के पश्नात नगरों के शासन की कुशलता और ईमानदारी में कुछ मुश्पार हुआ है। इस मुश्पार का एक कारण यह है कि हाल के यर्षों में रहन-नहन का दर्जा ऊँचा होना गया और नगरों दे अधिकों की सामाजिक मुरक्का उभत हो गयी है। इसलिए उत्त तहापता और सहानुभूति की आवश्यकता कुछ बहुत ही गयी है जिसे

राजनीतिक "वास" अथवा 'मालिक' बाप से आप बाटते किरा करते थे । मुधार वा एक अन्य कारण यह भी है कि नगरों में शासन की अधिक पुरातात्पूर्ण पद्धति अपना ली गयी है ।

नगरों की स्वर्य तो स्वयंप्रभुता के कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, परन्तु नागरिक जैसा 'चाटंर' या अधिकार्त्यन् चाहृदे हैं कैसा राज्य से प्राप्त करने के लिए वे कुछ प्रभाव अवश्य छाल सकते हैं । नगरों में तीन प्रकार की शासन-प्रणालियां प्रचलित हैं । "मेवर और कौन्सिल" की मूल प्रणाली अब भी सर्वाधिक प्रचलित है । "कमीशन" की प्रणाली को पहले-पहल टेक्स्ट्रांस राज्य के गैलेस्टन नगर में प्रमिदि प्राप्त हुई, जहां इसे सन् १८०१ में पाली की विनाशक बाढ़ के पश्चात् आपी आपति का सामना करने के लिए अपनाया गया था । उसके पीछे लगभग पन्द्रह वर्ष तक यह मध्यम आवादी के अन्य नगरों में भी कैलही चली गयी, परन्तु उसके पश्चात् इसके अनुयायी बनने बन्द हो गये । उसके पश्चात् सोल्प्रियता तीसरी "कौन्सिल-मैनेजर" अथवा 'मिटी-मैनेजर' प्रणाली की बढ़ने लगी, और इस समय मध्यम श्रेणी के नी सौ से अधिक नगरों में इसी के अनुसार काम हो रहा है ।

पुराने दृग के "भेड़ और कौन्सिल" शासन में कौन्सिल-मैन (समानद) अथवा 'एलडरमैन' (विशिष्ट समाजद) स्थानोंपर राजनीतिज्ञ हुआ करते थे, और नगर के बर्मचारी राजनीतिक सेवा का इनाम देने के लिए नियुक्त निये जाते थे । नगरी वी अप्टाचारी 'मशीनो' को शासन की यह प्रणाली निम्न कोटि की राजनीतिक कारखान्या बरने के लिए सूबे उपयुक्त लगती थी, और इस कारण वे शासन की कोई नयी प्रणाली अपनाने का प्राय विरोध करती थी । परन्तु "मेवर और कौन्सिल" पद्धति में भी अब अनेक मुधार हो चुके हैं ।

अधिकार 'कौन्सिल' अब दो के स्थान पर एक ही सदन बाली रह गयी है । इन अवेले सदनों को भी सदस्य-संख्या बब घट गयी है और वे सदस्य आम चुनाव द्वारा निवाचित होते हैं । ज्यो-ज्यो ऐसी सार्वजनिक सेवाओं वा अधिकाधिक उत्तरदायित्व नगरों पर पड़ता जाता है जिनके लिए उच्च-प्रशिक्षित सेवकों की आवश्यकता होती है त्यो-त्यो नगरों के शासनों का भी पुरानांग होता जाता है ।

बहुत मेरे नगरों ने मेरर के अधिकार बढ़ा कर उमेर शासन की व्यवस्था करने के लिए अधिक उत्तरदायित्व सौंप दिया है। इस प्रकार वे "स्टी-मैनेजर" पद्धति को न अपनाते हुए भी आचरण उसके समान हो करने लगे हैं।

नागर-शासन की "कमोशन" प्रणाली इन्हिए चली थी कि उत्तरदायित्व ऐसे कुछेक लोगों के हाथ में रहे जो प्रभावशाली होने के कारण जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किये रह सकें। कमोशन के सदस्य प्राप्ति. पाव होते हैं। उनमें मेरे एक चेयरमैन होता है। वह मेरर कहलाता है। नोनियों का निर्धारण तो सारा कमोशन करता है, परन्तु प्रत्येक सदस्य किसी विशेष विभाग का उत्तरदायित्व उठा लेता है। इस पद्धति की सबमे बड़ी त्रुटि यह है कि कमोशन यदि किसी उचकत में फंस जाय तो उमेर मुलभाने का अधिकार किसी को नहीं रहता।

"कौन्सिल-मैनेजर" प्रणाली का परीक्षण पहले-पहल सन् १९०८ मेरे वर्जीनिया राज्य के स्टौट्टन नगर में किया गया था। इस प्रणाली में नगर के लिए नीतियों का निर्धारण और नियमों की रखना तो कौन्सिल करती है, परन्तु शासन एक मैनेजर के हाथ में रहता है। उसकी नियुक्ति कौन्सिल करती है। वह अन्य किसी नगर का निवासी भी हो सकता है। सफल मैनेजर ज्यां-ज्यां अपने कार्य में अधिक कुशलता प्राप्त करते जाते हैं, त्योहारों वे अधिक अन्यदी नौकरी पाने की आशा करने लगते हैं। नगर के अन्य वर्षचारियों की नियुक्ति उनकी मोग्यता के आधार पर मैनेजर करता है और इस प्रकार उसे अपना काम भली प्रकार कर सकने के लिए पर्याप्त स्वतन्त्रता रहती है।

"मैनेजर प्रणाली" का आधार, निजी व्यापार के मूल सिद्धान्त के समान, यह है कि नगर को जनता जो कुछ चाहे वह उमेर न्यूनतम मूल्य में उत्कृष्टतम मिलना चाहिए। लोगों को नगर के कार्पोरेशन का संचालन, किसी साधारण निजी कार्पोरेशन के समान, एक मैनेजर और एक बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की नियुक्ति के द्वारा करना उपयुक्त जंचता है। उसमे उनकी अपनी स्थिति शेयर होल्डरों से रिखी रहती है।

स्पष्ट है कि यदि लोग चाहें तो नगर का शासन, देश की अपेक्षा, बहुत कम राजनीति से चल सकता है। नगर में ऐसी समस्याएं कम होती हैं जो केवल

राजनीति के द्वारा मुनक्क सकती हैं । उदाहरणाथ, उने विभेदिक सम्बादा या कागजी मुद्रा के सबोच पा विस्तार जैसी उन समस्याओं से बोई चास्ता नहा हमा जिनका निर्णय वाशिंगटन में करना पड़ता है । इसके दिपरोत वे अल्पसंख्यक लोग "मैनजर प्रगाढ़ा" को निन्दा करते हैं जो बहुमत द्वारा निर्वाचित और बहुमत्यको का प्रतिनिधित्व करने वालों कौन्सिल की अधीनता में अपने आपको अरपित समझते हैं । कुछ नगरों में लोगों द्वारा राजनीतिक मनमतों को स्वेच्छाकर करने की आवश्यकता का अनुभव करते उन्हें कौन्सिल में आनुगामिक प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया है । इस व्यवस्था के अनुसार यदि जिसी अल्पसंख्यक वर्ग को चुनाव में दो निहाई मत मिल जाय तो उसे कौन्सिल में भी दो तिहाई स्थान मिल जाते हैं । निर्वाचित की साधारण पद्धति में शायद उसे एक भी स्थान न मिल सकता । यदि आनुगामिक प्रतिनिधित्व को राष्ट्रीय निर्वाचनों में भी अपनाया जायगा तो उसमें दोटी-दोटी ऐसी पारियों को बढ़ावा मिलेगा जो एक पार्टी में से फूँकर निकलती हैं । इस वारण इसे डिस्ट्रीक्यू पद्धति के लिए भय का बारण समझा जाता और इसका विरोध भी विया जाता है । इस आनंदि के बारण आनुगामिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग नगरों में भी बहुत ही हुआ है ।

नगरों के शासन का बाम स्वयं नगरों के विस्तार की अपनी भी विधि तो न गति से बढ़ा है । इसका बारण उन नदी-नदी सेवाओं का आविष्कार है जिनके बिना बाम चलाने के लिए अब नागरिक तैयार नहो होते । इसके अनिरुद्ध अब नगरों का बाम द्रुत परन्तु महगी यातायात और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बिना भी महा जन सकता । जैसे वाशिंगटन के समय इनकी आवश्यकता मही थी । भवनों तथा सड़कों के निर्माण, आग दुमान की व्यवस्था, सूनों और पुस्तकालयों और पुस्तकों के प्रत्रध आदि व्यय नगर की आय बढ़ाने की सामग्री को अपेक्षा कहा जायक होता जा रहा है ।

आय के मुख्य स्रान जमीन-जायदाद, विद्वान्कर और व्यापार पर सीधे कर हैं । परन्तु जमीन जायदाद और विद्वान् के कर भी व्यापार पर निभर करते हैं । यदि

नगर अपने करों की नाव पर भारी बोझ डाल देगा तो व्यापार उन उपनगरों में चला जायगा जो नगर के कर लगाने के अधिकार से परे होंगे ।

नगर जो आमदनी कर सकता है और जीवित रहने के लिए उसे जो कुछ करना पड़ता है, उन दोनों में अन्नर रहने के कारण अधिकतर नगर सरकारी महायता के भरोसे रहने लगे हैं । उनके राज्यों पर देहाती मतदाताओं का प्रभाव होता है और वे समान बटवारे में अर्थात् नगरों से कर बमूल करके उसे देहाती में फैलाने में लगे रहते हैं, इस कारण नगर सध की सहायता पर अधिक भरोसा करते हैं ।

सन् १९५३ में न्यू यार्क में, न्यू यार्क नगर के मेयर और राज्य के गवर्नर में यह विवाद उठ खड़ा हुआ था कि नगर का राज्य से कितनी सहायता मिलनी चाहिए । । राज्य अपनी आय का ५५ प्रतिशत स्थानाय शासनों को सहायता देने पर व्यव कर रहा था । न्यू यार्क नगर का राज्य से जो सहायता मिल रही थी । वह उसके (नगर के) सारे बजट का १५ प्रतिशत बतलायी जाती थी । मेयर की शिकायत का आशय यह था कि राज्य के कानूनों में बटवारे के नियम ऐसे होते हैं कि उनके कारण छोटी इकाइयों की सहायता का भाग अनुचित रूप से अधिक मिल जाता है ।

संघीय सरकार से नगरों की अपील का आधार समानता का बिढ़ात नहीं है, क्योंकि अधिक धन तो बड़े नगरों में ही बेनिट रहता है । उसका आधार कर लगाने की सामर्थ्य का अन्तर है । नगर सम्पन्न पुरुषों या कार्पोरेशनों पर भारी कर नहीं लगा सकते, क्योंकि वसा करने से उनके दफतर नगर छोड़ कर चले जायें । परन्तु संघीय सरकार उन पर भारी कर लगा सकती है और उससे मिले हुए धन का कुछ भाग नगरों को दे सकती है । वह करती भी यही है ।

इस सबका परिणाम यह हुआ है कि "ग्रेट डिप्रेशन" अर्थात् सन् १९३० के बाद की भारी मन्दी में जनता को सहायता देने के भारी बोझ के कारण जबसे नगरों की कमर दूटी है तबसे नगर-शासनों में यह प्रवृत्ति आ गयी है कि राज्यों को तो वे क्रूर सौतेली माता और संघीय शासन और उदार चाचा के समान मानने लगे हैं ।

नगरों की बहुत-सी सेवाओं के, विशेषत नवी और 'टक्कोकल' सेवाओं के तो ईमानदारी और कुशलता के दर्जे में तो प्रशसनीय उन्नति हुई है, परन्तु अधिकतर

नगरों की पुलीस ने वैमो उद्यनि नहीं की उसमें, योग्यता के आधार पर नियुक्तियों का आविष्कार होने से पहले की, राजनीनिर नियुक्तियों और राजनीति में प्रभावित होने की पुरानी ही परम्परा चली आ रही है। उसका संगठित अपराधियों के साथ सीधा सम्पर्क रहता है और वे अपने दबाव का उमे अच्छा मूल्य दे देते हैं। पुलीस वर्मचारियों को बेतन प्राप्त थोड़ा मिलता है और 'भने' लाग उन्हे सदेह तथा घृणा की दृष्टि से देखते हैं। मन् १६५० और मन् १६५१ में मनेगर एम्पेस कैफौवर की अव्याधता में एक ममिति ने अल्टर्नर्टीय अपराधा की जांच की थी और उसे इस बात के प्रमाण मिले थे कि नगरों की पुलिम को संगठित अपराधियों से नियन्ति रखने मिलती हैं। आशा है कि ज्यो-ज्यो अपराधा की जांच की विधियों में उन्नति के कारण अधिकारियों उच्च प्रशिक्षित भनुप्या को आवश्यकता पड़ती जायगी और ज्यो-ज्यो जनना पुलीस पर अधिक ध्यान देगी और उसकी विभिन्नाईयों को समझती जायगी त्यो-त्यो अन्य सार्वजनिक मेवाआ के समान पुलीस भी मुधर जायगी।

जो द्वं बरोड अमेरिकी नगरों में नहीं रहते उनके लिए स्थानीय शासन का मुख्य दृष्टि 'वाडण्ठियो' अर्थात् छोटे जिलों का शासन है। वाडण्ठो औपनिवेशिक बाल से अमी तक प्राप्त अपरिवर्तित ही चली आ रही है। उसका शासन एक बोड़ बरता है। उसके सदस्य प्राप्त दस से भी कम होते हैं। बोड़ का चेयरमैन ही बहुता काउण्टी की अदालत का जज भी होता है। काउण्टी के दानार में जमीन-जायदादों के शासन, बनीयतनामों, विवाहों और अन्य ऐसे नियन्ति दस्तावेजों को मुराखित रखा जाता है जिनको कभी सार्वजनिक प्रयोग के लिए आवश्यकता पड़ सकती है। काउण्टी स्थानीय सदकों बनाती, राज्य और देश के निर्वाचिनों का स्थानीय प्रबन्ध बरती और जनगणना तथा मेना में भरती आदि के कामों में स्थानीय इकाई का काम देती है। शेरिफ (वानून का पालन कराने वाला अधिकारी), कौरोनर (मृदु के कारण की जांच करने वाले), अदालत, और जेल वा प्रबन्ध जी काउण्टी ही करती है।

विभिन्न राज्यों में वाडण्ठियों को विभिन्न प्रकार का भाँयं बरना पड़ता है।।

उनके अधिकारियों के नाम विभिन्न हैं और उनकी ईमानदारी या भ्रष्टाचार वा दर्जा भी विभिन्न है। उनके शासन का जनता से निकटतम सम्पर्क और जड़ पुरानी परम्पराओं में बहुत गहरी गयी हुई है। काउण्टियों के बहुत से काम लोग शौचिया करते हैं, और वह भी प्रायः विना कुछ लिए अपना कुछ समय लगाकर। देहातों के लोग प्रायः परिवर्तन-विरोधी स्वभाव के होते हैं और अपने बाप-दादों से चले आये रीति-रिवाजों में परिवर्तन शीघ्र नहीं घरते। अकुशलता और भ्रष्टाचार भी लोगों की पुरानी आदतों वा आंग हैं।

सड़ो और स्कूलों वा भार अब धोरे-धोरे काउण्टियों पर से उठनेर राज्यों और संघ के कोशों पर पड़ता जा रहा है। गाँव-दिहात में हुए कलों की जाच के लिए भी अब राज्य के गुप्तचरों वा उपयोग होने लगने वो सम्भायना है। इस प्रकार बेन्द्रीकरण भी दृढ़ि के साथ-साथ काउण्टियों के परम्परागत वाम वर्म होते जा रहे हैं। साथ ही देन्द्रीकरण के बारण, काउण्टी के शासनों में अनेक नये पदों वी सृष्टि हो गई है। पहले इन पदों वा काम शासन की निम्नतम इकाई स्थानीय डिस्ट्रिक्ट या जिले से चल जाया करता था।

अधिनतर स्थानीय डिस्ट्रिक्ट या जिले स्कूल चलाने के लिए बनाये जाते हैं। अन्य जिले घर-जिले या सड़क जिले अथवा निर्वाचिन-जिले आदि होते हैं। निर्वाचिन-जिला निर्वाचिन के दिन मतदान के बेन्द्र वी व्यवस्था वरता है। अथवा जिला वेयल उतना धोन हो सकता है जितना विमो 'जस्टिस ऑफ़ दी पीस' या छोटे मजिस्ट्रेट के आधीन हो। जिलों वा वोई संगठन यदि हो भी तो उसका रूप रारतम रहने की सम्भावनां होती है। पर्याप्त सड़के बनाने पर ज्यो-ज्यो मोटरों वा प्रयोग बढ़ता जाने के कारण एक बमरे बाले प्रामीण स्कूल बेन्द्रीय स्कूलों में मिलते जाते हैं और अन्य स्थानीय वामों वा बेन्द्र बनाता जाता है त्यों-त्यों स्थानीय डिस्ट्रिक्ट या जिले मिट्टकर 'प्रेत' या 'भूत' मात्र रहते जा रहे हैं।

न्यू इंगलैण्ड में मूल स्थानीय इकाइयाँ 'टाउन' थे। न्यू इंगलैण्ड के टाउनों वा धोन प्रायः तीस से चाठ वर्गमील तक होता है। यह धोन संगभग इतना बड़ा होता है कि उसमें रहने वाला 'मिसान अच्छे मौसम में घोड़ा वर्गी गाड़ी द्वारा

कच्छरी तक जाकर बास्तु लौट सके । शासन का प्राथमिक आगार 'टाइन' को मना है । उसमें एकत्र होकर नागरिक 'टाइन' के मामतों का प्रबल्ल ढरने के लिए 'सिलेक्टमेंट' (निर्वाचित जनों) वा चुनाव करते, वर लगाने, और यह निर्णय बरते हैं जि जिन्होंने स्ट्रीट को पक्षा बनाया जाय या नहीं और पार्टी के लिए देखें सहीदी जायें या नहीं । यह विशुद्ध जनतन्त्र तभी तक ठीक बनता है जब तक जि आवासी बढ़कर विकट ह्य धारा नहीं बर सीमा, और तब 'टाइन' खग्य में कह देता है कि उस पर 'सिटी' अर्थात् बड़े नगर की व्यवस्था लाए बर की जाय ।

टाइन और कालायी के दोनों बी एक वस्तु 'टाइनशिप' थे । वे प्राप्त द्वं भीत थाँ होते थे और कुछ राज्यों में स्थापित विभ गये थे परन्तु पक्षी मट्टों बनने के पहचान् यात्रा मुगम हाती जाने के बारा ये काटण्डियों में मिलते जा रहे हैं ।

जिन पुरानो बन्धियों, जिसों ग्रामों, और पड़ोसों में लोग पहले परम्पर मिलते जुलते, ज्य विक्रय बरते, या गिरजाघर जाने के लिए पैदल या धोड़े पर आया-जाया बरते थे उन सब पर मोठर के चलने का प्रभाव दर्हने बरते देने के ह्य में बढ़ा है । बड़े दृष्टान्त में यात्रायात्र भी आधुनिक मूविकाओं के कारण एक ही 'व्हॉल' में रहने वालों में भी बदने काम-काज, मिश, स्कूल, और चर्च एक दूसरे से चिल्कुल अलग रखने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है । इस परिवर्तन के कारण वह समाजिक और राजनीतिक जीवन सोखना हो गया है जिने "ग्राम-स्टम्" का नाम दिया जाता था । लोग अब भी राजनीति सीख सकते हैं और पार्टियों के भुगठन में मार ले सकते हैं, परन्तु पहले भी अपेक्षा कुछ लेंद्रों से आरम्भ करके और बहुर खड़क अपरिचितों के मध्य में बैठकर ।

पड़ोसियों के साथ परिचय और निकटता के सम्बन्ध दूट जाने के कारण अनेक पन की भावना नष्ट हो गयी है उने पुनर्विजित बरने के लिए अंदरिकी लाग बनने चिन्हितिकाओं और संगठनों को पुनर्ज्यवस्थित बरने का प्रयत्न श्रेष्ठ प्रवार से बर रहे हैं । संतुक्त राज्य में अंदरिकी की सरकार तक अनेक कायोंवा यथाठकि चिंतित बरने का प्रयत्न बर रही है । कृपि चिनाग ने कृतिम ह्य के पड़ोसी समुदाय तक संगठित करने का प्रयत्न दिया है । वह कृपि प्रशिक्षा के जिसी रूप

का अध्ययन करने के लिए कुछ समूहों को एकत्र करता और उनमें खानेमीने की वस्तुएं बाट कर उनके परिवारों को एक दूसरे से पड़ोसियों की भाति मिलने का अवसर देता है। एकीभूत सगठित ग्रामीण स्कूल, ग्रामों के विजली सहकारी संगठन, और राज्य विश्वविद्यालय, ये सब नवीन परन्तु ऐसे विस्तृत पड़ोसों को पुनर्जीवित करने का यत्न कर रहे हैं जिनकी सीमा भोटर गाड़ी की पहुच के भीतर हो।

नयी संस्थाओं का संगठन कृत्रिम तो अवश्य है, परन्तु इतने मात्र से वे कुछ कम अमेरिकी नहीं हो जाती। अमेरिकियों को जब आवश्यकता हो तब नयी संस्थाएं खड़ी करके प्रसन्नता होती है। यानिक प्रगति के कारण जीवन का जो बेन्द्रीकरण होता जा रहा है, उसके प्रति अमेरिकियों का भाव भारी अविश्वास का है। वे विकेन्द्रीकरण के ओर “ग्रास रूट्स” को फिर से पुनर्जीवित या पुनर्संघटित करने के उपायों की खोज में रहते हैं, क्योंकि उनकी सहज बुद्धि उन्हे बतलाती है कि राजनीतिक जीवन को प्राण “ग्रास रूटों” से ही मिलते हैं। अमेरिकी जीवन के बड़े छोटे सभी शामनों की क्रमिक प्रगति, बेन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण की शक्तियों के दबाव से प्रभावित हो रही है।

अध्याय १०

शासन और व्यापार

संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी, अन्य स्वतन्त्रों देशों के समान, मिलो-जुली है। स्कूलों की पुस्तकों में जिस अर्थ-व्यवस्था का बजान "बिपिटलिस्ट" या पूँजीपतियों की अर्थव्यवस्था के नाम से बिया गया है, यहाँ उसके उदाहरण के रूप में परस्पर प्रतिस्पर्धा पर आधारित स्वतन्त्र उद्योग भी हैं, जिनमें अधिकतर छोटे-छोटे व्यापारियों, कारखानों, इसानों, और स्वाधीन पेशा-वर लागों की गणना होती है, और ऐसे बड़े-बड़े उद्योग भी हैं जो बाजार की कीमतों ने अपने हाथ में रख कर या अन्य प्रकार व्यापार का नियंत्रण वरते रहते हैं। इहे कभी-कभी "मोनोपोलिस्टिक वम्पिटीशन" अर्थात् एकाधिकारियों की प्रतियोगिता के नाम से भी पुकारा जाता है। यही टेलीफोन और घरेलू विनियोगों की सर्वस, सरीखे प्राकृतिक "मोनोपली" (एकाधिकार) भी हैं। यहाँ ऐसे सहकारी उद्योग भी हैं, जिनका लाभ हिस्सेदारों के स्थान पर उनके प्राहृतों में ही बटता है। यहाँ ऐसी लाभ न कमान वाली स्थाई भी हैं, जो मानव प्रकार की सेवाएं करती हैं और अशन या पूर्णत चढ़ो पर चलती हैं। इनका उदाहरण, चर्च, प्राइवेट विश्वविद्यालय, सभा-समाज, क्लब, परोपकारी स्थाई और मजदूर यूनियन हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ सरकारी स्कूलों और डाक-घरों जैसे सरकारी स्वामित्व में चलने वाले उद्योग भी हैं।

व्यापार के साथ शासन का सम्बन्ध दुर्बोध है, सरल नहीं। इनका कारण विभिन्न प्रकार की अर्थ-व्यवस्थाएं हैं। उनमें से प्रत्येक की आवश्यकताएं और व्यष्टि-दृष्टि-

है। सधीय, राज्योदय और स्थानीय शासनों की व्यवस्थाएँ भी इनमें सम्मिलित हैं। सरकारों सहायता की अधिकतर माग छोटे बड़े व्यापारियों, वेमरों और विसानों आदि जनता के 'पूँजीपति' भाग की ओर से की जाया करती है और उनमें बहुधा परस्पर तीव्र विरोध होता है। परन्तु सरकारों सहायता चबौं, वालिङ्गो और सहकारों सम्पत्तियों को भी दी जाती है। उसका रूप प्राय करों से मुक्ति का होता है। सरकारी नियन्त्रणों का प्रभाव अन्य प्रकार के रोजगारों की अपेक्षा प्रावृत्तिक एकाधिकारा पर अधिक पड़ता है।

सविधान वे अनुसार सधीय शासन समर्थित बरने का प्रथम उद्देश्य था जो कि युराप में शुद्ध-योजना चालू बरने का था—अर्थात् तटन्करों की दोबारों द्वारा विभाजित अनेक छोटे बाजारों के स्थान पर एक बड़ा बाजार बनाकर व्यापार और व्यवसाय की सहायता दरना। सधीय शासन ने इस उद्देश्य को राज्यों के मध्यवर्ती व्यापारिक प्रतिवधों को समाप्त करके सिद्ध किया था।

इसके पश्चात्, शासन ने, ऐलंजाडर हेमिल्टन के निरीक्षण में, हृष्ट अर्थ-व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न प्रारम्भ किया। उद्देश्य भी व्यापार की सहायतां करना था। सधीय शासन ने प्राय निकम्मे 'बार-बाण्डो' (युद्ध के फृणभूतों) —राज्यों के बाण्डो—को भी जिम्मेदारी अपने सिर से ली। इनमें से अधिकतर को सट्टेवाजी ने प्रति डालर पीछे बुद्धेक सेण्टो में ही खरोद रखा था। शासन ने जनता पर कर लगाये, अधिकतर आयात बस्तुओं पर तटन्कर वे हृष्ट में—और बाण्डो का कर्ज छुकता कर दिया। इन अदायगियों के द्वारा समुक्त राज्य अमेरिका के प्रारम्भिक जोवन में नये उद्याग खोलने वे लिए पूँजी एकत्र होने में सहायता मिली।

तटन्करों से न बेवल शासन की आय बढ़ गयी, उनका यह लाभ भी स्पष्ट शब्दों में बतलाया जाने लगा कि इनके कारण विदेशी वस्तुएँ महगी हो जाती हैं और इस प्रकार अमेरिकी उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से सरकाण मिल जाता है।

सधीय शासन शीघ्र ही निजो व्यवसायों को प्रत्यक्ष और परोंग रूप में सहायता भी देने लगा। शासन ने नहर और सड़क बनाकर, और पीछे रेल बनाकर, भी

सहायता दी । शासन ने देश के परिचय माम से जो भूमि सर्वादी या जीती थी उनको उगने लोगा। मैं क्षात्र दिया या नाममात्र मूल्य पर बेच दिया । "प्रेयरोज" अर्थात् धार के मैदाना वो नयो भूमि वा और विस्तोन्नित तथा 'मिनसोग' के नये जगला को लट्ठी वा, उनकी रक्षा या पुनरुत्पादन वा मुद्द भी विचार किये जिना, वई शतान्दित्या तक दोहन दिया जाता रहा । यहा तक कि बीमवो शताब्दी में आकर यह दरा हो गयी कि गेहूँ और राहतीर को बेचते हुए उनकी लागत का कोई विचार नहीं किया जाता था, जेतों और जगलों में लगी हुई पुंजी को उत्पादक खा जाते थे और पैदावार वो सख्तरी सहायता मिल जानी थी । सधीय शासन आरम्भ के सी या मुद्द अधिक वर्षों तक परिचय में धन के नये स्रोत खोल-खोल कर जिजो व्यापारिया वो देता गया था कि वे उनमे मनमानी नहीं कभी ले ।

पुलिस द्वारा व्यापार की रक्षा का विकास बहुत धीरे-धीरे हुआ । शुह-शुह में व्यापार की चोरा से माल लाने, जाली मिकड़े चालू करने और समुद्री डैविटियों आदि पुराने और सुपरिचित अपराध से बचाव के अतिरिक्त, अन्य प्रकार की सधीय सख्ता की आवश्यकता प्राप्त नहीं पड़ी । आगे चल कर नये-नये व्यवसायों का जन्म होने के कारण और व्यापार के दूर-दूर तक फैल जाने तथा उलझ जाने के कारण, बुराइया भी नयी-नयी होने लगी और उहे रोकने के लिए पुलिस की आवश्यकता पड़ने लगी ।

सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बुराई, जिसके कारण उन्नोसवी शताब्दी के उत्तराधि में लोगों की चिन्ता बढ़ने लगी थी, एकाधिकार थी । सन् १८६१-१८६६ के गृह्युद के परचात् व्यापार इतना बढ़ गया कि जनता का ध्यान उम्मी एकाधिकारी प्रहृतियों की ओर जाने लगा । अमेरिकी जनता अभी तक परिचय की आर को अप्रगत होने की दशा में ही पी और परिचमी राज्या में प्रत्येक परिवार अपने दैनिक जीवन में बहुत कुछ स्वाधीन था । परन्तु जब गेहूँ बेचकर आवश्यकता की अन्य बहुतें खरोदते थे समय आया तब बग्रमी रिसाना ने अपने अपनी एकाधिकारी स्वरोदारों, एकाधिकारी रेलवे कम्पनियों और एकाधिकारी विक्रेताओं के चंगुल में फसा पाया । वे विशुद्ध हो गये, और तभी से एकाधिकार के विरोध की विशिष्ट अमेरिकी भावना का सूपणात हुआ ।

सन् १८९० के आरम्भ-काल में दक्षिण और पश्चिम के किसानों में बड़े व्यापारियों के अनुभित अधिकार का विरोध करने के लिए ‘पापुलिस्ट’ पार्टी ना सगठन हुआ। इस पार्टी ने रेलों और ट्रेसीयाफ तथा टेलीफोन लाइनों के राष्ट्रीयकरण की मांग की। “पापुलिस्ट” ने डाकघरों में सेविस बैंक खोले जाने और क्रमिक दर पर अर्थात् ज्यादा आमदानी पर ज्यादा और योदी आय पर धोड़ी आय-वर लाने की भी आवाज उठायी। उन्होंने सुझाव दिया कि “प्रीन बैंक” अर्थात् कागजी मुद्रा चलाकर और लोगों को निजी चार्डी के सिक्के ढालकर मुद्रा-बाजार में बैंकों वा एकाधिकार समाप्त कर दिया जाय। इनमें पिछला सुझाव वापसी भुद्रा वे समान ही मुद्रा स्फोटि करने वाला था, क्याकि इससे एक ढालर से कम मूल्य की चार्डी का मूल्य उन पर सिक्कों की छाप लगते वे परन्तु एक ढालर के समान हो जाता था। राष्ट्रपति के सन् १८९६ के चुनाव में विलिम जे॰ ब्रायन के नेतृत्व में डिमोक्रेटिक पार्टी ने चार्डी के रिक्के बनाने का आन्दोलन अपना लिया, और “पापुलिस्ट” ने भी उसका साथ दिया परन्तु थायन चुनाव हार गये।

जनता में विदोभ “पापुलिस्ट” आन्दोलन के रूप में भड़क चुका था। उसके बारें सन् १८९० तक दोनों प्रमुख पार्टियों का घ्यान भी एकाधिकार के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर कुछ न कुछ कार्रवाई करने की ओर जा चुका था। इस कारण शैरमन एण्टो-रूस्ट (ट्रस्ट-विरोधी) एकट बनाया गया। शैरमन एकट के अनुसार अन्तर्राजीय अधिकार वैदेशिक व्यापार की अवरोधक सब गुट-वन्दियों और पह्यत्वों वो कानून बिरुद्ध घोषित कर दिया गया।

शैरमन एकट से पूर्व भी राज्यों ने परम्परागत कानून के जोर पर एकाधिकारे और रोकने के कुछ प्रयत्न किये थे। परन्तु ज्यो-ज्यो कार्रवाइशन बड़े होते गे और देश के एक द्वार से दूसरे द्वार तक पैलते गए त्यो त्यो राज्यों के प्रयत्न प्रभावहान होते गये। शैरमन एकट की रचना बहुत कुछ परम्परागत कानून सामान्य शब्दों में या संवेदानिक संशोधन के समान की गयी थी। इसका विशिष्ट प्रयोगी गोचे न्यायालयों के निर्णयों और बीच-बीच में नये कानूनों द्वारा निर्धारित हुआ

इमलिए और धारे समुक्त राज्य अमेरिका के ट्रस्ट विरोधी कानून वो परम्परागत कानून का नचकी। हप प्राप्त हा गया थीर यह आवश्यक भी था, क्यंति एकाधिकार की दुराई अनगिनत हपा म फिरती जा रही थी।

ट्रस्ट विरोधी कानून को लागू करने के तमाम उत्तार-चढ़ावों और व्यापार के अबरोधक बड़े-बड़े प्रयत्नों का मिलकर यह परिणाम हुआ है कि समुक्त राज्य अमेरिका स्थिरता पूर्वक युरोप की साधारण प्रथाओं से भिन्न मार्ग पर चलता रहा है। सभी अमेरिका लोग, चाहे न्यूयॉर्क हाँ, चाहे रिच्टिमन, शार्मन एकट का सम्मान करते और उस अमेरिकी स्वतंत्रता को एक आधार रखना मानते हैं। जिन्हाँन इस कानून का उल्लंघन भा किया है उन्हाँन वैसा इसके पवित्र सिद्धान्त के विरोध में नहीं, इसकी व्याख्या के हप में निया है। जो कुछ धूसता हुई भी है, वह सब स्वतंत्रता प्रतिसंर्धी के सिद्धान्त का आदर करते हुए हा हुई है। यह सिद्धान्त अमेरिकी विचार-सौली का अविभाज्य अंग बन चुका है।

अमेरिका के व्यापारी-व्यवसायी लोगों के आचरण में कभी-कभी इस सिद्धान्त का उल्लंघन मलते ही दिखाई दे जाय, परन्तु अमेरिकी विचार-सौली में निरित्त हप से एक सिद्धान्त विद्यमान है, जो अधिकतर अब सब स्वतंत्र देशों से उनकी भिन्नता को प्रबन्ध बर देता है। अमेरिकी लोग बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ की युग्मदारी और एकाधिकार के नैतिक आदर्शों के विरुद्ध और आर्थिक उन्नति के लिए घातक मलते हैं। उनका विश्वास है कि ट्रस्ट विरोधी कानून कभी-कभी फरे दियडे और भद्दे हप भ मले ही दिखाई पड़ा ह, परन्तु यह स्वतंत्र लोगों के लिए स्वतंत्रता के खण्डे का नाम देता रहा है और इस कारण अमेरिकी प्रगति का एक दर्जा कारण रहा है।

अमेरिका लोग समझते हैं कि चूँकि युरोप की बोयला और इस्पात कम्पनियों के नये संगठन के अनुमति पत्र में एक प्रबन्ध ट्रस्ट विरोधी कानून भी सम्मनित है जो उन्हाँनों म टक्कीकत कुशलता बढ़ाने के लिए प्रतिसंर्धा को खोल्साहित बरता रहा, इमलिए वह उचित निया म प्रगति का एक मन्तोपजनक उदाहरण है। अमेरिकी लोगों की परेशानी और भूलों के परन्तार अनुमत बोलता है कि “पूँजीपति”

प्रणाली ज्यो-ज्यो अधिकाधिक सम्पत्ति और उत्पादक होती जाती है त्यो-त्यो उसे उन घातक रोगों से मुक्त रखना जा सकता है जिनकी कालं मावर्सं और उनके अनुपायियों ने कल्पना की थी, परन्तु ऐसा तभी हो सकता है जब शासन एकाधिकार के घास-पात वी निराई निरुत्तर करता रहे ।

अन्य कुछ कम महत्व की पुलिस कार्रवाइया सब और राज्यों के शासनों ने उपभोत्ताओं को ठगी से बचाने के प्रयोजन से की हैं । सादगी के दिनों में जब विसान अपनी सब स्तरीदफ्फरोख्त चौराहो को दुकानों पर किया करते थे तब ईमानदारी के व्यवहार को ही सर्वोत्तम मार्ग माने जाने की सम्भावना रहती थी, क्योंकि दुकानदारी नामवरी के ऊपर पर ही चलती थी । परन्तु ज्यो-ज्यो व्यापार का देश-भर में विस्तार होता गया और नपे-नपे अपरिचित सामान विक्री के लिए बाजार में आने लगे त्यो-त्या ग्राहकों को अधिकाधिक वस्तुएं अनपहचानी गहराई में से मिलने लगी और सब प्रकार की ठगी में अधिकाधिक लाभ होने लगा । इन अवस्थाओं के कारण ऐसे कानून बनाये गये जो शृंगार की और भोजन की वस्तुओं में भयानक विधों के प्रयोग का और विजापनों में द्वन्द्व-पूर्ण दावे करने का निषेध करते थे । कानून हारा यह आवश्यक कर दिया गया कि खाद्यों और औषधियों के ढब्बे पर उनके भीतर की वस्तु का असली ताल और उनके बनाने में प्रयुक्त पदार्थों का नाम लिखा जाय ।

राजनीतिक हृष्टि से ठगी-विरोधी कानून एक उल्लेखनीय सफलता का सूचक है, क्योंकि ग्राहक कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और उनका ऐसा कोई संगठन नहीं है जिसके हारा इस प्रकार के कानून बनाने के लिए वे राजनीतिक दबाव डाल सकें । उत्पादकों या निर्माताओं के सुसगठित होकर वार्षिकटन में और राज्यों की राजधानियों में सोदावाजी करते के लिए एजन्सियाँ खोल लिने वी सम्भावना अधिक है । यह भी सम्भव है कि किसी व्यवसाय के नेता मिल कर निश्चय करें कि ईमानदारी से बनाये हुए माल के संरक्षण के लिए बाजार को अनियन्त्रित रखने की अपेक्षा, मिलावटी माल को रोक देना अधिक अच्छा होगा, इस कारण वे इधर ध्यान दें और संरक्षक वानून बनाने में सहायता करें । परन्तु इस प्रकार के अधिकतर

बाह्य व्यवसायियों में प्रकाशित लेखों के बारण जाग्रत जनता द्वारा दबाव ढानने पर ही वने हैं, व्यवसायियों को ओर से तो उसका प्रबल विरोध ही हुआ है।

राष्ट्रपति फ्रेंकलिन रूज़वेल्ट को अपने शासन के प्रारम्भिक काल में एक बड़ा सघर्ष “सिक्युरिटी” (कम्पनियों के हिस्से आदि) के बाजार में ईमानदारी लाने के लिए करता पड़ा था। सन् १९३३ के ‘मिक्युरिटीज एक्ट’ और सन् १९३४ के ‘मिक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज एक्ट’ द्वारा स्टॉक अर्थात् कम्पनियों की पूँजी बेचने वाले कार्पोरेशनों को बाधित किया गया कि वे कम्पनी की अवस्था का सच्चान्नता विवरण दें और भूले दाये बरने पर नुकसान के लिए जिम्मेवार उन्हीं को ठहराया गया। “न्यू डील” (रूज़वेल्ट की आर्थिकनीति का नाम) का एक अन्य नाम, जिसका वित्तीय बाजार पर प्रभाव पड़ा, सन् १९३५ का ‘होल्डिंग-कम्पनी-एक्ट’ था। इस कानून का उद्देश्य साक्षंजनिक उत्पोषिता का नाम करने वाले ऐसे बड़े बड़े व्यवसायिक साक्षात्यों का बनना रोकना था जो कम्पनियों की तह पर तह चढ़ाते जाते थे, और उनमें से प्रथमेक कम्पनी अपने से निचली तह की कई-कई कम्पनियों के हिस्सा का नियन्त्रण करती थी। इन उलझे हुए व्यावसायिक साक्षात्यों के लिए लाभ को ऐसी जगह सरका देना द्वाये हाथ का स्लेल था जहाँ कम्पनियों की इस शृङ्खला पर नियन्त्रण करने वाले उसे आपस में लपा लें, और साधारण रोपर होल्डरों को अपने हिस्से का कुछ भी लाभ न मिले।

जो वित्तीय कम्पनियों भूले विज्ञापन देकर, स्टॉक मार्केट में उत्तार-चढ़ाव करके और वे सिर-पैर की ‘होल्डिंग-कम्पनिया’ अर्थात् कई-कई कम्पनियों का नियन्त्रण करने वाली कम्पनिया बनाकर, जनता से अनुचित लाभ उठाया करती थी उन्होंने इन नियन्त्रणवारी कानूनों का तीव्र विरोधी किया। एक बार तो एल्मर-डेनिएलमन नामक एक अपरासी लड़के ने गवाही देते हुए बतलाया था कि मुझे “होल्डिंग-कम्पनी-एक्ट” का विरोध करने वाले तारी पर हस्ताक्षर इकट्ठे करने के लिए नौरर रखा गया था और मुझे प्रति तार तीन रुपये दिये जाते थे। इस प्रकार वे सरेत मिले थे कि देश को कबरे तक मानो वही तादाव में बारिंगटन को तार में बनने लगी थी और वे तार सदा ही इन दिन के विरोध में होते थे। ऐसो-ऐसी बैंकरानियों से

कानून के विरोध का होना प्रमाणित हो जाने पर वित्तीय वानूनों के पास होने में बड़ी सहायता मिली। इसका व्यापक परिणाम यह हुआ कि वित्तीय बाजार की जोखिमे कम हो गयी और जनता का विश्वास बढ़ गया। परन्तु उस मन्दी का शिकार बने हुए लोगों के राजनीतिक दबाव के बारण ही में कानून पास हो सके थे।

व्यापार-व्यवसाय के साथ शासन का एक और सम्बन्ध टेक्निकल सेवाएं बरते के रूप में है। इनमें से अनेक सेवाओं को शासन बिना मूल्य करता है। कृषि अन्वेषण और प्रशिक्षण की सेवाएं उन सेवाओं में प्रथम थीं जो मधीय शासन ने आरम्भ की थीं। मधीय शासन अब चैत्यानिक खोज, सख्ताओं और गणनाओं की सूचना, कहतु थी रिपोर्ट और बाजार दरों की सूचना देने की सेवा देश और विदेश में बिना मूल्य करता है। संविधान के निर्देशानुसार, शासन, प्रेष्ट और कापीराइट की रक्ता का कार्य भी करता है।

राष्ट्रपति हब्टं हूबर के समय, जिन कम्पनियों या कार्पोरेशनों के सिक्युरिटियों का मूल्य गिर जाने के कारण दिवालिया हो जाने वा भय होता था उन्हें मूल्य देने के लिए एक "रिकन्स्ट्रक्शन-फाइनैंस-कार्पोरेशन" की अर्थात् धन की सहायता देकर कम्पनियों को पुनर्जीवित करने वाले कार्पोरेशन की स्थापना की गयी थी। द्वितीय विश्व-युद्ध के समय इसका मूल विस्तार हो गया और इसकी अनेक शाखा-प्रशाखाएं छुल गयी। "मेटल्स-रिजर्व-एजन्सी" (धानुओं का संग्रह करने वाली एजन्सी), "रबर-रिजर्व-एजन्सी" और "डिफेंस-सप्लाइजन-कार्पोरेशन" (रभा की सामग्री देने वाले कार्पोरेशन) आदि के रूप में इसने भरवो डालर मूल्य दिये और व्यय किये। इसके अतिरिक्त, सन् १९३४ में स्थापित "एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट-बैंक" विदेशी व्यापार और बदावा देने के लिए मूल्य देता है। "फेडरल-हाउसिंग-एडमिनिस्ट्रेशन" अर्थात् संघीय-गृह-शासन ने झण्डाताओं का बोमा करके और इस प्रकार उनकी जोखिम पटा बर मकानों के रेहन पर मिलने वाले झण्डे की व्याज-दर नीची कर दी है। ग्रामों में बिजली के तार लगाने के लिए कम व्याज पर मूल्य देने के प्रयोजन से "फरल-इलेक्ट्रिकिटेशन-एडमिनिस्ट्रेशन" अर्थात् ग्रामीण-बिजली-शासन की स्थापना की गयी।

संघीय शासन न बेवत संसार का सद से बड़ा बैंकर (महाजन) है, वरन् वह सब से बड़ी बीमा कम्पनी भी है। वह न केवल बेरोजगारी का, कुदापे का, और युद्ध-निवृत्त नैनिका का बीमा करता है, वरन् मालानो, दोषे रोजगारो और खेतियों के लिए निजी क्रृषि देवता उनसे सम्बद्ध अन्य भी कई प्रकार के बीमे करता है।

अमेरिका के राजनीतिक जीवन में यह विवाद निरन्तर चलना रहता है कि सखारी उद्योग और निजी उद्योगों में ठीक ठीक विभाग-रेखा वहा खोची जाय। पन-विजली की योजनाओं सरेखे जो काम निजी उद्योग से हो सकते हैं उन्हें सार्वजनिक उद्योग से करने का रिपब्लिकन लोग प्रायः सदा विरोध करते हैं। डिमोक्रेटों ने, न्यू इल के मानहृत टेनेमो और कोलम्बिया नदियों सरोखे सार्वजनिक विजली घरों का परीक्षण मात्र करके देखा था। उसमें उनका उद्देश्य कुछ तो प्रत्यक्ष प्रतिसर्वा का था और कुछ निजी विजली घरों के दर नियन्त्रित करने वे निए एक "नपना" कायम कर देने का था।

परन्तु डिमोक्रेटों और रिपब्लिकनों में से किसी का भी मुकाब 'सोशलिज्म' या समाजवाद को व्यावहारिक निदान के रूप में अपनाने का नहीं है। दोनों में से कोई भी पार्टी किसी भी उद्योग का शासन द्वारा चलाया जाना तबतक परन्तु नहीं वरन्ती जब तक उमके लिए कोई प्रबल कारण न हो। साधारणतया सार्वजनिक और निजी उद्योग में से एक वो अपनाने का निर्णय वरन् के प्रधान निदान तीन होते हैं।

प्रथम यह कि जब जनना निसी काम वो वरवाना चाहे और उसके उपभोक्ताओं से उमका मूल्य बमूल करने का कोई सरल साधन न हो तब वह काम शासन के सुपुर्द नहीं देना चाहिए। बाढ़ की रोक-थाम और अनु सूचना देने के काम इसी प्रवार के हैं।

द्वितीय यह कि जिन बासों को शासन निजी उद्योग की अपेक्षा वाम व्यय में बर मकता है, उन्हे शासन वो ही दरना चाहिए। सार्वजनिक स्कूलों का संचालन और कुदापे का बीमा उन बासों के उदाहरण हैं।

तृतीय यह कि डाक विभाग या टेलिफोन जैसे प्राइवेटिक एकाधिकार के जो

काम निजी रूप से नयन्त्रित उद्योग में जनता को संतुष्ट नहीं कर सकते उन्हे शासन के स्वामित्व में चलाने की माग स्वयमेव होने लगे । उदाहरणार्थ, डाक द्वारा पासांत भेजने की पद्धति तभी आरम्भ की गयी थी जब कि एक्सप्रेस कम्पनियों से जनना असन्तुष्ट हो गयो थी । समुक्त राज्य अमेरिका में अधिकतर नगरों को पानी-दिनरात्रि की प्रणालियों को और बुधेक के विजलो-विनरण प्रणालियों को भी मुनिसिपल शासनों ने अपने हाथ में ले लिया है । टेलिफोन कम्पनियों अपने काम की उत्तमता का विज्ञापन निरन्तर करती हैं, विचसे जनना को असन्तोष न हो और राष्ट्रीकरण का भय जाना रहे । अमेरिकी लोग पसन्द यह करते हैं कि रेल ट्रॉफोन, टेलिफ्राइट, रेडियो और हवाई सेवत आदि प्राकृतिक एकाधिकार या वर्ष-एकाधिकार के नियन्त्रण में निजी संगठनों द्वारा किये जायें । परन्तु नियंत्रणकारी संस्थाओं द्वारा औद्योगिक के प्रदर्शन या भ्रष्टाचार को रोकने के लिये भी सार्वजनिक स्वामित्व का भय रहा सामने रखा जाता है ।

शासन और व्यापार में अन्तर को प्रकट करने वाले ये सिद्धान्त, कार्य के इन बनि उत्तर भरे क्षेत्र में अमेरिकी प्रवृत्ति का एक नमूना है । संघीय राज्यीय और स्थानीय शासनों के बजटो—इनमें रक्षा का कार्यक्रम भी सम्मिलित है—का अधिकतर भाग ऐसे व्यवहारों से मिलकर बनता है जिन वा सम्बन्ध व्यापारिक जगत से होता है । इन करोड़ो छोटे बड़े व्यवहारों में अमेरिकी सोन सदा मध्य-वर्गीय, स्वतन्त्र उद्योग के, और साधारण दृढ़ि के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते हैं । साजनीनिक विवाद इस प्रत्यन पर कभी नहीं होता कि मध्य मार्ग त्यागकर हमें फातिह्त या कम्पूनिस्ट प्रणाली अपना लेनी चाहिए या नहीं, अपितु यह निश्चय करने के लिए होता है कि मध्य का मार्ग कौन सा है ।

अध्याय ११

व्यक्तियों के अधिकार

“स्वतन्त्रता की घोषणा” के शब्दों में “मनुष्य को उसके स्थान ने बुद्धि अनपहरणीय अधिकारों से सम्पन्न किया है। उनमें जीवन, स्वतन्त्रता और सुख प्राप्ति वा प्रगल्भ भी है। इन अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए ही मनुष्यों में शासन-तन्त्रों की स्थापना होती है।”

सन् १९४६ में राष्ट्रपति द्रुमन द्वारा नियुक्त नागरिक अधिकार समिति ने ऊपर द्वारा गये इन अधिकारों का प्राप्त करने के लिए अधिक उत्तम साधनों की सोज बरत के सिलसिले में व्यान देने योग्य चार अधिकारों वा उत्तेजित किया था। वे चार वर्ग थे—

- (१) शरीर को संकटों से बचाने और सुरक्षित रखने का अधिकार,
- (२) नागरिकता के साधारण और विशेष अधिकार,
- (३) विचार-स्वतन्त्रता और प्रकाशन वा अधिकार,
- (४) व्यवसर की समानता वा अधिकार ।

अधिकारों का विवाजन इन आधार पर भी किया जा सकता है कि वे नागरिक वो रक्षा किसमे करते हैं—शासन मे, या अन्य नागरिकों से, या वेरोनगारों मे सेकर चेचक वो बीमारी तक वो सामान्य आपत्तियों से ? यह वर्गीकरण राजनीति और शासन पर विचार वो दृष्टि से बहुत उपयोगी है, क्याकि मनुष्य के जीवन, स्वातन्त्र्य और सुख प्राप्ति के प्रयत्नों पर आक्रमण करने वाले तीन प्रकार

के शत्रुओं का सामना शासन विभिन्न प्रकारों से करता है, और राजनीतिक हित से उनके रूप भी विभिन्न हैं।

संविवाल द्वारा संरक्षित अधिकारों का सधीय, राज्यीय और स्थानीय शाननों द्वारा उल्लंघन होने पर उसका प्रतिकार न्यायालयों की सहायता से किया जाता है। न्यायालय कानून के विरुद्ध बन्द किये गये बन्दी को रिहा करने की जाजा दे सकते हैं; और व्यवहार में शासन न्यायालय के विरुद्ध आचरण कभी नहीं करते।

कोई नागरिक किमी दूसरे नागरिक की हानि करके अधिकारों का जो उल्लंघन करता है वह परम्परागत कानून के विरुद्ध भी हो सकता है, अथवा विधिनिर्माणी संस्था के कानून द्वारा भी ऐरकानूनों ठहराया जा सकता है। कई प्रकार के बशीभन व्यवहारों की धर्मचार्य, और अन्य नैतिक नेता तो निन्दा करते हैं, परन्तु उन्हें कानून विरुद्ध कभी नहीं माना गया। जाति या धर्म के आधार पर भेद-भाव करना इसी प्रकार का व्यवहार है। इस प्रश्न पर अब तक राजनीतिक विवाद ही चल रहा है कि क्या बुद्ध प्रकार के भेद-भाव को कानूनन दण्डनीय ठहराना चाहिए?

समाज और राष्ट्र का मदस्थ होने के नाते नागरिक को सामान्य शत्रुओं से कई प्रकार की रक्खा पाने का अधिकार है। विदेशी जाक्रान्ता वम वर्षों से तो रक्खा पाने का अधिकार उसे है ही, महामारी, अग्नि और बाढ़ से भी रक्खा पाने का वह अधिकार है। इंग्लैण्ड के पुराने परम्परागत कानून के अनुसार, यदि वह भूखा मर रहा हो तो उसे सार्वजनिक दातव्य-स्थान से सहायता पाने का अधिकार भी है। रक्खा पाने के अधिकार की ठीक-ठोक सोमा का निरवय अब तक 'वन्यवैटियो' और 'लिवरलो' अर्थात् अनुदार और उदार पाठियों में विवाद का एक बड़ा विषय बना हुआ है। 'रिपब्लिकन' और 'डिमोक्रेटिक' दलों में, और उनके भौतिकी उपदलों में भी, इस प्रश्न पर मतभेद है।

कानून के परचात् जब अमेरिकी लोग अपने नये स्वतन्त्र देश का प्रबन्ध करने सो तब उन्हें मुख्य चिन्ना अपने नये शासनों के अन्यायों और अपाचारों से अपने अधिकारों की रक्खा करने की हुई। कई प्रकार के अधिकार प्रथा और परम्परागत

बानून द्वारा पर्याप्तरूपेण रक्षित प्रतीत होते थे, और उस समय उसकी तत्काल रक्षा करना इतना आवश्यक नहीं जान पड़ता था जितना आगे चल कर जान पड़ने लगा ।

अब तो अमेरिकी नागरिकों और शासन-अधिकारियों के बीच के प्रत्येक दिनिक अवहारों में से वैद्यनिक अधिकारों को स्वयं प्राप्त मान कर चला जाता है । परन्तु अब भी बहुत से मामले बानून की सीमा-रेखा पर पहुँचकर विवादास्पद बन जाते हैं और उनका निर्णय न्यायालयों वां करना पड़ता है कि उनमें नागरिक का कोई अधिकार है या नहीं और है तो कितना ।

उदाहरणार्थं, सन् १९५१ में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि “इंडिया” अर्थात् अपराधों की जाच वरते हुए बल का प्रयोग करने की, प्रथा संविधान के पात्रों और चौदहवें संशोधना का उल्लंघन है । इन दोनों संशोधनों में वहा गया है कि शामन विसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वातन्त्र्य या सम्पत्ति का अपहरण, कानून की लजित कार्रवाई के बिना, नहीं बर सकता । एक व्यक्ति पर अपराधी होने का सन्देह था । एक पुलोंस अफसर ने उसमें अपराध बनूतवाले के लिए उस पर बल का प्रयोग किया था । उस पुलोंस अफसर को संघीय अपराध वरते का दोषी माना गया । इस प्रकार एक पुराने अधिकार में उसकी एक नयी परिभाषा छुट गयी ।

चौदहवें संशोधन में वहा गया है कि कोई राज्य किमी भी अक्षित को अन्य सब के समान कानूनों का संरक्षण देने से इनकार नहीं करेगा । एक बादमी को कहल करने के अपराध में दण्डित होने पर जेल में बन्द बर दिया गया, और जेलर ने जेल के निदमानुसार उसकी अपीत के कागजों को राज्य के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचने के लिए बाहर नहीं जाने दिया । संघीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्य ने इन जादमी को कानूनों वा समान संरक्षण देने से इनकार दिया, इसलिए वहेया तो इसकी अपील की ठीक प्रकार मुगवाई करवावे और या इसे छोड़ दे ।

चोया संशोधन लोगों को अनुचित तलाशी और कब्जे के विरुद्ध गारंटी देता है। इमनिए न्यायालयों को बहुधा यह निर्णय करना पड़ता है कि क्या 'अनुचित' है और क्या नहीं। एक मामले में पुलीस को सकारण सन्देह था कि एक मादक वस्तुओं की फेरो करने वाले ने कुछ नशीली चीजें अपने एक मित्र के घर में छिपा दी हैं। वह तलाशी का बारपट लिये बिना उसके घर में धुस गयी और चीजें बरामद कर ली। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह कार्रवाई सविष्ठान का उल्लंघन है। सन्दिग्ध व्यक्ति विताना ही अपराधी बयो न हो, कानून उसे पकड़ने के लिए पुलीस को कानून-विरोधी साधन काम में लाने की अनुमति नहीं देता। ऐसा करने से निरपराधों के अधिकार भी संकटापन हो जायेंगे।

न्यायालय द्वारा उचित सुनवाई के अधिकार की व्याप्ति न्यायालयों को बार-बार करनी पड़ती है, जिससे नये-नये प्रकार के उल्लंघनों से बचा जा सके अथवा जो पुराने और अभ्यस्त उल्लंघन जनता के विवेक को अप्रिय लगने लगे हैं, उनको रोका जा सके।

फलारिडा राज्य में दो नीयो आदनियों पर बलाकार का अभियोग लगाया गया और उन्हें सजा हो गयी। उनके मुकदमे में 'ग्रैण्ड जूरी' (अभियोग की जांच बर्तने वाले जूरी) और 'ट्रायल जूरी' (मुकदमा सुनकर निर्णय देने वाले जूरी) दोनों के सब सदस्य केवल गोरे व्यक्ति थे। राज्य के न्यायालय ने तो उनकी सजा खो बहाल रखता, परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने उसे उलट दिया, और कारण जूरी में केवल गोरे लोगों का होना बनलाया। इस मुकदमे की एक और विरोपता यह थी कि यद्यपि इस्तमासे ने न्यायालय में दोनों अभियुक्तों का कोई इक्वाली बयान पेय नहीं किया था परन्तु समाचारपत्रों में यह द्यप गया था कि उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। सर्वोच्च न्यायालय के दो जजों ने अपने निर्णय में लिखा कि समाचारपत्रों का यह हस्तक्षेप ही मुकदमे की सुनवाई को न्याय से असंगत बनाने के लिए पर्याप्त है।

जूरी के निर्णय से पूर्व, अपने अभियोग के विषय में समाचारपत्रों को कुछ भी मत प्रकट न करने देने का अभियुक्त का यह अधिकार संपुक्त राज्य अमेरिका में

जानो तब उन्होंने स्पष्टता में नहीं माना गया है जितनी स्पष्टता में यह दिनें में माना जा चुका है। पलारिडा के इन मुकदमे में इन अधिकार का अंकुर जम जाने के लक्षण दिखाई पड़ने हैं।

पाचवे संशोधन के अनुमार कोई गवाह ऐसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने से इनकार वर सकता है जिससे स्वर्य उच्चके द्वियों फौजदारी मुकदमे में फैसले जाने का मत हो। परन्तु कम्मूनिस्ट पार्टी के प्रयत्न नेताओं को बल और शक्ति से शामन को छन्द देने का प्रृथक्क बलने के अपराध में दण्डित किया जा चुका है, और १९४० के जिस स्थित एकट के अनुमार उन्हें दण्ड किया गया था उन्हें अमंत्रवानिह ठहराने से सर्वोच्च व्यापालय भा इनकार कर चुका है। इसनिह अब यदि कोरिस की जाचभाषित द्वियों द्वारा उत्तर देने से इनकार कर सकता है कि कम्मूनिस्ट कारखानीयों व्यापार ठहराये जा चुकी है और यदि भैने उनके साथ अनन्त सम्बन्ध स्वीकार कर लिया तो मुक्क पर भी अभियोग चलाया जा सकेगा। सर्वोच्च व्यापालय यह निर्णय भी दे चुका है कि काई गवाह कोई ऐसी निर्दोष बतू बतनाते ने भा इनकार वर मनना है जो किन्तु साक्षियों की श्रृंखला वी बड़ी बनकर गवाह पर मुकदमा चलाने का कारण हो सकते हा।

पाचवे संशोधन का लाभ उठाने वोई गवाह कम्मूनिस्ट प्रृथक्क के अभियोग में फैसले से भैने ही बच जाय, परन्तु वह उम्मा सहारा से तर अनन्त नोकरी जाने के खनरे से अपनी रक्षा नहा कर सकता, व्याकु उसका मानिह उम्मी इन कारखानी का अर्थ यही लगायेगा कि इनने अनें को हानि पढ़ू जाने के मत से सत्य नो प्रवृट नहीं किया।

प्रथम संशोधन ने धर्माचिल की स्वननना वी गारण्डी दी है। परन्तु उम्मी की समय-समय पर पुन व्यापा जिये जाने वी बावरक्षता अभी तक बनी हुई है। बहुत से धर्म-प्रचारकों के भासने बानूत की हाप्ति में सदिग्द होते हैं। वे कलिङ्गों के चीराही पर या सावंजनिक पात्रों में भाषण करना चाहते हैं। परन्तु

सम्भव है कि वे ऐसे अजनबी लोग हों कि उनके भाषणों के कारण दंगा हो जाय। यह निर्णय नगर की पुलिस को करना पड़ता है कि किसी भाषण में कहाँ धार्मिक स्वतन्त्रता की समाजी होकर दंगों के लिए उक्साहट की शुरूआत हो गयी। धार्मिक स्वतन्त्रता को सीमान्नेखा के संदिग्ध मामलों की एक अन्य कठिनाई यह है कि ठगों और घृतां जो भी किसी धर्म का नाम लेकर इस संशोधन की आड़ में छिप जाने का अवसर मिल सकता है।

समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता समुद्रत राज्य अमेरिका में बहुत आगे बढ़ी हुई है; विरोपत सार्वजनिक कर्मचारियों की उचित या अनुचित आलोचना करने में इस स्वतन्त्रता को साक्षतन्त्र की मूल रक्खिता माना जाता है। परन्तु समाचार पत्रों को कानूनी स्वतन्त्रता के साथ ही इसी आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं होती कि बहुत से लोग जेसा पन पढ़ना चाहते हैं वैसा ही वे द्याम सके। छपाई की कला का निराम कुछ इस प्रकार हुआ है कि बड़े पत्र विज्ञापन अपने छोटे प्रतिस्पर्धियों की अपेक्षा कम दर पर सकते हैं। इसका फल यह होता है कि बहुत से स्थानों पर केवल एक पत्र जीवित रह सकता है और पाठकों को अपने स्थानों पर में उसके विरोधी विवार पढ़ने की स्वतन्त्रता नहीं रहती।

समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता को इस व्यावहारिक समस्या को हल करने में राजनीतिक व्यवस्था अपने आपको आय. असमर्थ पाती है। हाँ सकता है कि इनी किसी पत्र को अपने प्रतिस्पर्धी पत्र से विज्ञापन छीन लेने के अपराध में ट्रस्ट-विरोधी कानून का अनुमार दण्डित करा दिया जाय, परन्तु अधिकतर एकाधिकार कानून-विरोधी कारखाईयों का परिणाम नहीं है। वे स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा का चरम फल हैं और छोटे पत्रों को सरकारी सहायता देने से बढ़ कर अनुचित और कुछ हो नहीं सकता। इस समस्या का हल यही दीखता है कि छपाई कि कला में कुछ ऐसा नया विकास हो जाय जो छोटे पत्रों के लिए लाभदायक हो।

समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता की यह आर्थिक हानि इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार कोई संवैधानिक अधिकार किसी ऐसे आर्थिक या सामाजिक

अधिकार की भीमा में प्रविष्ट हो सकता है जिसकी रक्षा वाले भेदभावन भी पूर्णतया समर्थन न हो। इस प्रकार के अन्य उदाहरण जाति या धर्म के बाधार पर चिये जाने वाले भेदभाव में सम्बद्ध समस्याओं में मिल सकते हैं।

अमेरिका के लोग अनेक राष्ट्रों से आये हुए हैं। उत्तर-पश्चिमी युरोप से आये हुए लोग परस्पर छुल मिनकर अमेरिकी आवादी का एक प्रभावशाली भाग बन गये हैं। देश की अधिकतर सम्पत्ति के स्वामी वही हैं, और अधिकतर राजनीतिक शक्ति भी उन्हीं के हाथ में हैं। अन्य लोग जब अपने धर्म या रीति विवाहों, या सबसे बढ़तर अपने रंग के कारण पहचान लिये जाते हैं कि वे ओरो से भिन्न हैं तब उसके साथ भेद-भाव का व्यवहार होने की वटून सम्भावना रहती है। नींगों, नोनियों, जापानियों, अमेस्कनों, अमेरिकी इण्डियनों, और शायोग्रैष्टों की धारी के प्रथम निवासी रैतिनियों की सन्नात हिसानो-अमेरिकनों आदि सबके साथ अनेक प्रकार के भेद-भाव का व्यवहार होने की सम्भावना रहती है। यही बात यूरोपियों, बैयालिकों, और 'जिहोवा के विडनेस' आदि द्वारा द्वारा प्रारूपित सम्प्रदायों के विषय में है। पूर्वों और दक्षिणों पूरोप के लोग जबतक बड़ी संख्या में इटटे रहते और अपनी भाषाएं खोलने रहते हैं, तबतक प्राय उन सबके माथ विदेशियों का सा बरताव होने की सम्भावना बनी रहती ही है।

अस्यमियाओं के साथ भेद भा बरताव होने का एक बड़ा कारण बेरोजगारी का डर है। धर्मिक लोग जाति, धर्म या मूल राष्ट्रीयता आदि ऐसी विभीं भी प्रत्यक्ष भिन्नता का बासन्वार चर्चा करते रहते हैं जिसे काम पर उनका एकाक्षिकार हो जाने के बहाने के रूप में पेश किया जा भवते। सन् १९४० से आगे बढ़ता समय तक अधिक रोजगार मिलने की जो परिस्थितिया बनी रही उन्होंने इस पृष्ठका की भावना को मिटाने में बड़ी सहायता की थी। तब नींगों लोगों तक के विरुद्ध भावना कुछ मन्द पड़ गयी थी।

राष्ट्रपति डूमन द्वारा नियुक्त नागरिक अधिकार समिति ने ऐसे अनेक प्रकार के अन्यायों की एक लम्बी सूची तैयार की थी, जिनका अल्पसंख्यक नागरिकों को छिपार होना पड़ता था। इन अन्यायों का पता सगाने और उन्हें दूर करने के

उपाय गुम्भाने के लिए ही यह समिति नियुक्त थी गयी थी । परन्तु इसने इन बड़े-बड़े अन्यायों की वृष्ट भूमि वा चित्रण वरते हुए बतलाया था कि अमेरिकी जीजन में अलगताओं तर वे लिए स्वतन्त्रता की ओर अवगतों की प्रशुरता है, और हर दरान्दग वरस पर नागरिक अधिकार अधिकारियों गुरुक्षित होते जा रहे हैं ।

शरीर की राबटों से बचाने और सुरक्षित रखने के अधिकार की चर्चा वरते हुए इस समिति ने बतलाया था कि इस शताव्दी के प्रथम दस वर्षों में जहाँ प्रति वर्ष प्राय छेड़ सी व्यक्ति उत्तेजित भीड़ की ज्यादतियों के कारण अपने प्राणों से हाथ धो बैठते थे, यहाँ सन् १६५० के पश्चात् यह सख्ता प्रति वर्ष छ गे भी बम रह गयी है । परन्तु हाल के वर्षों में जो घाड़ से आदमी इस प्रकार मारे गये उनसे वही गुणा अधिकार की स्थानीय अधिकारियों ने भीड़ की ज्यादतियों से रक्खा थी । नीपो लोगों का टस्वेजी इन्स्टिट्यूट 'लिन्विंग' का अर्थात् व्यक्तियों के भीड़ द्वारा मारे जाने पा पूरा-भूरा लेता रहता है । उसने बतलाया था कि सन् १६४६ से पहले के गात वर्षों में २२६ व्यक्तियों को 'लिन्विंग' से रक्खा थी गयो । इनमें २०० से ऊपर नीपो थे ।

भीड़ की उप्रता में बमों का कारण यह है कि लोग शिक्षित और समृद्ध हुए हैं और साथ ही साथ शेरिका (पान्नून का पालन प्रशाने वाले अधिकारियों) तथा गुलिता के चरित्र में गुप्तार हूँचा है । हाल के वर्षों में जिन 'शेरिकी' ने भीड़ पा गामना किया उन्होंने देखा कि भीड़ उन्हें मारने को नहीं दीड़ पड़ती ।

राष्ट्रपति ट्रूमन ने रिफारिश की थी कि विश्रेता 'लिन्विंग' को संघीय अपराध ढहरा दे, परन्तु रोनेट ने इस विल का 'फिलिबस्टर' (नि गीम विचाद) द्वारा अत पर दिया ।

शरीर के बचाव और सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन पुलिस के पाशिर और अदालतों के पथपात्पूर्ण व्यवहार से भी होता है । ये अपराध बहुधा संघीय संविधान का उल्लंघन करते रिये जाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय इनसे विरद्ध कार्रवाई कर सकता है । उसके ध्यान में 'पिंशेनेज' अर्थात् शार्टवन्ड गुलामी के जो

मामले आवें उनपे भी वह काररबाई वर कहता है। 'पिओनेज' के अपराय का होना बही सम्भव है जहाँ लोग गरीब, दबू और अपने अधिकारों से बिलबुल अनजान हों। कोई देजमूला लादमी इसी शिकार को पकड़कर उमे झण में फंसा देता है और उमे इसी प्रकार यह विश्वास करवा देता है कि जबतक क्षण नहीं बढ़ा कर दिया जायगा तब तक उमे बेगार करनी पड़ेगी।

इसी के पूर्वज बोई भी क्यों न हो, जिस इसी ना जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हो उमे कानून नागरिकता का अधिकार प्राप्त हो जाता है। परन्तु एशिया के बहुत से निवासियों थे, उनका जन्म इस देश में हाने पर भी, अमेरिकी नागरिकता के अधिकार नहीं दिये गये थे। बैलिफोर्निया में और अन्य वर्ड पश्चिमी राज्यों में, जो विदेशी लोग नागरिक नहीं बन सकते थे, उन्हें खेतों का स्वामी नहीं बनाने दिया गया, और वर्ड मामले तो ऐसे भी हुए जिनमें नागरिक बनायो गयो उनसी भन्तान के खेतों से उन्हें निर्बाह तक नहीं लेने दिया गया। कानूनन सधीय सरकार को अधिकार है कि वह इस प्रकार के भेदभाँ व्यवहार को सम्बिधान के बागमन के नियमों में परिवर्तन बरके ठीक बर दे, परन्तु राजनीति में ऐसी काररबाईयाँ परना शायद तब तक सम्भव नहीं होगा जब तक कि लोकमत अधिक सहिष्णु न हो जाय।

अब तर भताधिकार को नाना प्रकार की कानूनी चनुराइयों से सीमित किया जाता रहा है। परन्तु उनसे एक-एक करके अनवैधानिक घापित कर दिया गया है। दक्षिण के वर्ड भागों में नीओ लोगों को भीड़ की ज्यादतियों के डर से मन नहीं देने दिया जाता, परन्तु नन् १९५२ के अकड़ों ने जान होना है कि अधिकतर दक्षिणी बस्तियों में नीओ मना भी संख्या पहने से बढ़ गयी है।

सन् १९२१ में गयरहू दक्षिणी राज्य ऐसे थे जिनमें मत देने के लिए एक "पोल-टैक्स" जर्ति मनदान-कर लिया जाता था। परन्तु दोना जातियों के गरीब रोग इस बर से मुक्त थे। सन् १९४४ में पता लगा कि जिन राज्यों में 'पोल टैक्स' लगा हुआ था उनमें मन देने में समर्थ लोगों में से लगभग दस प्रतिशत ने ही मन दिया था। डेढ़ सौ बर्पे पूर्वे तो मताधिकारी बनने के लिए मामूलतिक योग्यता की शर्त मर्वन ही लागू थी। सधीय कानून बनाकर 'पोल टैक्स' समाप्त करने के

प्रयत्नों वा सेनेट में 'फिलिबस्टर' द्वारा अर्थात् विवाद को अनन्त लम्बा सीधकर विराघ किया गया। परन्तु अब वर्षे राज्यों ने यह टैक्स स्वयं ही हटा दिया है।

नागरिकता का एक और विशेषाधिकार शस्त्र धारण कर सकने का है। यह अधिकार भयकर होते हुए भी अल्पसंख्यकों की नागरिक समानता के सोक्ष्मतन्त्रीय लक्ष्य का सूचक है। पहले सेना में नीचों और अन्य अल्पसंख्यक लोगों को साधारणतया ऐसे बाम दिये जाते थे जिनमें लड़ना नहीं पड़ता था, या उनकी टुकड़िया अलग बना दी जाती थी। अपसरों के स्कूलों में तो नीचों लोगों को यदान्दा ही भरती किया जाता था। हाल के वर्षों में सभी सेनाओं को आज्ञा दी गई है कि वे जातीय भेद-भाव का यथासम्भव शीघ्र अन्त कर दें।

सन् १९४५ में फ्रान्स के युद्ध में जब गोरे सेनिकों को अपनी टुकड़ियों में नीचों लोगों को भी सम्मिलित करने की आज्ञा दी गयी तब उनमें से बहुतों को अच्छा नहीं लगा। परन्तु उनको लड़ता देखकर प्राय सभी गोरे सैनिक, दक्षिणी तक भी, उन्हे चाहने और उनका सम्मान करते लगे। सन् १९५३ में रग के भेद-भाव के बिना नीचों लोगों को सैनिक टुकड़ियों में शामिल कर लेने का परिणाम इतना सन्तोषजनक निश्चला कि यह अब अपने ही वेग से आगे बढ़ रहा है। अब सेनाओं में रग के भेद की सर्वथा समाप्ति सम्भव हो गयी है।

वही परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनमें एक बार पृथक्ता का अन्त कर देने से रंग पश्चात् स्थग्नेय शिथिल हो जाता है—उदाहरणार्थ, गोरे लोगों के नाटक धरो और जलपान गृहों में नीचों लोगों वा प्रेमेश होने पर अब उनसे धूणा नहीं की जाती। अनुभव से यह भी देखा गया है कि बारपानों में नीचों मजदूरों को गोरे मजदूरों के साथ बाम पर लगाया जा सकता है। अब इसके बारण उतना भलाडा नहा हाता जितना पहले हो जाया चरता था।

यह देखने कि एक बार पृथक्ता वी समाप्ति वर देने पर रंग-पश्चात् आप ही दूर होने लगता है और उसके बारण मार-नीट नहीं होती, उन सोगों का उसाह बढ़ गया है जो पृथक्ता के विरुद्ध कानून बनवाना चाहते हैं। उनका तर्क यह है कि बहुत-सी परिस्थितियों में पृथक्ता वी बाध्यतापूर्ण समाप्ति के सामने ताग मिर

मुका देंगे, परन्तु यदि हालात को याही चलने दिया गया तो वर्तमान रिकाजों का न जाने बल तर्फ अन्त न होगा ।

सन् १९४१ में राष्ट्रपति रूज़वेल्ट ने एक 'फिरस्एम्प्लायेमेण्ट-ग्रेडिमन्यमिटी' व्यर्ति नीकरी देने में पश्चात न बरने का रिकाज डालने वाली कमिटी नियुक्त की थी कि वह सरकारी नीकरिया और युद्ध का माल बनाने वाले वारषाना में समानता की प्रया चालू करे । इस कमिटी ने देखा था कि उसके सामने जो मामले आते थे उनमें पाच में से धार का सम्बन्ध नीक्रो लोगों से होता था । उन्हें या तो नीकरी दी ही नहीं जाती थी और या गारो की अपक्राक्षा कम बेतन लेने के लिए विवर दिया जाता था । आठ प्रतिशत शिक्षायतों का सम्बन्ध धर्मित पश्चात में होता था । इनमें भी यूद्धिया वी शिक्षायतों सबने अधिक होती थी । सरकारी एजन्सिया, व्यापारिक सम्प्राण और मजदूर युनियन आदि सभी अल्पसंख्यकों के साथ नसमान बर्ताव करने की अपराधी थी । युद्ध-काल में जबतर राष्ट्रपति रूज़वेल्ट की यह कमिटी बाम इस्ती रही तबतक नीकरिया देने में असमानता का बर्ताव खामा बम हा गया था । मजदूरों को बमी वे कारण भी इसमें बहुतेरी बमा हा गयी थी ।

यई राज्या में भी "नीकरी देने में पश्चात न करने के कानून दनामे" गये हैं । जिन राज्यों में इस प्रकार के कानून बन सकते हैं जनरा सांसदत भी समानता का पश्चाता है, और वहा कानून मालिकों से अल्पसंख्यकों वो बाम दिलवाने में सफल हो जाता है । परन्तु सभी राज्यों में असमानता दूर बरने के लिए सधीय कानून बनवाने के प्रयत्नों वो रेनेट में सफल नहीं हाते दिया गया ।

यई राज्यों में भी शिक्षण-सम्प्राणों सथा सावंजनिक नीकरियों में नीक्री लोगों को गोरो से पृथक् हो रहने का नियम है । सन् १९६६ में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि यदि राज्य नीक्रो लोगों के लिए "पृथक् परन्तु समान" भेदवा का प्रबन्ध बर देने हैं तो उनके पृथक्ता-सम्बन्धी कानून का छोड़हवें संशोधन से कोई विरोध नहीं है । जस्टिस हालेन ने उम समय भी अपना पृथक् निर्णय लिखावर इस निर्णय का विरोध किया था ।

परन्तु सत्य यह हे कि नीप्रो लोगों के लिए जिन सरकारी स्कूलों और अन्य सेवाओं का पृथक् प्रबन्ध किया जाता हे, वे सामान और सेवा के अन्देशन आदि की हृषि मे गोरो के स्कूलों आदि के समान कभी नहीं होते। इसके अतिरिक्त, जैसा कि जस्टिस हालैन ने बहा था, बलान् पृथक्-ता के कारण, “हमारे बहुत-से साथी नागरिकों पर, उनके नानून की हृषि से हमारे समान होते हुए भी, दानता और हीनता का क्लेक लग जाता है। ‘समान’ व्यवस्था के भिल्लीदार परदे से कोई भी घोड़े मे नहीं आ सकता।”

सन् १८८६ का यह निर्णय कोई चालीस वर्ष तक कायम रहा। इसके बाद न्यायालय धोरे-धोरे इस सत्य की ओर संवेत करने लगा कि दोनों की सेवा मे समानता नहीं है और जबतक पृथक्-ता विद्यमान है तबतक अधिवतर सेवाओं मे समानता लायी भी नहीं जा सकती। धोरे-धोरे कुछेक दक्षिणों कालिजो मे नीप्रो विद्यार्थी लिये जाने लगे। इसके कारण अनेक थे। न्यायालय की हड्डता का बढ़ते जाना, बेबल नीप्रो लोगों के लिए प्रयम श्रेणों की युनिवर्सिटर्या खालने मे व्यय का बहुत होना, और दक्षिण मे, विशेषतः कालिजो के विद्यार्थियों मे सहिण्यता के भावों का विकसित होते जाना भी इन कारणों मे सम्मिलित थे। इस परिवर्तन के पश्चात् दोनों भगडे और अन्य अप्रिय प्रतिक्रियाएं न'होने से आशा होती है कि यह धोरे-धोरे फैलता जायगा।

सरकारी थोन से सर्वधा पृथक्, कई बड़ी-बड़ी पेरश-वर-बेसवाल 'टीमो' की बारंबाइयो से भी सारी जाति की अवस्था मुघारने मे, बड़ी सहायता मिली। है वे नीप्रो खिलाडियों को भी लिने लगी हैं। बेसवाल ऐसा खेल है कि करोड़ों अमेरिकी छसे राष्ट्रीय भगडे या संविधान के समान पवित्र मानते हैं। उसका उनके दैनिक जीवन और रुचियों से बहुत धना सम्बन्ध है। किसी को दुनिया के खेलों की 'सीरीज' मे खेलने देना उसे पूरा-न्पूरा अमेरिकी नागरिक मान लेने की निशानी है। "ब्रुकलिन डोजस" नामक प्रसिद्ध टीम का एक खिलाड़ी नीप्रो होने के कारण वई टीमो ने विद्रोह करने की धमकी दी थी। इन टीमो को 'बेसवाल लोग' के अध्यक्ष ने जिन शब्दों मे उत्तर दिया उनसे प्रकट हो गया कि अब खिलाडियों मे समानता का

सिद्धान्त स्वीकृत लिया जा चुका है। लोग के अव्यक्त ने बहा था—“यह मंयुत्तर राज्य अमरिका है। यहां खेलने का जितना अधिकार तुमको है, उतना ही दूसरों को भी है।”

विसी भी नागरिक को अधिकार है कि वह अपने मानव या अमानव शत्रुओं से रक्षा पाने का शासन से दावा कर सकता है। परन्तु यह अधिकार और सभान व्यवहार का अधिकार वई बार एक दूसरे से टकराने लगते हैं। विरेपत जब जनता पर वेरोजगारी, अज्ञान, गरीबी, और रोग आङ्गमण करते हैं, तब पदारूढ़ बहुमत की अंगठा अल्पमत की ही सदा अधिक हानि होनी है। परन्तु राग और मूल्य से भय तो सभी सोगों को लगता है, और प्रबल बहुमत धालों को भी वेरोजगारी का या आमदनी के नुकसान का ढर होता ही है। बहुत बड़ी संख्या में लोग वेवन मजदूरी के लिए काम करते हैं, और यदि वे जीवन का एक उचित मान मुरक्कित रखना चाहे तो उन्हें मजदूरी तय करने के अपने बल के संरक्षण के लिए कानूनी सहायता की आवश्यकता पड़ती है।

युरोप और अमेरिका में वई रातादियों से मजदूरों की अवस्था शासनी वी चिन्ता का विषय रही है। मध्यकाल में प्रवृत्ति यह थी कि शासनी वा भुकाव बहुवा विडोही और उपद्रवी मजदूरों के विरुद्ध उच्छरणों की ही रक्षा करने का रहता था। उत्तीर्णी शकाद्दी में इस प्रकार के मालिक मजदूरों के भगड़ी में हस्तक्षेप का एक प्रचलित रूप थह था कि शासन मजदूर इनियनों को दवा दिया करता था। तब वे परम्परागत कानून के अनुसार पठयन्त्रकारियों का गिरोह समझी जाती थी। आज कानून का भारी भुकाव मालिकों की मनमानी कार्रवाइयों और अनेक प्रकार की सामान्य आपत्तियों से मजदूरों की रक्षा करने का ही गया है।

मन् १६३३ के “नेशनल इंडिस्ट्रियल रिवरी एक्ट” (राष्ट्र के उद्योगों को सम्भारने के कानून) ने मजदूरों को संगठित ही सरने के अधिकार की गारण्डी दी थी, और मालिकों को मजदूर लिया था कि वे मजदूर-नृभिन्नता को, मजदूरों की शर्तें तय करने वाले एक्ट के स्वप्न में मान्यता प्रदान करें। देशनर एक्ट और टैफ्ट-हार्ट्से एक्ट ने क्रमशः मजदूरों और मालिकों के साथ अधिकारा की और भी

निश्चित कर दिया है। इनमें से प्रथम ऐक्ट का भुक्ताव मजदूरों को और वो और द्वितीय का मालिकों की ओर को है। इन सब कानूनों का सार्वजनिक प्रयोगन ऐसे नियम बना देना है कि उन्हें न्यायालयों द्वारा लागू करवाया जा सके और मालिकों और मजदूरों के सम्बन्ध उचित तभा न्यायपूर्ण रहे।

जब "उचित" और "न्याय-पूर्ण" शब्दों की परिभाषा की जाने लगती है, तब यहा भी राजनीति का दखल हो जाता है। पहले अंताचार मजदूरों को सहना पड़ा करता था। उन्हें संगठित होने का अधिकार प्राप्त करने के लिये लडाइया करनो पड़ती थी—उनमें कभी-कभी घून तक वह जाता था। उनके नेता लड़ने वाले अधिक और समझौता करने वाले वह होते थे। धोरे-धीरे बानून उनके पश्च में हो गया। जब मूनियनों ने दिल्ला दिया कि मजदूर दलित नहीं हैं, तब दलितों के प्रति जनना की जो सहज सहानुभूति थी वह धोरे-धीरे तुम हो गयी। सन् १९४७ में राजनीतिक ज्वार भाटा के कारण कांग्रेस पर रिपब्लिकन पार्टी का नियन्त्रण हो गया और उनमें मलिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए टैफट-हार्टले ऐक्ट पास कर दिया। इस समय मजदूर मूनियनों के प्रतिनिधियों में भी, 'पूंजीपत्रियों' या रिपब्लिकन पार्टी के चिरुद्ध जमकर संघर्ष करने के लिए पर्याप्त एकता नहीं है। सन् १९५२ के चुनाव में उन्होंने ही अपने मतों से रिपब्लिकन पार्टी को पदार्थ होने में सहायता की थी। इन सबका सारांश यह है कि इस समय मजदूरों के अधिकार इतने पर्याप्त व्यष्टि से सुरक्षित हैं कि वे अन्य अनेक प्रस्तो पर अपना मन स्वतन्त्रता पूर्वक दे रहे हैं।

मंत्रक राजन अमेरिका वहुन समय तक राष्ट्रीय समाजिस्त-नुस्खा की प्रचलिती अपनाने में अधिकतर समय सेवार से पीछे था। बहुत से राज्यों में निचो न दिसी प्रश्नार के समाजिस्त-नुस्खा के कानून बहुत समय पहले बन चुके थे। सन् १९३५ में एतद्विषयक राष्ट्रीय बानून बन जाने के पश्चात् बुडामे और परिवार में बचे हुए लोगों (उर्बाइसर्स) का बोमा कुच बता दिया गया है और उसके लाभ मजदूरों के अधिक प्रश्नार के बगों के लिए प्राप्ति पर दिये गये हैं। डेर जगारों के बीमे और निहत्तामों तथा अन्धों को और अंधित बालरों को सहायता आदि अन्य सामों का भी

धारे-बोरे संघीय शासन और राज्यों द्वारा अधिकारित विस्तार किया जा रहा है। जब इस तथ्य को अभिकारित अनुभव किया जाने लगा है तो समाजिक-न्युट्रल के कारण बीमारी या बुद्धिमत्ता में द्वोर भारी बेरोजगारी फैल जाने पर भी जनता की स्वयंसक्ति बनो रहने में सहायता मिलती है। व्यापारियों, व्यवसाइयों और श्रमिकों सबको ही इन आर्थिक सम्भों का अनुभव हो जाने के कारण सामाजिक-न्युरल की योजनाओं का समर्थन दानों राजनीतिक पाठिया व्यापक रूप में बरने लगी हैं।

अमेरिकी जनता अपने शासन से विविध स्तरों पर विविध प्रश्नों के जिन संरक्षणों की माग करती है उनके कारण जा राजनीतिक विवाद छिड़ जाते हैं, वे भी एक जनग मध्यम हैं। 'कन्जर्वेटिव' या अपरिवर्तनवादी सोग कहते हैं कि सेवा का प्रत्येक नदा मुझाव समाजवादी है, इससे बर-दाता के घन का अपव्यय होगा, और जनता जो कुछ चाहती है, उस सबकी पूर्ति निजी उद्योग से हो सकती है। इसमें निपरीत, 'निवरल' अर्थात् उदार विवारों के नवीन लोग वहते हैं कि जिस बस्तु की आवश्यकता है उसकी पूर्ति निजी उद्योगों से न तो हो रही है और न कई कारणों से हो शकेगी और जिस सेवा का मुझाव दिया गया है, उसके बरने से कई प्रश्नों के अपव्यय का जन्त हो बर बस्तुतः बर-दाता के घन की बचत ही होगी।

निःसन्देह प्रत्येक मुक्काव की यथार्थता भिन्न-भिन्न होती है और उनका निर्णय तत्त्वान् तो राजनीतिक तर्फ़ से हो जाता है, परन्तु पीछे यदि नवी परिस्थितियों के कारण पहले निर्णय पर नन्देह हो जाय तो उस पर पुनर्बनार बर लिया जाता है। सब मिलाकर प्रवृत्ति की दिशा यह है कि जिन आपत्तियों से जनता की रक्षा, उनकी सम्मति में, शासन की शक्ति से भी जासके, उन ने शामल की सेवाओं का अधिकारित उपयोग किया जाय।

संतुक्त राष्ट्र संघ का मदत्य बनने समय अमेरिकी जनता ने उसके सदस्यों का एक बतौर्य यह भी समझा था कि मनुष्य-भाव के अधिकारों और स्वतन्त्रताओं की रक्षा बरने में संतुक्त राष्ट्रों की सहायता की जाय। भंध के एक विदेशी कमीशन ने "भानव अधिकारों का एक शीपणा पर" लिया था और संयुक्त राष्ट्रों को अमेरिकी (महामान) ने, संविधान सूनियन तथा उसके पिट्लेग्युओं के विरोध के

यात्रा, उसे रवीनार बर लिया था । इस वार्षिकता की अपेक्षा आमा दसों अधिकांश को प्रतिविधि शीतली पैंचलिंग द्वारा इन्हें भवित है ।

"मात्र अभिनार्थ का भावनापत्र" अंगौरिरी शीतलिंग में 'विषभौत रादृश' (अभिनार्थगूणी) से बहु अधिक है । इसका प्रथमा वार्षा यह है कि हिमाचल शीतलिंग गुणिता में कई प्रकार के गो अपार्वा को जना दे रिया है । उद्याहरणार्थ, 'जिम्मेदार' का जातिभाषा अभित् । यही जाति, पर्योगे गा गाँगव गत वा ग खा गाँड़ बर दो के लिए, गरुदार की भाव ते नारेवार्द वा लिया जाता तत् गुणिता अपार्वा था । उसे प्रतिविधिभावनालिंग में धीमी शनाइकी ग गुणाविधि पर लिया । इसलिए एवं पर शुद्धित रात् रोप में विषेष लाग लिया गया ।

"मात्र अभिनार्थ का भावनापत्र" विषार दरो के अविद्या, एक अपेक्षण से एक वर्णन के द्वा गे एक प्रतिवार्ता वो रक्षा दरो के लिए भी बहु गया था, जो प्रतो गरुदवराणु को रवीद्विति के लिए लिया जाते गाया था । युल प्रतिवार में गोपी भवार के अभिनार्थ प्रतिविधि लिये जाते थावे ने, विनार अपार्वा भीर अत्याचार से रक्षा दावे के गहीं, अरितु वेरेजनारी जैसे तुष्टियों से रक्षा दावे के भी । अंगौरिरा चाहूता था कि प्रतिवार दो लिये जाएं । प्रथमा प्रतिवार में सो हांगे 'विषभौत-रादृश' गरीबी दियी जिम्मेदारियों रासी जाएं, जिनका पालन लियी अपार्वा द्वारा गरुदा दर्शाया जा रहे । दितीय में दियो जिम्मेदारियों हो, जिन्हें दूरा दरो के लिए शरारत, पर्युषी भीर घोगाई दियी गुरुदायों में गमी दरो भी प्रतिवार दरे, गरमु जिनका गिरित दोई एक प्रतिवार गहीं हो गतता । इस दूसरे प्रतिवार के "अभिनार्थ" की रक्षा अपार्वा की शरण देवर गहीं, प्रत्युत राजनीति पारेवार्द द्वारा हो भी जा गती है; अभित् यह देवतवर कि पराहृष्ट गाँड़ में राजी भीर यांगनिर्द जिम्मेदारियों में उन्नत गतुलगवा । लियर रक्षे हुए अपार्वायों से जाता ने जिम्मेदारुगारे उने दण्ड गा घटाता देवर जाता की रक्षा दरों में गायता प्राप्त की गयी ।

इसमें गे वाई भी प्रतिवार रवीद्विति के लिए शुद्धित राज्य अंगौरिरा की देवते में रागो भावे की रामायना गहीं है । इसका प्रभाव दार्या गद है कि अंगौरिरी

कानून म सम्मिलिन सब अधिकारों का समुक्त राष्ट्र सभा के अन्य सदस्य-राष्ट्र प्रतिनापना म सम्मिलिन बरते हैं जिए सहमत नहा हुए हैं। यद्यपि कानून के जानकारों का प्रबन्ध मन यह है कि बमरिसी सविशाल ने बमरिसी नागरिसा को जिन अधिकारों की गारण्टी दे दी है जह निसी भी सचिव द्वारा बम नहीं विया जा सकता, परन्तु हम भन का सब लाग नहा मानत। सेनेट अपन द्वार यह जाकिम लेन के तिए तैयार नहा जान पड़ता।

अब समुक्त राष्ट्र सभ म समुक्त राष्ट्र बमरिसा की स्थिति यह है कि हम तो सब राष्ट्र म अक्षिया के अधिकारों की कानूना राजा का विश्वास और विस्तार बरत के पान म हैं, परन्तु हमें कहा भा पूर्णता तर पूर्चने का आशा नहीं है। हमार बान देश म, बरते कानूना और रेति रितना मे, हमें बनत त्रुटिया दिखाई दना है, और उन्ह हम स्वास्तर भा बरते हैं, परन्तु मात्र हा हम अनियाय और समानता को दिगा में प्रगति भा बर रह हैं। हम अपनिय अधिकारों को जितना-जितना समझते जात हैं उनना-उनना हमारो राजनार्तिर प्राप्तिया उनके मिदान्त निश्चिन बरती जाती हैं। इसस अधिक अल्पे मार्ग का ज्ञान हमें नहा है।

अध्याय १२

शासन का अमेरिकी दर्शन

संविधान के अनुनार संयुक्त राज्य अमेरिका प्रत्येक राज्य को "शासन के गणतन्त्री रूप" की गारण्टी देता है। परन्तु संविधान के इस अनुच्छेद का हवाला देन की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी, क्योंकि इस देश में राजनीतिक विचारों का विषय प्रायः शासन का रूप नहीं, अपिनु यह रहा है कि शासन विस प्रकार वा काम अधिक भलीभांति कर सकता है। चरमभूमि लोग शायद आशा तो यह करते थे कि वे इस देश में भी तानाशाही कायम कर सकें, परन्तु स्थानीय सम्प्रदायों में भी शायद ही कभी वे सत्ता प्राप्त कर सके हों। सन् १८७४ में रोड़ आइलैण्ड में विद्रोह हो गया था, और राष्ट्रपति ने उस पक्ष की सहायता की थी जिसे वह न्यायपूर्ण सुमझता था। सन् १८७४ में हिन्दों को मताधिकार देने के पक्षपातियों ने यह सिद्ध करने का असफल प्रयत्न किया था कि संविधान के अनुसार जिस राज्य का शासन हिन्दों को मताधिकार देने से इनकार करे वह "गणतन्त्री नहीं है"। सावारणतया न्यायालय इस प्रश्न का निर्णय बरने से इनकार करते रहे हैं कि शासन का कौन-सा रूप गणतन्त्रीय है, वे इस प्रश्न को "राजनीतिक" बतलाते रहे हैं।

इसका परिणाम यह हुआ हे कि इस प्रकार के प्रश्नों का निर्णय कि सन् १८३० में आरम्भ ल्युइजियाना में ह्यूलाग ने अपने नियन्त्रण में जैसा शासन स्थापित कर लिया था वह तानाशाही था या नहीं और यह कि ऐप संयुक्त राज्य अमेरिका को इसमें हस्तांत्रिक करना चाहिए या नहीं, राजनीतिक विचार के द्वारा अमेरिकी जनता

हो करती है, न्यायालय नहीं। यदि ये नयुक्त राज्य अमेरिका कभी यह निर्णय बर दे इ अमुक्त राज्य का अपने हाथ में ले लेना चाहिए, तो उस स्थिति को शामन के गणतन्त्रीय रूप का भग हो जाना वहाँ जा सकेगा, परन्तु मर्वॉन्ट न्यायालय कुछ आवश्यकता नहीं चाहता।

परन्तु भावात्मक शामन के जिन रूपों को अमेरिकी जनता "गणतन्त्रीय" मानती है उनकी मदा रक्षा की जाती है, उनकी भावना वा अप्टाचारी राजनीतिज्ञों ने मले ही उल्लंघन क्या न कर दिया है। प्रथेत् राज्य जिनी ऐसे सवित्रान द्वारा प्रदत्त अधिकार के बन पर कार्य करता है जिसमें सशाधन जनता हिसामय क्रान्ति के चिना ही बर समती है। इस शामन में कानूनों की रक्षा जनता के प्रति उत्तरदायी प्रतिनिधि ही करते हैं। व्यक्तिया वे जिन अधिकारों को जनता कानून के द्वाय रक्षाय मानती है उन सब के रूप की रक्षा की जाती है, व्यवहार में कानून का पालन भर्ने ही अप्टाचारात्मकों को न हो गया हो। शामन के अप्टाचारों स बचने के लिए नागरिक न्यायालयों में अनील बर सतते हैं। अमेरिकी जनता जिसे गणतन्त्रीय शामन वा रूप कहती है, उसकी यह सब विशेषताएँ हैं। सम्भव है कि उनका पालन मदा लिखित शब्द के अनुसार न किया जाता हा, परन्तु कहता ता मानी ही जाती है।

बीमवा शहरान्ती में हिटलर और मोर्विट यूनियन को देख लेने के परचाल, साग शामन के उन रूपों तक को जापन मूल्यवान मानने लगे हैं जिनका स्वतन्त्र सोग जादर करते हैं। सम्भव है कि मार्विट यूनियन भरीजे राष्ट्र में भी सवित्रान उन सब अधिकारों की गारंटी करता हो जिन्हे अमेरिकी अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए आवश्यक मानते हैं, परन्तु यदि व्यवहार में शामन मूलों वा मंचानन बरने वाला को चुनौती देने के लिए जनता वे पाल शाजनीनिः विरोध मंगलित करने के कार्य भी भावन न हो तो वह गारंटी व्यर्थ है। कानून के जिन मद रूपों से मिलकर "शामन के गणतन्त्रीय रूप" का निर्माण होता है उनका अप्टाचारी होना भी सम्भव है, परन्तु यदि जनता को राजनीतिक संगठन करने का अधिकार हो तो वह इच्छा होने पर अप्टाचार का बन्त कर सकती है और अपनी

परम्परागत स्वतन्त्रता को पुन ग्राह कर सकती है। यदि किसी स्वतन्त्र देश में बालून रहता हो कि जब मतदाता मत दे रहा हो तब उसे न तो कोई देख सकता है और न इस धरम सवाल रखता है, और उस बालून के रूप का सब लोग आदर करते हैं, तो जनता अपने विधान मण्डल और राष्ट्रपति का निर्वाचन करके उनके द्वारा उन अधिकारों की रक्षा करता सकती है जिन्हे कि वह आवश्यक समझती है।

जब जनता को शासन का ऐसा रूप ग्राह हो जाता है जिसमें वह सर्व-प्रभुत्व-सम्प्रदाता से आचरण वर सके तर मार्ग वा निश्चय उनके परस्पर विरोधी स्वार्थों और उसके दर्शन अर्थात् निर्णय करने के सिद्धान्तों के अनुसार होता रहता है। अमेरिकी जनता वा राजनीतिक दर्शन दुर्बोध तो हो ही, कई दृष्टियों से परस्पर विरोधी भी है।

शासन के अमेरिकी रिद्दान्त रिटिश और अमेरिकी जनता के उन सवार्थों के सम्बन्ध से प्रभावित हैं जो उन्होंने शासन के अत्याचारों के विरुद्ध किये थे। इनमें प्रथम एलेक्टोरिय सवर्प, जो इतिहास की एष विरोध घटना घन चुका है यद् १२१५ में "वैरलो" अर्थात् अर्गेज डिकॉनिदारों ने शाह जान के विरुद्ध किया था, उसके परिणाम स्वरूप प्रसिद्ध "मैना चार्ट" अर्थात् उस समय के छिनानों के नियमों की लिखित गारण्टी का 'बड़ा वामज' (अधिकार पत्र) दिया गया था। "मैना चार्ट" वा सम्बन्ध निम्न जनता की ओपेका 'वैरला' के साथ ही अधिक था। परन्तु जनता ने शाह के विरुद्ध 'वैरलो' का साथ दिया था, क्योंकि उन्होंने वहाँ या कि जनता में व्याप्त वर्षों वा कारण शाह की फ़ूल सचिया और जनता वी रक्षा करने में भ्रग्नाचारी अधिकारियों की लापरवाही है।

शासन को निम्न और उच्च शक्तिया में इसी प्रकार के सम्बन्धों वा उदाहरण अमेरिकी क्रान्ति ने समय पुन दिखाई गया था। तब अधिकार जनता ने शाह के शासन के विरुद्ध औपनिवेशिक शासन वा साथ दिया था। एक बार पुन लोगों ने अनुभव किया था कि हमारे कट्टों का बारण शाह द्वारा बालून का दुख्योग है

जब योगनिवारिक विद्यान मण्डसा और उनके उत्तराविभागी राज्य शासनों को उन्होंने अपने अभिभावी वा खात्र और समर्थक समझा था ।

“मैग्ना चार्ट” से लेकर थमिसो को सम्मिलित समझौता करने के अविभार की गारण्टी देने वाले सधीय वानून तक, अमेरिकी परम्परा के मूल में स्वतन्त्रता और समानता के नितने भी विचार निहित हैं जनका विकास, न्यून या अधिक अभिभावी के सम्पन्न लागा ने ही किया था, गरवा वी बमिता में मे इने हुए क्रान्तिकारियों ने नहा । इतिहास के ग्रारम्भिक बार में इंग्रेन्ड की सायारण जनका वभी-कभी अपने से “ज्ञान वाला” के विरुद्ध भी विद्राह बर देनी थी, जैसा उनने सन् १३८१ में ‘थेर टाइलर बा विद्राह’ नाम से किया था । परन्तु दुष्टिमान ओर सबमी नेता के अमाद में वह अभीष्ट मुघार प्राप्त करने में सफल नहीं हैं सही थी । जनतन्त्रीय समाज की बार अभिभावित प्रगति का नियम प्राप्त यहां रहा है कि शक्तिमम्पन और प्रभावशाली साम अपने से अभिन शक्तिसम्पन्न लागा का और शासना का विरोध करते रहे । इन इतिहास के पहल स्वरूप अमेरिकी सिद्धान्ता का इस अत्यन्त मत्त्यवर्गीय है । उदाहरणार्थ, अमेरिका के संगठित थमिस शायद ही कभी ऐसा बाई बाम-बाज करते हो तिन्हें यह प्रकट हा नि के अपने आपो “प्रालेनरियट” अर्थात् निरा मज़दूर समझते हैं । के धरने यूनियन का साथ देते हैं, परन्तु कम्मूनिष्ट तानशाही को स्थापना का साधन बनकर नहीं । के यूनियना का उद्योग मत्त्यवर्गीय दर्जे के रहन सहन का बगता अभिभाव सुरक्षित करने तथा उने बिन्दुत बरने के लिए और अमेरिकी समाज में मत्त्यवर्गीयों का जैसा आदर होता है जैसा ही अपने लिए भी प्राप्त करने के लिए रहते हैं ।

इसलिए अमेरिकी परम्परा, संगठित और सम्मानित स्वार्थी में सधर्पों की एक लम्बी शृखना के रूप में चक्री आ रहे हैं । अमेरिकी क्रान्ति इन सधर्पों का ही एक नमूना था । उसमें शाह का साप वे बड़े-बड़े व्यापारी और इंग्रेन्ड के बारताना-भानिक दे रहे थे, जो व्यापार में अभिभाविता वे मुक्काबले से बचना नहीं चाहने थे । जनका स्वार्थ, शाह और पालमेन्ट द्वाग प्रदल वानूनी अधिकार के आधीन पहुले ये संगठित पैदा जनके विपरीत, अमेरिका के पश्च में अमेरिकी व्यापारी, तम्बाकू

नेवाले विसान, भूमिपति, और अन्य ऐसे भजदूर और विसान थे जिनको सुमान-नुभावर यह विरवास बरका दिया गया था कि व्यापार पर लगायी गयी विश्वा पावनियों से और टेक्सो मे तुमरो नुस्मान हुए। अमेरिकी सीग अपने राज्यों के तथा कुछ विविध स्पष्ट मे भाष्ट्रीय वी कारेंस के नेतृत्व मे संगठित थे। जो प्रभावशाली अमेरिकी लाग शाह का साथ दे रहे थे वे बाद को बाहर निकाल दिये गये। जो नये राष्ट्र की स्थापना करने और उम्के इनिहास की रचना करने के लिए पीछे रह गये उनका इह विरवास था कि बेन्द्रीय शासन के अद्याचारी हो जाने की सम्भावना रहती है, और उसके विपरीत स्थानीय शासन बेन्द्रीय शासन वा विरोध करने के लिए एक अच्छा और संगठित साधन होता है। इस सामने में वे अपने उन पूर्वजों से मिलते-जुलते थे जिन्हाने कि शाह जान के विट्ठ 'वैला' का साथ दिया था।

बेन्द्रीय शासन से यह भय और उसकी नाप्रखन्दी ही टामस जेफरसन के अनुशासियों का प्रथम मिदान्त था। जेफरसनी जनतान्द वा आदर्श-वापर था—“वही शासन सर्वोत्तम है जो न्यूनतम शासन बरता है।”

दूसरी ओर, बेन्द्रीय शासन वभी-नभी जनता के अधिकारों को पद्धतित भले ही बरने लगे और स्थानीय शासन वो उसका विरोध भले ही बरना पड़े, परन्तु जनता वी कुछ आवश्यकताये ऐसी होती है जो बेन्द्रीय शासन द्वारा ही पूरी हो सकती है। जनति के तुरन्त बाद ही देश में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी थी जिसमें बेन्द्रीय शासन के विरोध की भावना गौण पड़ गयी थी। व्यापारियों, महाजनों और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ने लगा था कि व्यापार का हाथ हो रहा है और देश की राजा-व्यवस्था निर्वस्त पड़ती जा रही है। इन सोगों का नेता ऐनिक्सटर हेमिल्टन था। हेमिल्टनी अबवा संघ पक्षाती लोग यद्यपि इंगरेज के बेन्द्रीय शासन के कटूर विरोधी थे, पर वे व्यवहारित बारजों से विवश होकर मंगुस्त राज्य अमेरिका मे हड बेन्द्रीय शासन की स्थापना का समर्थन करने लगे थे। जब राज्यों द्वारा इस पर स्वीकृति भी द्याप लगाने का अवमर थाया तब जेफरसन तुक ने अनिवार्यूपक संविधान के विचार का साथ दिया था।

आज तक भी अमेरिकी लोग, जब जो राजनीतिक प्रयोजन जिसके मन में हो उत्तर के लिए लाभदायक या हानिकारक होने के अनुसार, हैमिल्टन और जेफरसन के सिद्धान्तों के मध्य में कभी इधर को तो कभी उधर को उछलते-नूदते रहते हैं ।

इन परिवर्तन का अत्यन्त आवर्यक और भनोरंजक उदाहरण डिमोक्रेटिक पार्टी की सन् १९३३ से सन् १९५३ तक की नीतिया है । श्री रूजवेल्ट और थो ड्रू मन, दोनों ने, इस बाल में संघीय शासन के अधिकार और वार्य बहुत बढ़ा दिये । यह नीति विशुद्ध हैमिल्टनी है, यद्यपि डिमोक्रेटिक पार्टी जेफरसन की उत्तराधिकारी है और अब तक उनके ही बहुतसे विचारों की दुहाई देती है । उत्तराधिकारी के इस विनियत प्रकार परिवर्तन होने वा कारण यह है कि बब तक शासनाधिकार दूसरे के हाथ में था । सन् १९३३ में लोग, सन् १७८६-१७८७ के कठिन समय को भाँति, बड़े पैमाने पर भारी मन्दी का शिकार हो रहे थे । जिस प्रकार सन् १७८७ में हैमिल्टन ने संस्का वा उसी प्रकार अब डिमोक्रेटों ने सोचा की जनता की आवश्यकता पूरी करने का सर्वोत्तम उपाय संघीय अधिकार का प्रयोग है । इसलिए सिद्धान्तों को वस्तुस्थिति के अनुसार तोड़न्मोड़ भेजा पड़ा ।

शासन के विषय में हैमिल्टनी और जेफरसनी हृष्टिकोणों के अंतरिक्ष, अमेरिकी राजनीतिक दर्शन, शासन के प्रयोजन और प्रकार के सम्बन्ध में अधिक सूझम बल्यनाओं से भी प्रभावित हुआ है । प्रस्तुत विचार के लिए ऐसी चार प्रमुख बल्यनाओं की चर्चा को जा सकती है । इनमें से दो 'अनार्किज्म' और 'सोशलिज्म' तो चरम बल्यनाएँ हैं, और शेष दो की विचारधारा उनकी मध्य-बत्ती है । 'अनार्किज्म' का अभिप्राय है किसी भी शासन का न होना अर्थात् अराजकता और 'सोशलिज्म' का आदर्श है सब कुछ शासन के ही मुपुर्दे बर देना अर्थात् समाजवाद । अमेरिकी लोगों के प्रायः सभी राजनीतिक और आर्थिक विचारों पर मध्य-बत्ती विचार-धाराओं का हो प्रभाव पड़ा है, चरम बल्यनाओं का नहीं । मध्य-बत्ती विचारधाराओं में से एक का नाम है 'इंडिविजुअलिज्म' (व्यक्तिवाद),

अर्थात् व्यक्तियों के अधिकारी वो प्रथानाता देता । दूसरी विचारधारा का अमेरिकी भाषा में निश्चित नाम तो नुच्छ नहीं है, परन्तु उसका सार यह है कि देश की समृद्धि में शासन को सहायता करनी चाहिए । इसे "इण्टरवेन्शनिज्म" अथवा हस्तक्षेप का नाम दिया जा सकता है ।

'अनाविच्चन' (अराजनतावाद) और 'सोशलिज्म' (समाजवाद) का अमेरिकी राजनीति पर प्राय बुद्ध भी प्रभाव नहीं पड़ा । अराजनतावाद एक चरण बत्यना है कि शासन शासा बत्याचारों ही होता है, और इस कारण उसका अन्त वर देना चाहिए । दूसरी चरण बत्यना 'सोशलिज्म' (समाजवाद) में यह दावा विद्या जाता है कि व्यापार और व्यवसाय पर निजी स्वामित्व के कारण ही जनता वा पीड़न होता है, और जो व्यापार और व्यवसाय बुद्ध भी श्रमिक रखते के लायक बढ़े ही उन पर राज्य का स्वामित्व हो जाता चाहिए । इस दोनों गत्यनाओं से अमेरिकी जनता प्रभावित नहीं हुई । दज्जो मध्य-वर्गीय प्रवृत्तियों के कारण अधिक्तर अमेरिकी लोग चरम और अतिसरल बत्यनाओं से आहट नहीं हुए हैं । शायद हेमिल्टन और जेफरसन के मत्त्व में भूलते रहने के लम्बे दृष्टिहास में भी ओसत अमेरिकियों वो इन्हीं जात्यनिक मुक्तिकादों में मत्त्व के सभीप सर्वाधिक सुरक्षा का अनुभव करने वा बन्धासी बना दिया है । इस से कम, शासन के उचित उपयोग वी नवा छिट्ठने पर राजनीतिक विवाद में जिन दो बत्यनाओं का बार-बार विक्र होता है वे 'इण्डिविजुअलिज्म' (व्यक्तिवाद) और 'इण्टरवेन्शनिज्म' (शासन का हस्तक्षेपवाद) ही हैं । इसमें से प्रथम तो जेफरसनी विचारी से मिलती-जुलती है और द्वितीय का अविभवित अमेरिकी राजनीति में पहुँचे-महल हेमिल्टन के कारण हुआ था ।

'इण्डिविजुअलिज्म' (व्यक्तिवाद) बत्यना के अनुसार, शासन का एक मात्र चर्चित उपयोग आन्तरिक व्यवस्था वा रखना और बाह्य आक्रमणों से राष्ट्र की रक्षा करना है । इस बत्यना को "सिर्पे-फेर" — "लोगों वो बापनी व्यवस्था आप बरने दो" — भी कहा जाता है । इसका आधार यह विश्वास है कि अनराधियों के विनियन अन्य लोगों वो यदि अपने स्वार्थों की विना आप करने के लिए स्वतन्त्र थोड़ दिया जायगा तो वे अपनी समस्याओं का हज स्वयंसेव योग्यमव उत्तम

उत्तर से बर लेंगे । उनकी निगमिक बुद्धि जैसा कहेगी उसके अनुगार वे परम्परा महयोग या प्रतिस्पर्धा या अपने विरोधियों का विरोध करते लगेंगे । इसके समर्द्धों का दावा है कि मानवता के मामलों को कोई "अद्वय दृष्टि" स्वयमेव उनके तर्फ़ मगत मार्ग वी ओर ले जाता और सुविधाओं और धाराओं का उचित विभाजन दृष्टि देता है । जो कुद्देश उदाहरण आकृतिक बहुग या कठनाइयों के रह जाते हैं उनका प्रतिकार निजी परोपकारियों द्वारा किया जा सकता है ।

'इष्टविजुअलिज्म' (व्यक्तिवाद) की वहना के अनुसार यदि किसी वाम में कुछ गडबड हो जाय, जैसे किसी वस्ती के निर्वाह का एक मात्र सावन कोई मिल दिवालिया हो जाय, तो वह भी आर्थिक नियम के प्रयोग का ही उदाहरण है । यदि देश में मन्दी आ जाय तो वह भी आर्थिक नियम के पालन का फल है । प्राइविटिक नियमों में हस्तक्षेप करने के प्रयत्न को भयावह और नामामनी का वाम माना जाता है । वे डरते हैं कि प्राइविटि के नियमों में हस्तक्षेप करने से हालात और भी विगड़ जायेंगी । सन् १९२६ में जो भारी मन्दी शुरू हुई थी उसके समय राजनीतिक विवादों में ये सब युतियाँ पेश वी गयी थीं ।

इसकी विरोधी कल्पना का निश्चित नाम कुछ नहीं है । इसका कारण शायद यह है कि उसे मदा अपनी सफाई देने रहना पड़ता है । अमेरिकियों का स्वभाव हो ऐसा बन चुका है जि वे शहसन से सहायता स्वीकार करते हुए भज्जा का अनुभव करते हैं । वे मुगमता से यह भी नहीं मानते कि ऐसे कोई मिदाल्न है जिसमें इस प्रवार की महापता का समर्थन किया जा सके । इसलिए जब वभी अमेरिकी लोग किसी ऐसे काम भी सोचते हैं जिसे उनकी गमक वे अनुमार शामन को करता चाहिए तब उनका प्राय यह विश्वास होता है कि "कुछ न कुछ नियम अवश्य होगा ।" परन्तु इन विश्वास के बावजूद जब वे किसी अन्य भी सहायता करने के लिए कर देने की बात मन में लाते हैं तब वे अनुभव करने लगते हैं जि ऐसे कामों से अमेरिकी परम्परा विगड़ जायगी ।

'इष्टरवेन्शनिज्म' (शामन का हस्तक्षेपवाद) की कल्पना वा सार यह है कि कुछ आवश्यकताएं ऐसी हैं जो पुलीम और सेना के बरा भी नहीं हैं और उन्हें

केवल शासन पूरा कर सकता है। सविधान लिखा ही न जाता यदि व्यापारी लोग निराशा के मारे यह अनुभव न करते कि विनाशक व्यापारिक प्रतिवधों तथा मुद्रा के मूल्य में भयकर उत्तर-चढ़ाव से बचने के लिए व्यापार की पूर्जतया नियन्त्रित किया जाना आवश्यक है। सविधान वो रचना विशेषतः इसी प्रयोजन से की गयी थी कि व्यापार, मुद्रा, डाक-व्यवस्था और 'फेडरेटें' के कार्यालय नियन्त्रण करने और "सर्वतथारण के हित" की अन्य व्यवस्थाएँ करने के लिए केन्द्रीय शासन को अधिक अधिकार दिये जा सकें।

इनी प्रकार 'फेडरलिस्टो' अर्थात् सप-मक्षवातियों के इतिहास वा आरम्भ ही ऐसी पार्टी के रूप में हुआ जो कि शासन को पुलीस और विदेशी शब्दों से रक्षा के बामो से कुछ अधिक काम सौंपना चाहती थी—और आज की 'रिपब्लिकन' पार्टी के पूर्वज 'फेडरलिस्ट' ही थे। वे चाहते थे कि समृद्धि और उन्नति के लिए जो कुछ भी वरना आवश्यक है उसकी सीमाओं में रहते हुए शासन व्यापार को भी सहायता करे।

जिन सिद्धान्तों के कारण 'फेडरलिस्टो' ने सविधान का समर्थन किया था उन्ही के कारण उनके उत्तराधिकारियों ने उद्योग-व्यवसायों को प्रोत्साहन देने के लिए मरक्षक टट्ट-करों का समर्थन किया। देश के इतिहास के आरम्भिक समय में सधीय शासन के अधिकारियों से, अमिको और किसानों की अपेक्षा व्यापारियों का प्रत्यक्ष लाभ जर्धिक हुआ था, इस कारण जैफरसन के अनुयायी शासन के कार्यों का विस्तार करने के विरोधी थे, वे "इण्डिविजुअलिज्म" (व्यक्तिवाद) बलना के ही पक्षपाती बने रहे। सन् १८२८ में ऐण्ड्रह जैफरसन परिवर्मी सीमान्त को जनता का प्रतिनिधि बनाएँ 'ह्वाइट हाउस' में पहुंचा और उसने 'नेशनल बैंक' (सरकारी बैंक) का विरोध लिया, क्योंकि उसके कामों से सीमान्त के द्योटे किसानों और व्यापारियों की अपेक्षा यदि नगरों के व्यापारियों को जर्धिक लाभ पहुंच रहा था।

अत यह समझने के लिए कि कभी कोई पार्टी 'इण्डिविजुअलिज्म' की पक्षपाती और कभी कोई शासन की सेवाओं वा विस्तार करने की पक्षपाती क्यों

बन जाती है, यह जान रखना चाहिए कि ऐसे परिदर्शन यह देखभर ही किये जाते हैं कि राटी चुनड़ी हुई विघर से है। परन्तु जो बोई जो कुछ चाहता है उसे शासन में वही दिलवा कर दोनों पार्टीय समझौता क्यों नहीं कर लेती? इन्हीं हृद तक व ऐसा बरती भी हैं। प्रत्येक क्षणित सदस्य चाहता है कि शासन उनके गिले में डाक-धर खुलवा दे या नदी का बांध बनवा दें, और यदि अन्य क्षणित-सदस्य उनके यहाँ के सार्वजनिक खार्यों के पक्ष में भत दे दें तो वह उनके पक्ष में दे देता है। परन्तु सधीय शासन वे काम वा विस्तार करने के लिए इस प्रकार की सोदेवार्ता की एक हृद है। इसका एक अन्य कारण यह है कि जनता लैंच वरों को पसन्द नहीं बरती। एक अन्य कारण यह है कि बहुत सी सार्वजनिक मेवाओं के कारण किसी न किसी प्रकार का नियन्त्रण अथवा थड़े-बड़े निजी कार-दारों में हस्तांशेप होता है। उदाहरणार्थ, ट्रस्ट-विरोधी कानून लालू बरने से साधारण व्यापारियों को भले ही लाभ हो, परन्तु कुछ कार्पोरेशनों को—प्राय अधिक प्रभावशालियों और शत्तिशालियों को—तो हानि ही होती है। अभावन यिनको हानि होती है वे “इण्डियनुअमिज्म” की बजान और सधीय खार्यों के विस्तार वा विरोध बरने लगते हैं।

यद्यपि पार्टियों की ओर से जो युक्तिया दी जाती हैं उनमा आधार प्राय विठेप स्वार्थ होते हैं, परन्तु वे सर्वया तक हीन या अर्थ हीन भी नहीं होती। अमेरिकी लोगों ने अनुभव से देखा है कि 'अनार्किज्म' (अराजनतावाद) और 'सोसालिज्म' (समाजवाद) वी चरम धर्मनाशी के मध्य की द्विपक्षीय राजनीतिक चलना पर अलने से आर्थिक प्रगति तो होती ही है, अनेक सम्भावित अप्रतिमी से रक्षा भी हो जाती है। वे सरकारी सहायता के लाभों और निजी प्रगति को दबाने की हानियों पर निरलतर विवाद करके मध्य-मार्ग का जबलम्बन किये रखते हैं। तकनी हाप्टि से ये दोनों ही युक्तिया अंशन ठीक हैं, और जब मतदाता दोनों को तोतकर तुला को सीधा कर देते हैं तब उन्हें शासन की वटी प्रणाली मिल जाती है जो कि अमेरिकी जनता का पसन्द है।

उत्तराधिकार का स्वरूप विहृत हो जाने के बाद जिस प्रकार 'फेडरलिस्टों'

(संघ-प्रशासनियो) के उत्तराधिकारी “इण्डिविजुअलिज्म” के पक्षपातो बन गये और दामस जेफरसन के अनुगमी शासन के कार्यों के विस्तार का समर्थन करने लगे, वह प्रधानतया विज्ञान और उनके आविष्कारों का परिणाम था ।

सन् १८०० में अमेरिकी जनता में बहु सख्त विसानों की थी, और शासन उनकी सेवा बहुत कम कर सकता था । शासन ने परिचमी प्रदेश खरीद कर या जीतकर उसमें उहैं स्वतन्त्र छोड़ दिया था । उसने वेवल इण्डियन कबीलों से उनकी रक्षा करने का काम अपने ग्रिम्भे रखवा था । इससे आगे मोमान्त में अग्रणियों को अपना मार्ग स्वयं निकालना पड़ा । जब वे स्वतन्त्र वस्तियों में अपना संगठन करने से तब उनके शासक वे स्वाभाविक नेता बने जिनमें निर्विचिन उन्होंने स्वर्पं दिया था । वे अपने घोड़ों के चोरों को फासी भी स्वयं ही लगाते थे । इस प्रकार अपने शासन का निर्माण स्वयं बरना सामाजिक संगठन का, आदि काल के बड़ों वी अपेक्षा भी, अच्छा उदाहरण था । अप्रणी लोग पहले से जानते थे कि शासन का अमेरिकी रूप क्या होगा, और जब कभी उन्हे आवश्यकता होती थी, वे सभा बुला कर उसमें इतिवर्तेव्यता वा निर्णय बर निते थे ।

इस प्रकार के अनुभवों से न केवल परिचम के अग्रणियों का, अपितु साधारणतया सारी ही अमेरिकी जनता का विश्वास ऐसा बन गया कि यदि शासन की आवश्यकता हो हो तो व्यवहार की अधिकतर समस्याएँ छोटे-छोटे स्थानीय शासनों से मुलझ भवती हे ।

इसके पश्चात् धीरे धीरे विज्ञान का प्रभाव बढ़ने लगा । विशाल महादीप के आर-पार चलने वाली रेलें बड़ो-बड़ती प्रशान्त महासागर तट तक पहुँच गयी । बैलिफोर्निया के लोग भाड़ों वी अधिकता और अपने विश्व अनुचित पक्षपात की रिकायत करने लगे । रेलें इतनी प्रभावशाली थीं कि उनका नियन्त्रण दिसी एक राज्य-शासन के बश की बात नहीं रहा । मिट्टी का तेल निवल आमा और लोग मोमशतिया तथा तेल का तेल जलाना छोड़ कर “पहाड़ी तेल” के लैप्प जलाने लगे । मिट्टी के तेल का व्यापार शीघ्र ही शीघ्र एकाधिकारी व्यापार में परिणत हो

गया और लोग इन परिणाम से प्रसन्न नहीं हुए । जनना रेलों का नियन्त्रण और एकाधिकार पूर्ण व्यापारी का दमन सध द्वारा किया जाने को मान करने लगी ।

दीसढ़ी शताब्दी में नवीन विकास और भी शोप्रशोप्र होने लगे । उनमें मै कड़ो के कारण इन्हें बड़े-बड़े व्यवसाय सड़े हो गये कि वे राज्यों की भीमाएं लाव बर पैन गये और उन्हें राज्यों की जोका बड़ी शक्ति में नियन्त्रित करना पड़ गया । संयुक्त राज्य अमेरिका में रेडियो साम पर न चल सकता यदि बोई अधिकारी उमड़ी सीधार्दि नियन्त्रित न कर देता । हवाई यातायात के सुरक्षा नियमों का पालन करने और जिन मार्फ़े पर एकाधिकार की आवश्यकता हो उनका साइमन देने के लिए भी संघीय अधिकारी की आवश्यकता है । प्रत्येक ऐसा नया अधिकार होने पर नियमके प्रयोग में सभीय प्रबन्ध के हक्कदार की या महायता की आवश्यकता हो, वार्षिक वर्ष के पहले वे बहुमंत्रिक सखारी विभागों में एह और विभाग की बृद्धि हो जाती है । मोटर-गाड़ी का मालिक प्रयः बोई व्यक्ति होता है और वही उसे चलाता भी है, परन्तु उसके लिए इन्होंने दूर-दूर तर दैनी हुई सड़ों को आवश्यकता पड़ती है कि उनकी सन्तोषजनक व्यवस्था, विना संघ की महायता के, बेवल राज्य नहीं कर सकते ।

प्राकृतिक विज्ञानों ने अनेक ऐसी जनोपयागी सेवाओं का विविकार किया है जो लाभदायक बेवल तभी हो सकती हैं जबकि सधीय शासन उन्हें जनना के लिए अति स्वल्प मूल्य में या विना मूल्य मुलम कर दे । ऐसी प्रयम सेवा वैज्ञानिक कृपि का विभाय थी । उसे संघीय कृपि-विभाग ने राज्यों की सहायता में छोटी-छोटी पुस्तिशाओं और जिना-एजन्मियो द्वारा जनना के लिए सुनभ बना दिया । वैज्ञानिक कृपि का ज्ञान फेल जाने का लाभ यह हुआ कि वैतों में सगो हुई आवश्यकी का चून्त बड़ा भाल बन्ध कर्मों के लिए खुल्न हो गया और वह संयुक्त-राज्य अमेरिका में औपचारिक उत्पादन का उच्च स्तर तर पूँचा देने का कारण बना । जो कुछेह लाख जिमान अब बैती कर रहे हैं वे पहने जिमो भी समय की अपेक्षा अधिक फलें पैदा करते हैं, यहा तर इ उन्होंने पैदावार के लिए बाजार बनाया करता भी एक समस्या बन गया है, और उन्हें हन बरले का मार संघीय शासन के सिर पड़ गया है ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में नये आविद्धारों के कारण लोगों को औपरु आयु बहुत बढ़ गयी है, और उसमें न केवल निजी डाक्टरों पर नये वर्तमध्यों का बोझ पड़ गया है, स्थानोंय शासनों पर भी शुद्ध पानी और स्वास्थ्य, सफाई आदि की व्यवस्था करने का भार आ पड़ा है। उनके कारण ऐसे अनेक नये अवसर भी उपलब्ध हो गये हैं कि उनका लाभ राष्ट्र-न्यायी पैमाने पर ही उठाया जा सकता है। समुक्त राज्यों की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का सम्बन्ध इसी उद्देश्य से किया गया है। चिकित्सा विज्ञान का और खेती से उठ कर लोगों के नगरों में जा बसने का, एक और परिणाम यह हुआ है कि बुडापे में पेशन की व्यवस्था न केवल अधिक परिमाण में करनी पड़ गयी है, अपितु यह भी ध्यान रखता पड़ा है कि नागरिक का उमका लाभ एक राज्य ने सरे राज्य में चले जाने पर भी मिलता रहे।

कुछ अन्य सेवाओं का, जैसे कि नगर विभाग, नापतोल आदि के स्टैण्डर्डों (मान) के द्वारा, जन गणना और अनेक सख्त विभागों का, बेवल नाम नि दण्ड कर देना पर्याप्त होगा। ये विभाग खेती की और कारवानों की पैदावार आदि का तखमीना देते रहते हैं। इन सेवाओं की आवश्यकता इस कारण है कि वैज्ञानिक और टेक्निकल कुशलताओं का उपयोग करने में ये अमेरिकी जनता के लिए महायक रहे। कुछ निजी मगठन और स्थानोंय तथा राज्यीय शासन भी, इस प्रकार की कुछ सेवाएं करते हैं परन्तु कुछ सेवाएं बेवल सघीय शासन मुल्य पर कर सकता है।

अन्त में, अत्यात ध्यान आकर्षित करने वाला सघीय शासन का जो विस्तार हुआ वह सन् १९३२ में थो फैशलिन रूजवेट के राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाने पर भारी मन्दी के कारण हुआ। जनता मन्दी के मारे तग आ चुकी थी। वह "विश्वास" उत्तर प्रदने के लिए "लेसेंफेर" के अर्थात् लोगों को अपना काम आप करने देने के प्राकृतिक उग्राय को भी परख कर देख चुकी थी। निजी परोपकार और स्थानोंय तथा राजकीय सहायताओं द्वारा भी वेरोजगारों वम करने का प्रयत्न करके देखा जा चुका था। अन्त में उसने सघीय शासन से सहमता लिने

वा निश्चय किया । थी स्नवल्ट ने कई-एक प्रयत्न वेदन परीक्षण के स्वयं में किये थे, परन्तु जब उनके द्वारा धोरे-धोरे भाषुद्धि बापस आने लगी तब उनमें से अधिकतर को जनता भी पसन्द नहीं लगी । सन् १९२६ के 'एम्प्लायमेण्ट एक्ट' में शासन द्वारा जनता की सेवा नहीं का जो गिरावंत अवनाया गया था उस पर भी जनता ने अपनी स्वोकृति की छाप लगा दी । उस एक्ट में ब्रिटेन ने माना था कि मन्दी को रोकने के लिए "सब सम्भव साधना का प्रयोग" बरना शासन का ही उत्तरदायित्व है ।

परन्तु इस मानने भाव से इस विवाद का अन्त नहीं हो जाता । अमेरिकी जनता अब भी निजी उद्योग-व्यवसाय को और स्वतन्त्र प्रतिसर्वा को ही पसन्द बरती है । पहले जो मेहाएँ शासन द्वारा की जाने या न की जाने के बौचित्य पर विवाद हुआ वहता था उनमें से बहुता को अब दोनों पार्टियों ने शासन के समुदं बरना स्वीकार बर लिया है, परन्तु जनता अब भी उन उद्योगों का शासन द्वारा सचालिन हाना पमन्द मही करती रितों उमके द्वारा चलाने की आवश्यकता नहीं है अपवा जो निजी प्रयत्न से भी चल सकते हैं । सन् १९५२ में जनरल अड्डजनहोबर को जनता ने मित्रव्यविता के "वैटफार्म" पर धूना था । अर्थात् जनता ने उन शासन की द्यानदीन बरने, आवश्यक व्यय छीट देने, और जिन सेवाओं को वह मित्रव्यविता के कुल्हाड़े से बचाना आवश्यक नहीं समझती थी उनका अन्त बर देने का निर्देश दिया था ।

जब एलेक्जण्डर हैमिल्टन ने सधीय शासन का विचार बरने का आनंदोलन किया था तब जिन लोगों को उमसे प्रत्यक्ष लाभ पहुंचा था वे व्यापारी थे । इब कारण वे हैमिल्टन के पक्षपाती बन गये थे । परन्तु उमके टेढ़न्ही वर्ष परं परंचात् जब श्री केंकलीन डी० इजवेल्ट ने शासन का विस्तार किया तब प्रत्यक्ष लाभ वेरोजगारी को पहुंचा और इन्हिए श्री इजवेल्ट का समर्थन न बरने वाले थही थे । अन्त में लाभ व्यापारियों को भी हुआ, परन्तु उनको बर देना पड़ता था, और करों का विल देखते ही जो दुख होता है, वह उस मुख से कहीं अधिक होता है जो अगले वर्ष आय बढ़ जाने पर मिलता है । वे यह भी देख चुके थे कि शर्वजनोपयोगी

सेवाएं अनिवार्य स्पष्ट से शासन के नियन्त्रण में जायेंगी ही, परन्तु सध के नियन्त्रणों की अपेक्षा राज्यों के नियन्त्रण से भुगतना आसान था, इस कारण सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं के स्वामियों ने मधीय शासन का विरोध और राज्यों के अधिकारों का समर्थन किया। इस प्रकार विज्ञान और आविष्कारों के कारण परिवर्तित परिस्थितियों ने डिमोक्रेटों को हेमिलियनों और रिपब्लिकनों को जेफरसनी बना दिया।

परन्तु अपने हृदय में प्राय सब अमेरिकी अपना एक-एक पाव दोनों ओर रखना पसन्द करते हैं। इस सधीय शासन के विस्तार की आवश्यकता अनिवार्य से ही स्वीकार करते हैं। सिद्धान्त हम यही पसन्द करते हैं कि सधीय शासन का काम राज्यों को, और यथा सम्भव स्थानीय शासनों को, सौंप दिया जाय। प्रत्युत इससे भी आगे बढ़कर यदि सम्भव हो तो तीनों का काम निजी उद्योगों के संपुर्द कर दिया जाय। सन् १९५२ में जनरल आइजनहोवर और गवर्नर स्टीवन्सन के आन्दोलन भाषणों से बार-बार यही प्रतिव्वनि निकलती थी कि सधीय शासन का विस्तार घटा दिया जाय।

जहाँ तक शासन के विवेन्द्रीकरण और संकोच को दिशा में प्रगति की आशा का प्रस्तु है, अमेरिकी लोगों वा उस सम्बन्ध में कोई स्थिर सिद्धान्त नहीं है। साधारणतया उनकी कार्य-दिशा यह रहती है कि वे पहले तो "मितव्यमिता" की मांग करते हैं, परन्तु पीछे अपने कारबाह के लिए वे शासन की जिन सेवाओं को आवश्यक समझते हैं, उनका समर्थन करते लगते हैं। साथ ही विवेन्द्रीकरण वा सिद्धान्त जड़ पकड़ चुका है और सम्भव है कि समय पाकर वह अधिक लोकप्रिय हो जाय। शोफेडरिक डिलनो, जो कि राष्ट्रपति हजवेल्ट के आधीन "नेशनल-रिसोर्सेज-चार्ड" (राष्ट्रीय साधनों के बोर्ड) के चेयरमेन थे, इस सिद्धान्त को विद्योग्ना कहा करते थे। इसका सर्वोत्तम उदाहरण शायद 'टेनेसो-जेली-अथारिटी' है।

'टेनेसो-जैली-अथारिटी' अर्थात् टेनेसो घाटी की प्रबन्ध कर्ता संस्था का आरम्भ से ही सबसे बड़ा गुण यह था कि उसने अपने जिम्मे बेवल नदी के

नियन्त्रण, सस्ती विजली पहुँचाने और कुछ ऐसे अनुसन्धान वा काम लिया या जो और कोई उठाने को तैयार नहीं था। जागे चलवर वह ऐसे अवसरों को दतलने और सूचनाओं को भी देने सभी जिनके सहारे टेनेसी घाटी के राज्य, काडिण्ठा और नगर, और व्यापारी तथा विसान, स्वयमेव अपनी योजनाएँ बना सकते थे। 'विन्योजना' वा अर्थ है कि संघीय निर्गण, नियन्त्रण, सहायता अथवा वैज्ञानिक अनुसन्धान का कार्य इन इकार विया जाय कि सध के हाथों में यथाशक्ति कम काम रहे। 'विन्योजना' वा कार्ड भी कार्य भली-भाति करने का लक्ष्य यह होता है कि ऐनी परिस्थितिया उत्पन्न कर दी जाय कि उनमें बैन्ड्रीय अधिकारियों को स्थानीय तथा अन्य विस्तार की बातों की चिन्ता करने की आवश्यकता न रहे।

द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात् प्रचलित हो गया है। वह विचार यह है कि संघीय शासन का काम ऐसा "मौसम" उत्पन्न कर देता है कि उनमें रोजगार की तरकी होती रहे। इसारा अर्थ अपरिष्कृत अथवा उच्ची "इण्डिविजुअलिज्म" की लौट जाना नहीं है। इसमें यह मान लिया गया है कि पहियों को चलता रखने के लिए यब उपाय करने के जिम्मेवारी शासन की ही है। परन्तु इसका यह भलवद भी नहीं कि शासन प्रत्येक पहिये के पास एक-एक सरकारी कर्मचारी तैनात कर दे कि जब वह धीमा पढ़ने लगे तब वह उसे घस्का सगाकर तेज कर दे। अच्छा उपाय यह है कि ऐसे कुछ विशेषज्ञ रख लिए जायं जो व्यापारिक ग्रन्तु के प्रतिकूल परिवर्तनों को पहचान सकें और शासन की विविध शक्तियों को अर्थ-उपस्था सुधारने की दिशा में प्रवृत्त कर दें।

द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात् राजनीतिक अर्थ-शास्त्र के विद्यार्थियों का काम प्राय यही रह गया है कि वे शासन की शक्तियों को अमेरिकी पद्धति 'विन्योजना' में लगाते रहे, उसमें आवश्यकतानुसार सुधार करते रहे और अमेरिकी जनता की सजनात्मक योग्यता का अधिकाधिक उपयोग करते रहे। आशा है कि जब इस

प्रकार संघीय अविज्ञारो के प्रयोग की विधिया निवल आर्द्धेगी और उन्हीं अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में परीक्षा हो चुकेगी तब अमेरिकी जनता एक बार फिर अपने शासन के मिद्दान्तों को अमेरिकी जीवन वाँ वास्तविकताओं के अनुसार ढाल सिंगी ।

अध्याय १३

परराष्ट्र सम्बन्ध

अमेरिकी विदेशनीति की बहुत-भी विशेषताएँ ऐतिहासिक अनुभवों का परिणाम हैं। ये अनुभव सशार्त के अन्य अधिकतर लोगों के ऐतिहासिक अनुभवों से कुछ भिन्न प्रकार के हैं।

प्रथम दृश्य यह है कि अमेरिकी इण्डियनों के अतिरिक्त सम्पुक्त राज्य अमेरिका के मध्य लोग बाहर से “आगत जानियो” वे हैं। वे या उनके पूर्वज उत्तरी अमेरिकी में गत चार शताब्दियों में आये थे और वे इस बात को पूर्णतया विस्मृत नहीं पर सकते कि हम वैन हैं और यहा वहा से आये हैं। उनकी विद्याल बहुमख्या यूरोप से आयी थी और अन्तर्राष्ट्रीय तनाव के भय वे अब भी उस “पुराने देश” से प्रेम और धृणा करते हैं जिससे वे नाता तोड़ चुके हैं।

जिन शक्तियों ने यूरोपियनों को समुद्र पार करने के लिए विदेश विद्या उनमें राजनीतिर अत्याचार से भय और धृणा का प्रबल मिशन, निराशापूर्ण दरिद्रता, और वे धार्मक अत्याचार भी थे जिन्हे इन आगन्तुकों का अपने गृह-देश में सहना पड़ा था। उनके हृदय एक और स्वदेशानुराग और दूसरी ओर क्रोध के बारण विदीण हो चुके थे। अमेरिकी क्राति के आदि से लेकर सन् १८१२ वे युद्ध के अन्त तक इंग्लैण्ड के साथ उन्ह जो दीर्घ और दार्शन सघर्ष करने पड़े थे उनकी स्मृतियों से उनकी क्रोध की भावना छटाप्त थी। इस प्रकार अमेरिका वे इतिहास की सब परम्पराओं में एक भावना यह भी रही है कि “हम यूरोप से निरलाभर आये थे, अब हम वहा आपस पर नहीं घसीरे जायगे।”

परन्तु साथ हो एक अंग्रेजी कहावत के अनुसार “खून पानो से गाढ़ा होता है” अर्थात्, रक्त-सम्बन्ध या आपत्य-प्रेम अत्यन्त दृढ़ होता है। अमेरिकी लोगों के अधिकार कानून, रीति-रिवाज, प्रथाएं, और आचार-विचार के आदर्श आदि परिचयी मम्यता के ही अंग हैं। युरोप न केवल उस मम्यता की मातृभूमि है, उसके अनुयायियों का लगभग आधा भाग वसता भी वही है। जब कभी युरोप के विनाश का भय होता है तभी अमेरिकी लोग चोकने हो जाते हैं कि यह खतरे का घटा हमारे लिए भी है। जब कभी युरोप में सकट आता है तब अमेरिका में भी इन परप्पर-विरोधी शक्तियों के कारण भारी राजनीतिक संघर्ष उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता। बीसवीं शताब्दी में भी ऐसा होता रहा है। ये संघर्ष इस कारण और भी अधिक तीव्र हो जाते हैं और उलझ जाते हैं कि लगभग आधे अमेरिकी लोग जिन विद्या परम्पराओं के अनुगामी हैं उनका बहुधा अन्य युरोपियन परम्पराओं से, विरोपतः आयरिश और जर्मन परम्पराओं से, विरोध रहता है। पूर्वजों की मे भावनाएं अमेरिकी जीवन के ‘गलते हुए घड़ों’ में पिछलकर अभी तक छुली नहीं।

अमेरिकी प्रवृत्तियों पर दूसरा सर्वाधिक प्रबल और निश्चित प्रभाव उस भौगोलिक वृथकता का पड़ा है, जिसके कारण कुछ ही समय पूर्व तक अमेरिका वीर रक्षा होती रही थी। एक फैच राजदूत श्री ज्यूने जस्तरेन्ड ने एक बार घहा या ति यह देश ऐसा भाग्यशाली है कि उत्तर और दक्षिण में तो इसकी सीमाओं पर निर्वंत पड़ोसी वसते हैं और पूर्व और परिचम में भद्रलिया।

परन्तु सन् १९४२ में हैट्रुस अन्तर्रोप के सामने शान्त भद्रलियों के बीच में जर्मन पनहुब्बियों को तीरता देखकर सब धक्के से रह गये थे और बाद को मह जानकर और भी बड़ा धक्का सगा कि डिटरैपट और शिकागो नगरों पर उत्तर के साइबेरिया से आकर वायुयान बम घरसा सकते हैं। यह भी शताब्दियों से जमी हुई सुरक्षा की भावना और आकस्मिक आक्रमण की सम्भावना में, एक संघर्ष ही है। युरोप की पीढ़ियों पुरानी जिन आर्ट्कोओ और विपत्तियों से, हम समझते हैं, हम बच आये हैं, वे अक्समात् ही आकर अमेरिकी दरवाजों को उठाऊटाने सगे हैं।

न बेदल अमेरिकी लोगों का पालन-पोषण युरोप की सामरिक अम्यास वरती हुई सेनाओं से निश्चिन्तामय ढूढ़े पर हुआ था, उन्हाने गणतन्त्र के बारम्बाक बया भे, युरोपियन शक्तिया वे, विशेषत प्रान्त, क्रिन्न और स्पन के, निलंतर पारस्परिक भागडो का लाभ भी उठाया था। उदाहरणार्थ, नेपोलियन ने स्थुजियाना प्रदेश को लेकर पहले समुन्न राज्य अमेरिका के पश्चिम में एक खतरनाक पड़ोसी बसान का निश्चय बर लिया था। परन्तु पीछे उसे अमेरिकियों के हाथ बेच दाला, क्याकि उसे अपनी मब शक्ति बंगेजों के माय युद्ध करने में लगानी थी। हमारे आरम्भिक इतिहास के काल में चूंचि बालव और निर्वल अमेरिका युरोपियन युद्धों के कारण वाल्ड हम्मेटेंस से बचा रहा, इम्निए अमेरिकिया के मन में यह विश्वास ही बेठ गया ति समुन्न राज्य अमेरिका को युरोप के युद्धा में विमी प्रकार का भय नहीं, प्रत्युत कुछ लाभ हा है। बोसावी शताब्दी में जब समुन्न राज्य अमेरिका को दो विश्व युद्धा कर सामना करना पड़ा तब उसे यह पुराना विश्वास छोड़ देना पड़ा।

तीन सौ वर्ष तक एक ऐसे विशाल महाद्वीप में निवास का अमेरिकी विचार-धारा पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसमें नपी बन्तिया के लिए खुला स्पान था। जब पहले पहल युरोपियन यहां आकर उतरे तब उत्तरी अमेरिका प्राय साली ही था। ज्ञानि के पश्चात् निवामार्थियों का प्रवाह अपेसेशियन पर्वतों को पार करके पश्चिम की ओर को उमड़ पड़ा। उनके सामने दा हजार भील से अविक विस्तृत देश सुनो पड़ा था। मोमान्त के दौर्धं अनुभवा ने विचारा का और भोनिन प्रगति के सम्बन्ध में आरामय भावनाओं का ऐसा अम्यास बरबा दिया है ति उसकी आज की शताब्दी को यथार्थतामा के साथ सदा समनि नहीं बेठ पाती।

एक अन्य प्रभाव समुद्र मार्ग से व्यापार का दौर्धं इतिहास रहा है। पूर्वी तट के साय बसती हुई अप्रेज बन्तियों तैयार माल के लिए ता गृह-देश पर निर्भर रहती थी, और बदले में तम्बाकू, फर की खाले, लकड़ी और अम्फ, समुद्र पार भेज कर बेच देती थी। विभिन्न वस्तियों के मध्य में भी कई पीढ़िया तर, समुद्र के मार्ग ही गातायात के, यदि एक मात्र नहीं तो, मुख्य साधन थे। इन्निए संयुक्त राज्य

अमेरिका के पुरातनतम और समृद्धतम भाग का स्वभाव समुद्र में घूमने-फिरने का पा और उसने लोगों के राजनीतिक विचारों को भी प्रभावित किया। यहाँ तक कि मध्य पश्चिम की ओर को फैलकर बसे हुए अग्रणी लोग भी बड़े तथा दुर्गम पर्वतों के विस्तार के कारण तटवर्ती नगरों के व्यापार का अन्य सरल मार्ग न पाकर अपना अन्य मिसोसिपो नदी द्वारा ले जाकर न्यू ओलेस्न्स के मार्ग से युरोप के साथ व्यापार करने लगे।

उम्रीसवी शताब्दी में भीतर देश के विवास के लिए पूँजी वी बड़े परिमाण में आवश्यकता पड़ने लगी। इसका अधिनियंत्र भाग ब्रिटिश और उच्च पूँजीपतियों ने दिया। अमेरिकों लोग विदेशी मुद्दों के ओर अपने बेदेशिक व्यापार पर उन मुद्दों के प्रभाव के अभ्यासी हो गये। विदेशियों को इस देश में लगाई हुई पूँजी पर जो व्याज मिला था उससे ही वे अमेरिकी पश्च और गेहूँ खरोद लेते थे। उन्हे अपने बिल चुकाने के लिए अपना तेयार माल इस देश में बड़ी मात्रा में नहीं बेचना पड़ता था। इस कारण अमेरिकी व्यापारियों-व्यवसायियों को अपना माल विदेशी बाजारों में बेचने का और विदेशी माल को तट-कर की दीवारें खड़ी करके अमेरिकी बाजार में न आने देने का अभ्यास पड़ गया। विदेशी के साथ व्यापार का सन्तुलन नहीं होता था, इस कारण उन्हे कोई हानि होती दिखाई नहीं देती थी। यह अभ्यास कई पीढ़ियों तक पड़ता चला जाने के कारण अमेरिकी लोग बीसवी शताब्दी की सर्वथा भिन्न परिस्थितियों को समझने की तेयारी भली-भांति नहीं कर सके।

अन्त में, अमेरिकी सोमों को प्रबृत्तियों को उनकी लोकतानिक प्रथाओं और जीवन शैलियों के प्रकाश में समझ लेना चाहिए। अमेरिकी राजनीतिक व्यवहार में उच्च दोष चाहे जितने हो, हुते और स्वतन्त्र विवाद का अभाव उन दोषों में नहीं है।

अमेरिका की स्थापना होने के पश्चात् जिस किसी भी विदेशी को कभी यहा आने का अवसर हुआ होगा, उसने यहा परस्पर विरोधी मतों का बड़ी मात्रा में सुना होगा। समाचारपत्र जो चाहते हैं सो लिखते हैं, और कप्रियों के सदम्य उन नीतियों का नि संकोच प्रतिवाद कर देते हैं जिन्हे कि 'स्टेट डिपार्टमेण्ट' (परराष्ट्र-

विभाग) अति सावधानता-न्यूज़ विवार के पश्चात् प्रोपित रहता है। ऐसा लगता है कि मित्रों या इन्हीं के साथ बहुत नाजुक बातचीत भी किसी बोदे तम्बू में नी जा रही हो और उसे भी हल्ला-न्यूल्टा मचाती हुई भोड़ ने घेर रखा हो। हो सकता है कि बोई व्यक्ति रेडियो पर भाषण करते हुए अपने श्रोताओं को समझाये तो यह कि देशभक्त नागरिकों को अपने देश के भेद इन्हुं पर प्रकट नहीं बरने चाहिए और इस बात का उदाहरण देने के लिए कि देशभक्त सोग बैसे-बैसे भेद प्रकट कर देने हैं, स्वयं किसी बहुत सतरनाक मैनिक भेद बो प्रकट बर बैठे।

इस प्रकार वो अनुदासनहीनता के बारण हो सकता है कि बुद्ध लोगों की लगता हो हि सोवियट यूनियन भरोसी अपने भेदों को युस रखने चाही और एक-वर्गाधिकारी इन्हि के भाष्य मुकाबला पढ़ने पर संयुक्त राज्य अमेरिका भरी घाटे में रहेगा। जटपटाग बातचीत बरने पाए स्वभाव इस दशा में इतनी गहरी जट पकड़ चुका है कि उसे निपत्रण में रखने के लिए बुद्ध नहीं किया जा सकता। बुद्ध अमेरिकी सोग यह सोच कर आत्ममन्तोष कर लेते हैं कि वाद-विवाद नितना ही उच्छृङ्खल क्यों न हो उसमें, सोवियटा (हसिया) के ऊपर छाई हुई तोखो और कटु रहस्यमयता की अपेक्षा तो बुद्ध नैतिक साम्र है हो।

इससे अन्य स्वतंत्र सोगों को यह विश्वास दिलवाने में भी सहायता मिल सकती है कि अमेरिकी लोग स्थिर और भरोसे धोन्य भले ही न हो, वे कंसार की 'स्वतंत्रता नमूद करने के लिए बोई युक्त पद्मन्त्र नहीं रख रहे हैं।

सन् १९६१२ के मुद्दे के पश्चात् बोई सौ वर्ष तक अमेरिकी लोगों का ध्यान मुख्यतया अपने देश के आन्तरिक विकास पर बेन्द्रित रहा। "स्लेट डिपार्टमेण्ट" (परराष्ट्र-विभाग) बति उपेक्षित था और जो परराष्ट्र नीति थोड़ी बहुत थी भी उस पर भी कार्यित छाई रहती थी। मुरोमियन देश की तुलना में, जो कि सदा कूटनीति में गहरे हूडे रहते थे, संयुक्त राज्य अमेरिका की कूटनीति विभाग अपने नोमिनिवेशन और भूमेपन के लिए बदनाम था। बेदन सम्पन्न सोग राजदूत बनने का व्यय उठा सकते थे, और उनमें से बहुता में कूटनीतिज्ञता की योग्यता इसके अदिरिक्ष कुछ नहीं होती थी कि उन्होंने चुनाव में जीली हुई पार्टी को दान

उदारतापूर्वक दिया हाता था । परन्तु संकटों के समय बेजाभिन फैकलिन के बाल से लेकर थाज तक संयुक्त राज्य अमेरिका को राजदूता और परराष्ट्रमन्त्रियों का काम करने के लिए तुछ अतियोग्य व्यक्तियों को सेवा प्राप्त करने में सफलता मिलती रहती है ।

विसी भी देश के लोग अपने शासन के परराष्ट्र कार्यालय पर स्वभावत सन्देह करते हैं, यदोंकि उसमें अधिकतर आदमों ऐसे होते हैं जिनका विदेशियों के साथ मेनज़ाल हाता है । अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेण्ट (परराष्ट्र विभाग) भी इसका अपवाद नहीं है । इसका काम ही ऐसा है कि लाकमत वो दृष्टि में उसे घाटा उठाना पड़ता है । यदि इसे किसी विदेशी शासन के साथ बातचीत करके, जो जनता चाहती है वह प्राप्त करने में सफलता न हो, तो अपने देश के लोग उन राजनीतिक शक्तियों को तो समझते नहीं जो अपना असर डाल रही होती हैं, और यह सन्देह करने लगते हैं किसी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ घोला भर दिया—और इस सन्देह मात्र के आधार पर राजनीतिक आलोचनाएँ होने लगती हैं । यदि स्टेट डिपार्टमेण्ट (परराष्ट्र विभाग) परिस्थिति-वश ऐसी नोति अपना से जो सर्वसाधारण के शताब्दी भर पहले के विश्वासों के विरुद्ध हो तो ऐसे चिन्ताप्रस्त सोग हैं जो सदियों से प्रचलित सिद्धान्त का उल्लंघन होते देख कर थुब्ब होकर चिन्ता प्रकट करने लगेंगे । इस प्रकार स्टेट डिपार्टमेण्ट (परराष्ट्र विभाग) अनायास ही सबकी आलोचना का शिवार बन जाता है ।

पहले विदेशी शासनों के साथ समर्क रखने का काम बेघल स्टेट डिपार्टमेण्ट का समझा जाता था । सन् १६०० के पश्चात् वह पुराना नद्दा बिल्कुल बदल गया और अब तो वह निरन्तर अधिकाधिक उल्लंघन-भरा बनता जा रहा है । अब विदेशी के साथ व्यापार, मिश्रता, आक्रान्ताओं के आक्रमण वा निरोध और राष्ट्रीय संस्थाओं की सदस्यता आदि अनेक कामों में विदेशी शासनों के साथ समर्क बरना पड़ता है । आज संयुक्त राज्य अमेरिका से शाशन की प्राप्त प्रत्येक एजन्सी का सम्बन्ध अमेरिकी जीवन के किसी ऐसे पहलू से है कि उसका प्रभाव देश के परराष्ट्र सम्बन्धों पर पड़ सकता है । बहुत-सी एजन्सियां तो सीधा विदेशियों या विदेशी शासनों के

साथ ही व्यवहार बरती हैं। इसके अतिरिक्त, इम देश के स्थानीय स्वार्थ भी भूसार व्यापो महत्व पौ विदेशीतियों का बहुप्रति विरोध करते लगते हैं। उदाहरणार्थ, 'विदेशा भी महायना नहीं, उनके साथ व्यापार' की नौति के समर्थक राष्ट्रपति ट्रूमन भी ऐसे और आदमनहोबर भी हैं। दाना ने हमें अमेरिका की मुख्यता के लिए महत्वपूर्ण माना है। परन्तु व्यापारिया, विभाजा और शमिला के बहुत से प्रतिनिधि इसी निन्दा बरते हैं। वे सब अपने-अपने रोजगार के सरकार के लिए इन्हीं न किमी प्रवार का तटभूत लगवाना चाहते हैं परन्तु उनसे विदेशी के साथ शर्तें तथा बरते वी अमेरिका की शक्ति बहुत निर्वत हो सकती है।

स्टेट डिपार्टमेंट व्यर्ति परराष्ट्र-विभाग अपनी परराष्ट्र-नौति को प्रभावशाली बनने के लिए जाहे भी तो इन सब पृथक्-पृथक् और बहुधा परस्पर-विरोधी विभागों, एजन्सिया और कारिएस की विभिन्निया को एक ही दिशा में नहीं चला भवता। वेवल राष्ट्रपति में इतनी मामध्य है कि वह सब शामिला एजन्सियों के सूत्र अपने हाथ में रखकर कृगि-विभाग और प्रतिरक्षा-विभाग सरीखे विभिन्न मण्डलों का एक ही लक्ष्य की पूर्ति में प्रवृत्त बर सहै। अब ह्याइट हाउस (जमेरिनी शासन-कार्यालय) में ऐसे कर्मचारी रहे भी जाने लगे हैं जो एकमात्र राष्ट्रपति के नियन्त्रण में रहते हैं और जिनके द्वारा वह सब विभागों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। परन्तु पहली की सब न्यूनतार्थ दूर होकर पूर्णता प्राप्ति की आशा शीघ्र ही पूरी नहीं हो सकती।

स्थानीय स्वार्थ जब परराष्ट्र-नौति में हस्तक्षेप करने लगे तब कारिएस का उनके प्रभाव से स्वतन्त्रता रखने की आशा भी राष्ट्रपति ही पूरी बर सकता है, क्याकि राष्ट्रपति जनता में भीकी बात बर सकता है। स्टेट डिपार्टमेंट भी यदि विदेशी समस्याओं का विनृत विवरण राष्ट्रपति को देना रहे तो उसी बहुतेगे सहायता हो सकती है, परन्तु इसके लिए परराष्ट्र विभाग के पास बच्चे और चतुर सूचना अधिकारिया का रहना आवश्यक है। भभी बड़े राष्ट्रपति'मना जनता के समर्थन पर निर्भर बरते आये हैं।

अन्तर्पाद्योप मामणी में महत्वना का थोड़ा-बहुत दारोमदार इन बात पर होता है कि कांग्रेस में दोनों पार्टिया शामल का समर्दन कितना करती हैं । कांग्रेस में बुद्ध भद्रस्य ऐसे रहते हैं जिन्हें अपने राजनीतिक लाभ के लिए अन्तर्पाद्योप मामणी में शामल की स्थिति को साखला करने हुए सकान नहीं हाता, परन्तु दाना पार्टिया का बहुमत शमुखा के विनाश राष्ट्र का हो पड़ा जैता है । पद प्रहरण करते भवय सब भद्रस्य प्रतिज्ञा भी इन आशय को करते हैं । देश के सोभाल्तर देना पार्टियों का परस्पर विरोध शान्त हा जाने की इच्छा नेता ही पूर्ण कर सकते हैं, परन्तु जहाँ प्रभाव जोर मगठन अभी इनमें दृढ़ नहीं हुए हैं जिसे भवय महत हा जायें । उन्नीमवी कांग्रेस से मार्गीन यातना का स्वीकृत करवाने में नेताओं की महत्वना हुई थी, और इसका व्येष सेनेटर बैम्डनवर्ग का प्रतिभा का दिया जाता है । द्विदलीय विदेश नीति को महत्वना माप्तारपतया इन आशय पर निर्भर करती है कि कांग्रेस के नेता निस्वार्थ रहें, नोभाग्यवश उनकी एकता भग नहीं होगी, और राष्ट्रपति कुशलता में विरोधी नेताओं के साथ भी निना जाए ।

'उत्तरो-दिल्लीन-भाउडेश्वन' की एक मनिति ने मिशारिया की है कि सविवान में मंशोदान बरके विभिन्नभद्रस्या का कार्यवाल चार वर्ष कर देना चाहिए । मनिति ने बतनाया है कि जब कांग्रेस के साथभाय राष्ट्रपति का भी चुनाव नहीं हाता तब मन बम पड़ते हैं और तत्क्षण परराष्ट्र-नीति के विरोधी विशिष्ट स्वार्थों को ऐसे कांग्रेस सदस्य चुनने में अकलता हो जाती है, जो कि शायद राष्ट्रपति के निर्वाचन के भवय मनदानाया के मज़ब रहने के कारण न चुने जाते । इस मनिति ने यह मिशारिया भी की है कि राष्ट्रपति कांग्रेस का अपनी परराष्ट्र-नीति के भावों लक्ष्यों में पूर्णतया परिवित रखवा करे, जिसमें सभीर्ण स्वार्थों की तथा अलालालान स्वार्थभिन्दि की नानि और प्रस्ताव का वित्तय अधिक अच्छों प्रकार हा नहे ।

ऐसी किसी विदेश-नीति के तथ होने में जिमका उत्तरिय न हो, बड़ी अजिलद्या दा है । एक तो बार-बार दुकियाओं का सदा हा जाना और दूसरों

वर्तमान राजावंशी की परिवर्तता परिस्थितियों के बारण कुप्तेन अत्यन्त बद्धमूल और चिरतमाहत अमेरिकी धारणाभा के विपरीत कार्य बरने को आवश्यकता ।

सोनियड यूनियन (स्न) सरोकृ घूर्ण और साधन-सम्पन्न शनु के साथ छुगतवे समन दुविद्याओं का संग होना अवश्यम्भावो है । शनु विटेज प्रयत्न बरके ऐनो परिस्थितिया इच्छन बर देता है जिनमे अमेरिका को दो मे से एक दुराई अपनानो पड़ जाय । उदाहरणार्थ, बोरिया का प्रबलग्रह ऐसो दुविद्याओं से भरा पड़ा था । जो भी मार्ग चुना जाता है दुरा बहकर उनको निन्दा को जा सकतो थो । सम्भव है कि दैना बरने को प्रेरणा विश्वासशातियों द्वारा दो जाती हो । ऐसो निन्दाओं को बोइ भी परराष्ट्र-नोति अपनाने के मूल्य का भाग मानिया चाहिए ।

दोस्री राजावंशी मे समुक्त राज्य अमेरिका के परराष्ट्र सम्बन्धो के बारण अपने ही देश मे बार-बार भारी राजनीतिक राजाव उपग्रह हो गया, क्योंकि उनमे पुरानी बद्धमूल नोतिया उलट गयो । उदाहरणार्थ, एक राजावंशी से समुक्त राज्य अमेरिका की नोति उत्तमत-भरी मिलकाओं मे न पड़ने वो थो । बांशिगटन तक का अद्वास्पद नाम इस नोति दे साथ जुड़ा हुआ था । अब उस पर क्यो दृष्टि से विचार बरना पड़ गया ।

राष्ट्रपति बांशिगटन ने सन् १९६३ मे, फान्स की सहायता और मिश्रता से देश को स्वतन्त्रता प्राप्त बरने के कुछ ही बर्द पश्चात्, फान्स और इंस्ट्रैण्ड के भगवों में तटस्थ रहने की नोति अपनायो थो । बांशिगटन का सझ यह था कि शिशु समुक्त राज्य को बलवान होने के लिए कुछ समय मिल जाय । उन्होने केवल फान्स के प्रति बृत्तज्ञता वा निर्वाह बरने के लिए समुक्त-राज्य को मुरोप के दानवा की कुरनी मे उल्लंभाने से इनकार कर दिया । अपनी विदाई के भाषा मे उन्होने अमेरिकी लोगों से बहा था कि “विदेशी लागो के साथ व्यवहार बरने का दडा नियम यह है कि उनके साथ व्यापारिक सम्बन्ध तो बड़ाओ, परन्तु राजनीतिक साम्बन्ध उनके साथ यथाशक्ति बम रखो ।” वह ऐने समय की प्रतोक्षा बर रहे थे “जब हम विदेशो के भड़वाने पर भौतिक हानि की उपेक्षा बर उनका विरोध बर सकें....., जब परस्पर लड़ते हूए देश बह समझ लेने के बारण कि हमने

कुछ भी लाभ उठाना सम्भव नहीं है हमें उत्तेजित करने की जोखिम उठाने को मुगमता से तैयार नहीं होंगे, और जब हम शान्ति या युद्ध का चुनाव अपने न्याय संगत लाभ को देख कर कर सकेंगे ।”

सन् १८२३ में राष्ट्रपति मर्टो ने कहा था—“युरोप के सम्बन्ध में हमारी नीति उसकी विन्ही भी शक्तियों के आतंरिक भागड़ों में न पड़ने की है । भूमण्डल का वह भाग (युरोप) युद्धों के कारण बहुत समय से क्षुब्ध होता चला आ रहा है । परन्तु हम इस नीति को इन युद्धों के आरम्भ में ही अपना चुके थे और वह अब तक यथापूर्व चली आ रही है ।” यह दुनियोंपण्ड मूनान के स्वातन्त्र्य-युद्ध के प्रसार में की गयी थी, क्योंकि उसके साथ बहुत-से अमेरिकिया की गहरी जहानुभूति थी । युरोप में चाहे जो कुछ होता रहे, अमेरिकी नीति उससे पृथक् रहने की थी, और अमेरिकी जनता का प्रबल बहुमत उसका समर्थक था ।

सन् १८१४ से सन् १८१७ तक के संकटपूर्ण काल में जब उडरो विलसन अमेरिकी तटस्थिता की रक्षा करने का यत्न कर रहे थे तब भी अमेरिका की नीति यही थी । परन्तु तब अतलान्टिक महासागर का पाट मिकुड़ चुका था, और अमेरिका की एक अच्छा आधारभूत नीति पर आक्रमण होने लगा था । वह थो समुद्र में यातायात की स्वतन्त्रता । पटना चक्र के बेग ने विलसन को अपना विचार बदलने के लिए विवश कर दिया और उन्होंने सन् १८१७ में जर्मनी के साथ युद्ध घेड़ने की मार्ग दी । इस उलझन में से निकलने के पूर्व ही, उन्होंने सेनेट से यह असफल प्रार्थना की कि वह अमेरिका का “लीग आ० नेशन्स” अर्थात् राष्ट्र-संघ में सम्मिलित होना स्वीकृत कर ले । आधे से अधिक अमेरिकी जनता तब संयुक्त राज्य को सीधे में उलझाने की पक्षपाती थी ।

परन्तु पृथक्ता की परम्परा तब तक मृत नहीं हुई थी । द्वितीय विश्व-युद्ध के द्वितीय पर अमेरिकी जनता शोध ही यह मानने को तैयार नहीं हुई कि नात्सी अपने युरोपियन पडोसियों के माध्य-साथ समस्त स्वतन्त्र संसार पर भी आक्रमण कर रहे हैं । जबतक पल हावर पर आक्रमण नहीं हो गया और जर्मनी तथा इटली ने संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्व-युद्ध की घोषणा नहीं कर दी तबतक पृथक्ता की

भावना का ही जोर रहा । अब भी अमेरिका की राजनीति में यह एक प्रबल अन्तर्धारा के रूप में विद्यमान है ।

पृथक्ता की भावना के मूल में युरोप के प्रति जनवर्ग की परम्परागत अद्वितीय है । परन्तु यह भावना संसार के अन्य भागों पर, यह ठीक उसी प्रवार लालू नहीं होती । वहाँत है कि “अमेरिकी परिचम की ओर मुँह करके जन्म लेते हैं ।” पृथक्ता का अर्थ परिचम वो और—चीज़ तक—स्थित देखा से पृथक् रहना कभी नहीं हुआ ।

परराष्ट्र-नीति में दूसरा महत्वपूर्ण पलटा, जिसके कारण राजनीतिक विवाद उठ सड़ा हुआ है, ऊंचे तट-बरों को जोका फर देना है । सन् १९३३ में जब डिमोक्रेट पदार्थ हुए तब उन्होंने तट-कर शटाने पर जोर दिया था । यह उनकी गार्भी की परम्परा है । देशी उद्योगों का संरक्षण करने के लिए भी तट-कर लगाने का वे सदा विरोध करते रहे हैं । परन्तु इस सम्बन्ध में पार्टियों की स्थिति तब मुख्य अस्पष्ट थी ; क्योंकि दशिण में भी उद्योगों को जड़ जग गयी थी और दक्षिणी डिमोक्रेट अपने उद्योगों के संरक्षण के पक्षपाती बन गये थे । इनिहास का प्रवाह भी ऊंचे तट-बरों के विघ्न था ।

प्रथम विरचयुद्ध के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में अमेरिका झण्डी देश में महाजन देश बन गया था । उसके पश्चात् जो विदेशी लोग अमेरिकी गेहूँ या मटरें खरीदना चाहते थे उनके लिए अपना कुछ माल अमेरिकियों के हाथ वेचकर बस्ती डालर बमाना आवश्यक हो गया था । और इसके अतिरिक्त, यदि उन्हें अमेरिका से लिये हुये झण्डी पर ब्याज देना होता था तो उन्हें और भी माल वेचना पड़ता बौर, और भी डालर बमाने पड़ते थे । संशेष में, झण्डी वी बमूली और अमेरिकी माल वी विदेश में विक्की के लिए, अमेरिकियों के लिए आवश्यक हो गया कि व निर्णायकी वी अपेक्षा आयात अधिक करें । यथार पर माल वेच देने से बात टम संभवी थी, परन्तु उत्तमण (महाजन) देश के लिए तो अतिरिक्त आयात बरला अवश्यक हो ही जाता है, बरला सदृष्ट खड़ा हो सकता है । अत उसे अपने तट-कर घरने पड़ते हैं, नहीं तो कठिनाइया बढ़ जाती है ।

परन्तु अमेरिकी उद्योगी को उचिं तट-करों की आदत पढ़ी हुई थी, और देश की राजनीति पर उनका प्रभाव भी था। प्रथम विश्वयुद्ध के कोई बारह वर्ष के पश्चात् तट-कर किसी भी गत काल की अपेक्षा ऊंचे थे; फलतः संकट खड़ा हो गया। युद्ध-ऋण छूब गये और साथ ही पश्चिमी अर्थ-व्यवस्था भी छूब गयी। जो भारी मन्दी आयी उसके लिए अमेरिकी तट-कर भी उत्तरदायी थे।

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् युद्ध-ऋण की समस्या उतनों गम्भीर नहीं थी, क्योंकि उष्टार-पटटे की व्यवस्था द्वारा अमेरिकी शास्त्रात्म मिन-राप्टों को पूरा मूल्य लिये विना दे दिये गये थे। इसके पश्चात् वह समय आया जब अमेरिकी धन की बड़ी-बड़ी राशियां सहायता और दूनर्नियाण के लिए विदेशों को दी गयी। जबलक अमेरिका कई अरब डालर प्रति वर्ष देता रहे गा तबतक व्यापार के सन्तुलन का प्रश्न खड़ा नहीं होगा। परन्तु सहायता दिये विना भी काम चलता रहने के लिए अमेरिका का अपने द्वार अधिकाधिक विदेशी व्यापार के लिए भी खोलने ही पड़े। विदेशों को सहायता नहीं देनी चाहिये, उनके साथ व्यापार बरना चाहिये, की नीति अपनाने का कारण यही है। संसार को परिस्थितियों ने ही इसे हम पर लाद दिया है, परन्तु इससे बहुसंख्यक अमेरिकियों के वंश परमरागत विश्वासी को ऐसे लगती है और इस कारण भावनाएं भड़क जाने पर विदेश-नीति वा निर्धारण सरल काम नहीं रह जाता।

नीति में इन काप्य-पलटों के कारण ही बहुत-से अमेरिकी लोग क्षुब्ध हो उठे हैं, परन्तु अन्य अनेक अमेरिकी परम्पराओं में परिवर्तन या उनका नया विकास अपेक्षाकृत बन जोभ के साथ हो गया है।

इनमें एक मनरो-मिदान्त है। इसका जन्म पहले-पहल ड्रिटिश सरकार के इस मुझाव में हुआ था कि दोनों देश मिलकर युरोपियन महाद्वीप को शक्तियों को नये और निर्वल दक्षिण-अमेरिकी गणतन्त्रों पर आक्रमण करने से रोकें। ड्रिटेम और संयुक्त-राज्य अमेरिका, दोनों ही, कानून या स्पेन या रूस को दक्षिमी गोलाई में नये साम्राज्य खड़े बरने देना नहीं चाहते थे। राष्ट्रपति मनरो ने अंग्रेजों के साथ उल्लंघन में न पड़ने का निर्णय लिया; क्योंकि भविष्य में उनकी कुछ नीतियों का

ऐसा होना सम्भव था जो संयुक्त राज्य अमेरिका को पसंद न आती । इसलिए उमने २ दिसम्बर सन् १८२३ को घोषणा कर दी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने महाद्वीप में युरोपियन साम्राज्यों के बिस्तार को “अपनी शांति और सुरक्षा के लिए भय का कारण” मानेगा । उस समय समुद्रों पर ब्रिटिश जलजेना का नियन्त्रण था और उसे ब्रिटेन के हित में भनरो-सिद्धान्त का समर्थन करना पड़ गया ।

उत्तोसवी शताब्दी के शेष भाग में स्थिति मही रही । सन् १८०० के पश्चात् लेटिन-अमेरिकी देशों में अनेकों ब्रह्मणों का एकत्र होते चले जाना भनरो-सिद्धान्त के लिए गम्भीर और क्रमशः बढ़ते हुए भय का कारण बन गया । यह भय होने लगा कि वही युरोपियन उत्तमण्ठ बहुत समय से देय हो चुके अपने ब्रह्मणों की बनूली के लिए अपनी सशस्त्र शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैरिंगिन समुद्र के तट तट आकर यही न बस जाय । इसलिए राष्ट्रपति यियोडोर फ्लैटबिल ने भनरो-सिद्धान्त के “हज़ारेल्ट परिणाम” की घोषणा कर दी । युरोपियन उत्तमण्ठों को चेतावनी दे दी गयी कि वे अमेरिका महाद्वीप से परे रहें, और संयुक्त राज्य अमेरिका ने “रिमोवर” बनवार, जबतक दिवालिया देश अपने पाव पर खड़े न हो जायं तब-तब, ताहँकर एकत्र करने, व्यवस्था रखने और भ्रष्टाचार को रोकने की जिम्मेवारी लगने सिर से ली ।

लेटिन-अमेरिकी लोगों को एक के बाद दूसरे देश में अमेरिकी जलनीनियों का उत्तराना बहुत बुरा लगा । इसलिए राष्ट्रपति हर्बर्ट ट्रूवर ने “हज़ारेल्ट-परिणाम” का प्रत्याख्यान कर दिया और लेटिन-अमेरिका के साथ नया लया मिश्रता-पूर्ण व्यवहार आरम्भ किया । सन् १८२८ में विर्वाचित हो जाने पर सन् १८२९ में अपना पद सम्भालने तक उन्होंने लेटिन-अमेरिका की मिश्रता-पूर्ण यात्रा की । “अच्छे पड़ोसी की नोति” का पालन राष्ट्रपति फैविल फ्लैटबिल और ट्रूमन के समय भी किया जाता रहा । संयुक्त राज्य अमेरिका ने जिम्मा लिया है कि वह अन्य अमेरिकी राष्ट्रों के अन्दरहोने मामलों में दखल नहीं देगा । “अमेरिकी राष्ट्रों के समर्थन” में गोलाड़ की रक्षा करना सब सदस्यों का बहुत्स्वयं मान लिया गया है ।

मनरो-सिद्धान्त के इस रूपान्तर से स्वतन्त्र संसार की रक्षा सम्बन्धी सामान्य दुविधा कुछ स्पष्ट हो जाती है। कोई भी स्वतन्त्र राष्ट्र अपने यहा आन्तरिक व्यवस्था को पुन स्थापना करने के लिए अपने तट की ओर आते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के जल सैनिकों का स्वागत नहीं करेगा। स्वतन्त्र राष्ट्र स्वतन्त्रता की इच्छा, अपनी आन्तरिक समस्याओं को अपने ही ढंग से हल करने के लिए करते हैं। साथ ही, स्वतन्त्र संसार के सभी भागों में उदार विचार के लोगों को यह देखकर दुरा लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में तथा अन्यत्र भी, तानाशाही शासन वाले देशों की सहायता करता है। कम्यूनिस्ट पार्टी भी अपने प्रचार आनंदोलन में इसका लाभ उठा लेती है।

अमेरिका एक शताब्दी से अधिक समय से, कुछ अपवादों को छोड़ कर, इस दुविधा को स्थिर रखता चला आ रहा है, और इसका उत्तर वह यह देता है कि किसी विदेशी आक्रान्ता द्वारा किसी छोटे देश को जीत लिये जाने की अपेक्षा उसी देश में जन्मा हुआ तानाशाह संसार के लिए कम खतरनाक होता है। इसलिए यदि कोई देश अभी सोकतन्त्रीय शासन न अपना सका हो तो भी संयुक्त राज्य अमेरिका उसकी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए उसे सहायता देना अधिक अच्छा समझता है।

“समुद्रो मे यातायात की स्वतन्त्रता” का परम्परागत अमेरिकी सिद्धान्त त्रिटिश लोगों से उत्तराधिकार में मिला हुआ है। त्रिटिश सोग रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय से ही समार भर के समुद्रो में धूमने और व्यापार करने का आग्रह करते रहे हैं। परन्तु यह छिड़ान्त, एकवर्गीयिकारी आक्रान्ताओं से स्वतन्त्र संसार की सहयोग पूर्वक रक्षा करने के लिए उपयुक्त निष्ठ नहीं हुआ। प्रथम विश्व-युद्ध के समय व्यापार करने के अधिकार की, विशेषत युद्ध-काल में तटस्थ-व्यापार के अधिकार की, आधुनिक अवस्थाओं के साथ टक्कर हो गयी थी। राष्ट्रपति विलसन ने छुद्द होकर अप्रेजो और जर्मनो, दोनों के 'साथ बहुतेरी बहस की थी, परन्तु न तो त्रिटेन ही अमेरिकी जहाजों को शत्रु के साथ व्यापार करने की इजाजत दे सका

बोर न जर्मनो, क्याकि दोना वो मुद्द हार जाने का भय था। जन्त में संतुक्त राज्य अमेरिका ने मुद्द में पड़कर इस समस्या को टाल दिया।

द्वितीय विश्व-युद्ध में ब्रिटेन ने “न्यूट्रिटिव एफड़” अर्थात् स्वत्स्यता वा बाह्यत बनावर अमेरिका के स्वत्स्यता के अधिकारों का ही त्याग कर दिया। अमेरिकियों का मुद्द-भेदों में जाना बैचा कर दिया गया, और अपेक्ष्यों अमेरिका मिन-राष्ट्रों का पश्च विधिवादिक लेता गया त्योत्यो वह अधिति भी समाप्त होती गयी।

अब जन्त में सन् १९४५ से आरम्भ हुए आतंक-युद्ध में, सोवियट देश के साथ व्यापार बरते पर प्रतिवध्य सागरों की माँग करते भे संतुक्त राज्य अमेरिका संसार का नेतृत्व कर रहा है। परिव्यन्तियों ने समस्याओं को परिवर्तित कर दिया है। अब समुद्रो यातायात वो स्वत्स्यता के सिद्धान्त में राजनीतिक उत्तेजना तनिक भी नहीं रहे। अब युक्तियाँ इन सिद्धान्त के समर्थन में नहीं, अपितु यह नियंत्रण बरते के लिए दो जातों हैं कि कितना नियन्त्रण बरते से परिज्ञान उत्पन्न निकलेंगे।

चीन वा द्वार खुना रखने वा सिद्धान्त भी समुद्रो यातायात वो स्वत्स्यता से सम्बद्ध था। संतुक्त राज्य अमेरिका चीन के साथ व्यापार बरते में अन्य सब देशों के समान सुविधाएँ पाने वा आप्रह किया बरता था। चीन भे कम्यूनिस्ट ग्रान्ति के पश्चात् वह समस्या ही बढ़ नहीं रही।

जन्त में, यह भी भानना पड़ेगा कि संतुक्त राज्य अमेरिका को परराष्ट्र नेतृत्व साम्राज्यवाद को दर्शा मे मे शुभर चुस्ती है। परन्तु सन् १९६८ के सेनियर मुद्द के पश्चात् जन्त होने लगा था। डमोक्ली शताब्दी में संतुक्त राज्य अमेरिका परिवर्म में प्रशान्त सामर की बोर और दक्षिण में रामो द्वेषी भी जोर दो फैल रहा था। इस विस्तार का सबने हिमाय प्रसरण सन् १९६४-६५ का नेतृत्वन युद्ध था। बीच-बीच मे बूद्वा और अन्य वेरिविदन प्रदेशों पर अधिकार बढ़ सेने वा बान्दोलन भी उठा था, परन्तु उच्चा फल साम्राज्य विस्तार के लिनो बड़े प्रयत्न के रूप में प्रहड़ नहीं हुआ।

सन् १८६८ में क्यूबा के निवासी स्पेनिश राज्य के विलद विद्रोह बर रहे थे। स्पेनिश युद्ध, उनके साथ अमेरिकी जनता से सहानुभूति के बारण और इस भय के कारण दिखा था कि जर्मन सोग स्पेन की ओर बढ़ते हुए वहाँ क्यूबा पर भी अधिकार न कर लें। इसी समय हवाना बन्दरगाह में अमेरिका का 'मिन' युद्ध पोन बाहर से उड़ा दिया गया। वहाँ, सनसनी फैलाने वाले समाचार पत्रों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के मुलगते हुए क्रोध को भजना कर ज्वाला में परिण तकर दिया। युद्ध के पश्चात् अमेरिकियों से अधिक आग्रह निमी को नहीं हुआ, क्योंकि जब उनको होश आया तब उन्होंने देखा कि क्यूबा, पूर्वोंटो रिंगो, और निलिमाइन-द्वीपन्द्यमूह उनके अधिकार में जा चुके थे।

इसी समय हडियाड़ विर्पलिंग ने अमेरिकी सोगा को सम्बाधन करते निखी हुई एक छविता में उनसे "गारे लोगों का बान्ध डालेन" का अर्थात् सशार की रगीन जातिया पर शासन बरने का गोरे लोगों का कर्तव्य पालन बरने का बनुरोप दिया था। जब देश यह निर्गंय कर रहा था कि इन विजित प्रदेशों का क्या निया जाय, तभी राष्ट्र भर में साम्राज्यवाद पर विनाद चल रहा था। फल यह हुआ ति हवा का रख साम्राज्यवाद के विलद हो गया। अब अमेरिकिया का प्रबल बहुमत स्पष्ट इस विचार का पश्चानी बन चुका है कि हम मिन भाषा बोलने वाले और मिन ऐति रिवाजा पर चलने वाले सामा के विसी भी दूरस्थ देश पर शासन बरना नहीं चाहते। अब विसी भी विदेश में 'तारा और पट्टिया' को अर्थात् अमेरिकी भण्डे को, नीचा न होने देने के पुराने नारा में कुछ भी राजनीतिक दसाह नहीं रह गया ह। जब अमेरिकिया को जर्मनी या जापान जैसे विसी विदेश पर दभी शासन बरना भी पड़ जाता है, तब उनकी सर्वोपरि इच्छा घर लोट जाने वी ही रहती है।

विदेशी मामला में राजनीतिक पार्टियों का एक ठोक वही रहा रहता जो इस्वदेशी मामला में रहता है। विदेशी यत्रुआ या मिश्रों के साथ अबहार के समय दना पार्टिया की नावना साथारतनवा परस्पर सहयोग की और देश भक्ति की रहनो है। निहायन गैर जिम्मेवार साक्षिय नेना हो इस भावना से अप्रभावित रह

सहते हैं। दूसरे ओर, सार्वजनिक व्यव के सम्बन्ध में नैटवर्क जनेशी के बारा विदेशी को सहायता देने सरोकर प्रस्तो पर अनिवार्य है ऐसे विवाद खड़ा हो जाता है। इसके अंतिरिक्ष क्षेत्र सदृश्यों को स्पानिश आर्टिस्ट स्वामीं का भोर्टिन व्यापार रखना ही पड़ता है, वरना उनके स्वापार पर बन्ध बोई रेसा अलि इन या कहाँ है जो इन स्वामीं का व्यापार रखने जाता है। और अन्त में, संवार को भी परिचयितों के बारग परम्परागत नैटियों में जा जाया फल हो गये हैं, उनका नौ एवनेटिक प्रकार पड़ता है। संवार को बदला जनेशी लोगों को नरे मार्ग पर चलने के लिए विदेश कर रहे हैं और वे तभी चौड़े राइटिंग विदेश पर्सन ही यह निष्कर्ष कर सकेंगे कि वे क्या कर रहे हैं और उन्हें क्या वरना चाहिए।

बच्चाय १४

राजनीति और लोकतन्त्र

संतुष्ट राष्ट्र जनरिका इस मूलनियत का एक अपना मानविक राष्ट्र है और सोनियड़ मूलनियत सभी तुलनात्मक हितों से अपने जनानुभिक राष्ट्र है। इन दोनों महान् प्रतिष्ठानों में दायर रहिए तो काइं भी नहा, परन्तु दोनों के दायरों में अनुर बहुत बढ़ा है। इस अन्तर का बांत आधिक समझन की भाषा, घर्म की भाषा, अपना अन्तर्व्यवस्था के प्रति शानको के स्तर की भाषा में भी दिया जा सकता है। संपुर्ण राष्ट्र अदेस्त्रिका और सोनियड़ मूलनियत में अन्तर को स्पष्ट करने का एक उपाय दोनों की राजनीति में अन्तर दिखला देना भी है।

सोनियड़ मूलनियत की सरकार अपनी जनता के दिमान में जो बहुत है उसे हम पर्द संघरण से तो उन देश के लोगों की रचि राजनीतिक विचारों और दावों में अपने अधिक है। वहा जाता है कि वहाँ कोई चालौंस लाल से दो बरोड तक "राजनीतिक" कन्दी देगार के कैमों में बन्द पड़े हैं। इन जनानों पर राजनीतिक घर्म करने या राजनीतिक प्रश्नों पर विचार करने का सच्चा या न्यून कनिष्ठों नहाया गया था। इन कैमों में मातृत्वी चोरों और व्यक्तियों के साथ प्रश्नात्मक करके उन्हें राजनीतिक वन्दियों के ऊपर अधिकारी बना दिया जाता है। सोनियड़-जनन-प्रियि की जनानुभिकता का सब से बड़ा उत्तराधारा यह है कि वहा अन्य सम्प्रदायों की अपेक्षा राजनीतिक वरपराओं के लिये कठोरतम दण्ड दिया जाता है।

परन्तु संतुष्ट राष्ट्र में और अन्य लालतन्त्रीय देशों में भी, राजनीति मात्र को अपेक्ष नहा समझ जाता। हाँ, बुध प्रधार को राजनीतिक अपेक्ष ही भी सकता

है, क्योंकि आखिर राजनीति भी मनुष्यों वा ही काम है, इसका सम्बन्ध व्यवहार-नीति से लेकर भ्रष्टगचार तक सभी व्यवहारों से है।

संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियट सूनियन में एक और बन्तर नागरिक अधिकारों के प्रति उनके खल में है। दोना देशों में विभिन्न स्वभावों और रीति-रिवाजों के और विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले सोग वही सख्ता में बसते हैं, जब ये विभिन्न प्रकार के साग एक ही केन्द्रीय शासन वो, और एक ही आर्थिक व्यवस्था की अपीनता में लाये जाते हैं तब अनिवार्य-स्वेच्छ बहुत-से संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियट सूनियन इन अनिवार्य संघर्षों का सामना सर्वथा विभिन्न उपायों से करते हैं।

सोवियट सूनियन में जो भी जाति या क्षेत्रों अपने विशिष्ट स्वभावों या रीति-रिवाजों को सुरक्षित रखता है—जो 'सोवियट मानव' के नीरह देर में पुन मिल नहीं जाता या समा नहीं पाता—उसे निर्वास्त्रा बतलाकर बलग फेंक दिया जाता और उसे समाप्त कर डालने के लिए उस पर नजर रखती जाती है। इन विभागे शिकारों को ढोकर दूर ले जाने के लिए केन्द्रीय सरकार अपनी रेलगाड़िया भेज देती है। इनमें से कुछ तो गुलामों के बैम्ब में भर जाते हैं, कुछ को उत्तरो मधुवों के समुद्री दर्यों पर बसा दिया जाता है, और कुछ रसी जनता में दृश्यत्वघर दिलाकर खो जाते हैं। अपने घर्म और अपनी संस्कृति का पालन करने वाले पृथक् लोगों के रूप में इस भूल पर से इनका अस्तित्व मिश डाला जाता है।

जिस प्रकार के "स्वाभाविक निवाचिन" से, सोवियट सूनियन की कृपा-भाजन जातिया अपने से दूर भाग्यराली जातियों का उन्मूलन करके स्वर्य भविष्य के लिए देश वी आवादी बनाने के लिए जीदित बचो रह जाती हैं, वह पशु जातियों के पारस्परिक संघर्ष से बहुत मिलता-जुलता है। उस संघर्ष में निर्बल जीव नष्ट हो जाते और बनशाली बचे रह जाते हैं। पुलोंस राज में जो समर्थन बचे रह जाते हैं, वे सम्यतम नहीं आपत्ति निर्दयतम होते हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका में भी बहुत सी जातिया, घर्म, और सम्बूलिया हैं। उनमें से कुछ एक दूसरे से इतनो मिल है कि उनके सोग, बल्यना चक्षुओं से दूरग

भविष्य में कभी भी साधारण जनता में पुल मिल नहीं सकेगे । यहाँ भी बाजारों में सधर्य होने हैं । जातियों, धर्मों और संस्कृतियों में भी सार्व होते रहते हैं और कुछ तो बहुत गहरे और कटु भी होते हैं । उस समय की कोई भी कल्पना नहीं कर सकता जब गोरे और नींग्रे, यहूदी और गैर-यहूदी और दैर्घ्योत्तिक और प्रोटेस्टेण्ट, सबके सब पारस्परिक सन्देह और विरोध को भल जायेगे और किसी भी प्रकार की विभागता का अनुभव किये दिना एक साथ खाने-खेलने लगेंगे । इस समय तो बहुत से लोग, भिन्न जाति और धर्म के अपने पढ़ीसियों से घृणा करते और ढरते हैं । कभी-कभी वे अपने साथी नागरिकों को हानि पहुँचाने का थल भी करते हैं । सम्भव है कि वे इन धृषित अल्पसंख्यकों के जोवन में उन्नति के अवसरों को सीमित करने में भी सफल हो जायें । यह सब मानव स्वभाव भुलभ है ।

परन्तु विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों में मिशना और सद्भावना का होना भी मानव-स्वभाव सुलभ है और लोकतान्त्रिक समाज में अन्त को जीत इन्हीं भावा की होती है । यह 'अन्त' बहुत विलम्बकारी होता है, और मधुर सम्बन्धों की दिशा में प्रगति भी मन्द होती है, परन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका में हमें मधुरता और सद्भावना की ओर प्रगति के चिह्न अनेक दिखलाई पड़ते हैं । इस प्रगति को देखकर हमें विरताम हो जाता है कि अमेरिकी जीवन-पद्धति की संस्थाओं और रीति रिवाजों में कुछ न कुछ सब्द अवश्य है ।

अमेरिकी जनता अपने रासान को, जातियों की यह कठिन समस्या जातिविनाश के द्वारा—नापरान्द वर्ग के सब लोगों को मार डालने के द्वारा—हल बरने का अधिकार नहीं देती । इसके विपरीत, वह सब नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित और विस्तृत करने के लिए, शिक्षण, काष्ठान और सार्वजनिक चाद-विवाद के उपायों में अधिकतम व्यावहारिक संगति लगाने का प्रयत्न करती रहती है ।

संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेत जातियों के साथ जो बुरा व्यवहार किया जाता है उसका प्रचार कम्पनिस्ट प्रचारक बहुत बड़ा चढ़ाकर करते हैं—

विठेपत्. संसार की अद्वेत जातियों में अमेरिकी लोग इस प्रवार के प्रवार में बचकर मार्ग नहीं सकते । हमें इसका सामना करना, और सुधार के प्रमाण देवर इमका उत्तर देना पड़ेगा । अमेरिकी लोग, अल्पसंख्यकों को नष्ट कर देने का और अपने अपराध को गोपनीयता की दीवार के पीछे ढिपा देने का सोवियट उपाय नहीं अपनायेंगे । अमेरिकी मार्ग जनता के अधिकारों की भवन्या लोकतान्त्रिक उपायों से हल कर लिने का है । लोकतान्त्रिक उपाय की गति मन्द तरे है, परन्तु असन्दाध है ।

मयुक्त राज्य अमेरिका के सब दोपों के बाबूदूद उमर्में कुछ गुण ऐसे हैं जो विदेशिया को अपनी ओर आहृष्ट कर लेते हैं । इसका प्रमाण यह है कि जो प्रवासी इम देश के अरोमननम पहलू को देख लिते हैं उनमें से भी अधिकतर यहाँ स्कूर सयुक्त राज्य के अपना घर बना लेने का निश्चय कर लेते हैं । अमेरिकी जनता की स्वतन्त्रता कई दृष्टियों से अपूर्ण तो है, परन्तु किर भी जीवन की अनेक आवश्यकताएँ इसमें पूर्ण हो रही हैं और यह निरन्तर उन्नति के स्वर्ण चिह्न प्रकृत कर रही है । अमेरिकी स्वतन्त्रता की इस जीवनी शक्ति का सम्बन्ध इसके उद्भव की विशिष्ट परिस्थितियों ने है ।

प्रथम बात यह है कि जो लोग अमेरिका आये थे उनमें से अधिकतर ऐसी परिविति से बचकर यहाँ आये थे जिसमें वे अपने आप को बन्दी बना हुआ अनुभव करते थे । वे एक ऐसे नये देश में आये थे जहाँ का जीवन बठोर और भयानक था । बहुत से तो मृत्युसास और मृत्यु की इटोरता में मर गये और बहुत से इष्टियना के बुहाड़े का चिकार हो गये । मिर भी उन्होंने अनुभव किया कि हम स्वतन्त्र हो गये हैं, हमारे बन्धन टूट गये हैं ।

द्वितीय बात यह कि लगभग तीन शताब्दियों तक अमेरिकियों को ऐसी भौगोलिक मुरझा और सुअवसर मिलते रहे कि उनके बारण उनकी स्वतन्त्रता स्वर्य-मिद सो हो गयी । उनकी पीठ पर अतलान्तक महामार था । देश की प्रगति की सब अवस्थाओं में हम ऐसी सेनाएँ संगठित कर सके, जो ब्रिटेन य

बन्ध किसी शक्ति द्वारा समुद्र के तीन सहस्र मील पार भेजी हुई फौज का सासा युद्धावला करने में सफल रही । यह आरम्भिक लाभ उन्नीसवीं शताब्दी के अारम्भ में वालक समृद्धि राज्य अमेरिका के इस सोमान्त्र से और समृद्ध हो गया कि युरापियन शास्त्रीय परस्पर हो तीज भगवा में उलझ गया और इष कारण उनमें से कोई भी अपने बल को अमेरिकी तट के विरुद्ध केन्द्रित नहीं कर सकी ।

स्वतन्त्रता का एह अन्य भौगोलिक तत्त्व पश्चिम की ओर वा रिक्त-प्रदेश था । इस प्रह्लाद में बहुत मचाई है कि कहीं और जा सकने की साध्यता ही स्वतन्त्रता है । सबको इस बात की जानकारी हो जाना अत्यधिकार के विरुद्ध एक बन्धान् गतिष्ठी है कि शिकार जब नहै तब अपना देरा छण्डा उठाकर गायब हो सकता है । भाग सकने की यह स्वतन्त्रता अब भी अमेरिकी जीवन की एक उल्लेखनीय विरेपता है । खुले सोमान्त्र के दिना में, अधिकारिया और व्यक्तियों के अधिकारी के प्रति अमेरिकी एह जी यह एक प्रमुख विरेपता थी ।

अन्तिम बात यह कि अमेरिकी लोगों को इंग्लैण्ड के बाहून और संस्थाएँ उत्तराधिकार में मिले थे । इन बाहूनों और संस्थाओं की रचना राजा और प्रजा में दोर्घ सधर्ष के पश्चात् हुई थी । इन्या प्रयोगन शासन में नागरिक की रक्षा करना था । अमेरिकी नविधान के पावरें संशोधन में वहा गया है कि बिना उचित बाहूनों कार्रवाई को, शामन, निसी भी नागरिक को जीवन, सम्पत्ति और स्वतन्त्रता से विचित नहीं कर सकेगा, और न उम्मी भम्पत्ति को बिना उचित मुआवजा दिये सावंजनिक उपयोग के लिए ले सकेगा ।

अमेरिका को जो ये संस्थाएँ उत्तराधिकार में मिली वे मध्य-वर्ग की थी, और युद्ध की दूरी तथा खुले सोमान्त्र के कारण भी अमेरिकियों को मध्यवर्गीय विनास-सैनी जो और बढ़ने में सहायता मिली । विसी भी अमेरिकी श्रमिक को प्रवृत्ति अपने आपको उन मेहनतकरा भजदूरों के मजामे वा येम्बर समझने की कम होती है जो सरमायेदारों का गरमाया जब्त कराने की जहो-जहद कर रहे होते हैं, और अपना भवान या व्यापारिक सम्पत्ति में अपना भाग खरीद लेने वी अधिक

होती है। इनने अधिक अमिक परिचय को बोर जाकर और मूमि तेक्षर खेती में लग चुके अथवा अपना व्यापार आरम्भ कर चुके हैं कि वर्गों के परिवर्तित हुए जिन उनके बाँ-बुद्द में उलझ जाने की व्यवस्था कोई सुगमता से बरता ही नहीं।

इस प्रकार अमेरिकी जनता के कानून और संस्थाएँ, जनता की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए राजनीतिक साधनों के रूप में प्रयुक्त होने के लिए, भली भांति अपनायी जा चुको हैं। विस्तृत समुद्र की आप से आप मिली हुई रक्षा के सिकुद जाने और सीमान्त की ओर स्वतन्त्रता से बढ़ने के अवसर क्रमशः समाप्त हो जाने पर भी, शासन के साधना को, जनता को आवश्यकतानुसार नये प्रशार का सरलण देने के लिए, विस्तृत और परिवर्तित किया जा सकता है।

अमेरिकी इतिहास की आरम्भिक अवस्था में लोकतन्त्र को सूचित सीमान्त ने स्वयमेव कर दी थी, क्याकि जिस किसी को भी अपने साथ दुर्घटनाकर विद्या जाने की शिकायत होती, वह पृथक् होकर अपने सामर्थ्यानुसार अपना मार्ग जाप बना सकता था। परन्तु पूर्वी टट के साथ-साथ वर्मे हुए देश में हाइटेंड के ही सामाजिक और आधिक वर्ग स्थिर हो गए थे। राजनीतिक लोकतन्त्र सम्पत्तिशाली लोगों तक ही सोनित था। केवल उन्हीं को मत देने का अधिकार प्राप्त था।

परन्तु सीमान्त का विस्तार परिचय को ओर को होता गया और मतदाताओं में साधारण व्यक्तियों द्वी सख्ता भद्र जनों से अधिक होती गयी। ज्यो-ज्यों मताधिकार अधिकाधिक वर्गों के लोगों को, और अन्त में हिवड़ों को भी दिया जाने लगा, ज्यो-न्यो राजनीतिक लोकतन्त्र का भी विस्तार होता गया। राष्ट्रपति को और सेनेट के सदस्यों को चुनने का अधिकार भी जनता ने अपने हाथ में ले लिया। ज्यो-ज्यों राजनीतिक शक्ति केवल उच्च वर्गों के नियन्त्रण से निकलती गयी त्यो-त्या राजनीति में सारी आवादी के सामान्य गुण और दोष अधिक निकटता से प्रतिविम्बित होने लगे। बीसवीं शताब्दी के सधर्पे में संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्पान या पतन इन्हीं गुणों और दोषों के सहारे होगा।

क्या सही है, क्या गलत और क्या चुदियता है और क्या मूर्छता, इन प्ररनों का नियंत्रण जनता स्वयं ही कर रही है। जनता की बाणी ही ईश्वर की बाणी है, इस

प्रचलित कहावत का अर्थ यह दिया जा सकता है कि जिस साधन ने अमेरिकी समाज की रचना हो रही है, वह वास्तव में अपनी स्वयं-प्रभु इच्छा का प्रदाशन करने वाली जनता की ही वाणी है। जब किसी अम्पट प्रसन का उत्तर देवल परीक्षण में भूले करके देखने से मिल सकता है तब लोग परीक्षण करते हैं। भूले कर के वे सोखते हैं कि बुद्धिहीनता क्या है और गलती करने पर उन्हें पता लगता है कि गलती क्या थी। कभी-कभी जनता ठोक काम भी करती है और उसके परिणाम से प्रसन होती है।

प्रतीत होता है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात्, जनता ने 'लीग ऑफ नेशन्स' अर्थात् राष्ट्र-संघ में सम्मिलित होने से इनकार करके संसौर की मुरझा का उत्तर-शायित्व उठाने से पीछे हटकर, और शान्ति की निरर्थक प्रतिज्ञाओं के 'साध खितवाह' करने के भूल की थी। उन्हें यह देखे जाते हुआ कि वे भूल कर रहे थे? जब युद्ध रोकने के लिए खड़ी की हुई उनकी नामजी दोवारें पर्ल हार्बर में ढह गयीं तब; कठोर अनुभव से अगली बार वे अधिक अच्छी तरह जान चुके थे।

बगलों वार संयुक्तराष्ट्र संघ की सत्थापना करने, उसे जीवित रखने और बल संचय करने में सहायता देने के कार्य में अमेरिकी जनता ने अधिक उत्साह से योग दिया। कोरिया की चुनौती का सामना करने में मार्ग दिखलाने का काम संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी दिया। उस समय संयुक्त राष्ट्रसंघ की मृत्यु से रक्षा, चाहत-पूर्ण उत्तर के कारण ही हो सकी थी। पर्ल हार्बर से पूर्व भी उधार-पट्टा कार्यक्रम के लिए स्वोहृति अमेरिकों जनता ने ही दी थी; और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् मार्शल योजना की स्वोहृति भी उसने ही दी। इन सब कार्यों से प्रदृष्ट होता है कि जनता जिस प्रकार पिछली भूलों से सीधे गयी और नयी आपत्तियों का सामना करने के लिए नये उपायों को परीक्षा करने के लिए तैयार हो गये।

नि सन्देह भविष्य में भी जनता कभी भूल करेगी और कभी ठोक दरेगी और यदि वह जीवित रह गया तो वह नवा पाठ सीख चुकी होगा। उनका फन उने आपत्तियों में भी प्रगति को ओर ले जाता है, क्याकि उसके इनिहाम ने उने प्रगति में ही विश्वास करना शिखलाया है। यह भी भूल ही हो सकती है, परन्तु दहो एक

मात्र नहीं है जो अधिक बच्चे भान्नम के और से या सकता है । बदेरकी जलता वो न देवत प्राणि वो न भना उत्तरविचार न मिनी है वह शांत अनिष्टपुरुष के सबने ज्ञान के लिए नो विद्या हो गया है । वह बाहु उत्तिष्ठत वो सामा पर स्थिती है और वाह वज्रे बनाउ रचिता का सामना करना इड रहा है और ऐसे प्रसना का उत्तर देना इड रहा है । गुद्ध या तीरे जो समन बना उत्तर देना हो पड़े ।

वह स्वभावित और रचित हो है जिसकुल यथा बनाई हो रखते हीक इक्षिता व देवत जाओ बड़ , ताप हा पढ़े का जो घन रख्य । उत्तिष्ठ क सौभाग्य पर साहृत का उत्तरवत्त तो है ही, सर्वतन्त्र वो भी ह । दून हो आवश्यकता जो कुछ दिया जाता चाहिए उसे बत्त के लिए हो है हा, दिन बरहांकामा जो नारानार दबा रहा देना उत्तर ना उट्ट प्रकर करने के लिए भी ह । सब बराबा और असराबा पर विचार इन वे परतात जो ना नित्तर दिये जाय तब पर दइ रहा चाहिए । वह यथा अनामा यहांउक पद्धि, दिवाद के समन्वय उच्छ्वास और उपर्यन्य चक्र के बाहरहूद, पर्याते सकृदगा से फर रहे है ।

संयुक्त यथा बनेता का तौलाय है जिसकी जलता का तिर्णा बनक आदिता से नित्तरहुआ ह, इस बाटा वह सहार का नहृद बत्त के भवत्तर कार्ये का सामना भजायीन वर सकता है । संयुक्त यथा जी जनता, मानव उत्तिष्ठो वो उनको हुइ जामाजा, बरकाजो और नित्तनो से, जनकी दृष्टियो और तरें से, और उनम परत्तर सद्वन्नता जो बाहरहूना से, उत्तिष्ठनी हो है । ये सब समन्वय हनारे बान देश म नो विद्यनन हैं । ये सब यह सद्वन्नता और स्तुपा को सान्तता म परिष्व नहो हुइ है । इन्ह इन सबके बाहरहूद, इड उद्द के नहै दिग, हम सब एक निन उत्तरह रहते है । सत्तार जो जो जी बाहरहूता भी है, नित्तो अनन्दस्त या वन्दन यो ना और उत्तिष्ठी जना का भाव है जिसके वर्णनामा के बारा इस सबके अकिलव से सबसा बनाइन नहीं है ।

बदेरिको स्वन में असम्भव कुप नग है । उनस्ती वह से हून निरन्तर यात्रा

कर रहे हैं। हम वहुतेरा चल चुके हैं, परन्तु उसका अन्त वही दिखलाई नहो पड़ता। हमारा संवल्प भी विसी लक्ष्य पर पहुँचने का नहीं, यात्रा करते चले जाने का है। दुर्गमता को भी सुगमता के साथ मिलाते हुए, हम यात्रा का आनन्द ले रहे हैं। हमें सगता है कि साधारणतया हम ऊँची भूमि पर पहुँचते जा रहे हैं और पहले नी ओपेक्षा अब अच्छा दिखाई देने लगा है।

एक शताब्दी से अधिक समय हुआ कि फैंच यात्री डो-न्टावेविले ने कहा था, “अमेरिकी शासन का ढाढ़ा उन लोगों के लिए उपयुक्त नहीं होगा जिन्हे अपने मामलों का प्रबन्ध स्वयं करने का बहुत पहले से अभ्यास न हो, या जिनके समाज में राजनीतिक विज्ञान निम्नतम वर्गों तक न पहुँच चुका हो।” अमेरिकी लोग यह सिफारिश नहीं कर सकते कि जा देश अमी-अमी पीटियो पुरानी स्वच्छत्व शासन प्रणालियो से मुक्त हुए हैं, वे भी उन तमाम विशेषताओं सहित अमेरिकी प्रणाली का अनुकरण करने लगे जो कि अमेरिकी जनता को अपने विशिष्ट अनुभवों वे परचात् प्राप्त हुई है। अन्य जो लोग राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने में सफल हो गये हैं, उनसे अमेरिकिया की सिफारिश यह है कि वे लोकतन्त्रीय प्रणति के मार्ग की यात्रा अपने ही परम्पराओं और अपनी ही प्रतिभा के भरोसे, इस विश्वास के साथ आरम्भ करें कि समस्त बठिनाइयों के बावजूद किन्हीं भी लोगों के लिए यही मार्ग सर्वोच्चिष्ठ है।

लोग अपनी यात्रा के मार्ग को खोज अनेक प्रकार से करते हैं। विज्ञान से सीख सकने वाले हर पदार्थ का वह उपयोग करते हैं। वे धर्म के द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का भी उपयोग करते हैं। और, अन्त में नित्यप्रति के जीवन के साधारण आदान-प्रदान में वे अमेरिकी मार्ग पर ही पहुँच जाते हैं।

अपने शासन का संगठन करते हुए वे विवाद, समझौते और सहमति के सोकतन्त्रीय उपयोग का उपयोग अपनी जानकारी के अनुसार करते हैं। तानाशाहियों में राजनीति को कला का प्रयोग नहीं हो सकता, और लोकतन्त्रीय मार्ग में दुष्ट न कुछ कोलाहल तथा अव्यवस्था रहती ही है। इन दोनों के बीच में अमेरिकी लोग दोस्रों शताब्दी के भविष्य की खाज लोकतन्त्रीय मार्ग से ही पर रहे हैं—उसका परिणाम चाहे भला हो चाहे बुरा।